VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अक्टूबर 2023

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद
जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची | सीकर

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा

2025, 2026 & 2027

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- 60 प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

DELHI: 5 दिसंबर, **9 AM**
BHOPAL: 10 जनवरी, **9 AM**
LUCKNOW: 10 जनवरी, **9 AM**
JAIPUR: 1 दिसंबर, **7:30 AM & 4 PM**
JODHPUR: 1 दिसंबर, **7:30 AM & 4 PM**

Lakshya

PRELIMS MENTORING PROGRAM 2024

UPSC Prelims 2024
के लिए एक रणनीतिक रिवीजन, प्रैक्टिस और मेंटरिंग प्रोग्राम

5th December

समयावधि: 5 माह

- निरंतर सहायता और मार्गदर्शन के लिए अत्यधिक अनुभवी एवं योग्य मेंटर्स की टीम
- प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन, CSAT और करेंट अफेयर्स के रिवीजन हेतु एक सुनियोजित योजना
- तैयारी के लिए आवश्यक रिसोर्सेज, जैसे– विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs), क्विक रिवीजन मॉड्यूल (QRMs), और PT–365 का बेहतर तरीके से उपयोग
- रिसर्च पर आधारित व विषयवार स्ट्रैटजी डॉक्यूमेंट्स
- रणनीति पर चर्चा, लाइव प्रैक्टिस और अन्य प्रतिस्पर्धियों से चर्चा के लिए पूर्व निर्धारित ग्रुप–सेशन
- अधिकतम अंक दिलाने वाले विषयों और टॉपिक्स पर विशेष ध्यान
- तैयारी को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने हेतु मेंटर्स के साथ वन–टू–वन सेशन
- अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन एवं सुधार
- तैयारी से संबंधित सलाह और प्रेरणा हेतु टॉपर्स एवं ब्यूरोक्रैट्स के साथ इंटरैक्टिव सेशन

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)_____6

1.1. शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण {Capacity Building of Urban Local Bodies (ULBs)} _____ 6

1.2. राजनीति का अपराधीकरण (Criminalization of Politics)_____ 9

1.3. कानून निर्माताओं के संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges of Lawmakers) _____ 11

1.4. अंतर्राज्यीय जल विवाद (Inter-State Water Dispute) _____ 13

1.5. सार्वजनिक सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका (Role of Technology in Public Services Delivery)_____ 16

1.6. भारत में उपभोक्ता संरक्षण (Consumer Protection in India)_____ 18

1.7. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 या वन अधिकार अधिनियम (FRA) {Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 or Forest Right Act (FRA)}____ 21

1.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) _____ 24

1.8.1. गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत 'गैर-कानूनी संगठन' ('Unlawful Association' Under UAPA, 1967)

1.8.2. प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) का ऑनलाइन पंजीकरण {Online Registration of First Information Reports (FIR)}_____ 24

1.8.3. आधार विश्व की सबसे भरोसेमंद डिजिटल आई.डी. है: केंद्र सरकार (Centre Claims Aadhaar as the Most Trusted Digital Id in The World) _____ 25

1.8.4. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 {Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995}_____ 25

1.8.5. सरना संहिता (Sarna Code) _____ 26

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) _____27

2.1. इज़रायल-हमास युद्ध (Israel-Hamas War) _____ 27

2.1.1. योम किप्पुर युद्ध (Yom Kippur War) _____ 30

2.2. भारत-कनाडा संबंध (India Canada Relations) __ 32

2.3. भारत- दक्षिण कोरिया (India South Korea) _____ 34

2.4. भारत-मालदीव (India Maldives) _____ 37

2.5. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council: UNHRC)_____ 40

2.6. दक्षिण चीन सागर (South China Sea)_____ 42

2.7. नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र (Nagorno-Karabakh Region) _____ 44

2.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) _____ 45

2.8.1. भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रुपे डोमेस्टिक कार्ड स्कीम (DCS) समझौते पर हस्ताक्षर किए {India Uae Sign Rupay Domestic Card Scheme (DCS) Agreement} _____ 45

2.8.2. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC) _____ 46

2.8.3. व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty: CTBT) _____ 46

2.8.4. अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention Against Transnational Organised Crimes: UNTOC) ___ 47

2.8.5. एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (Asia-Pacific Institute For Broadcasting Development: AIBD) 47

2.8.6. हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association: IORA)_____ 48

2.8.7. अंतर-संसदीय मंच (Inter-Parliamentary Forum: IPU) _____ 49

3. अर्थव्यवस्था (Economy) _____50

3.1. एम.एस. स्वामीनाथन का योगदान (Contributions of M. S. Swaminathan) _____ 50

3.2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research: ICAR)_____ 52

3.3. राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड (National Turmeric Board: NTB) _____ 54

3.4. नोबेल पुरस्कार, 2023 (Nobel Prizes 2023) ____ 55

3.4.1. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार (2023): श्रम बल में महिलाएं (Nobel Prize in Economics: Women in Labour Force) _____ 56

3.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) _____ 58

3.5.1. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट 2022-2023 {Periodic Labour Force Survey (PLFS) Report 2022-2023} 58
3.5.2. बॉण्ड यील्ड (Bond Yield) 59
3.5.3. व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 (Trade and Development Report 2023) 59
3.5.4. त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क {Prompt Corrective Action (PCA) Framework} 60
3.5.5. भारतीय रिज़र्व बैंक (विलफुल डिफॉल्टर्स और लार्ज डिफॉल्टर्स के साथ व्यवहार) दिशा-निर्देश, 2023 जारी किए गए {Reserve Bank of India (Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters) Directions, 2023 Released} 61
3.5.6. कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (Card-On-File Tokenization: CoFT) 61
3.5.7. वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 52वीं बैठक आयोजित की गई {52nd Goods and Services Tax Council (GST) COUNCIL Meeting Held} 61
3.5.8. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (National Investment and Infrastructure Fund: NIIF) 62
3.5.9. IRDAI ने बीमा वाहक दिशा-निर्देश (BHG) जारी किए {IRDAI Issued Bima Vahak Guidelines (BHG)} 62
3.5.10. क्रिटिकल और सामरिक खनिज (Critical and Strategic Minerals) 62
3.5.11. इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता (ISCAC) 2022 {India Smart Cities Awards Contest (ISCAC) 2022} 63
3.5.12. पर्यटन क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए गोवा रोडमैप (Goa Roadmap for Tourism) 63
3.5.13. निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (RoDTEP) योजना {Scheme for Remission of Duties and Taxes On Exported Products (RoDTEP)} 63
3.5.14. स्वचालित 'स्टेटस होल्डर' प्रमाण-पत्र (Automatic 'Status Holder' Certificates) 64
3.5.15. प्रोजेक्ट मेरियाना (Project Mariana) 64
3.5.16. वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2023 {Global Innovation Index (GII), 2023} 64
3.5.17. मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स (Multilateral Development Banks: MDBs) 65
3.5.18. उभरते बाजार बॉण्ड सूचकांक (Emerging-Market Bond Index: EMBI) 65
4. सुरक्षा (Security) 67
4.1. अलगाववाद (Separatism) 67
4.2. भारत का आतंकवाद-रोधी दृष्टिकोण (India's Anti-Terrorism Approach) 68
4.2.1. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency: NIA) 70
4.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 71
4.3.1. भारतीय वायु सेना (IAF) का नया ध्वज प्रतीक {New Indian Air Force (IAF) Ensign} 71
4.3.2. सोनोबॉयज (Sonobuoys) 72
4.3.3. सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास (Simbex Exercise) 72
5. पर्यावरण (Environment) 73
5.1.ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेसिलिएंस (Global Infrastructure Resilience) 73
5.2. हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ (Glacial Lake Outburst Flood: GLOF) 75
5.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 77
5.3.1. कोरल रीफ ब्रेकथ्रू (Coral Reef Breakthrough) 77
5.3.2. सतत वित्त (Sustainable Finance) 78
5.3.3. नेट ज़ीरो रोडमैप (Net Zero Roadmap) 79
5.3.4. जलवायु परिवर्तन के कारण सुंदरबन में नुकसान और क्षति (Climate Impact, Loss & Damage in Sundarbans) 79
5.3.5. जीवाश्म ईंधन में से मीथेन को कम करने की अनिवार्यता (Cutting Methane From Fossil Fuels) 79
5.3.6. सीमेंट उद्योग का विकार्बनीकरण (Decarbonisation of The Cement Industry) 80
5.3.7. भारत में फॉस्फोरस की उपलब्धता कम हो रही है (India Running Out of Phosphorus) 81
5.3.8. कोनोकार्पस वृक्ष (Conocarpus Trees) 81
5.3.9. अमेज़न नदी बेसिन (Amazon River Basin) 81
5.3.10. पेट्रोलियम कोक या पेट कोक (Petroleum Coke Or Pet Coke) 82

5.3.11. गोबरधन (GOBARdhan) के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल (Unified Registration Portal for GOBARdhan) 82
5.3.12. पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट डिग्रेडिंग एंजाइम (PET46) {Polyethylene Terephthalate Degrading Enzyme (PET46)} 82
5.3.13. मैनिस मिस्टीरिया (पैंगोलिन की नई खोजी गई प्रजाति) {Manis Mysteria (Newly Discovered Species Of Pangolin)} 82
5.3.14. डेम्सेलफ्लाई प्रजाति (Damselfly Species) 83
5.3.15. फिश मिंट (Fish Mint) 83
5.3.16. डांसिंग फ्रॉग (Dancing Frogs) 83
5.3.17. पिंक बॉलवर्म (Pink Bollworm) 83
5.3.18. कमलांग टाइगर रिज़र्व (Kamlang Tiger Reserve) 84
5.3.19. 15-मिनट सिटीज (15-Minute Cities) 84
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 85
6.1. LGBTQIA+ के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला (Supreme Court Judgment on LGBTQIA+ Rights) 85
6.2. जातिगत जनगणना (Caste Census) 87
6.3. युवाओं के नेतृत्व में विकास (Youth-Led Development) 89
6.4. वृद्धजनों की बढ़ती आबादी (Ageing Population) 92
6.6. प्रो-लाइफ बनाम प्रो-चॉइस (Pro-Life Vs. Pro-Choice) 97
6.7. सहमति की आयु (Age of Consent) 98
6.8. बाल यौन शोषण सामग्री (Child Sexual Abuse Material: CSAM) 100
6.9. बच्चों द्वारा सोशल मीडिया का अधिक उपयोग (Children's Prolonged Usage if Social Media) 103
6.10. चक्रीय प्रवास (Circular Migration) 104
6.11. वैश्विक भुखमरी सूचकांक (Global Hunger Index: GHI) 106
6.12. भारत में खेल (Sports in India) 108
6.13. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 110
6.13.1. आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए स्कूलों हेतु दिशा-निर्देशों का मसौदा (Draft Guidelines for Schools to Prevent Suicide) 110
6.13.2. श्रेष्ठ योजना (Shreshta Scheme) 111
6.13.3. बच्चों में कुपोषण की पहचान और प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल (Identification and Management of Malnutrition in Children) 111
6.13.4. SPECS 2030 पहल (SPECS2030 Initiative) 111
6.13.5. हक्की पिक्की जनजाति (Hakki Pikki Tribe) 111
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 113
7.1. भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 (Nobel Prize in Physics 2023) 113
7.2. रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 (Nobel Prize in Chemistry 2023) 114
7.3. फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2023 (Nobel Prize in Physiology or Medicine 2023) 116
7.4. नेट न्यूट्रैलिटी (Net Neutrality) 118
7.5. भारत की अंतरिक्ष तकनीक संबंधी क्षमताओं को विकसित करना (Unlocking India's Space Tech Potential) 120
7.6. क्षुद्रग्रह (Asteroid) 122
7.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 124
7.7.1. विश्व स्वास्थ्य संगठन की "रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सूची" में पारंपरिक चिकित्सा (Traditional Medicine on World Health Organisation's List)
7.7.2. आयुष्मान भवः अभियान (Ayushman Bhav Campaign) 124
7.7.3. भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC) फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप (PDG) का सदस्य बना {Indian Pharmacopoeia Commission (IPC) Becomes a Member of Pharmacopoeial Discussion Group (PDG)} 125
7.7.4. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (Monoclonal Antibody) 125
7.7.5. R21/Matrix-M (मलेरिया वैक्सीन) {R21/Matrix-M (Malaria Vaccine)} 125
7.7.6. खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग (Packaging of Food Products) 126
7.7.7. प्रोटीन बाइंडर्स (Protein Binders) 126

7.7.8. अंतर्विषयक साइबर-भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Inter-Disciplinary Cyber Physical System: NM-ICPS) 126
7.7.9. ग्रेविटी बैटरी (Gravity Battery) 126
7.7.10. निएंडरथल (Neanderthals) 126
7.7.11. ग्रीन अमोनिया (Green Ammonia) 127
8. संस्कृति (Culture) 128
8.1. ग्रामीण पर्यटन (Rural Tourism) 128
8.2. प्राचीन भारत में सैन्य प्रणाली (Military Systems in Ancient India) 131
8.3. सर सैयद अहमद खान (Sir Syed Ahmed Khan) 132
8.4. रानी दुर्गावती (Rani Durgavati) 133
8.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 135
8.5.1. साहित्य का नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Literature for 2023)
8.5.2. टोटो भाषा (Toto Language) 135
8.5.3. अरुणाचल 'याक चुरपी' (Arunachal Yak Churpi) 135
8.5.4. माँ दंतेश्वरी मंदिर (छत्तीसगढ़) {Maa Danteshwari Temple (Chhattisgarh)} 135
8.5.5. मेवाड़ी लघु चित्रकला शैली (Mewar School of Painting) 135
8.5.6. 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड (53rd Dadasaheb Phalke Lifetime Achievement Award) 136
9. नीतिशास्त्र (Ethics) 137
9.1. विधि निर्माताओं की नैतिकता (Ethics of Lawmakers) 137
9.2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवाधिकार (AI and Human Rights) 139
10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 143
10.1. प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना {PM SVANidhi} 143

नोट:

प्रिय अभ्यर्थियों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना आर्टिकल्स को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

	विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
	पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे याद रखने के लिए प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए हम मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में स्मार्ट क्विज़ को शामिल करते हैं।

	विषय को आसानी से समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इंफोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।
	सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

1.1. शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण {Capacity Building of Urban Local Bodies (ULBs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, क्षमता निर्माण आयोग (CBC)[1] ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के सहयोग से शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के क्षमता निर्माण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य पूरे भारत में **ULBs की क्षमता विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना** है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस कार्यशाला में **तीन मुख्य पहलों के शुरुआत की घोषणा** की गई। ये पहलें हैं:
  - **MoHUA की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (ACBP)[2]।**
  - **6 ULBs के लिए पायलट आधार पर वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (ACBP)। ये ULBs हैं-** अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूरु, राजकोट, नागपुर और पुणे।
  - **ULBs के लिए क्षमता निर्माण योजना तैयार करने हेतु व्यापक टूलकिट:** इसका उद्देश्य ULBs की संवृद्धि और विकास में मदद करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है।

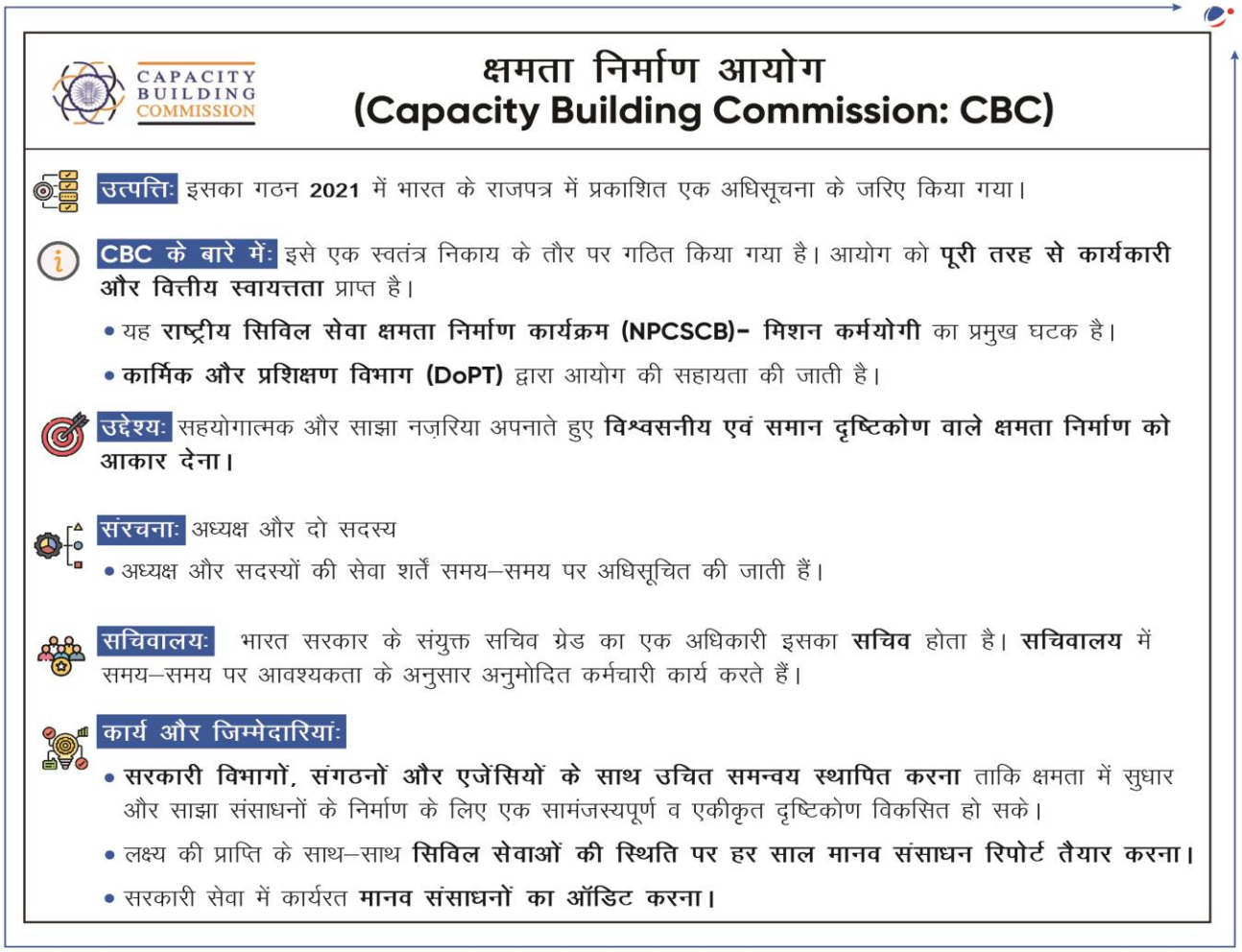

[1] Capacity Building Commission

[2] Annual Capacity Building Plan

शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के बारे में

- ULBs **लघु आकार वाले स्थानीय निकाय** होते हैं। ये एक निश्चित या परिभाषित आबादी वाले **शहर या कस्बे को प्रशासित या प्रबंधित** करते हैं।
  - **शहरी शासन (स्थानीय सरकार) संविधान में राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 5** का विषय है। राज्य सूची का विषय होने के कारण **ULBs का प्रशासनिक ढांचा और कानून अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है।**
- **74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** के तहत **शहरी स्थानीय सरकारों** को औपचारिक रूप से **सरकार के तीसरे स्तर के रूप में मान्यता दी गई।**
  - 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में **तीन प्रकार के ULBs के गठन** का प्रावधान है:
    - **नगर पंचायत (Nagar panchayats):** 'ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र' के लिए,
    - **नगरपालिका परिषद (Municipal councils):** 'छोटे शहरी क्षेत्रों' के लिए, और
    - **नगर निगम (Municipal corporations):** 'बड़े शहरी क्षेत्रों' के लिए।
  - अधिनियम के द्वारा **राज्य सरकारों** को अधिकार प्रदान किया गया है कि-
    - वह इन निकायों को अपने अधिकार क्षेत्र से राजस्व एकत्र करने संबंधी कुछ कार्य, अधिकार और शक्ति सौंपें; तथा
    - निर्धारित समय पर इनका चुनाव कराया जाना अनिवार्य करें।
  - **ULBs के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - नगर नियोजन जिसमें शहरी नियोजन भी शामिल है,
    - भूमि उपयोग तथा भवनों, सड़कों एवं पुलों के निर्माण का विनियमन,
    - शहरी गरीबी उन्मूलन, आदि।

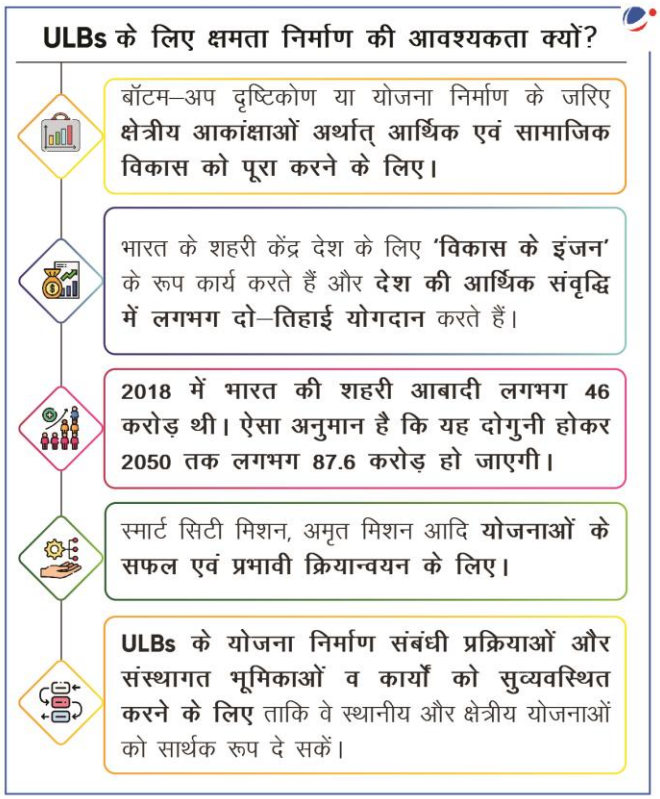

ULBs के क्षमता निर्माण हेतु किए गए उपाय

- **शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्षमता निर्माण योजना (CBULB)[3]:** इसका उद्देश्य बेहतर प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण के जरिए शहरी स्थानीय सरकारों को मजबूत करना है, जैसा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में बताया गया है।
- **"शहरी विकास के लिए क्षमता निर्माण" (CBUD)[4] परियोजना:** यह **विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त योजना है। इसके उद्देश्य हैं:**
  - **चुनिंदा ULBs (जो आर्थिक संवृद्धि के केंद्र हैं) का क्षमता निर्माण करना,**
  - शहरों के बेहतर प्रबंधन के लिए उनके **कौशल में सुधार करना तथा शहरी गरीबी को कम करना।**
- **राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन:** MoHUA ने 2021 में इस मिशन की शुरुआत की थी। यह भारत के **शहरी स्थानीय निकायों** में नागरिक-केंद्रित **डिजिटल क्रांति** लाने पर आधारित है। इसका उद्देश्य देश में डिजिटल गवर्नेंस के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने हेतु एक **साझा डिजिटल अवसंरचना** तैयार करना है। यह रूपरेखा **तीन स्तंभों या 3Ps, यथा- 'व्यक्ति (People), प्रक्रियाएं (Processes) और प्लेटफार्म'** को ध्यान में रखती है।
  - इस मिशन को संचालित करने का कार्य **नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA)** को सौंपा गया है।
    - NIUA की स्थापना 1976 में हुई थी। यह शहरी विकास एवं प्रबंधन हेतु **अनुसंधान, प्रशिक्षण और सूचना प्रसार** के लिए कार्यरत एक प्रमुख संस्थान है।
- **जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM):** यह मिशन निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करता है:
  - **शहरी अवसंरचना और सेवा वितरण प्रणाली में दक्षता लाना,**
  - सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, और

[3] Capacity Building Scheme for Urban Local Bodies

[4] Capacity Building for Urban Development

- नागरिकों के प्रति ULBs/ सरकारी स्वामित्व वाली एजेंसियों (Parastatal agencies) की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- **म्युनिसिपल बॉण्ड्स (Municipal Bonds):** ये **भारत में नगर निगमों और अन्य संबद्ध निकायों द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किए जाने वाले वित्तीय लिखत (इंस्ट्रूमेंट्स)** होते हैं।

शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण से जुड़ी चुनौतियां

- **कौशल की कमी:** शहरी कार्यों और नगरपालिका सेवाओं के प्रबंधन में लगे कर्मियों में **विशेष प्रकार के कौशल का अभाव** है। **इनमें विशेषकर सामाजिक एवं आर्थिक नियोजन, संधारणीय शहरी नियोजन,** वित्तीय प्रबंधन और ई-गवर्नेंस जैसे क्षेत्रकों से संबंधित कौशल शामिल हैं।
- **प्रशिक्षण पाठ्यक्रम:** नगरपालिका कर्मचारियों में आवश्यक कौशल क्षमता की कमी तो है ही, **प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता-निर्माण सीमाएं, इस समस्या को और बढ़ा देती है।** ऐसे संस्थानों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किसी कार्यक्रम विशेष या किसी आयोजन विशेष को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। इस तरह ऐसे पाठ्यक्रमों की उपयोगिता सीमित हो जाती है और विशेष तरह के कौशल के विकास में बाधा आती है।
  - इसके अलावा, **राज्यों के प्रशिक्षण संस्थान** शहरी प्रशासन के बजाय **सामान्य और ग्रामीण प्रशासन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।**
- **जागरूकता और भागीदारी की कमी:** नागरिकों और ULBs के बीच संवाद का अभाव सूचनाओं के प्रभावी संचार में बाधा उत्पन्न करता है। इससे ULBs को नागरिकों से फीडबैक प्राप्त करने में समस्या आती है। गौरतलब है कि नागरिकों के फीडबैक ULBs के क्षमता निर्माण के लिए मुख्य प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- **अधिकारों का आंशिक हस्तांतरण:** 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत स्थानीय निकायों हेतु विभिन्न कार्यों (विषयों) को सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि, व्यवहार में इन्हें **पर्याप्त वित्तीय अधिकार हस्तांतरित नहीं किए गए हैं।** अतः स्थानीय शासन के पास जिम्मेदारियां तो अधिक हैं लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय अधिकार उपलब्ध नहीं हैं।
  - उदाहरण के लिए- बिहार के ULBs की **कमजोर वित्तीय स्थिति के मुख्य कारणों में शामिल हैं: अनुदानों को जारी करने में देरी, फंड्स का अपर्याप्त हस्तांतरण, कर की दरों में संशोधन करने में देरी,** भूमि जोतों का आकलन करने में देरी आदि।

आगे की राह

- **प्रशिक्षण:** गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कंटेंट डिजाइन किया जाना चाहिए। इसमें क्लासरूम-आधारित प्रशिक्षण और ऑन-फील्ड प्रशिक्षण की जरूरतों वाले कंटेंट शामिल होने चाहिए।
  - निजी, शैक्षणिक तथा गैर-सरकारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संगठनों को इसमें शामिल करने से क्षमता निर्माण संस्थानों की कमी को पूरा किया जा सकता है।
- **पेशेवरों की दक्षता में वृद्धि:** नगरपालिका विभागों में एक मजबूत और दक्ष कार्यबल के निर्माण हेतु कैडर प्रणाली विकसित की जानी चाहिए और इन्हें विशेष कार्यों हेतु **विशिष्ट प्रशिक्षण** भी प्रदान किया जाना चाहिए। इसका एक उदाहरण है- इंजीनियरिंग विभाग।
  - इसके अलावा, नगरपालिका की पेशेवर दक्षता को बढ़ाने के लिए नगरपालिका कैडर, विशेष रूप से बड़े ULBs में **विशेष कौशल वाले पेशेवरों की पार्श्व नियुक्ति (लैटरल हायरिंग)** की जा सकती है।

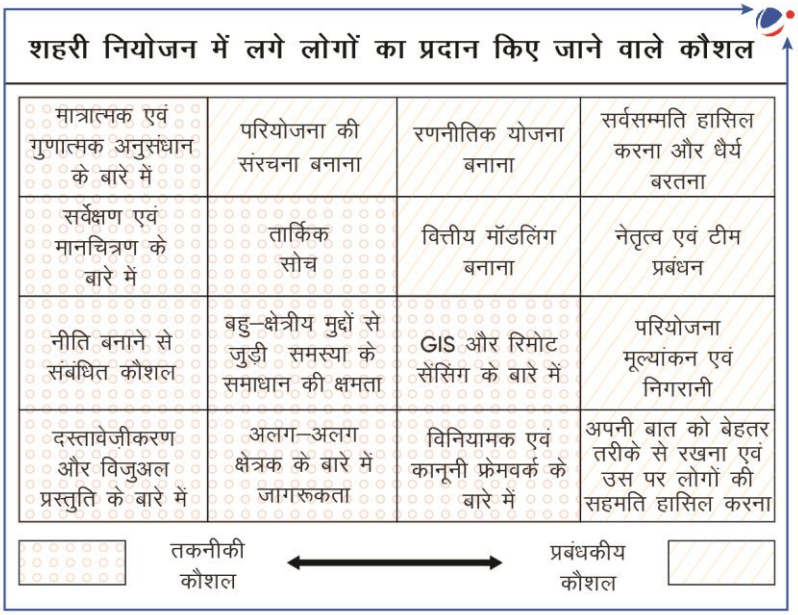

- **जागरूकता पैदा करना: नागरिकों को संगठित करने, उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने** और जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाए जा सकते हैं। इनमें शैक्षणिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, इत्यादि की भी मदद ली जा सकती है।
- **राजकोषीय विकेंद्रीकरण: स्थानीय शासन के प्रभावी संचालन** के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण एक आवश्यक पहलू है। जहां तक संभव हो **संसाधन जुटाने के साथ-साथ व्यय के मामलों में स्वायत्तता प्रदान करने** पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
  - इससे **स्थानीय संस्थानों को प्रशिक्षण हेतु धन आवंटित करने** और विकास संबंधी कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की उनकी क्षमता बढ़ेगी।
- **तालमेल:** स्थानीय शासन के निकायों के बीच **तालमेल बढ़ाने और एकरूपता लाने के लिए स्थानीय निकायों** की संरचनाओं को संस्थागत बनाना चाहिए। इससे अप्रत्यक्ष रूप से ULBs की संस्थागत और मानव संसाधन क्षमता में वृद्धि होगी।

1.2. राजनीति का अपराधीकरण (Criminalization of Politics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **"भारत के लोक सभा और राज्य सभा के वर्तमान सांसदों का विश्लेषण[5] 2023"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस रिपोर्ट को **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)** और **नेशनल इलेक्शन वॉच** ने जारी किया है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - **वर्तमान सांसदों पर आपराधिक मामले:** विश्लेषण किए गए सांसदों में से **40 प्रतिशत सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज** होने की घोषणा की है।
  - **वर्तमान सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले: 25 प्रतिशत** सांसदों ने अपने खिलाफ **गंभीर आपराधिक मामले दर्ज** होना स्वीकार किया है। ऐसे मामलों में हत्या, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि शामिल हैं।
  - **आपराधिक मामलों वाले वर्तमान सांसदों के अधिकतम प्रतिशत वाले राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश:** इसे राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम है: **लक्षद्वीप>केरल>बिहार>महाराष्ट्र।**
- **1999** में IIM[6], अहमदाबाद के प्रोफेसरों के एक समूह ने **ADR की स्थापना** की थी।
  - इसका उद्देश्य निर्वाचन और राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में निरंतर कार्य करते हुए **शासन व्यवस्था में सुधार करना एवं लोकतंत्र को मजबूत** करना है।

राजनीति के अपराधीकरण का प्रभाव

- **भ्रष्टाचार का संस्थागत होना एवं विश्वास में कमी आना:** भ्रष्टाचार तब उत्पन्न होता है, जब कानून के शासन (Rule of law) की अवहेलना की जाती है और यह राजनीति के अपराधीकरण से संबद्ध हो जाता है।
  - **ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल** द्वारा जारी किए गए **करप्शन पर्सेप्शन्स इंडेक्स, 2022** के अनुसार भारत **180 देशों में से 85वें स्थान** पर है।
  - इसके अतिरिक्त, यदि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेता लोक पद धारण करते हैं, तो इससे राजनीतिक व्यवस्था में जनता का विश्वास कम होने लगता है।
- **राजनीतिक दलों का अपराधीकरण:** ऐसा इस कारण होता है, क्योंकि **आपराधिक तत्व राजनीतिक दलों पर नियंत्रण हासिल करके उनका अपने निजी लाभ हेतु उपयोग** करने लगते हैं। इससे दल के **आंतरिक लोकतंत्र** पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

[5] Analysis of Sitting MPs from Lok Sabha and Rajya Sabha of India

[6] Indian Institute of Management/ भारतीय प्रबंधन संस्थान

- **जांच और अभियोजन एजेंसियों[7] की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव:** अपराधी और राजनेताओं के बीच सांठगांठ के कारण एजेंसियों की कार्यप्रणाली नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है।
    - 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को "पिंजरे में बंद तोता" तथा "अपने मालिक की आवाज"** कहा था।
- **दोषसिद्धि दर में गिरावट: सुप्रीम कोर्ट की एमिकस क्यूरी रिपोर्ट[8], 2022** के अनुसार, देश भर में कानून-निर्माताओं के खिलाफ 5,097 मामले लंबित हैं।
- **स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर प्रभाव:** अपराधियों द्वारा चुनावों में धन और बाहुबल के उपयोग के कारण चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से आयोजित नहीं हो पाते हैं।
    - सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुसार, 2019 के लोक सभा आम चुनावों के दौरान लगभग **8 बिलियन डॉलर** खर्च किए गए थे।

चुनाव सुधारों से संबंधित अलग-अलग आयोग/ समितियां:

- **एन.एन. वोहरा समिति रिपोर्ट (1993):** इस रिपोर्ट में राजनीति के अपराधीकरण पर यह तथ्य प्रकट किया गया था कि देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद आपराधिक गुटों, पुलिस, नौकरशाहों और राजनेताओं के बीच सांठगांठ स्पष्ट रूप से सामने आई है।
- **अन्य आयोग:** संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2001), दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (2008) आदि।

राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए किए गए उपाय

- **कानूनी उपाय: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3)** के अनुसार, कोई भी कानून-निर्माता (विधायक/ सांसद) जिसे **कम-से-कम दो वर्ष के कारावास की सजा** सुनाई गई हो तो वह **दोषी ठहराए** जाने की तिथि से **सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य** माना जाएगा। साथ ही, ऐसे व्यक्ति को **सजा पूरी होने की तिथि से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित** कर दिया जाएगा।
    - इस प्रकार की अयोग्यता को संविधान के **अनुच्छेद 102(1)** के तहत उपबंधित किया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा पारित कानून के तहत किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
    - इसी तरह **अनुच्छेद 191(1)** के तहत राज्यों के संदर्भ में भी ऐसा ही प्रावधान किया गया है।
- **न्यायिक निर्णय:**
    - **भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वाद (2002):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को उम्मीदवारों के जीवन से जुड़े कानूनी मामलों के बारे में जानने का मूल अधिकार प्राप्त है। इसमें **'उचित जानकारी रखने संबंधी अधिकार[9]'** को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से प्राप्त एक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है।
    - **पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम भारत संघ वाद (2004):** सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा **33B को असंवैधानिक और अमान्य घोषित** कर दिया था।
        - यह धारा उम्मीदवारों को **केवल अधिनियम के तहत ही जानकारी प्रदान** करने की अनुमति देती थी।
    - **लिली थॉमस बनाम भारत संघ वाद (2013):** सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) की **धारा 8(4)** को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
        - इस धारा के तहत किसी मामले में दोषी ठहराया गए गए सांसद/ विधायक को अपनी दोषसिद्धि के निर्णय के खिलाफ की गई अपील का निपटान होने तक पद पर बने रहने की अनुमति मिली हुई थी। उन्हें उच्चतर न्यायपालिका में **तीन माह के भीतर** अपील करने की अनुमति दी गई थी, तब तक वे अपने पद पर बने रह सकते थे।
        - उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में निर्णय था कि दोषसिद्धि की स्थिति में अपील के लिए तीन माह का समय दिए बिना ही सदन की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
    - **पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ वाद (2018):** सुप्रीम कोर्ट ने **राजनीतिक दलों** को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड्स को **अपनी वेबसाइट्स, सोशल मीडिया हैंडल्स और समाचार-पत्रों** में प्रकाशित करने का आदेश दिया था।
    - **रामबाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा वाद (2020):** सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के निर्देशों को दोहराया। साथ ही न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी गैर-अनुपालन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे।

---

[7] Investigation and prosecution agencies

[8] SC amicus curiae report

[9] Right to be Informed

आगे की राह

- **दोषियों के चुनाव पर आजीवन प्रतिबंध:** भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2004 और 2016 में प्रकाशित प्रस्तावित चुनाव सुधारों में इसका उल्लेख किया था।
- **हाइब्रिड निर्वाचन प्रणाली: 170वें विधि आयोग की रिपोर्ट** में हाइब्रिड प्रणाली के संदर्भ में सुझाव दिया गया था। इसके अनुसार चुनावों का आयोजन **75% फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (FPTP) सिस्टम तथा 25% आनुपातिक प्रणाली** के माध्यम से किए जाने की सलाह दी गई थी।
  - विशेषज्ञों के अनुसार, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रत्येक चुनाव में उम्मीदवारों को बड़ी राशि खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- **झूठा हलफनामा दाखिल करने पर दंड:** विधि आयोग ने **'चुनावी अयोग्यता' शीर्षक वाली अपनी 244वीं रिपोर्ट** में सुझाव दिया था कि झूठा हलफनामा दाखिल करने पर दंड को बढ़ाया जाना चाहिए और **न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास** की सजा दी जानी चाहिए। साथ ही, ऐसे अपराध को भी **अयोग्यता का आधार** बनाया जाना चाहिए।
- **राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र:** संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) की रिपोर्ट ने राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र के लिए एक समर्पित कानून का सुझाव दिया था।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन:** ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, जिनके ऊपर जघन्य अपराधों के आरोप लगे हुए हैं।
- **अन्य सुधार:** भारत के चुनावी तंत्र में सुधार के लिए वापस बुलाने का अधिकार (Right to recall), चुनावों में राज्य द्वारा वित्त-पोषण, त्वरित न्यायिक प्रक्रिया जैसे उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

संबंधित सुर्ख़ियां

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच ने **'हेट स्पीच से संबंधित घोषित मामलों वाले वर्तमान सांसदों/ विधायकों का विश्लेषण'** रिपोर्ट भी जारी की है।

- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:** कुल 107 वर्तमान सांसदों (33) और विधायकों (74) ने हेट स्पीच देने से संबंधित मामलों की घोषणा की है।

हेट स्पीच के बारे में

- विधि आयोग की **267वीं रिपोर्ट** में कहा गया है कि **"हेट स्पीच" को भारत के किसी भी कानून में परिभाषित नहीं** किया गया है।
  - हालांकि, कुछ कानून की धाराएं (जैसे- IPC की धारा 153A, 153B व 295A) वाक् स्वतंत्रता के अपवाद के रूप में वाक् (या स्पीच या भाषण) के चुनिंदा रूपों पर रोक लगाती हैं।

1.3. कानून निर्माताओं के संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges of Lawmakers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में **सात-न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ का गठन** किया है। यह पीठ **पी.वी. नरसिम्हा राव वाद (1998) में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार** करेगी।

अन्य संबंधित तथ्य

- गौरतलब है कि **पी.वी. नरसिम्हा राव वाद (1998)** में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय **झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) रिश्वत मामले (1993)** से जुड़ा हुआ है। ज्ञातव्य है कि 1993 में नरसिम्हा राव सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए कथित तौर पर सभी दलों के कई सांसदों को रिश्वत दी थी।
- निर्णय के अनुसार, **संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत सांसद व विधायक को प्राप्त कानूनी उन्मुक्ति संसद व विधान-मंडल में किसी भी भाषण या मत के लिए रिश्वत के आरोप में आपराधिक मुक़दमे से भी संरक्षण** प्रदान करती है।
  - सुप्रीम कोर्ट ने अब इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है।
    - **संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2)** में यह लिखा हुआ है कि **क्रमश: संसद व विधान-मंडल में सांसदों व विधायकों द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए मत के संबंध में उनके खिलाफ किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।**

संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में

- संसदीय विशेषाधिकार **विधायिका के सदस्यों को प्राप्त कानूनी प्रतिरक्षा है। इनके तहत कानून निर्माताओं को उनके विधायी कर्तव्यों के दौरान किए गए कुछ कृत्यों या दिए गए बयानों के लिए सिविल या दाण्डिक दायित्व से सुरक्षा प्रदान की जाती है।**
- अब तक न तो संसद और न ही किसी राज्य विधान-मंडल ने ऐसा कोई कानून बनाया है जो सदनों, उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों को परिभाषित करता हो।
  - यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि **संसद ने अभी तक सभी विशेषाधिकारों को विस्तृत रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया है। ये विशेषाधिकार पांच स्रोतों पर आधारित हैं, अर्थात्:**
    - संवैधानिक प्रावधान,
    - संसद द्वारा बनाए गए अलग-अलग कानून,
    - दोनों सदनों के नियम,
    - संसदीय परंपराएं, और
    - न्यायिक व्याख्याएं।
- **केवल संसद** को ही यह सुनिश्चित करने का **अधिकार है कि सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन या सदन की अवमानना हुई है अथवा नहीं।** किसी भी न्यायालय को यह शक्ति नहीं सौंपी गई है।
  - **सदन का कोई भी सदस्य** सभापति या अध्यक्ष की सहमति से **विशेषाधिकार हनन से जुड़ा प्रश्न उठा सकता है।**

विशेषाधिकार का उल्लंघन (Breach of privilege)

- यदि कोई व्यक्ति या प्राधिकारी **किसी सदस्य या सदन के संसदीय विशेषाधिकार की उपेक्षा करता है या उसे कमजोर करता है,** तो इसे 'विशेषाधिकार का उल्लंघन' कहा जाता है।

सदन की अवमानना (Contempt of the House)

- विशेषाधिकार का उल्लंघन **सदन की अवमानना से अलग** होता है।
- इसे **ऐसे किसी भी कार्य के रूप में** परिभाषित किया गया है जो-
  - **संसद के किसी भी सदन के काम-काज में बाधा** उत्पन्न करता है, या
  - जो ऐसे **सदन के किसी सदस्य या अधिकारी के कर्तव्य के निर्वहन में बाधा** उत्पन्न करता है, या
  - जिसमें **प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे परिणाम उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है।"**

विशेषाधिकार के उल्लंघन या सदन की अवमानना के लिए सजा

- विशेषाधिकारों के उल्लंघन या अवमानना के दोषी पाए गए व्यक्ति की **निंदा की जा सकती है, चेतावनी दी जा सकती है या जेल भेजा जा सकता है।**
- **सदन द्वारा किसी दोषी को अवमानना के लिए हिरासत या जेल भेजने की अवधि, सदन के सत्र की अवधि तक सीमित होती है।**
- यदि सदन के सदस्य दोषी पाए जाते हैं, **तो उन्हें सदन से निलंबित किया जा सकता है या उन्हें निष्कासन का सामना करना पड़ सकता है।**

वे कौन-से प्रावधान हैं, जो सांसदों/ विधायकों को अभियोजन (Prosecution) से छूट प्रदान करते हैं?

- **अनुच्छेद 105 संसद के दोनों सदनों और उसके सदस्यों** तथा समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है।
  - इसी प्रकार, **अनुच्छेद 194 राज्य विधान-मंडलों के सदनों और उनके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों (Immunities) की रूपरेखा** का प्रावधान करता है।
- **कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार: अनुच्छेद 105(2)** में प्रावधान किया गया है कि **कोई भी सांसद संसद के किसी भी सदन के प्राधिकार के तहत प्रकाशित** किसी भी प्रतिवेदन, पत्र, मतपत्र या कार्यवाही के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा।
  - **अनुच्छेद 194(2)** के तहत **राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के लिए भी** समान प्रावधान किए गए हैं।
- **संसद में बोलने की स्वतंत्रता:** सदनों में सदस्यों को प्राप्त वाक् स्वतंत्रता **अनुच्छेद 19(2) के तहत नागरिकों को प्राप्त वाक् स्वतंत्रता से अलग है।**
  - **अनुच्छेद 105(2)** के अनुसार, **"संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके खिलाफ किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।"** यह स्वतंत्रता **संविधान के प्रावधानों** तथा संसद के नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन है, जैसा कि संविधान के **अनुच्छेद 118** में प्रावधान किया गया है।

- हालांकि, **अनुच्छेद 121** सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के **न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने से रोकता है।**

- **गिरफ्तारी पर रोक:** सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी **कानून निर्माता को सदन के सत्र से 40 दिन पहले, सत्र के दौरान और सत्र के स्थगन से 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं** किया जाएगा।
  - हालांकि, यह विशेषाधिकार **दीवानी मामलों तक ही सीमित** है। किसी संसद सदस्य को सत्र के दौरान या अन्यथा, **किसी आपराधिक मामले में कार्रवाई से कोई छूट प्राप्त नहीं है।**
- **प्रक्रिया के नियमों और दृष्टांतों पर आधारित विशेषाधिकार:** संसद को किसी भी दाण्डिक आरोप या अपराध के लिए किसी सदस्य की गिरफ्तारी, हिरासत, दोषसिद्धि, कारावास और रिहाई के संबंध में तत्काल जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।
- **अज्ञात व्यक्तियों को बाहर करने का अधिकार:** सदन के सदस्यों को **गैर-सदस्यों को सदन की कार्यवाही से बाहर करने की शक्ति तथा अधिकार प्राप्त है।** सदन में स्वतंत्र और निष्पक्ष चर्चा सुनिश्चित करने के लिए यह अधिकार आवश्यक है।
  - इसके अतिरिक्त, **अनुच्छेद 122** के प्रावधानों के अनुसार, **न्यायपालिका प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर संसद की किसी भी कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं** कर सकती है।

संसदीय विशेषाधिकारों में सुधार की आवश्यकता

- **उपयोग:** संसदीय विशेषाधिकारों का दायरा तथा सीमाएं अभी तक सुनिश्चित नहीं की गई हैं। कुछ उदाहरणों में, विशेषाधिकार सांसदों को अभियोजन से बचाते हैं, क्योंकि जब सदन का सत्र चल रहा होता है तो दीवानी मामले शुरू नहीं किए जा सकते हैं।
- **दुरुपयोग: संसद तथा विधान-मंडल के सदस्यों द्वारा शक्तियों और अधिकारों के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं।** इसके परिणामस्वरूप नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
- **निरीक्षण का अभाव:** सदन के सदस्यों को उनके विशेषाधिकारों का व्यक्तिगत या आधिकारिक लाभ/ हित के लिए दुरुपयोग करने से रोकने हेतु किसी भी स्पष्ट तंत्र का अभाव है।
- **निर्धारित प्रक्रिया का अभाव: विशेषाधिकार हनन के मामलों से निपटने के लिए संसद ने अभी तक प्रक्रियाओं का कोई फ्रेमवर्क निर्धारित नहीं** किया है। इस पर केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों के आधार पर ही विचार होता है।
  - उदाहरण के लिए- इस मत पर स्पष्टता का अभाव है कि क्या आरोपी को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए अथवा क्या उसे कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं आदि।
- **प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध:** विशेषाधिकार नियमों का उल्लंघन वस्तुतः **कानून निर्माताओं (राजनेताओं) को अपने ही मामलों का न्याय करने की अनुमति देता है।** यह हितों के टकराव का कारण बनता है। यह **अनुच्छेद 50 के तहत शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत** का भी उल्लंघन करता है। साथ ही, यह निष्पक्ष सुनवाई के समर्थकों के प्रतिकूल है।
- **संवैधानिकता का उल्लंघन:** संहिताबद्ध विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति **सदन को यह निर्धारित करने की असीमित शक्ति प्रदान करती है** कि विशेषाधिकार का उल्लंघन कब और कैसे होता है।

आगे की राह

कानून निर्माताओं को रक्षा प्रदान करना आवश्यक है। हालांकि, संविधानवाद सुनिश्चित करने के लिए **विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करना, विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामले में मानक संचालन प्रक्रिया स्थापित करना आदि के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है।** इसके अलावा, संसद अपने सदस्यों द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के दुरुपयोग की निगरानी के लिए **विशिष्ट कानून बनाकर स्पष्ट सीमाएं स्थापित कर सकती है।**

1.4. अंतर्राज्यीय जल विवाद (Inter-State Water Dispute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (ISRWD)[10] अधिनियम, 1956** के तहत **कृष्णा जल विवाद अधिकरण-II (KWDT-II)** के विचार के लिए कई विषयों को मंजूरी दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **KWDT-II** 'अविभाजित' आंध्र प्रदेश को आवंटित किए गए कृष्णा नदी के जल को **तेलंगाना** और **आंध्र प्रदेश** के बीच वितरित करने के संबंध में निर्णय देगा।

[10] Interstate River Water Disputes

- कृष्णा **पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली** नदी है। इसका **उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर** से होता है। यह **महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश** से होकर बहती है और अंत में **बंगाल की खाड़ी** में विलीन हो जाती है।

- इसके अलावा, हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **सतलज-यमुना लिंक (SYL) नहर के निर्माण में धीमी प्रगति** के लिए पंजाब सरकार की आलोचना की। साथ ही, कोर्ट ने केंद्र को **SYL पर हुई प्रगति का आकलन करने के लिए नहर हेतु निर्धारित की गई भूमि का सर्वेक्षण** करने के लिए भी निर्देश दिया।

SYL नहर तथा उससे जुड़े मुद्दों के बारे में

- SYL हरियाणा और पंजाब के बीच **रावी और ब्यास नदियों के जल को साझा करने के लिए परिकल्पित 214 किलोमीटर लंबी नहर है।** SYL नहर का 122 किलोमीटर हिस्सा पंजाब में और 92 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में निर्मित होना तय हुआ था।
  - इस **नहर को बनाने की योजना पंजाब से हरियाणा के अलग होने के बाद वर्ष 1966** में बनाई गई थी।
- हरियाणा ने 1980 में SYL नहर के अपने हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया था। इसके विपरीत, **पंजाब रिपेरियन सिद्धांतों (Riparian Principles) और जल की अनुपलब्धता का हवाला देकर इसे टालता रहा है।**
  - **रिपेरियन सिद्धांत** के अनुसार किसी जल निकाय से सटी भूमि के स्वामी को ही उस निकाय के जल के उपयोग का अधिकार है।
- पंजाब का यह भी तर्क है कि भू-जल के अत्यधिक दोहन के कारण **वर्ष 2029 के बाद राज्य के कई क्षेत्र सूखे के प्रभाव में आ सकते हैं।**
- हरियाणा ने तर्क दिया है कि **उसके दक्षिणी हिस्से को भू-जल स्तर में गिरावट के कारण जल की कमी की समस्या का सामना** करना पड़ रहा है।

कृष्णा जल विवाद के बारे में

- 1969 में ISRWD अधिनियम, 1956 के तहत **कृष्णा जल विवाद अधिकरण-I (KWDT-I)** का गठन किया गया था। KWDT-I ने **कृष्णा नदी के 2,060 TMC[11] जल को 75 प्रतिशत निर्भरता (Dependability) के आधार पर** तीन राज्यों में बांटा था। ये तीन राज्य हैं- महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश।
  - यहां जलग्रहण क्षेत्र की 75% निर्भरता का तात्पर्य है कि पिछले 100 वर्षों के दौरान 75% मौकों पर जलग्रहण क्षेत्र में 2060 TMC जल उपयोग के लिए मौजूद रहा है। इस तथ्य का निर्धारण करते समय वर्षा, वाष्पीकरण और अंतःस्पदंन (Infiltration) जैसे कारकों में आने वाले प्राकृतिक बदलावों को भी ध्यान में रखा गया है।
- राज्यों के मध्य विवाद बढ़ने पर **2004 में 'KWDT-II'** गठित किया गया था। इसने कृष्णा नदी के जल का आवंटन **65 प्रतिशत निर्भरता और अधिशेष प्रवाह** आधार पर किया था।
- 2014 में तेलंगाना के एक अलग राज्य के रूप में गठन के बाद, **आंध्र प्रदेश तेलंगाना को KWDT में एक अलग पक्षकार के रूप में शामिल करने के लिए कह रहा है।** उसके अनुसार इस मांग के तहत कृष्णा नदी के जल का आवंटन तीन की बजाय चार राज्यों के बीच किया जाना चाहिए।
  - हालांकि, **महाराष्ट्र और कर्नाटक का तर्क था** कि तेलंगाना का निर्माण आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद हुआ है, इसलिए **जल का आवंटन आंध्र प्रदेश के हिस्से से होना चाहिए।** अधिकरण ने दोनों राज्यों के तर्क को स्वीकार कर लिया था।

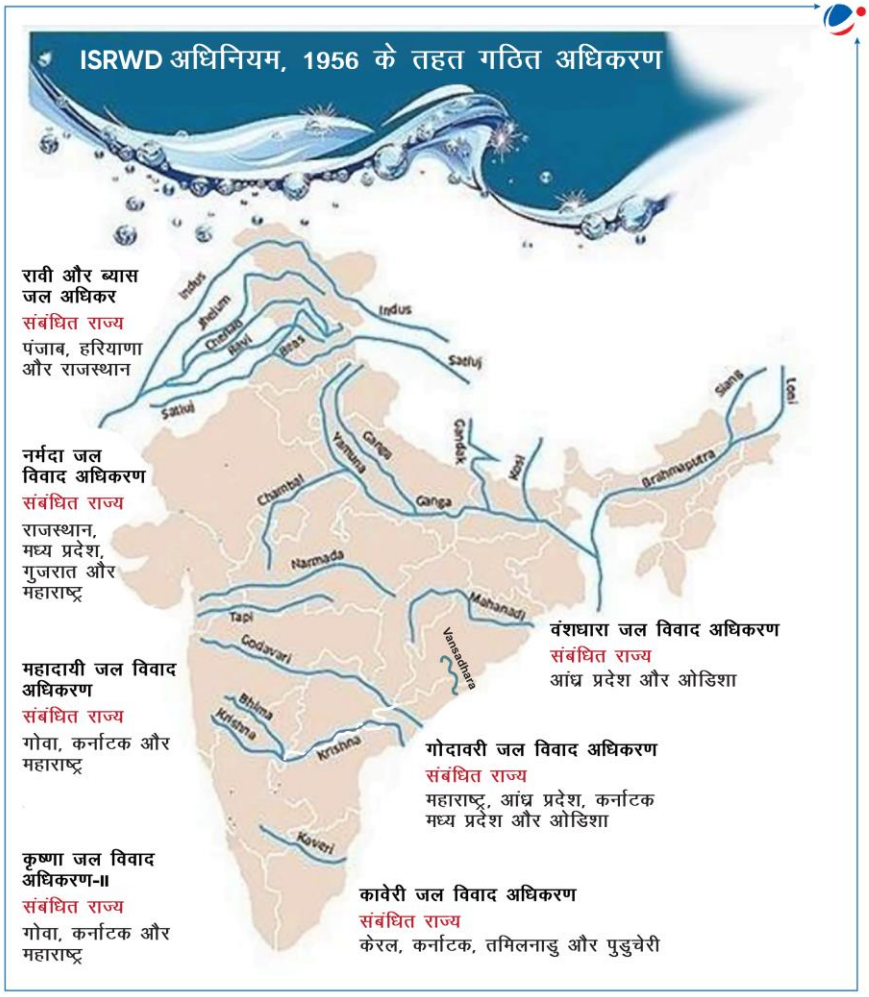

अंतर्राज्यीय जल विवाद के लिए उत्तरदायी कारक

- **नदी के जल तक समान पहुंच न होना:** जब कोई नदी दो राज्यों से होकर बहती है, तो सामान्यतः नदी के

[11] Thousand Million Cubic feet/ मिलियन घन फीट

उद्गम स्रोत के निकटवर्ती राज्य को अधिक लाभ होता है। इससे नदी के उद्गम स्रोत के निकटवर्ती राज्य और नदी के उद्गम स्रोत से दूर अवस्थित राज्य के बीच विषमता उत्पन्न होती है।

- **जल की बढ़ती मांग:** भारत में **2025 और 2050 में जल की कुल मांग क्रमशः 22% एवं 32% तक बढ़ने का अनुमान है।** जल की बढ़ती मांग सीमित जल भंडार पर अधिक दबाव डाल रही है। यह दबाव बढ़ते अंतर्राज्यीय जल विवादों का एक मुख्य कारण है।
- **जल उपयोग अधिकारों पर स्पष्टता का अभाव:** भारतीय संविधान की **अनुसूची VII** के अंतर्गत जल संग्रह तथा विद्युत, सिंचाई आदि के लिए जल का उपयोग **राज्य सूची** के विषय हैं। इसके विपरीत, **'अंतर्राज्यीय जल' संघ सूची** का विषय है।
    - हालांकि, ये विषय एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस कारण, जब कोई राज्य नदी के जल का उपयोग करता है, तो उस नदी पर निर्भर दूसरे राज्य द्वारा नदी के जल का उपयोग प्रभावित हो जाता है। इस प्रकार नदी के जल के उपयोग संबंधी अधिकारों पर अस्पष्टता उत्पन्न होती है।
- **एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव:** भारत में जल गवर्नेंस संरचना खंडित और अलग-अलग दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें जल से जुड़ी सामाजिक, पारिस्थितिक तथा सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की अनदेखी की जाती है। इसकी बजाये यह दृष्टिकोण संख्यात्मक उपायों जैसे कि अरिथमेटिक हाइड्रोलॉजी, जल की अधिशेष व कमी आदि पर निर्भर करता है।
- **अन्य कारक:**
    - **धान और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के कारण जल की मांग में कई गुना वृद्धि** हुई है। इसके परिणामस्वरूप, अंतर्राज्यीय जल संघर्ष उत्पन्न हुआ है।
- उदाहरण के लिए- कृष्णा, कावेरी व तीस्ता नदी जल विवाद या पंजाब एवं हरियाणा के मध्य सतलज-यमुना लिंक (SYL) विवाद।
    - भारत में **राज्यों की सीमाएं सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों के आधार पर** बदलती रही हैं।

अंतर्राज्यीय जल विवाद से निपटने के लिए तंत्र

- **संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत:**
    - **राज्य सूची की प्रविष्टि 17 के अनुसार,** "राज्य जल, अर्थात् जल-आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी एवं तटबंधों, जल भंडारण तथा जल-शक्ति विषयों पर कानून बना सकते हैं। हालांकि, ये विषय **सूची-I (संघ सूची) की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन हैं।**
    - **सूची-I (संघ सूची) की प्रविष्टि 56 के अनुसार**, "केंद्र सरकार उस सीमा तक **अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों का विनियमन एवं विकास** कर सकती है, जिस सीमा तक केंद्र के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन व विकास को संसद ने कानून द्वारा लोकहित में उचित घोषित किया है।
- **अनुच्छेद 262:** इस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है कि **संसद कानून द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए प्रावधान** कर सकती है। अनुच्छेद 262 द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए **संसद ने निम्नलिखित दो कानून बनाए हैं:**
    - **अंतर्राज्यीय जल विवाद (ISWD) अधिनियम, 1956:** इस कानून के अंतर्गत, यदि एक राज्य सरकार जिसका किसी अन्य राज्य सरकार के साथ जल विवाद है, तो वह **विवाद को समाधान हेतु अधिकरण के पास भेजने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध** कर सकती है।
    - **नदी बोर्ड अधिनियम, 1956:** इस अधिनियम का निर्माण **अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के विनियमन और विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नदी बोर्ड के गठन** हेतु किया गया था।
- **राष्ट्रीय जल नीति 2012:** यह नीति **जल की कमी; इसके वितरण में असमानता; जल संसाधनों की योजना, प्रबंधन और उपयोग में एकीकृत दृष्टिकोण के अभाव** जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिए लागू की गई है।

अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटान से जुड़ी चुनौतियां

- **विवाद निपटान में देरी:** नदी जल विवादों के निपटान में लंबी कार्यवाहियां चलती हैं तथा निपटान में देरी होती है। उदाहरण के लिए- गोदावरी जल विवाद अधिकरण को अपना निर्णय देने में 11 वर्षों का समय लगा था।
- **अस्पष्टता: अनुच्छेद 262** सुप्रीम कोर्ट को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों पर निर्णय देने से रोकता है। हालांकि, **अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार** देता है। इससे अधिकरण के आदेशों के कार्यान्वयन में अस्पष्टता उत्पन्न होती है।
- **विवादों का राजनीतिकरण:** कुछ राजनीतिक दल अंतर्राज्यीय जल विवादों को अपने **राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति** हेतु भी उपयोग करते हैं।
- **बहु-आयामी दृष्टिकोण का अभाव:** भारत में अधिकरणों में मुख्य रूप से न्यायपालिका के सदस्य होते हैं। इस कारण, पारिस्थितिकी विशेषज्ञों के इनपुट की कमी के कारण कई बार आदेशों के लागू होने पर पारिस्थितिकी क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

आगे की राह

- **सहकारिता को बढ़ावा:** विवाद निपटान की वर्तमान व्यवस्था पर निर्भरता को समाप्त करना होगा तथा मौलिक रूप से महत्वपूर्ण रणनीतिक परिवर्तन को अपनाना होगा। साथ ही, **विचार-विमर्श प्रक्रियाओं में राज्यों के अधिक समेकन और सहकारी संघवाद को मजबूत करने की भी आवश्यकता है।**

- **बेसिन दृष्टिकोण:** पारिस्थितिकी-तंत्र पुनर्स्थापन, नदी पारिस्थितिकी-तंत्र के संरक्षण, मानव उपयोग के लिए जल-आपूर्ति और मांग का संतुलन तथा नदी जल के प्रभावी प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- **बहु-आयामी दृष्टिकोण: जल प्रबंधन बोर्ड की संस्थागत संरचना में अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञों (जैसे कि पर्यावरणविद्, भूगोलवेत्ता आदि) को शामिल** किया जाना चाहिए। इससे पारिस्थितिकी व पर्यावरण अनुकूल समाधान प्रदान करने में जल बोर्ड की प्रभावकारिता में वृद्धि होगी।
- **जल नीति:** उचित तथा न्यायसंगत आधार पर जल विवादों को सुलझाने के लिए कुछ मापदंडों को जल नीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
    - इन मापदंडों में **प्रत्येक राज्य में नदी बेसिन अपवाह क्षेत्र की सीमा; प्रत्येक राज्य द्वारा नदी बेसिन में जल का योगदान; नदी बेसिन क्षेत्र में जलवायु तथा इस पर आश्रित जनसंख्या; प्रत्येक राज्य में शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों का विस्तार** आदि शामिल हैं।

1.5. सार्वजनिक सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका (Role of Technology in Public Services Delivery)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)[12] ने नागरिकों को सेवा वितरण में **संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग को बढ़ाने** की आवश्यकता पर जोर दिया है।

प्रौद्योगिकी तथा सार्वजनिक सेवा वितरण के मध्य संबंध

- **'ई-गवर्नमेंट'** एक ऐसा उपाय है जिसके जरिए **डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर सरकारी सेवाएं** प्रदान की जाती हैं। इसमें **सरकार के बीच** तथा **सरकार और जनता के मध्य** सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जरिए सेवाओं का वितरण होता है।
- **परंपरागत रूप से सरकारी सेवाएं** विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग स्थानों पर भौतिक उपस्थिति **(अधिकारी आदि को भेजकर)** और अक्सर कागजी प्रपत्रों का उपयोग करके पहुंचाई जाती रही हैं।
- डिजिटल साधनों के जरिए सरकार नागरिकों को **किसी भी समय, कहीं भी और किसी भी प्लेटफ़ॉर्म या डिवाइस पर जानकारी और सेवाएं प्रदान** कर सकती है।

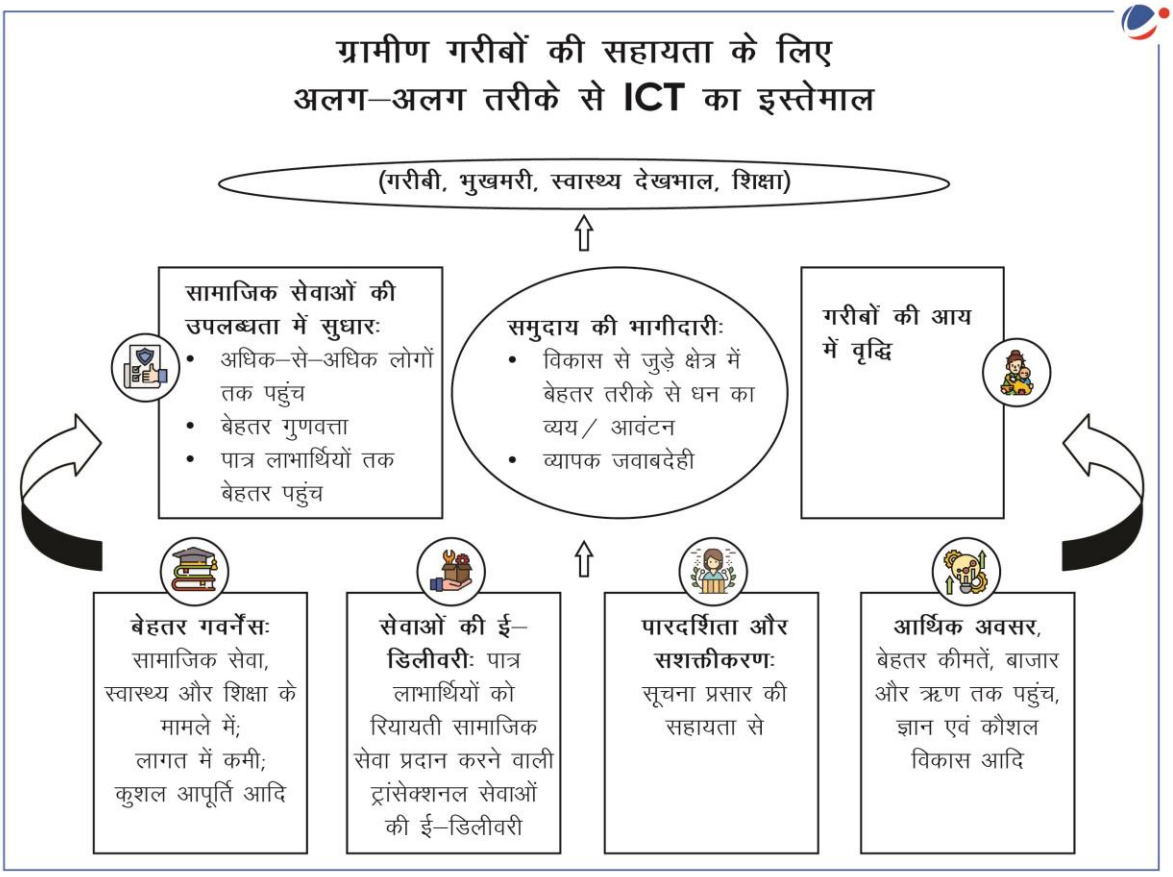

[12] Comptroller & Auditor General

सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी का महत्त्व

- प्रौद्योगिकी के उपयोग से नागरिकों को अपना काम करवाने के लिए अलग-अलग सरकारी कार्यालयों में जाने और कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे **नागरिकों के समय और धन, दोनों की बचत होती है।**
  - **उदाहरण: ई-हस्ताक्षर सेवा** नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में आए बिना कानूनी रूप से स्वीकार्य ऑनलाइन दस्तावेजों पर तत्काल ई-हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करती है।
- डिजिटल रिकॉर्ड्स को आसानी से साझा किया जा सकता है तथा बाद में इस्तेमाल के लिए उन्हें बनाए रखा जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप **सरकारी विभागों की दक्षता बढ़** जाती है।
  - **उदाहरण: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 'वाहन (VAHAN) प्लेटफॉर्म'** पर उपलब्ध डेटा को अलग-अलग राज्यों के रजिस्टरों से एकत्र व प्रॉसेस किया जाता है।
- डिजिटल रिकॉर्ड को समय-समय पर अपडेट किया जा सकता है और लीकेज का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार, यह **फर्जी लाभार्थियों तथा लीकेज की संभावना को काफी हद तक समाप्त** कर देता है।
  - **उदाहरण: आधार कार्ड को मनरेगा के जॉब कार्ड से जोड़ने पर** लाखों फर्जी लाभार्थियों की पहचान की गई तथा उन्हें हटा दिया गया।
- किसी विशेष लेन-देन के मूल या आरंभकर्ता का पता उस सिस्टम/ डिवाइस से लगाया जा सकता है, जहां से यह लेन-देन शुरू किया गया था। इससे **जवाबदेही बढ़ती है तथा भ्रष्टाचार कम** होता है।
  - **उदाहरण:** नागरिकों के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध विस्तृत जानकारी उन्हें **नियमों व विनियमों को बेहतर तरीके से समझने में सहायता प्रदान** करती है। साथ ही, यह उन्हें **दोषी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज** करने की सुविधा भी प्रदान करती है।
- **अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त डेटा को आपस में जोड़कर** बेहतर लोक नीतियों का निर्माण किया जा सकता है।
  - **उदाहरण: पैन कार्ड तथा आधार कार्ड को आपस में लिंक करने से एक निश्चित आय सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों का डेटा एकत्र करके सरकारी राजकोष** बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इससे कर राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ काले धन में कमी लाने में भी मदद मिलती है।

सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से संबंधित चुनौतियां

- देश में आज भी लोगों के मध्य **डिजिटल डिवाइड** बना हुआ है। अधिकांश लोग अभी भी डिजिटल प्रौद्योगिकियों और इनके उपयोग से अवगत नहीं हो पाए हैं।
- सरकार में **कुशल कार्यबल की भी कमी है।** परिणामस्वरूप, उनके लिए बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी को अपनाना कठिन हो जाता है।
- **साइबर सुरक्षा के समक्ष खतरा** अत्यधिक चिंता का विषय है। ऐसा इसलिए, क्योंकि ये सेवाएं सरकार और जनता के महत्वपूर्ण डेटा को नियंत्रित भी करती हैं।
- देश के कई सरकारी संस्थानों में **पर्याप्त डिजिटल अवसंरचना का अभाव है।**
- **अधिकतर सेवाओं में आपसी जुड़ाव (Interoperability) का अभाव है।** यह उन्हें सामूहिक नेटवर्क के स्थान पर पृथक नेटवर्क में कार्य करने पर विवश करता है।

आगे की राह

- **डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा** देना चाहिए तथा समाज में इसके लाभों को स्पष्ट करना चाहिए।
- आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग-अलग कौशल कार्यक्रमों के जरिए **कुशल कार्यबल का निर्माण करना चाहिए।**
- देश में डेटा सुरक्षा बढ़ाने के लिए **कानूनी ढांचे** का निर्माण करना चाहिए।
- देश में **साइबर सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत** करना चाहिए।
- सेवाओं के दायरे को व्यापक बनाने के लिए **डिजिटल अवसंरचना में सुधार करना चाहिए तथा सेवाओं के आपसी जुड़ाव में वृद्धि** करनी चाहिए।

गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें।

वीकली फोकस #95: प्रौद्योगिकी गवर्नेंस: लोक नीति के नए युग का निर्माण

1.6. भारत में उपभोक्ता संरक्षण (Consumer Protection in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल की कुछ रिपोर्ट्स से पता चलता है कि उपभोक्ता संरक्षण आयोग (CPA)[13] के समक्ष **लंबित मामलों की संख्या में गिरावट** आई है। दिसंबर, 2022 में लंबित मामलों की संख्या 5.55 लाख थी, जो सितंबर, 2023 में घटकर 5.45 लाख हो गई थी।

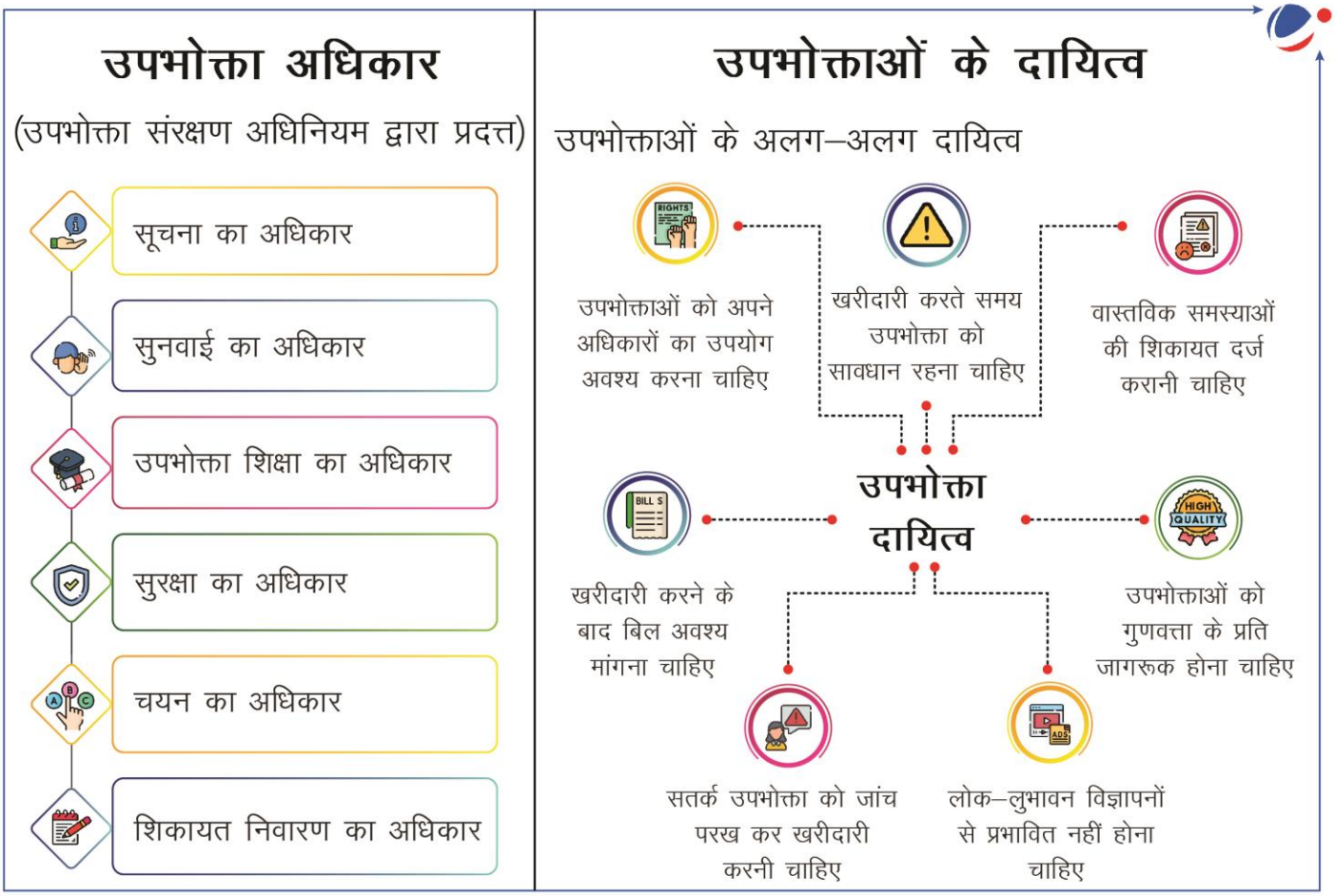

उपभोक्ता किसे कहते हैं?

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA), 2019 के अनुसार, वह व्यक्ति **उपभोक्ता** कहलाता है **जो किसी वस्तु या सेवा** को खरीदने या प्राप्त करने के लिए, भुगतान करता है या भुगतान करने का वचन देता है, अथवा कुछ हिस्से का भुगतान करता है या कुछ हिस्से का भुगतान करने का वचन देता है, या भविष्य में भुगतान करने के लिए कोई अनुबंध करता है।
  - यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या टेलीशॉपिंग अथवा डायरेक्ट सेलिंग या मल्टीलेवल मार्केटिंग के जरिए ख़रीदे गए/ प्राप्त **ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के लेन-देन** पर लागू होता है।
- हालांकि, यदि कोई व्यक्ति वस्तुओं को **पुनः बेचने के लिए या उसका वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए खरीदता है या सेवाओं का लाभ उठाता है,** तो उसे **उपभोक्ता नहीं** माना जाता है। साथ ही, वह CPA, 2019 के दायरे में भी नहीं आता है।

भारत में उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है?

- **तथ्यों पर आधारित विकल्प:** बाजार में **नकली/ खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति में वृद्धि** हुई है। ऐसे में CPA अपने नियमों का पालन कराकर उत्पादों से जुड़ी सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करता है।

[13] Consumer Protection Act

- **गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकना: कालाबाजारी और जमाखोरी जैसी अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए भी उपभोक्ता संरक्षण की जरूरत पड़ती है।** साथ ही, बाजार में प्रचलित मूल्यों में हेर-फेर करने वाली प्रथाओं/ व्यवसायों पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है।
    - उदाहरण के लिए- **कुछ दवा विनिर्माता** आवश्यक दवाओं पर **ऊँची कीमत वसूलते** हैं, जिसके कारण उपभोक्ताओं को नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा, कुछ दवा कंपनियां अपने पेटेंट अधिकारों का दुरुपयोग करके उपभोक्ताओं का शोषण करती हैं।
- **भ्रामक विज्ञापन:** कई व्यवसाय जानबूझकर भ्रामक/ झूठे विज्ञापन प्रस्तुत करके उपभोक्ताओं को धोखा देते हैं। **वे उपभोक्ताओं को अपने किसी उत्पाद या सेवा के संबंध में गलत या अधूरी जानकारी देते हैं।** इस प्रकार, वे उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने वाले उत्पादों के संबंध में उनके **'जानने के अधिकार[14]'** का उल्लंघन करते हैं।
- **शिकायत निवारण:** उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने हेतु, मिलावटी उत्पादों की बिक्री जैसे मामलों में शिकायतों का समाधान करने एवं व्यवसायों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है।
- **आर्थिक संवृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता:** उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े पहलू, व्यवसायों के विकास हेतु सक्रिय और प्रभावी बाजार उपलब्ध कराने में योगदान करते हैं।
    - इसके परिणामस्वरूप **उपभोक्ता मांग से नवाचार और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिलता है।** इसके साथ ही व्यवसाय अपने उत्पादों एवं सेवाओं की उचित कीमत और अच्छी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रेरित होते हैं।

भारत में उपभोक्ता संरक्षण के लिए किए गए उपाय

- **CPA, 2019:** यह **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)[15]** की स्थापना का प्रावधान करता है। यह उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं आदि से संबंधित मामलों की देख-रेख करता है।
- **उपभोक्ता संरक्षण (जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र) नियम[16], 2021:** उपभोक्ता विवादों का सरल, शीघ्र और वहनीय समाधान प्रदान करने के लिए CPA, 2019 में **राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर 3-स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र** के गठन का प्रावधान किया गया है।
- **कॉन्फोनेट प्रोजेक्ट (ConfoNet Project):** इसे देश में उपभोक्ता मंचों का कम्प्यूटरीकरण करने और कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए शुरू किया गया है। इसे CPA, 1986 की पृष्ठभूमि में लागू किया गया है।
    - इसका उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े न्यायिक प्रशासन के काम-काज में दक्षता, समन्वय, पहुंच और गति में सुधार करना है। साथ ही, इसके जरिए पूरे देश में **उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोगों** में **ICT[17] संबंधी अवसंरचना की स्थापना** की गई है।
- **एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (INGRAM)[18] पोर्टल:** इसे **उपभोक्ता मामलों के विभाग** के तत्वावधान में **जागरूकता पैदा करने, सलाह देने और उपभोक्ता संबंधी शिकायतों का निवारण** करने हेतु विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह उपभोक्ता संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक **केंद्रीय रजिस्ट्री** के रूप में भी कार्य करता है।
- **ई-दाखिल पोर्टल:** यह उपभोक्ताओं को संबंधित उपभोक्ता फोरम से आसानी से संपर्क करने के लिए **परेशानी रहित, त्वरित और किफायती सुविधा प्रदान करता** है। इस सुविधा से देश भर के उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत निवारण के लिए यात्रा करने और शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
- **प्रमाणन चिन्ह प्रदान करना (Certification markers):** यह गुणवत्ता मानकों के संबंध में उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है तथा उनके प्रति उन्हें जागरूक करता है।

---

[14] Right to know

[15] Central Consumer Protection Authority

[16] Consumer Protection (Jurisdiction of District Commission, State Commission and National Commission) Rules

[17] Information Communication Technology/ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

[18] Integrated Grievance Redressal Mechanism

भारत में विभिन्न प्रमाणन चिन्ह (Certification markers)

- किसी वाणिज्यिक उत्पाद पर प्रमाणन चिन्ह को आमतौर पर **वैधता का चिन्ह या इस तथ्य का आश्वासन माना जाता है कि विनिर्माता ने उत्पाद का परीक्षण किया है।** साथ ही, ऐसा चिन्ह ग्राहकों को यह संदेश देता है कि विनिर्माता ने यह सुनिश्चित किया है कि **उत्पाद दिए गए गुणवत्ता मानकों के अनुरूप** हैं।
- **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)**[19] भारत का राष्ट्रीय मानक संगठन है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन[20] (ISO मानक) और इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (IEC) का सदस्य है।
  - **BIS** भारत में **सभी औद्योगिक मानकीकरण प्रणालियों** और **औद्योगिक उत्पाद प्रमाणन प्रक्रियाओं को नियंत्रित** करता है।

प्रमाणीकरण चिन्ह (Certification mark) के प्रतीक	प्रमाणीकरण चिन्ह के नाम	विवरण
	ISI मार्क	यह **कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, रसोई में उपयोग होने वाले उपकरणों एवं अन्य वस्तुओं** आदि के लिए BIS द्वारा जारी किया जाता है।
	एगमार्क	यह **कृषिगत वस्तुओं और पशुधन उत्पादों** के लिए कृषि विभाग के **मार्केटिंग और निरीक्षण निदेशालय (DMI)** द्वारा जारी किया जाता है।
	BIS हॉलमार्क	यह **सोने के आभूषण** के लिए BIS द्वारा जारी किया जाता है।
	वूलमार्क	यह 100% शुद्ध ऊन का प्रतीक है।
	ईको मार्क	यह **पर्यावरण के प्रति अनुकूल उत्पादों** के लिए BIS द्वारा जारी किया जाता है।
FPO	FPO मार्क	यह खाद्य उत्पादों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा जारी किया जाता है।
	इंडिया ऑर्गेनिक	यह जैविक कृषि के तहत उत्पादित **खाद्य उत्पादों के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण** द्वारा जारी किया जाता है।

भारत में उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ी चुनौतियां

- **लंबित मामलों की संख्या:** हालांकि, लंबित मामलों की संख्या घट रही है, फिर भी **राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर लंबित मामलों की कुल संख्या** अभी भी **बहुत अधिक** है। इसके परिणामस्वरूप शिकायत निवारण हेतु प्रतीक्षा अवधि बढ़ जाती है और विवाद समाधान में देरी होती है।
- **संस्थानों में रिक्त पद: देश के कई उपभोक्ता फोरम (जैसे- पुणे, दिल्ली आदि) में अवसंरचना और मानव शक्ति दोनों की कमी** है, जिससे उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करने में कठिनाई आती है।
- **भूमिकाओं और शक्तियों के संबंध में स्पष्टता का अभाव:** जांच, पूछताछ और तलाशी एवं जब्ती जैसे कार्यों के संबंध में **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की भूमिका में स्पष्टता की कमी** बनी हुई है।
  - इसके अलावा, उत्पादों को वापस लेने या विनिर्माताओं को दंडित करने हेतु जांच के मामलों में CCPA के अधिकारों का दायरा स्पष्ट नहीं है।
- **अधिकार बनाम कर्तव्य:** उपभोक्ता संरक्षण का मूल उद्देश्य जागरूक उपभोक्तावाद का विकास करना तथा उपभोक्ताओं को उनके हितों की रक्षा करने के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना है। हालांकि, **CPA अनन्य रूप से केवल उपभोक्ताओं के कर्तव्यों/ जिम्मेदारियों को निर्धारित नहीं करता है।**

आगे की राह

- **विज्ञापन:** विज्ञापनों में दी गई जानकारी को विनियमित करने हेतु **विज्ञापन कोड और मानक विकसित करने** के लिए सरकारों को विनिर्माताओं, वितरकों और उपभोक्ता संगठनों के साथ सहयोग करना चाहिए।

[19] Bureau of Indian Standards

[20] International Organisation for Standardisation

- **सुरक्षा और गुणवत्ता: राष्ट्रीय मानकों और विनियमों की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए**, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप **उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।**
- **जागरूकता**: उपभोक्ताओं के कल्याण और हितों की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ताओं को पूरी प्रक्रिया से जोड़कर और प्रतिनिधित्व देकर उन्हें जागरूक किया जाना चाहिए।
    - सरकार को गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से **उपभोक्ताओं की समस्याओं, कानूनी रिपोर्टिंग और निवारक उपायों के बारे में जानकारी देने के लिए समय-समय पर पत्रिकाएं प्रकाशित करनी चाहिए।** साथ ही "जागो ग्राहक जागो" जैसे जागरूकता अभियान आयोजित करने चाहिए।
- **भूमिकाएं और जिम्मेदारियां:** उत्पादों की वापसी, अपील जैसे मामलों में जांच एवं पूछताछ और तलाशी एवं जब्ती जैसे कार्यों से संबंध में CCPA की भूमिका को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए।
- **कर्तव्यों को सूचीबद्ध करना:** एक उत्तरदायी उपभोग परिवेश का निर्माण करने के लिए विनियमों में उपभोक्ताओं के कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
    - उदाहरण के लिए- **जमैका की सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को मान्यता** प्रदान की है और इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया है।

1.7. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 या वन अधिकार अधिनियम (FRA) {Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 or Forest Right Act (FRA)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों ने **वन अधिकार अधिनियम (FRA)** के तहत वन भूमि संबंधी लगभग 40% दावों को खारिज कर दिया है।

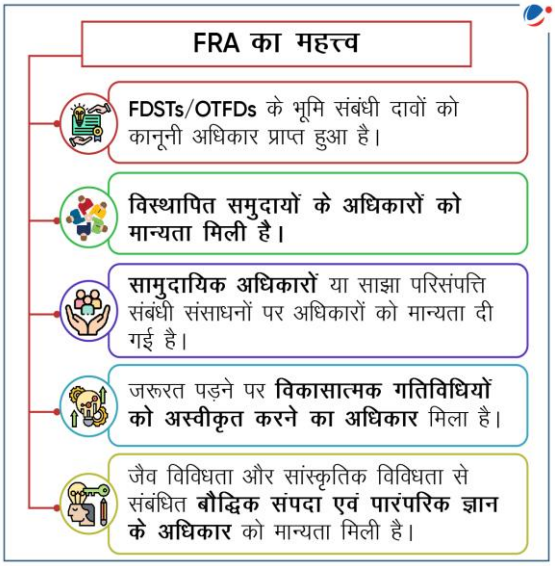

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के बारे में

इस अधिनियम के लागू होने से पहले के कानूनों में वनों के साथ अनुसूचित जनजातियों (STs) के पारस्परिक संबंधों और वनों पर उनकी निर्भरता को कानूनी मान्यता नहीं दी गई थी।

- **FRA की धारा 3(1)(a) वन में निवास करने वाले जनजातीय समुदायों (FDSTs)**[21] और **अन्य परंपरागत वनवासियों (OTFDs)**[22] को निवास के लिए या जीविका के लिए स्वयं खेती करने हेतु वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार देती है।
- **FRA अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिकारों के प्रकार:**
    - **व्यक्तिगत वन अधिकार (Individual Forest Rights: IFR):** इसके अंतर्गत व्यक्तिगत या साझा रूप में वन भूमि पर निवास करने या जीविका हेतु स्वयं-खेती करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
    - **सामुदायिक वन अधिकार (Community Forest Rights: CFR):** यह वन-निवासी समुदायों के सभी प्रथागत और परंपरागत[23] भूमि उपयोग अधिकारों को पुनर्बहाल करने का प्रावधान करता है।
        - ध्यातव्य है कि इस अधिकार का प्रयोग गांव की परंपरागत या प्रथागत सीमाओं के भीतर किया जाएगा, भले ही वनों का स्वामित्व, वर्गीकरण और आकार जैसा भी हो।
    - **सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन अधिकार (Community forest resource management rights):** इसके तहत गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किए जाने वाले **लघु वनोपजों**[24] के स्वामित्व, संग्रह करने के लिए पहुंच, उनका उपयोग और निपटान का अधिकार प्रदान किया गया है।

---

[21] Forest Dwelling Tribal Communities

[22] Other Traditional Forest Dwellers

[23] Customary and traditional

[24] Minor forest produce

- **नोडल एजेंसी**: इस अधिनियम के अनुसार, इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी **राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेश** के प्रशासनों की है।
- **ग्राम सभा की भूमिका**: ग्राम सभा को व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार प्राप्त है।
- **भूमि स्वत्वाधिकार/ भूमि पर मालिकाना हक़ (Land titles)**: यह अधिनियम भूमि पर किसी व्यक्ति या परिवार या समुदाय के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। हालांकि भूमि पर किया गया दावा **चार हेक्टेयर से अधिक का नहीं** होना चाहिए।
    - FRA के तहत प्रदान किया गया **भूमि पर मालिकाना हक़** एक **कानूनी अधिकार** है।
    - इस अधिनियम के तहत प्रदत्त **भूमि अधिकार वंशानुगत {FRA की धारा 4(4)}** हैं। **हालांकि इन अधिकारों का न तो हस्तांतरण किया जा सकता है न ही स्वामित्व में परिवर्तन (Alienable) किया जा सकता है।**
- **स्थानीय विकास के लिए वन भूमि के उपयोग का अधिकार:** यह अधिकार स्कूलों, औषधालयों या अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों, इत्यादि की स्थापना के लिए प्रदान किया जाएगा।

त्रिस्तरीय मंजूरी प्रक्रिया:

- **ग्राम सभा** वन अधिकार से जुड़े दावों के लिए आवेदन प्राप्त करने और इसे सत्यापित करके पूरी प्रक्रिया शुरू करने वाला प्राथमिक प्राधिकरण है।
- ग्राम सभा के निर्णय से असहमत व्यक्ति **अनुमंडल स्तरीय समिति (SDLC)**[25] के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
- SDLC के निर्णय से असहमत कोई भी व्यक्ति **जिला स्तरीय समिति (DLC)**[26] के समक्ष अपील कर सकता है।
    - रिकॉर्ड ऑफ़ फॉरेस्ट राइट्स (या वन अधिकार अभिलेख) पर DLC का निर्णय **अंतिम और बाध्यकारी** होगा।
- **अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Areas):** इस अधिनियम में प्रयोग किए गए "अनुसूचित क्षेत्र" से आशय संविधान के **अनुच्छेद 244** में उल्लेख किए गए अनुसूचित क्षेत्र से है।
- **संरक्षित क्षेत्र (Protected Areas): FRA** के प्रावधान **राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और टाइगर रिजर्व** में भी लागू होते हैं।

क्या आप जानते हैं?

> **डोंगरिया कोंध आदिवासियों** ने 2013 में FRA का उपयोग करके ओडिशा के **नियामगिरि के वनों** में अपनी पवित्र भूमि की रक्षा की थी और वेदांता की बॉक्साइट खनन परियोजना को अस्वीकृत कर दिया था।

> इससे पहले **ओडिशा माइनिंग बनाम भारत संघ (2013)** वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि किसी क्षेत्र की ग्राम सभा को अपने क्षेत्र से संबंधित परियोजना के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होगा।

FRA से संबंधित चिंताएं

- **भूमि दावों से संबंधित चिंताएं:**
    - **साक्ष्य हेतु दस्तावेज:** व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) संबंधी कई दावे इसलिए खारिज कर दिए गए क्योंकि आवेदकों ने भूमि के उपयोग से संबंधित पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए थे।
        - उदाहरण के लिए- **FRA की धारा 2(c) के अनुसार**, वन में निवास करने वाले जनजातीय समुदायों (FDST) के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए-
            - ✓ अनुसूचित जनजाति को उस क्षेत्र का होना चाहिए जहां उसने अधिकार का दावा किया है;
            - ✓ वह 13.12.2005 से पहले मुख्य रूप से वन या वन भूमि में निवास करता हो; और
            - ✓ **वह अपनी अधिकांश आजीविका आवश्यकताओं** के लिए वन या वन भूमि पर निर्भर हो।
    - **दावा किए गए रकबे (Acreage) और आवंटित रकबे में बेमेल:** उदाहरण के लिए- विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, नर्मदा जिले (गुजरात) में लगभग 70% आवेदकों ने बताया कि उन्हें उनके IFR दावे की तुलना में कम रकबे आवंटित किए गए।
    - **जागरूकता की कमी:** ग्राम सभा **FDSTs/ OTFDs** दावों के सत्यापन का आरंभिक चरण है। हालांकि उसके पास इन दावों के निपटान के तरीकों के बारे में जागरूकता की कमी होती है।
        - सितंबर 2021 और मई 2023 के बीच जम्मू और कश्मीर में FRA के कार्यान्वयन के विश्लेषण से पता चलाता है, कि **92.57%** से अधिक खारिज किए गए दावे ग्राम सभा के स्तर पर अस्वीकृत किए गए थे।
        - इसके अलावा, स्थानीय लोग **निरक्षर** होते हैं और दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। इसके कारण, उन्हें **FDSTs/ OTFDs** संबंधी दावा दायर करने की उचित प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं होती है।

[25] Sub-Division-Level Committee

[26] District-Level Committee

- **अधिनियम से संबंधित अन्य चिंताएं:**
  - **वन भूमि का अतिक्रमण:** 13 दिसंबर, 2005 (मान्यता की कट-ऑफ तिथि) के बाद किए गए अतिक्रमणों को नियमित करने और अपात्र व्यक्तियों के दावों को मंजूरी देने के लिए ग्राम सभा का दुरुपयोग किया जा सकता है।
    - जब आवेदन खारिज हो जाता है, तो आवेदक आगे अपील दायर करता है। इस तरह मामला वर्षों तक चलता रहता है और वन भूमि पर अतिक्रमण वर्षों तक बना रहता है।
  - **FRA प्रावधानों का उल्लंघन**: पहले, संयुक्त वन प्रबंधन (JFM)[27] समितियों या पंचायत संस्थाओं के नाम पर अव्यवस्थित तरीके से **भूमि पर मालिकाना हक़** जारी किए जाते थे।
    - उदाहरण के लिए- महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के देवरी तालुका में 10 गांवों को CFR संबंधी मालिकाना हक़ दिया गया था। हालांकि, बाद में पता चला कि जिला स्तरीय समिति (DLC) ने **ग्राम सभा के बजाय पंचायत** के नाम पर मालिकाना हक़ दिया था।
  - **समन्वय की कमी:** इस अधिनियम के अनुसार- अनुमंडल स्तरीय समिति (SDLC), DLC और राज्य स्तरीय निगरानी समिति में राज्य सरकार के राजस्व, वन और जनजातीय कार्य विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।
    - हालांकि, इन विभागों के बीच अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु समन्वय की कमी देखी जाती है।
  - **वनों और वन्यजीवों को नुकसान:** पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि FRA अधिनियम द्वारा भूमि अधिकारों को स्वीकार करने और लघु वनोपज के उपयोग की अनुमति देने के कारण, वन की जैव विविधता कम हो सकती है।
    - कई मामलों में, वन भूमि पर वृक्ष काट दिए जाते हैं और फिर FRA के तहत उन पर स्वामित्व के अधिकार का दावा किया जाता है।

आगे की राह

- **राज्यों को निर्देश जारी करना:** FRA अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति है। केंद्र सरकार इस शक्ति का प्रयोग कर राज्यों को यह निर्देश जारी कर सकती है वे यह देखें कि अधिक संख्या में दावे क्यों ख़ारिज हो रहे हैं।
- **अन्य राज्यों के उदाहरणों से सीखना:** एक ऐसा ही उदाहरण ओडिशा सरकार की '**मो जंगल जामी योजना (MJJY)**' है। इसमें लाभार्थियों को भूमि का स्वामित्व दिलाने और वन संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित कराने की योजना बनाई गई है।
- **जागरूकता बढ़ाना:** ग्राम सभाओं, वन अधिकार समितियों (FRCs) एवं IFR/ CFR दावेदारों के बीच FRA और इसके नियमों व विनियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **ग्राम सभा का क्षमता निर्माण:** चूंकि ग्राम सभा वन भूमि दावों को स्वीकार करने वाला प्राथमिक प्राधिकरण है, इसलिए प्रशिक्षण के माध्यम से ग्राम सभाओं की क्षमता में सुधार करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए प्रभावी तरीके से स्थानीय नौकरशाही की मदद लेने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- **अन्य**: वन भूमि संबंधी दावों के निर्णय में महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए। इसमें नागरिक समाज की भूमिका भी बढ़ाई जा सकती है, इत्यादि।

अनुसूचित जनजातियां और उनके विकास के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें।

वीकली फोकस #77: भारत में जनजातियां: एक विकास पथ का निर्माण

[27] Joint Forest Management

1.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.8.1. गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत 'गैर-कानूनी संगठन' ('Unlawful Association' Under UAPA, 1967)

- गृह मंत्रालय ने **UAPA, 1967** के तहत **'जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी'** को **"गैर-कानूनी संगठन"** घोषित किया है।
- UAPA, 1967 को **व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर-कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम** हेतु अधिनियमित किया गया था। साथ ही, यह अधिनियम **आतंकवादी गतिविधियों और उनसे जुड़े मामलों से निपटने** से भी संबंधित है।
- **इस अधिनियम के कुछ मुख्य प्रावधान:**
  - इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध **संज्ञेय (Cognizable)** होते हैं, अर्थात् बिना वारंट के भी गिरफ्तारी की जा सकती है।
  - **दंड:** इसमें **मृत्युदंड या आजीवन कारावास** का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, यदि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो सजा के साथ-साथ **जुर्माना** भी लगाया जा सकता है।
  - **गैर-कानूनी संगठन:**
    - **किसी संगठन को गैर-कानूनी घोषित करना:** केंद्र सरकार **विशेष आधारों को स्पष्ट करके** किसी भी संगठन को गैर-कानूनी घोषित कर सकती है। इसकी अधिसूचना आधिकारिक गजट में जारी की जाती है।
    - **अधिकरण की अधिकार सीमा:** किसी भी संगठन के गैर-कानूनी घोषित होने के **30 दिनों के भीतर अधिसूचना अधिकरण को रेफर** की जानी चाहिए।
  - अधिकरण में केवल **एक सदस्य (उच्च न्यायालय का न्यायाधीश)** होता है।
    - **केंद्र को प्रदत्त अन्य शक्तियां:**
      - ✓ किसी गैर-कानूनी संगठन द्वारा उसके **धन के उपयोग पर रोक लगाना।**
      - ✓ किसी गैर-कानूनी संगम (Association) के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले **स्थानों को अधिसूचित** करना।
  - **आतंकवादी कृत्य:**
    - **परिभाषा:** इसमें **भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालना अथवा भारत में या किसी विदेश में आतंकवादी हमला करने के इरादे से किया गया कोई भी कृत्य** शामिल है।
    - **आतंकवाद से प्राप्त आय को जब्त करना:** ऐसा जांच अधिकारी द्वारा नामित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है।

1.8.2. प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) का ऑनलाइन पंजीकरण {Online Registration of First Information Reports (FIR)}

- विधि आयोग ने अपनी **282वीं रिपोर्ट** कानून और न्याय मंत्रालय को सौंप दी है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है- **'ऑनलाइन माध्यम से प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 में संशोधन।'**
  - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की **धारा 154** में किसी **संज्ञेय** अपराध के घटित होने पर **प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया** का उल्लेख किया गया है।
- **रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें:**
  - **e-FIR को चरणबद्ध तरीके से लागू** किया जाना चाहिए।
    - ऐसे सभी **संज्ञेय अपराधों** के मामले में e-FIR दर्ज करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जहां **आरोपी के बारे में पता नहीं है या आरोपी के बारे में पता है और उसे 3 साल तक की जेल की सजा** हो सकती है।
  - राज्यों के पास **अपराधों की सूची का विस्तार करने की शक्ति** होनी चाहिए।
  - **पक्षकारों के निजता के अधिकार** की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
  - **मुखबिर/ शिकायतकर्ता का सत्यापन** किया जाना चाहिए और झूठी सूचना देने के लिए **सजा का प्रावधान** किया जाना चाहिए।
  - सभी गैर-संज्ञेय अपराधों के मामले में **ई-शिकायत** दर्ज करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
    - शिकायत का अर्थ इस संहिता के तहत कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित रूप से वर्णित कोई भी आरोप है।
  - **क्षमता निर्माण** पर ध्यान देने की जरूरत है।
- **e-FIR का महत्त्व:**
  - **नागरिक किसी अपराध की प्राथमिकी आसानी से और कुशलता से** दर्ज करा सकते हैं।
  - शिकायतकर्ता अपनी **शिकायतों पर हो रही कार्रवाई को समय-समय पर ऑनलाइन देख** सकते हैं।
  - इससे **पुलिस स्टेशन में लोगों के आने की संख्या को कम करने** में मदद मिलेगी।

1.8.3. आधार विश्व की सबसे भरोसेमंद डिजिटल आई.डी. है: केंद्र सरकार (Centre Claims Aadhaar as the Most Trusted Digital Id in The World)

- एक निवेशक सेवा एजेंसी के दावों का खंडन करते हुए केंद्र सरकार ने यह दावा किया है कि आधार एक फुलप्रूफ डिजिटल आई.डी. है। यहां फुलप्रूफ का आशय यह है कि इस डिजिटल आई.डी. की धोखाधड़ी नहीं की जा सकती है।
- गौरतलब है कि आधार **12 अंकों की एक व्यक्तिगत पहचान संख्या** है। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) जारी करता है।
    - इसके तहत एकत्रित डेटा **UIDAI के सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी (CIDR) में सुरक्षित** रहता है।
- **आधार की मुख्य विशेषताएं:**
    - **विशेषता:** इसमें बायोमेट्रिक का **दोहराव नहीं (Deduplication)** होता है, इस कारण एक ही जानकारी पर **कई आधार कार्ड जारी नहीं** हो सकते हैं।
    - **यादृच्छिक संख्या:** इसके तहत **जारी की जाने वाली संख्या यादृच्छिक** होती है। साथ ही, यह जाति, धर्म, आय जैसे किसी भी विवरण से रहित होती है।
    - **अवसंरचना:** यह **खुली और विस्तार योग्य प्रणाली पर आधारित** है। वर्तमान प्रमाणीकरण प्रणाली एक **दिन में 100 मिलियन प्रमाणीकरण निष्पादित करने में सक्षम** है।
- **आधार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम:**
    - UIDAI ने आधार को सुरक्षित बनाने के लिए **आधार-आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के लिए दो-स्तरीय सुरक्षा तंत्र** की शुरुआत की है।
    - संसद ने मजबूत प्रावधानों के माध्यम से **आधार प्रणाली को शासित करने वाले कानून में निजता संबंधी सख्त सुरक्षा उपाय** किए हैं।
        - **आधार अधिनियम, 2016 की धारा 32(3) UIDAI** को किसी भी प्रमाणीकरण के उद्देश्य के संबंध में किसी भी **जानकारी को नियंत्रित करने, एकत्र करने या सुरक्षित करने से रोकती है।**
    - **आधार प्रमाणीकरण प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और निजता संबंधी मानकों द्वारा प्रमाणित है।** साथ ही, इसे **सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली** के लिए **ISO 27001:2013** और **निजता सूचना प्रबंधन प्रणाली** के लिए **ISO 27701:2019** प्रमाणन भी प्राप्त है।

1.8.4. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 {Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995}

- **सूचना और प्रसारण मंत्रालय** ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधनों को अधिसूचित किया है।
    - ये संशोधन केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के उन **प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए कार्यात्मक तंत्र प्रदान करते हैं, जिनमें कुछ कृत्यों को गैर-आपराधिक घोषित किया गया है।**
- **संशोधनों के उद्देश्य:**
    - वर्ष 1995 के केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम को और अधिक व्यवसाय-अनुकूल बनाना,
    - निवेशकों का विश्वास बढ़ाना, तथा
    - ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में वृद्धि करना।
- इस अधिनियम की धाराओं की फिर से समीक्षा की गई है। समीक्षा के बाद **जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2023** द्वारा कुछ प्रावधानों में वर्णित कृत्यों के लिए कठोर दंड को बदल कर जुर्माना आदि कर दिया गया है।
- **कारावास से संबंधित प्रावधान** की जगह अब मौद्रिक दंड और परामर्श व चेतावनी के रूप में कुछ अन्य गैर-मौद्रिक सजा के प्रावधान किए गए हैं।

1.8.5. सरना संहिता (Sarna Code)

- झारखंड सरकार आदिवासियों के लिए **सरना धार्मिक संहिता** को मान्यता देने पर विचार कर रही है।
- सरना के अनुयायी **प्रकृति पूजक** होते हैं। **वे स्वयं को हिंदू नहीं मानते हैं।** ये दशकों से अपनी **एक अलग धार्मिक पहचान की मान्यता के लिए संघर्ष** कर रहे हैं।
    - अब तक हुए जनगणना सर्वेक्षणों में उन्हें 'धर्म' के कॉलम में **"अन्य"** के रूप में वर्गीकृत किया जाता रहा है।
    - सरना पंथ के अनुयायी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। **वे न ही वर्ण व्यवस्था का पालन करते हैं और न ही स्वर्ग-नरक की अवधारणा में विश्वास करते हैं।**
    - सरना आस्था के पवित्र प्रतीक **"जल, जंगल और जमीन"** हैं। इसके अनुयायी वृक्षों और पहाड़ियों की पूजा करते हैं।

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. इज़रायल-हमास युद्ध (Israel-Hamas War)

सुर्ख़ियों में क्यों?

7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने **"ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा (अल-अक्सा फ्लड)"** के तहत इज़रायल पर अचानक एक बड़ा हमला कर दिया था। इज़रायल ने इस हमले के प्रतिशोध में हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी।

अन्य संबंधित तथ्य

- **ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा** यहूदियों के पवित्र दिन **सब्त (Sabbath)** के दिन शुरू किया गया था। सब्त **यहूदियों का उपासना और अवकाश का दिन** होता है।
- हमास ने मात्र 20 मिनट में इज़रायल पर **5,000 रॉकेट** दागे थे। इसके कारण इज़रायल का **आयरन डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली इन हमलों को पूरी तरह से रोक नहीं** पाया था।
  - हवाई हमलों से बचने के लिए इज़रायल ने **2011 में आयरन डोम का विकास** किया था। यह **शॉर्ट-रेंज की वायु रक्षा प्रणाली** है।
  - आयरन डोम **इज़रायल की सबसे उन्नत व 'कम दूरी की तथा जमीन से हवा में मार करने वाली' वायु रक्षा प्रणाली** है।
    - इस प्रणाली में शामिल हैं- **एक डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार, एक युद्ध प्रबंधन व हथियार नियंत्रण प्रणाली तथा तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलें।**
    - यह **70 किलोमीटर** की रेंज में आने वाले किसी भी **रॉकेट, मिसाइल या मानव रहित हवाई वाहन (UAVs) को ट्रैक कर के नष्ट** कर सकती है।
  - इज़रायल ने अपने ऊपर हुए हमले के जवाब में गाजा पट्टी में **हमास के लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन "आयरन स्वॉर्ड्स"** शुरू किया है।
  - इस युद्ध के बीच भारत ने इज़रायल में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए **"ऑपरेशन अजय"** संचालित किया है।

फ़िलिस्तीन में मौजूद अन्य संगठन

- **फतह (Fatah):** यह एक **धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी** संगठन है। इसका गठन **1948 के इज़रायली-अरब युद्ध के बाद 1950 के दशक के अंत में कुवैत** में किया गया था। इस संगठन के प्रमुख संस्थापक **यासिर अराफात** थे। इसका उद्देश्य इज़रायल के खिलाफ **सशस्त्र संघर्ष के जरिए फ़िलिस्तीन को मुक्त** कराना था।
- **फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन (Palestine Liberation Organisation: PLO): 1964** में काहिरा (मिस्र) में आयोजित **अरब लीग शिखर सम्मेलन** में PLO की परिकल्पना की गई थी। इस संगठन का एकमात्र लक्ष्य **सशस्त्र संघर्ष के जरिए फ़िलिस्तीन को मुक्त** कराना है।
  - PLO को **अरब लीग और संयुक्त राष्ट्र महासभा** ने आधिकारिक तौर पर "फ़िलिस्तीनी लोगों के एकमात्र वैध प्रतिनिधि" के रूप में मान्यता दी हुई है।
  - **यासिर अराफात** के नेतृत्व में और **1967 के अरब-इज़रायल युद्ध** के बाद, **फतह** PLO में एक मुख्य दल बन गया था।
  - 1990 के दशक की शुरुआत में, **फतह के नेतृत्व वाले PLO ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वे अपने सशस्त्र प्रतिरोध को त्याग देंगे।** साथ ही, **वार्ता के माध्यम से टू-स्टेट समाधान को लागू** करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं घटनाओं के कारण **हमास का उदय** हुआ।
- **राष्ट्रीय फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी (Palestinian Authority: PA): ओस्लो समझौते** के तहत **जुलाई, 1994** में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। इसे **गाजा और वेस्ट बैंक (पूर्वी यरुशलेम को छोड़कर) के कुछ हिस्सों पर सीमित स्वशासन के लिए एक अंतरिम निकाय** के रूप में गठित किया गया था। इसे तब तक कार्य करना था, जब तक कि **इज़रायल-फ़िलिस्तीन संघर्ष का आपसी सहमति से पूर्ण समाधान** नहीं हो जाता।
  - **ओस्लो समझौता** PLO और इज़रायल सरकार के बीच हुआ था। इस समझौते का लक्ष्य **टू-स्टेट समाधान** को अमल में लाकर दशकों के संघर्ष को समाप्त करना था।
  - फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी PLO की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। उल्लेखनीय है कि PLO अंतर्राष्ट्रीय निकायों में फ़िलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व करता है।
  - इसका नेतृत्व प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित **प्रेसिडेंट** द्वारा किया जाता है, जो एक **प्रधान मंत्री और सरकार** की नियुक्ति करता है। **प्रधान मंत्री और सरकार** को निर्वाचित विधान परिषद का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है।
- वर्तमान में, **फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को नियंत्रित** करती है और इसके प्रमुख **महमूद अब्बास** हैं। महमूद अब्बास **PLO और फतह के प्रमुख** के रूप में भी कार्य कर रहे हैं।

हमास (HAMAS) के बारे में

- हमास या इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट की स्थापना **1987** में हुई थी। यह **गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलेम पर इज़रायल के कब्जे का विरोध करने के लिए शुरू हुए पहले इंतिफादा (फ़िलिस्तीनी विद्रोह)** के परिणामस्वरूप शुरू हुआ था।
- **2005** में इज़रायल सैन्य व असैन्य दोनों स्तरों पर गाजा से बाहर निकल गया था। इज़रायल के हटने के तुरंत बाद हमास **गाजा में वास्तविक प्रतिनिधि/ प्राधिकरण** बन गया था।

- हमास, **इज़रायल को मान्यता नहीं** देता है। यह संगठन **इज़रायल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध** और इज़रायल के स्थान पर **एक इस्लामी फ़िलिस्तीनी राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध** है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, इज़रायल** आदि ने हमास को एक **आतंकवादी संगठन** घोषित कर रखा है।

इज़रायल-फ़िलिस्तीन संघर्ष की पृष्ठभूमि

- वर्तमान में जारी युद्ध के मूल कारण 75 साल पहले इज़रायल राष्ट्र की स्थापना से पहले से मौजूद हैं। उल्लेखनीय है कि भूमि के जिस भाग पर इज़रायल राष्ट्र का निर्माण हुआ है, फ़िलिस्तीनी भी उसी भूमि पर अपनी मातृभूमि के रूप में दावा करते हैं।
- फिलीस्तीनी (अरब) और इज़रायली (यहूदी) समान रूप से **जॉर्डन नदी एवं भूमध्य सागर के बीच के क्षेत्र** पर अपना-अपना दावा करते हैं।
    - इस संघर्ष का केंद्र बिंदु **यरुशलेम शहर** है। **यरुशलेम** शहर **तीन प्रमुख इब्राहीम धर्मों (यहूदी, इस्लाम और ईसाई)** के लिए अत्यधिक महत्त्व रखता है। **यरुशलेम शहर में मौजूद विवादित स्थल-**
        - **अल-अक्सा मस्जिद:** यह इस्लाम धर्म में **तीसरा** सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यह वह स्थान है, जहां से पैगंबर मुहम्मद जन्नत गए थे।
        - **पश्चिमी दीवार:** यह सबसे पवित्र **यहूदी** स्थल है। यह उस पवित्र परिसर के निकट स्थित है, जिसे यहूदी **टेम्पल माउंट** कहते हैं।
        - **चर्च ऑफ द होली सेपल्कर:** यह चर्च ईसाई धार्मिक मान्यताओं के केंद्र में है। कई ईसाइयों का मानना है कि यह चर्च उस स्थान को इंगित करता है जहां **यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, दफनाया गया था और वे पुनर्जीवित हुए थे।**

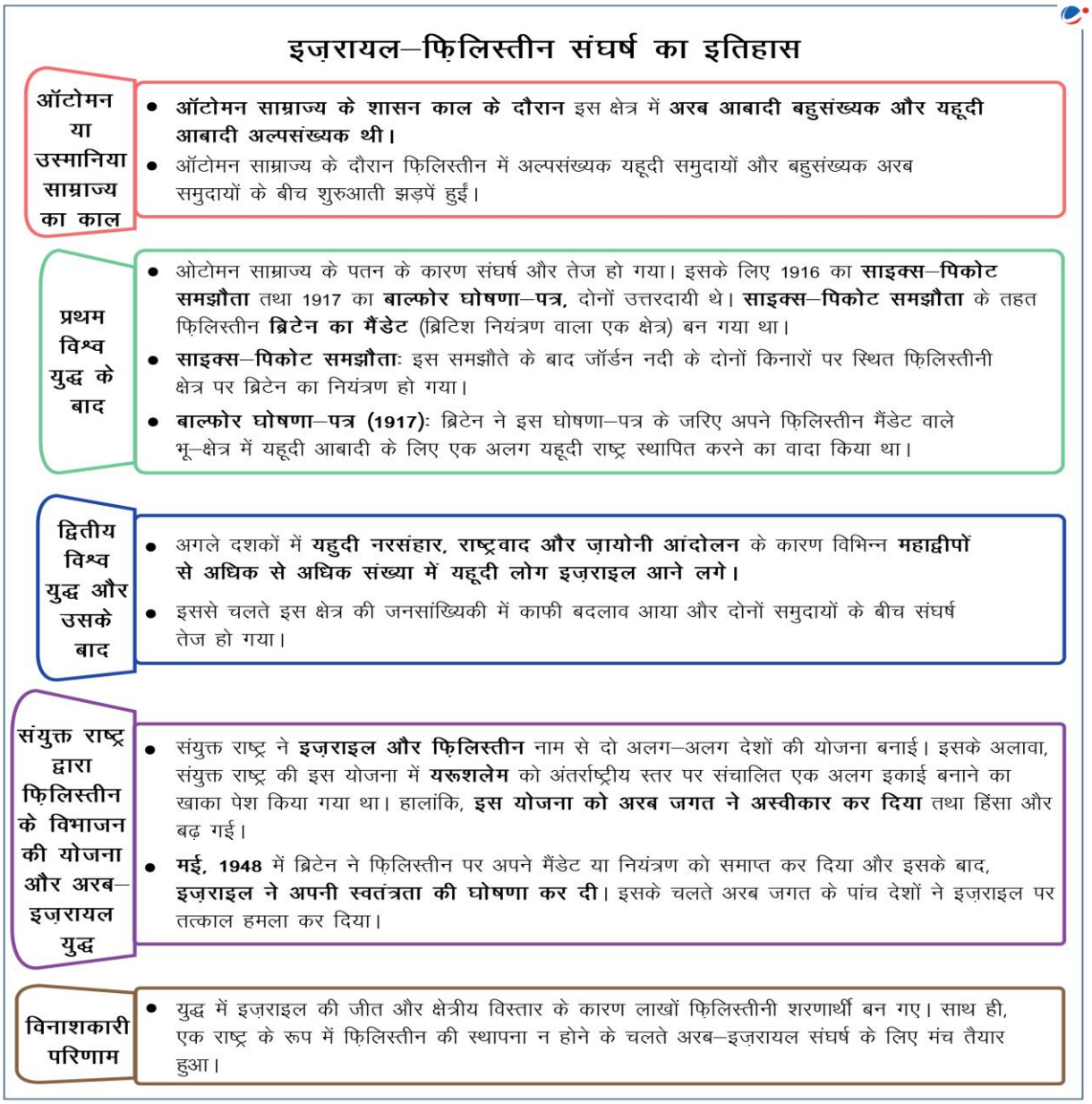

वर्तमान युद्ध के संभावित प्रभाव

- **फ़िलिस्तीन के मुद्दे का केंद्र में आना:** अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर होने के साथ ही कई अरब देश तेजी से इज़रायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। ऐसा देखा गया कि **अरब-इज़रायल संबंधों में सुधार होने के कारण फ़िलिस्तीन का मुद्दा गौण होता जा रहा है।**
  - हालिया संघर्ष ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि मध्य-पूर्व के क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए फ़िलिस्तीन के मुद्दे का समाधान करना अति आवश्यक है।
- **इज़रायल-फ़िलिस्तीन संबंध:**
  - **शांति वार्ता:** मौजूदा संघर्ष **अनजाने में हमास की स्थिति को मजबूत** कर सकता है और वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की स्थिति को कमजोर कर सकता है। इससे **इज़रायल और फ़िलिस्तीन के बीच शांति वार्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़** सकता है।
  - **गाजा में इज़रायल की भागीदारी:** 2005 में, इज़रायलियों ने एक **डिसएंगेजमेंट प्लान** के अनुसार स्वेच्छा से गाजा छोड़ने का फैसला किया था।
    - हालांकि, अब इज़रायली प्रधान मंत्री ने कहा है कि **गाजा में इज़रायल की भूमिका अनिश्चित काल तक 'समग्र सुरक्षा' प्रदाता** के रूप में बनी रहेगी।
- **क्षेत्रीय अस्थिरता: सऊदी अरब** ने इज़रायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने पर होने वाली वार्ता को संभवत: निलंबित कर दिया है।
  - **बहरीन** ने भी इज़रायल से **अपने राजदूत को वापस बुला** लिया है, जबकि **बोलीविया ने आधिकारिक तौर पर इज़रायल के साथ अपने राजनयिक संबंध समाप्त** कर दिए हैं।
  - इससे मिस्र, जॉर्डन और अरब देशों के साथ इज़रायल के संबंधों में तनाव बढ़ गया है। यह **युद्ध को जल्द-से-जल्द समाप्त करने तथा बंधकों एवं युद्ध बंदियों की रिहाई की संभावनाओं** को प्रभावित कर सकता है।
- **आर्थिक:** मौजूदा संघर्ष **वैश्विक और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर** सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले ही **रूस-यूक्रेन युद्ध और महामारी से प्रेरित मुद्रास्फीति** से जूझ रही है।
  - **वैश्विक कमोडिटी (वस्तु/ जिंस) बाजार:** यदि इज़रायल-हमास संघर्ष लंबे समय तक चलता है, तो इसका असर तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। इससे **कमोडिटी बाजार में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं।** ऐसा इसलिए, क्योंकि वैश्विक स्तर पर तेल उत्पादन में ओपेक (OPEC) देशों की **लगभग 32% हिस्सेदारी** है।
  - **व्यापार:** युद्ध का असर **स्वेज नहर से होने वाले व्यापार** पर भी पड़ सकता है। स्वेज नहर, एशिया और यूरोप के बीच एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। मूल्य के हिसाब से इस नहर के जरिए **वैश्विक व्यापार का लगभग 12%** भाग पूरा होता है।
    - **इस संघर्ष के पूरे मध्य-पूर्व में फैलने से होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए होने वाला व्यापार खतरे में पड़** सकता है। **वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20%** भाग होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए पूरा होता है।
    - संघर्ष में **ईरान** के शामिल होने से **भू-आबद्ध मध्य एशिया के साथ व्यापार बाधित** हो सकता है। मध्य एशिया **कृषि उत्पादों, कच्चे माल और खनिजों** का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है।

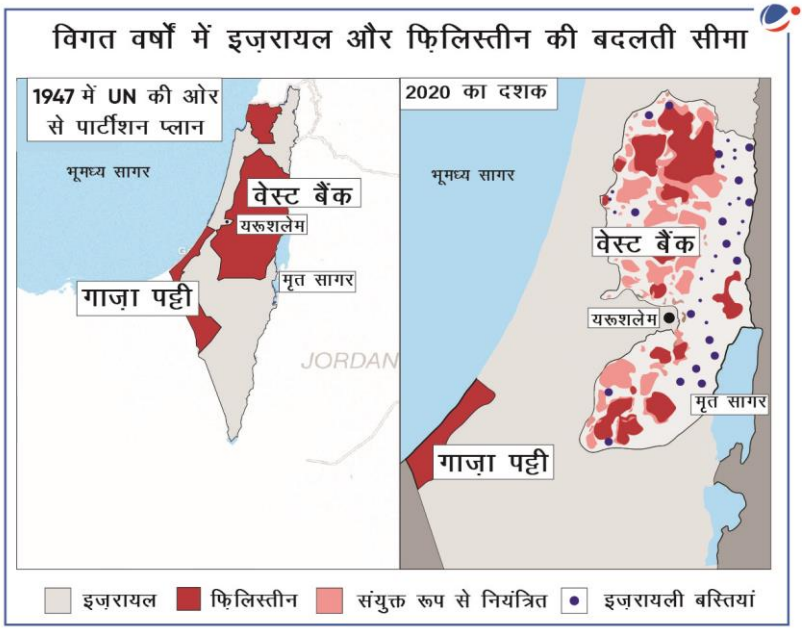

  - **उर्वरक आपूर्ति:** गाजा के ठीक उत्तर में अवस्थित **इज़रायल का अशदोद बंदरगाह पोटाश उर्वरक के निर्यात** का एक प्रमुख केंद्र है। **वैश्विक पोटाश आपूर्ति का 3%** इसी बंदरगाह के माध्यम से पूरा होता है।
    - अत: युद्ध के प्रसार से **गरीब देशों में खाद्य असुरक्षा बढ़** सकती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि पोटाश फसलों की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण उर्वरक है।
- **मानवीय संकट:** युद्ध के परिणामस्वरूप कथित तौर पर **मानव जीवन के समक्ष खतरा** पैदा हो गया है। युद्ध से **गाजा में पानी, बिजली, ईंधन, भोजन और चिकित्सा आपूर्ति प्रभावित** हुई है। साथ ही बड़ी संख्या में मानवीय क्षति भी हुई है।

इज़रायल-हमास संघर्ष का भारत पर प्रभाव

- **आर्थिक:** भारत से इज़रायल को किया जाने वाला निर्यात प्रभावित हो सकता है, विशेषकर तब जब इज़राइली बंदरगाहों पर परिचालन बाधित हो जाएगा। जिन क्षेत्रकों पर सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उनमें **पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल मार्केटिंग, पेंट्स, पैकेजिंग, कपड़ा, रसायन** आदि शामिल हैं।
- **भू-सामरिक:** इज़रायल और अरब देशों के बीच संबंधों के सामान्य होने से **भारत को अपनी वैश्विक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का अनूठा अवसर** प्राप्त हुआ है। इस कारण भारत इस क्षेत्र में किसी भी तरह के संघर्ष का प्रबल विरोध करता है।
- **कनेक्टिविटी संबंधी प्रयास:** युद्ध ने **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)**[28] परियोजना पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। IMEC की घोषणा हाल ही में **भारत, सऊदी अरब, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात** ने की थी।
  - इस गलियारे का उद्देश्य **भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इज़रायल और यूरोप के बीच वाणिज्य, ऊर्जा एवं डेटा के आवागमन** को सुविधाजनक बनाना है।

निष्कर्ष

इज़रायल और हमास के बीच मध्यस्थता संघर्ष के मूल कारणों का पूरी तरह से समाधान नहीं कर सकती है। फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों और यरुशलेम की स्थिति जैसे मुद्दों का समाधान करना भी आवश्यक है। इज़रायल और हमास के बीच शांति दोनों पक्षों की वार्ता में शामिल होने की इच्छा और बदलते क्षेत्रीय परिदृश्य के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका पर भी निर्भर करती है।

इज़रायल-फ़िलिस्तीन मुद्दे पर भारत का रुख

- **पश्चिम एशिया के साथ भारत के सामरिक हित जुड़े हुए हैं।** भारत की ऊर्जा सुरक्षा हेतु यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त प्रवासी भारतीयों की उपस्थिति, व्यापार, निवेश आदि को देखते हुए भी इस क्षेत्र में शांति बहुत आवश्यक है।
- इसी आधार पर भारत **टू-स्टेट समाधान का समर्थन** करता है।
  - आरंभ में भारत ने **संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन के विभाजन की योजना और इज़रायल के प्रवेश के खिलाफ मतदान** किया था।
  - भारत ने **1950** में औपचारिक रूप से इज़रायल को मान्यता दी थी और **1992** में उसके साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए थे।
  - **2017** से भारत इज़रायल और फ़िलिस्तीन दोनों के मामले में **'डी-हाइफनेशन नीति'** का पालन कर रहा है। इस नीति के तहत भारत ने इज़रायल और फ़िलिस्तीन दोनों के साथ अलग-अलग स्वतंत्र संबंध स्थापित किए हैं।

2.1.1. योम किप्पुर युद्ध (Yom Kippur War)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, हमास ने **चौथे अरब-इज़रायल युद्ध (1973) की 50वीं वर्षगांठ** पर इज़रायल पर हमला किया। गौरतलब है कि चौथे अरब-इज़रायल युद्ध को **योम किप्पुर युद्ध** के नाम से भी जाना जाता है।

योम किप्पुर युद्ध की पृष्ठभूमि

- **प्रथम अरब-इज़रायल युद्ध (1948):** इज़रायल द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा के तुरंत बाद अरब देशों के गठबंधन और फ़िलिस्तीनी गुटों ने उस पर हमला कर दिया था। इसका कारण यह था कि **अरब देश फ़िलिस्तीनी दावे वाली भूमि पर यहूदी राष्ट्र की स्थापना और संयुक्त राष्ट्र (UN) के फ़िलिस्तीन को दो अलग-अलग देशों में विभाजित करने के प्रस्ताव** के खिलाफ थे।
  - प्रथम अरब-इज़रायल युद्ध के बाद इज़रायल ने **फ़िलिस्तीन के दावे वाले क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और बड़ी संख्या में फ़िलिस्तीनियों को उनकी भूमि से बाहर** कर दिया था।
  - **फ़िलिस्तीनियों के इस जबरन निष्कासन** को अरबी भाषा में **"नकबा" या "तबाही"** कहा जाता है।
- **दूसरा अरब-इज़रायल युद्ध (स्वेज युद्ध) (1956):** स्वेज युद्ध में एक तरफ **इज़रायल, ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं** थीं, तो दूसरी तरफ **मिस्र व उसके सहयोगी देशों** की सेनाएं थीं।
  - इस युद्ध के कारण **मध्य-पूर्व में ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रभाव को धक्का पहुँचा।** साथ ही, **संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभर** कर सामने आया।
- **तीसरा अरब-इज़रायल युद्ध (छह दिवसीय युद्ध) (1967):** इस छह दिवसीय युद्ध की शुरुआत **मिस्र और सीरिया** पर इज़रायली हवाई हमले से हुई थी। साथ ही, इज़रायल ने **मिस्र, जॉर्डन एवं सीरिया के खिलाफ जमीनी हमले** भी आरंभ कर दिए थे।
  - युद्ध के दौरान **इज़रायल ने मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी, जॉर्डन के वेस्ट बैंक एवं पूर्वी यरुशलेम तथा सीरिया के गोलन हाइट्स** पर अधिकार कर लिया था।

[28] India-Middle East-Europe Economic Corridor

- यह युद्ध **संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम के बाद समाप्त** हुआ, लेकिन इस युद्ध ने **मध्य-पूर्व के मानचित्र को बदल कर रख** दिया।
- युद्ध के उपरांत **अरब लीग ने खार्तूम** में एक शिखर सम्मेलन में **"द थ्री नो" संकल्प** पारित किया। इसका तात्पर्य था- इज़रायल के साथ **कोई शांति समझौता नहीं,** इज़रायल को **कोई मान्यता नहीं** और इज़रायल के साथ **कोई वार्ता नहीं**[29]।

योम किप्पुर युद्ध (चौथा अरब-इज़रायल युद्ध) के बारे में

- **अक्टूबर 1973 में, मिस्र और सीरिया** के नेतृत्व में अरब राष्ट्रों के एक गठबंधन ने **यहूदियों के पवित्र दिन 'योम किप्पुर दिवस' पर इज़रायल पर एक आश्चर्यजनक एवं संयुक्त हमला** कर दिया था।
- **युद्ध का उद्देश्य:** पिछले तीन युद्धों के विपरीत मिस्र और सीरिया ने यह युद्ध फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में नहीं किया था। यह युद्ध **1967 के छह-दिवसीय युद्ध में इज़रायल द्वारा अधिकार कर लिए गए अपने-अपने क्षेत्रों को फिर से प्राप्त करने की आशा से** किया गया था।
- **महाशक्तियों की भागीदारी: अमेरिका** ने इस युद्ध में **इज़रायल** का समर्थन किया और **सोवियत संघ ने मिस्र व सीरिया** का समर्थन किया। इसके कारण परमाणु हथियारों से संपन्न विश्व के दो राष्ट्रों के बीच तनाव बढ़ गया।
- **युद्ध विराम: संयुक्त राष्ट्र** के प्रयासों से युद्ध विराम लागू हुआ।

इज़रायल और अरब राष्ट्रों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता

- **कैम्प डेविड समझौता (1978):** यह समझौता **अमेरिका** की मध्यस्थता में **मिस्र और इज़रायल** के बीच हुआ था। इस समझौते ने **दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक शांति संधि को संपन्न** किया।
  - आधिकारिक तौर पर इस शांति समझौते का शीर्षक **"मध्य पूर्व में शांति का फ्रेमवर्क**[30]**"** था। **इस समझौते के दो भाग थे-**
    - **पहला: इज़रायल-मिस्र** समझौता था, जो उनके बीच **द्विपक्षीय विवाद को समाप्त** करने से संबंधित था; और

[29] The Three No's' resolution (i.e., no peace with Israel, no recognition of Israel, and no negotiations with Israel)

[30] Framework for Peace in the Middle East

        - **दूसरा:** यह फ़िलिस्तीनियों के साथ इज़रायल के संघर्ष को समाप्त करने एवं अरब के अन्य पड़ोसी देशों के साथ उसके विवादों का समाधान करने हेतु **सिद्धांतों को निर्धारित करने वाले एक फ्रेमवर्क** से संबंधित था।
    - मिस्र के **राष्ट्रपति अनवर सादात** और इज़रायली प्रधान मंत्री **मेनकेम बिगिन** को इस समझौते में उनके योगदान के लिए **1978 में शांति के नोबेल पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था।
- **ओस्लो समझौता (1993):** यह समझौता **इज़रायल और फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO)** के बीच हुआ था। इस समझौते ने **वेस्ट बैंक के प्रशासनिक मामलों के प्रबंधन के लिए फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण** की स्थापना की थी।
    - बदले में, PLO ने टू-स्टेट समाधान के आधार पर **इज़रायल को मान्यता** प्रदान की।
- **जॉर्डन-इज़रायल शांति संधि (1994):** इस संधि के बाद जॉर्डन (मिस्र के बाद) इज़रायल के साथ शांति स्थापित करने वाला **दूसरा अरब देश** बन गया। इस संधि के माध्यम से क्षेत्रीय विवादों को सुलझाया गया तथा जॉर्डन और इज़रायल के बीच **राजनयिक संबंधों व आर्थिक सहयोग** को शुरू किया गया।
    - इज़रायल ने **यरुशलेम** में (विशेष रूप से वहां मौजूद इस्लामी पवित्र स्थलों और संस्थानों के संबंध में) **जॉर्डन की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका को स्वीकार** किया।
- **अरब शांति पहल (2002):** इस पहल को **सऊदी अरब** ने प्रस्तावित किया था। इसमें **इज़रायल के साथ संबंधों को सामान्य** करने की पेशकश की गई थी। इसके लिए इज़रायल को फ़िलिस्तीनी स्टेटहुड समझौते पर हस्ताक्षर करने थे और 1967 में उसके द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों से पूरी तरह से हटना था।
- **अब्राहम समझौता (2020):** अब्राहम समझौते पर 2020 में **इज़रायल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन** ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में **संयुक्त राज्य अमेरिका** ने मध्यस्थता की थी। **मोरक्को और सूडान** भी इस समझौते में शामिल हो गए हैं। हालांकि, **सूडान का अभी इज़रायल के साथ समझौता किया जाना बाकी है।**
    - इस समझौते के **दो भाग हैं:** मध्य-पूर्व में शांति के लिए एक **घोषणा-पत्र** जारी करना और **द्विपक्षीय समझौते** को लागू करना।
    - यह घोषणा-पत्र **इब्राहीम के संबंध में अरब और यहूदी लोगों की साझी वंशावली को मान्यता** देता है।
    - यह मध्य-पूर्व में **सभी धर्मों और राष्ट्रीयताओं के लोगों के बीच सह-अस्तित्व, समझ एवं सम्मान के लिए भी प्रयास** करता है।
    - समझौते ने अधिक-से-अधिक **क्षेत्रीय और बहुराष्ट्रीय सहयोग** का मार्ग प्रशस्त किया है।
        - उदाहरण के लिए- **इज़रायल, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलकर I2U2 समूह** की स्थापना की है।

निष्कर्ष

ज्ञातव्य है कि योम किप्पुर युद्ध के बाद हुए शांति समझौतों (विशेष रूप से कैंप डेविड समझौते) को कभी क्षेत्रीय शांति की दिशा में मील के पत्थर व संकेतक के रूप में देखा जाता था। हालांकि हालिया संघर्ष ने सार्वजनिक चर्चा में उनकी प्रभावशीलता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

2.2. भारत-कनाडा संबंध (India Canada Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कनाडा ने दावा किया था कि उसकी धरती पर खालिस्तान समर्थक एक अलगाववादी नेता की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे। कनाडा सरकार के इस दावे के कारण दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में तनाव पैदा हो गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- कनाडा के प्रधान मंत्री ने **सिख अलगाववादी नेता** हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया है। जून, 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गोली मारकर कर उसकी हत्या कर दी गई थी।
- कनाडा ने **फाइव आइज एलायंस** के बीच साझा की गई खुफिया जानकारी के आधार पर यह आरोप लगाया है।
- इस आरोप के बाद कनाडा और फिर भारत ने **एक-दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित** कर दिया।
- **भारत ने** कनाडा को **"आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह"** बताते हुए कनाडाई **वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया है।** इसके अलावा, भारत ने **कनाडा के 41 राजनयिकों को भी देश छोड़कर जाने** को कहा था।

फाइव आइज इंटेलिजेंस एलायंस (FVEY)

- यह एक **खुफिया गठबंधन** है। इसमें **संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा** और **न्यूजीलैंड** शामिल हैं।
- फाइव आइज की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद **1946** में **"ब्रिटिश-यू.एस. कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट (BR-USA)"** के तहत हुई थी। बाद में BR-USA को **यूनाइटेड किंगडम-यूनाइटेड स्टेट्स कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एक्ट (UK-USA)** के नाम से जाना गया। इस समझौते का उद्देश्य **सिग्नल इंटेलिजेंस (SIGINT) को साझा** करना है।
- **फाइव आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल (FIORC)** में सदस्य देशों की **गैर-राजनीतिक खुफिया निगरानी, समीक्षा** और **सुरक्षा संबंधी संस्थाएं** शामिल होती हैं।

- **कनाडा ने वियना कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए** भारत के इस कदम की आलोचना की है। वहीं भारत ने **वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 11.1 के अनुसार, समान राजनयिक प्रतिनिधित्व** की मांग करते हुए अपने फैसले का बचाव किया है।

भारत-कनाडा संबंधों के बारे में

भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंध लंबे समय से चले आ रहे हैं। यह संबंध दोनों देशों के साझा **लोकतांत्रिक मूल्यों, बहु-सांस्कृतिक, बहु-नृजातीय प्रकृति** और **लोगों के बीच मजबूत संपर्कों** पर आधारित हैं।

- **प्रवासी भारतीय:** विश्व में भारतीय प्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा कनाडा में निवास करता है। यह हिस्सा **कनाडा की कुल आबादी के 3 प्रतिशत से अधिक है।**
- **आर्थिक:** 2022 में वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार क्रमशः लगभग **9.9 बिलियन डॉलर और 6.5 बिलियन डॉलर** था।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग:** इस सहयोग के जरिए दोनों देश मुख्य रूप से नए **बौद्धिक संपदा (IP), प्रक्रियाओं, प्रोटोटाइप और उत्पादों** को बनाने पर ध्यान देने के साथ-साथ **औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास** को भी बढ़ावा देते हैं।
  - 1990 के दशक से, भारत और कनाडा ने **अंतरिक्ष विज्ञान** के क्षेत्र में सहयोग किया है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा **एंट्रिक्स** ने कनाडा के कई नैनो उपग्रह लॉन्च किए हैं।

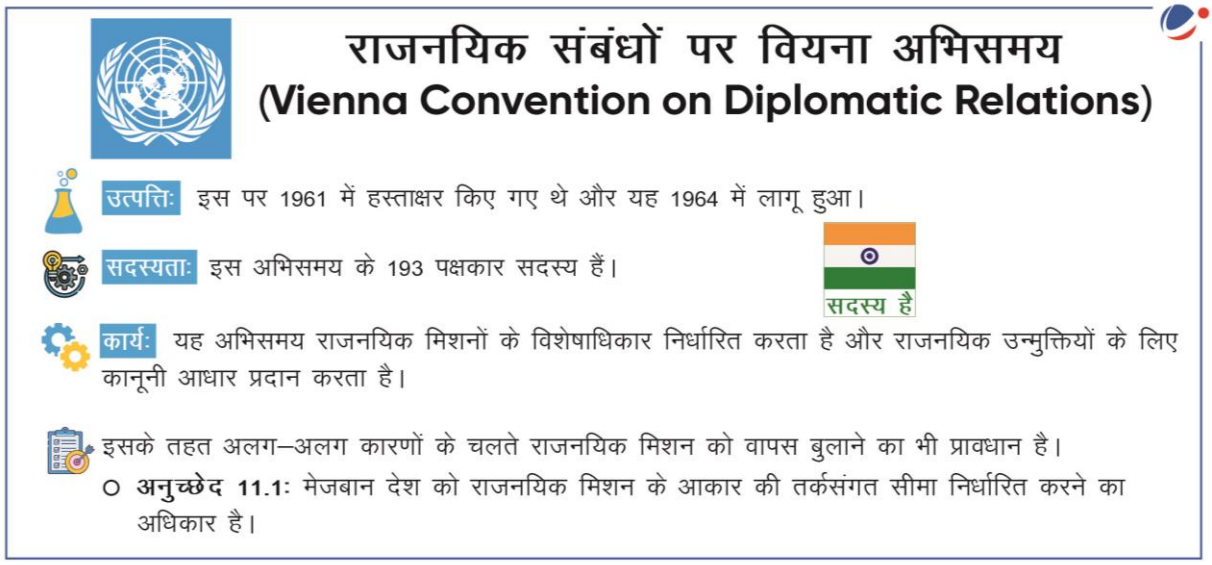

- **ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग:** भारत और कनाडा ने 2010 में असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के एक हिस्से के रूप में कनाडा ने भारतीय परमाणु रिएक्टरों को यूरेनियम प्रदान किया है।
  - ब्रिटिश कोलंबिया की **तरल प्राकृतिक गैस परियोजना** में **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन** की **10 प्रतिशत** हिस्सेदारी है।
- **सामरिक/ रणनीतिक सहयोग: कनाडा की हिंद-प्रशांत नीति, चीन** को **"विघटनकारी वैश्विक शक्ति"** के रूप में स्वीकार करती है। साथ ही, यह नीति साझा हितों को पूरा करने हेतु सहयोग के लिए **भारत** को **"प्रमुख भागीदार"** के रूप में रेखांकित करती है।

भारत-कनाडा संबंधों में चुनौतियां

- **ऐतिहासिक विरासत:** शीत-युद्ध के दौरान, कनाडा **नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन** (NATO)[31] का संस्थापक सदस्य था। उसी दौरान भारत ने **गुट-निरपेक्षता** की नीति अपनाई थी।
  - इसके अलावा, **कनाडा ने कश्मीर में जनमत संग्रह का समर्थन किया था,** जो भारत के हितों के प्रतिकूल था।
  - **1998** में भारत के परमाणु परीक्षण करने के बाद **कनाडा ने भारत के साथ होने वाले परमाणु सहयोग पर अस्थायी रूप से रोक** लगा दी थी।
- **कनाडा की आप्रवासन (Immigration) प्रणाली:** यह प्रणाली विवादित अतीत वाले व्यक्तियों को कनाडाई नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। कई बार यह देखा गया है कि कनाडाई नागरिकता लेने वाला व्यक्ति इस स्थिति का फायदा उठाकर अन्य देशों के विरुद्ध गैर-कानूनी या आतंकी गतिविधियों में शामिल हो जाता है।
  - इससे वर्तमान के परस्पर जुड़ाव वाले वैश्विक परिदृश्य में **द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाए रखने में एक बड़ी बाधा** उत्पन्न होती है।
- **घरेलू राजनीतिक कारक:** वर्तमान कनाडा सरकार, खालिस्तान समर्थक पार्टियों के साथ गठबंधन की सरकार चला रही है, जो भारत विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

[31] North Atlantic Treaty Organization

- **आर्थिक सहयोग का बेहतर तरीके से उपयोग न होना:** भारत और कनाडा के बीच एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)[32] वर्ष 2010 से लंबित है।
  - यह **समझौता (यानी CEPA)** दोनों देशों के बीच **द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 6.5 बिलियन डॉलर** तक पहुँचा सकता है। इससे **2035 तक** कनाडा के सकल घरेलू उत्पाद में 3.8 बिलियन डॉलर से 5.9 बिलियन डॉलर तक की वृद्धि हो सकती है।
- **भारत के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप:** उदाहरण के लिए- भारत में **किसानों के विरोध प्रदर्शन** के दौरान, कनाडा के प्रधान मंत्री ने किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया था। उन्होंने उस स्थिति को चिंताजनक बताया था।

इस संकट के संभावित प्रभाव

- **सामरिक:** वर्तमान में चल रहे तनाव पर **पश्चिमी देशों** ने **कोई खास प्रतिक्रिया नहीं** दी है। इसके पीछे का कारण यह है कि पश्चिमी देश **भारत** को **चीन के प्रति एक प्रमुख प्रतिसंतुलन** के रूप में देखते हैं। इससे कनाडा के सामरिक हितों पर प्रभाव पड़ सकता है।
- **आर्थिक:** संकट बढ़ने की स्थिति में, **द्विपक्षीय व्यापार व निवेश प्रवाह में व्यवधान** पैदा हो सकता है। इसका संभावित परिणाम यह हो सकता है कि **CEPA समझौते को अमल में आने में और देरी** हो।
- **प्रवासी संबंध:** दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को सुगम बनाने की क्षमता रखने वाले प्रवासी वर्तमान में तनाव के दौर से गुजर रहे हैं।

आगे की राह

- **कूटनीति को बढ़ावा देना:** दोनों देशों में संबंधों में सुधार की दिशा में पहला कदम मौजूदा तनाव को कम करना होना चाहिए। इसके अलावा, दोनों देशों को **यथास्थिति को बनाए रखते हुए अपनी चिंताएं व्यक्त करनी** चाहिए।
  - कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता होना चाहिए, न कि राजनयिकों का निष्कासन या सेवाओं को निलंबित करना।
- **प्रवासी संबंधों का प्रबंधन:** कनाडा को आप्रवासी समुदायों के सशक्तीकरण को संतुलित करने में सावधानी बरतनी चाहिए।
  - उसे अनुचित राजनीतिक या आर्थिक प्रभाव से बचते हुए अपनी गतिविधियों और प्रभाव का आकलन करना चाहिए।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी:** हिंसा, अलगाववाद या आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
- **आतंकवाद के खिलाफ सहयोग:** 2018 में स्थापित **आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग की रूपरेखा** के तहत दोनों देशों को सहयोग करना चाहिए।

निष्कर्ष

यह महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के लिए **सहयोग का एक नया फ्रेमवर्क** विकसित किया जाए। यह फ्रेमवर्क अधिक **व्यावहारिक** हो तथा व्यापार, ऊर्जा जैसे **पारस्परिक रूप से लाभप्रद क्षेत्रों** पर जोर देता हो।

2.3. भारत- दक्षिण कोरिया (India South Korea)

सुर्ख़ियों में क्यों?

2023 में भारत और दक्षिण कोरिया (RoK)[33] ने अपने राजनयिक संबंधों की **50वीं वर्षगांठ** मनाई। **भारत-दक्षिण कोरिया संबंधों के बारे में**

- **सभ्यता संबंधी जुड़ाव:**
  - 13वीं शताब्दी के एक ग्रंथ, **"सैमगुकयुसा** या **द हेरिटेज हिस्ट्री ऑफ द थ्री किंगडम्स"** के अनुसार, **48 ईस्वी में अयोध्या की राजकुमारी सुरीरत्ना ने कोरिया के राजा किम-सुरो से शादी की थी।**
  - 723 से 729 ईस्वी तक **बौद्ध भिक्षु ह्येचो** (होंग जियाओ) ने **भारत की यात्रा** की थी। उन्होंने **"पिलग्रिम टू द फाइव किंगडमस ऑफ इंडिया"** नामक अपने यात्रा वृतांत में अपनी यात्रा का उल्लेख किया है। इसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति, राजनीति और समाज के बारे में जानकारी प्रदान की है।
  - **रवींद्रनाथ टैगोर** ने 1929 में **"लैंप ऑफ द ईस्ट"** नामक एक कविता की रचना की थी। इसमें कोरिया के समृद्ध इतिहास और उसके उज्ज्वल भविष्य की व्याख्या की गई है।

[32] Comprehensive Economic Partnership Agreement

[33] Republic of Korea

- **द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की भूमिका:**
  - 1947 में हुए कोरियाई चुनावों के लिए भारत ने **संयुक्त राष्ट्र आयोग के नेतृत्वकर्ता की भूमिका** के रूप में कार्य किया था।
  - कोरियाई युद्ध के संदर्भ में भारत के समर्थन से पेश किए एक संकल्प (Resolution) को संयुक्त राष्ट्र में सर्वसम्मति से अपनाया गया था। इसके परिणामस्वरूप **1953 में कोरियाई संघर्ष में विराम** लागू हो सका था।
  - युद्ध विराम के बाद **भारत ने तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग (NNRC)[34] की अध्यक्षता** की थी। साथ ही, भारत ने युद्ध के कारण उत्पन्न हुई मानवीय समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- **राजनयिक संबंध:** दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध औपचारिक रूप से **1973** में स्थापित हुए थे। इसे 2010 में **"सामरिक भागीदारी"** और 2015 में **"विशेष सामरिक भागीदारी"** में अपग्रेड किया गया।
  - भारत की **'एक्ट ईस्ट' नीति** ने दक्षिण कोरिया के साथ सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके अलावा, **'न्यू सदर्न पॉलिसी'** भारत और आसियान के प्रति दक्षिण कोरिया की क्षेत्रीय रणनीति रही है।
  - 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और 'न्यू सदर्न पॉलिसी' दोनों ही अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं।

- **आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध:**
  - भारत-दक्षिण कोरिया वर्ष 2009 से **व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA)** के हस्ताक्षरकर्ता हैं। **वर्ष 2022 में** दोनों देशों के बीच **27.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था।
  - **'कोरिया प्लस'** पहल का उद्देश्य **भारत में कोरियाई निवेश** को बढ़ावा देना और उसे सुविधाजनक बनाना है।
  - चीन और अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के अपने लक्ष्य के कारण कोरिया **भारत को एक नए आर्थिक भागीदार के रूप में** देखता है।
  - दोनों देश **2030 तक व्यापार को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने की महत्वाकांक्षा रखते** हैं।
- **सामरिक एकीकरण:** दोनों देश **नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र** का समर्थन करते हैं। इसके अलावा, **चीन के एक महाशक्ति के रूप में उभरने** और **उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार हासिल करने** से जुड़े मुद्दे को लेकर दोनों देशों की साझा चिंताएं हैं।
  - **2018 में भारत ने** उत्तर कोरिया के परमाणु प्रसार को रोकने के लिए **"वैंकूवर डायलॉग" का समर्थन** किया था।
  - **दक्षिण कोरिया की हिंद-प्रशांत रणनीति में भारत को इस क्षेत्र में एक प्रमुख सदस्य** के रूप में शामिल किया गया है।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** दोनों देशों के बीच **रक्षा नीति वार्ता[35]** की शुरुआत 2013 में की गई थी। इसके बाद 2019 में रक्षा नीति वार्ता को **2+2 वार्ता** (यानी, **विदेश** और **रक्षा** स्तर की मंत्रिस्तरीय बैठक) में अपग्रेड किया गया था।
  - दोनों देशों के बीच की रक्षा भागीदारी अब **संयुक्त अनुसंधान एवं उत्पादन के क्षेत्र** तक विस्तारित हो गई है, जैसे- K9 वज्र आर्टिलरी गन का विकास। साथ ही, दोनों देश साइबर, अंतरिक्ष और खुफिया जानकारी-साझाकरण जैसे क्षेत्रों में भी **सहयोग** कर रहे हैं।
- **सांस्कृतिक संबंध:** दक्षिण कोरिया के अलग-अलग हिस्सों में भारत की विविध संस्कृति और कला रूपों को प्रदर्शित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए- दक्षिण कोरिया में **भारत के सारंग महोत्सव** का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है।
- **प्रवासी भारतीय:** कई भारतीय विद्वान दक्षिण कोरिया में स्नातकोत्तर और पी.एच.डी. कार्यक्रमों में संलग्न रहे हैं। साथ ही आई.टी., शिपिंग और ऑटोमोबाइल के कई भारतीय पेशेवर रोजगार हेतु दक्षिण कोरिया में प्रवास करते हैं।

[34] Neutral Nations Repatriation Commission

[35] Defense Policy Dialogue

भारत-दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने में आने वाली चुनौतियां

- **दोनों देशों की भौगोलिक अवस्थिति में अंतर:** भौगोलिक दूरी ने दोनों देशों के बीच संपर्क को सीमित किया है। हालांकि, दोनों देश मुख्य रूप से अपने आस-पास के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं।
- **रणनीतिक सहयोग में विलंब: शीतयुद्ध की प्रतिद्वंद्विता** ने विदेश नीतियों में वैचारिक अंतर के कारण दोनों देशों के बीच संपर्क को सीमित कर दिया था। दक्षिण कोरिया का मानना था कि भारत **सोशलिस्ट गुट** के अधिक करीब है।
    - फिर भी, भारत ने कोरियाई प्रायद्वीप में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखते हुए **गुटनिरपेक्षता की नीति** अपनाई।
- **सहयोग जितना बेहतर होना चाहिए उतना बेहतर नहीं है:** दोनों देशों में **मजबूत राजनीतिक इच्छा की कमी** के कारण सहयोग उतना बेहतर नहीं है जितना होना चाहिए। दक्षिण कोरिया अक्सर अमेरिका जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ नजदीकी से जुड़ा रहा है, जबकि भारत की क्षेत्रीय नीतियां अभी भी विकास के चरण में हैं।
- **अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता:** उदाहरण के लिए- **CEPA को सीमित दायरे** वाला कहा जाता है। इसलिए CEPA को संशोधित करने की मंशा 2015 में व्यक्त की गई थी, लेकिन यह अभी तक पूरी नहीं हुई है।
    - भारत **व्यापार संबंधी तकनीकी बाधाओं, उच्च आयात शुल्क** आदि के कारण दक्षिण कोरिया के साथ **व्यापारिक घाटे** (2021-22 में लगभग 8 बिलियन डॉलर) का सामना कर रहा है।

आगे की राह

- **बेहतर सहयोग के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण:** ऐतिहासिक रूप से द्विपक्षीय संबंधों में आर्थिक परियोजनाओं पर अधिक जोर दिया गया है। हालांकि, वर्तमान में दोनों देशों के लिए **हिंद-प्रशांत रणनीति** पर ध्यान देने के साथ-साथ **संबंधों को अधिक रणनीतिक बनाना** महत्वपूर्ण है।
    - **न्यूजीलैंड और वियतनाम के साथ-साथ दक्षिण कोरिया** ने भी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। क्वाड वस्तुतः **ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान** और **संयुक्त राज्य अमेरिका** के बीच एक गठबंधन है।
    - कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के सहयोग से क्वाड का **क्वाड प्लस** के रूप में विस्तार किया जाना चाहिए।
- **आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत बनाना:** चूंकि आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों की दक्षताएं अलग-अलग हैं। इसलिए वे सहयोग के दीर्घकालिक, विन-विन फ्रेमवर्क (एक ऐसी स्थिति जिसमें शामिल सभी पक्षों को लाभ होता है) के आधार पर निर्णय ले सकते हैं।
    - कोरिया में वृद्ध लोगों की आबादी बढ़ रही है। ऐसे में कोरियाई प्रौद्योगिकी तथा भारत की प्रगतिशील युवा आबादी, दोनों मिलकर एक विनिर्माण हब का निर्माण कर सकते हैं।
    - **स्टार्ट-अप, प्रौद्योगिकी-संचालित सेवाओं और डिजिटल व्यापार, सेमीकंडक्टर** आदि में सहयोग की संभावना अधिक है।
- **समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना:** दोनों देश संयुक्त **HADR[36] अभ्यास,** समुद्री पायरेसी रोधी अभियानों और समुद्री डोमेन संबंधी जागरूकता, आपसी जुड़ाव में और वृद्धि आदि की संभावनाओं का पता लगा सकते हैं।
- **क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना:** इन दो बड़ी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को विशेषरूप से हिंद महासागर क्षेत्र (IOR)[37] के किसी ऐसे अन्य देश को सहयोग करना चाहिए जिसे विकास संबंधी सहयोग की आवश्यकता हो।
    - **आसियान और इंडियन ओसियन रिम एसोसिएशन (IORA)** दो महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म हैं। ये प्लेटफॉर्म्स दोनों देशों को किसी अन्य देश के साथ संबंध स्थापित करने में मदद कर सकते हैं।
        - **आसियान में भारत और दक्षिण कोरिया** दोनों **डायलॉग पार्टनर** हैं। **IORA में भारत एक संस्थापक** सदस्य है और **दक्षिण कोरिया** को **डायलॉग पार्टनर** का दर्जा प्राप्त है।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** IORA, आसियान और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम (IPEF) जैसे **बहुपक्षीय मंच** सहयोग के अधिक अवसर प्रदान करते हैं। ये मंच किसी अन्य देश के साथ सहयोग के लिए भी अवसर प्रदान करते हैं।
    - दोनों देश दक्षिण-पूर्व एशिया में अवस्थित अन्य पक्षकार देशों में **आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन, अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा और डी-कार्बोनाइजेशन** भागीदारी में सहयोग कर सकते हैं।

[36] Humanitarian Assistance and Disaster Relief/ मानवीय सहायता और आपदा राहत

[37] Indian Ocean Region

निष्कर्ष

भारत और दक्षिण कोरिया मध्यवर्तीय महाशक्तियां और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। अतः दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता पर अत्यधिक बल दे रहे हैं। इसके लिए उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही, दोनों देशों को रणनीति और भागीदारी को मजबूत करने तथा मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की दिशा में मानक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने पर कार्य करना चाहिए।

2.4. भारत-मालदीव (India Maldives)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने भारत से यह अपील की है कि वह इस द्वीपीय देश में मौजूद भारतीय सैनिकों को हटा ले। यह अपील उनके चुनाव पूर्व आयोजित **"इंडिया आउट" कैंपेन** में किए गए वायदे के अनुसार है।

मालदीव के बारे में

- उत्तरी हिंद महासागर में अवस्थित मालदीव, भारतीय **नौसेना के युद्धपोतों द्वारा गश्त लगाए जाने वाले जल क्षेत्र के निकट** अवस्थित है।
  - यह भारत के मिनिकॉय द्वीप से मात्र **70 समुद्री मील** और भारत के **पश्चिमी तट** से **300 समुद्री मील** दूर स्थित है।

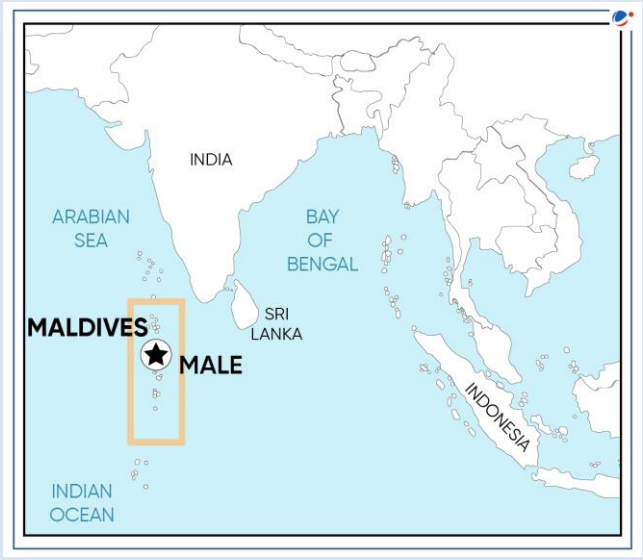

अन्य संबंधित तथ्य

- प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव (PPM) के नेतृत्व में चलाए गए **"इंडिया आउट" कैंपेन** ने मौजूदा मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) के विरुद्ध हालिया चुनावी जीत में **महत्वपूर्ण भूमिका** निभाई है।
- इस कैंपेन के तहत मालदीव में **भारत की सैन्य उपस्थिति का कड़ा विरोध किया गया।** इसका कारण यह है कि PPM के नेताओं का मानना है कि मालदीव में भारत की सैन्य उपस्थिति उसकी संप्रभुता को नुकसान पहुंचा सकती है।
- इस अभियान की शुरुआत **2010 और 2015 में भारत की ओर से मालदीव** को दिए गए **दो ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स (ALH) के उपहार की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुई थी।**
  - ये हेलीकॉप्टर्स **समुद्री मौसम की निगरानी** तथा समुद्री **खोज एवं बचाव अभियान** जैसे उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराए गए थे।
  - लगभग **70 भारतीय सैनिक भारत की ओर से बनाए गए रडार स्टेशनों और निगरानी करने वाले विमानों** का रख-रखाव करते हैं। इसके अलावा इस द्वीप समूह के विशाल **अनन्य आर्थिक क्षेत्र**[38] की निगरानी करने और गश्ती के लिए एक भारतीय युद्धपोत भी तैनात रहता है।

[38] Exclusive Economic Zone

भारत के लिए मालदीव का महत्त्व

- **भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अभिन्न अंग:** सदियों से दोनों देशों के बीच **सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंध** काफी मजबूत रहे हैं। साथ ही, मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है।
  - इसके अलावा, मालदीव **सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC)**[39] का भी एक सदस्य देश है।
- **सामरिक अवस्थिति:** मालदीव **अदन की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य और मलक्का जलडमरूमध्य** जैसे हिंद महासागर के प्रमुख चेकपॉइंट्स के बीच एक रणनीतिक कड़ी के रूप में कार्य करता है।
  - मालदीव की रणनीतिक अवस्थिति भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि **भारत** का मात्रा (Voulme) के हिसाब से **95 प्रतिशत** व्यापार और मूल्य (Value) के हिसाब से **68 प्रतिशत** व्यापार हिंद महासागर से होता है।
- **रक्षा की प्रथम पंक्ति:** भारत के पास स्थित होने के कारण मालदीव आतंकवाद, समुद्री पाइरेसी, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य समुद्री खतरों के विरुद्ध सुरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करता है।
- **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीन के प्रभाव को कम करना:** राजनयिक और व्यापार भागीदारी से परे चीन IOR में लगातार अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है।
- **प्रवासी भारतीयों की उपस्थिति:** मालदीव के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रक में भारतीय प्रवासी समुदायों का प्रभुत्व है।

मालदीव के लिए भारत का महत्त्व

- **मालदीव को मान्यता:** 1965 में मालदीव की स्वतंत्रता के बाद इसे **मान्यता देने वाला पहला देश** भारत था। इसके अलावा, मालदीव के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला देश भी भारत था।
- **सौहार्दपूर्ण संबंध:** मालदीव के साथ भारत के संबंधों में कोई विशेष राजनीतिक विवाद नहीं रहा है।
  - **समुद्री सीमा संधि, 1976** के जरिए दोनों देशों ने **मिनिकॉय विवाद** को सुलझा लिया था। साथ ही, मालदीव ने मिनिकॉय को भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में मान्यता दी है।
- **संकट के समय सबसे पहले सहायता करने वाला:** भारत, मालदीव पर आए कई संकटों के दौरान सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला देश रहा है। जैसे-
  - 1988: तख्तापलट को रोकने के लिए सैन्य हस्तक्षेप, जिसे **ऑपरेशन कैक्टस** नाम दिया गया था;
  - 2004: सुनामी के बाद सहायता;
  - 2014: जल संकट के दौरान सहायता;
  - 2020: कोविड-19 महामारी के दौरान व्यापक स्तर पर सहायता; आदि।
- **निवल या समग्र सुरक्षा प्रदाता (Net Security Provider):** दक्षिण एशिया में एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में भारत का यह कर्तव्य है कि वह अपने समुद्री पड़ोसी देशों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करे।
  - **मालदीव, भारत को एक "समग्र सुरक्षा प्रदाता" के रूप में देखता है।** मालदीव, भारत की SAGAR/ सागर[40] पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत और मालदीव के बीच सहयोग के क्षेत्र

- **द्विपक्षीय व्यापार संबंध:** वर्ष 2021 तक दोनों देशों के बीच होने वाला द्विपक्षीय व्यापार **323.9 मिलियन डॉलर** तक पहुंच गया। इसके अलावा, भारत **मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश** भी है।
- **सुरक्षा और रक्षा:** रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए अप्रैल, 2016 में दोनों देशों ने **"रक्षा के लिए एक व्यापक कार्य योजना"**[41] पर भी हस्ताक्षर किए थे। **भारत, मालदीव की लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है।**
  - भारत, मालदीव को **सैन्य अस्पताल, तटीय निगरानी रडार प्रणाली** सहित रक्षा संबंधी अनेक सुविधाओं और उपकरणों की आपूर्ति करता है।
  - भारत **उथुरु थिलाफाल्हू (UTF) प्रवाल** में एक नया तटरक्षक बेस बना रहा है।
  - दोनों देश **संयुक्त सैन्य अभ्यास (एकुवेरिन)** सहित संयुक्त **मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभ्यासों** में भी भाग लेते हैं। साथ ही, दोनों देश **कोलंबो सिक्यूरिटी कॉन्क्लेव (CSC)** के माध्यम से एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हैं।
    - **वर्ष 2011** में **भारत, श्रीलंका और मालदीव** ने एक **त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह** के रूप में CSC की शुरुआत की थी। बाद में CSC में **मॉरीशस** को भी शामिल कर लिया गया था।

[39] South Asian Association for Regional Cooperation

[40] Security and Growth for all in the Region/ क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास

[41] Comprehensive Action Plan for Defence

- **विकास संबंधी सहयोग:** भारत ने मालदीव में **इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल,** इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ़ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टडीज, नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एन्फोर्समेंट (NCPLE) आदि की स्थापना की है।
    - भारत **उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICDPs)**[42] के लिए मालदीव को अनुदान प्रदान करता है।
- **अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं:** भारत हवाई अड्डे के पुनर्विकास, सड़कों और भूमि सुधार आदि में सहयोग कर रहा है।
    - भारत द्वारा **ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना** का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना मालदीव की सबसे बड़ी अवसंरचना संबंधी परियोजना है।
    - इस परियोजना के तहत मालदीव की राजधानी माले को तीन निकटवर्ती द्वीपों से जोड़ने वाले 6.74 किलोमीटर लंबे **पुल और कॉजवे** लिंक का निर्माण किया जाना है।
- **पर्यटन:** वर्ष 2023 में, मालदीव के पर्यटन बाजार में भारत सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
    - दोनों देशों के बीच **ओपन स्काई समझौता** हो चुका है। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच वीजा व्यवस्था की सुविधा पर द्विपक्षीय समझौता भी हो चुका है। यह समझौता **पर्यटन, चिकित्सा और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश** प्रदान करता है।

भारत और मालदीव संबंधों के समक्ष आने वाली चुनौतियां

- **मालदीव में अस्थिरता:** मालदीव का विकसित होता समाज अभी अपने शुरुआती चरण में है। इसलिए मालदीव को **धार्मिक उन्माद, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, श्रम बाजार संबंधी समस्याओं** जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे भारत के सद्भावना संबंधी प्रयास प्रभावित हो सकते हैं।
- **भारत विरोधी भावनाएं:** हाल ही में चुनी गई सरकार को चीन समर्थक माना जा रहा है। इसलिए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने पिछली सरकार द्वारा भारत के साथ किए गए अनेक समझौतों को रद्द करने की इच्छा व्यक्त की है।
- **चीन का प्रभाव: चीन की "स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स"** रणनीति में मालदीव एक **महत्वपूर्ण 'सदस्य'** बनकर उभरा है।
    - **चीन** घरेलू राजनीतिक परिवर्तनों के बीच यहां पर अपने खोए हुए आधार को फिर से हासिल करने तथा **अपनी सुरक्षा और आर्थिक पकड़ को मजबूत करने के लिए अवसरों का लाभ उठा सकता है।** इस प्रकार चीन संभावित रूप से भारत के लिए सुरक्षा संबंधी खतरा पैदा कर सकता है।
- **परियोजना के पूरा होने में देरी:** ऐतिहासिक रूप से, भारत **परियोजनाओं को पूरा करने में देरी की अपनी नकारात्मक छवि** से ग्रस्त है।

आगे की राह

- **भारत विरोधी धारणा को दूर करना:** भारत को मालदीव में अपनी सकारात्मक छवि बनाने पर काम करना चाहिए। इसके अलावा, यह संदेश पहुंचाना चाहिए कि भारतीय सहायता (जैसे- वैक्सीन मैत्री) से **मालदीव के लोगों को अधिक लाभ मिलेगा।**
- **युवाओं को रोजगार और उद्यमशीलता:** मालदीव में 15-35 वर्ष की आयु के युवाओं की आबादी 35 प्रतिशत से अधिक है। भारत की भावी परियोजनाओं को मालदीव में **युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यमिता** को बढ़ाने पर लक्षित किया जाना चाहिए।
- **परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना:** भारत को कुशल परियोजना प्रबंधन और निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही, परियोजना में देरी का कारण बनने वाली किसी भी बाधा या चुनौती का समाधान करना चाहिए।
- **नई सरकार के साथ जुड़ने का प्रयास करना:** भारत को नवनिर्वाचित सरकार के साथ जुड़ने के लिए एक नए दृष्टिकोण पर काम करना चाहिए, ताकि पिछली सरकार के तहत शुरू की गई परियोजनाओं को जारी रखा जा सके।
- **भारत को अपने मजबूत पक्षों पर ध्यान देना चाहिए:** भारत को चीन के निवेश की जगह **आकर्षक और संतोषजनक विकल्प** देना चाहिए। हालांकि, विकल्प ऐसे होने चाहिए जो **लोगों के बीच** मजबूत संपर्क बनाने और मालदीव के **विकास को बढ़ावा देने** को प्राथमिकता देते हों।

निष्कर्ष

मालदीव में भारत की उपस्थिति ऐतिहासिक और समकालीन दृष्टिकोण से हमेशा से मजबूत रही है। मालदीव में सरकारी नेतृत्व में परिवर्तन के कारण कुछ हद तक बदलाव आ सकता है। हालांकि, इससे बुनियादी संबंधों में बदलाव होने की संभावना नहीं है। भारत और मालदीव को 'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी' और 'सागर (SAGAR)' पहल के तहत एक-दूसरे के साथ सहयोग करते रहना चाहिए।

[42] High Impact Community Development Projects

2.5. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council: UNHRC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने **मानवाधिकार परिषद (HRC)** के लिए 15 नए सदस्य देशों का चुनाव किया है। साथ ही, HRC में **फिर से शामिल होने के रूस के प्रस्ताव को** अस्वीकार कर दिया है।

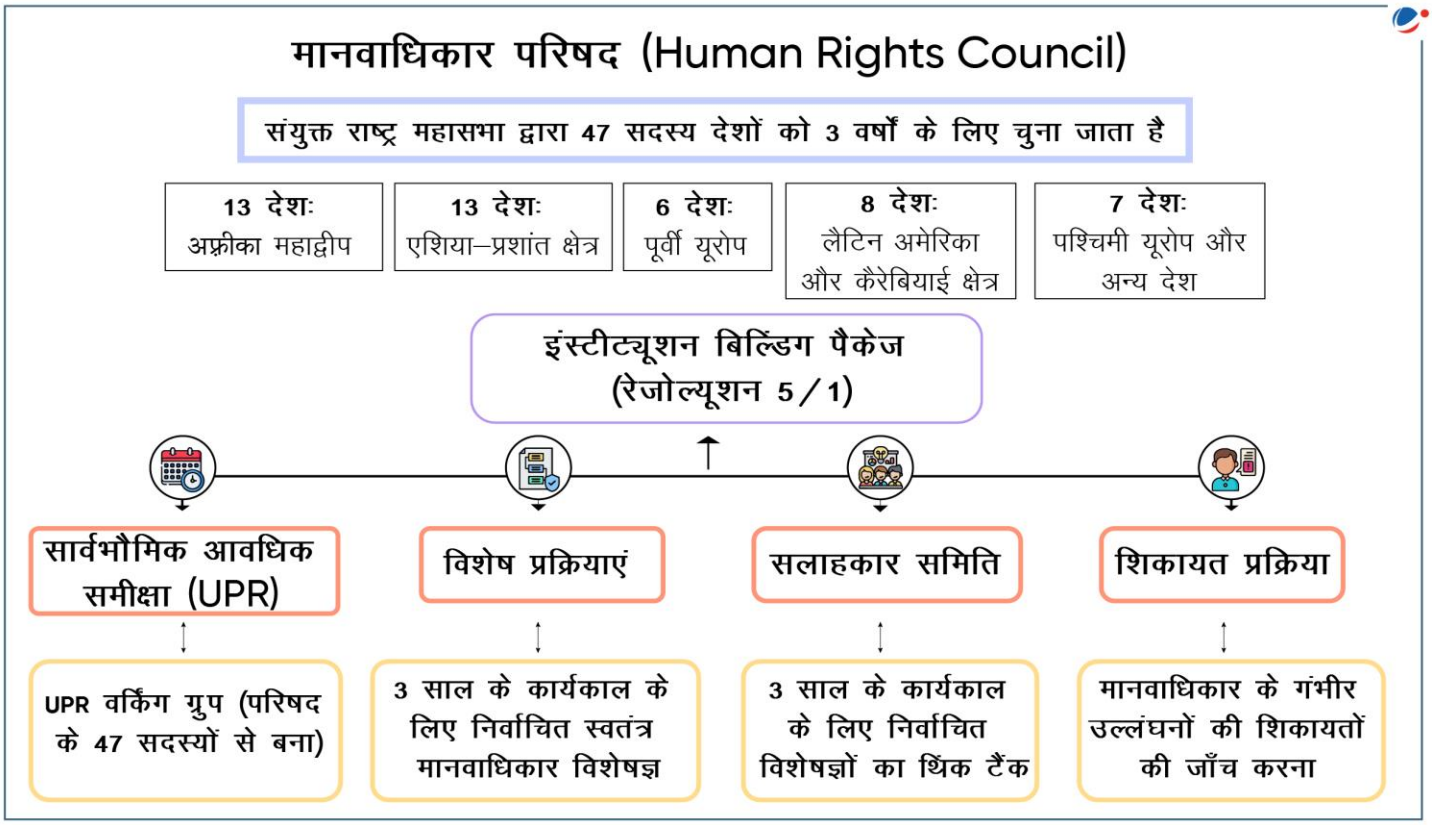

अन्य संबंधित तथ्य

- नवनिर्वाचित 15 सदस्यों का कार्यकाल 2024 से लेकर 2026 तक रहेगा। इन देशों का चयन अलग-अलग क्षेत्रों द्वारा किए गए **गुप्त मतदान के आधार पर** किया गया है।
- मानवाधिकार परिषद में **निर्वाचित होने के लिए** एक देश को **कम से कम 97 वोट** की आवश्यकता होती है।
- रूस इस निर्वाचन प्रक्रिया में **अल्बानिया और बुल्गारिया** (दो सीटों के लिए) के साथ प्रतिस्पर्धा में था। ये दो सीटें **पूर्वी यूरोपीय क्षेत्रीय समूह**[43] का प्रतिनिधित्व करती हैं।
  - गौरतलब है, कि **यूक्रेन पर आक्रमण** करने के बाद रूस को UNHRC से बाहर कर दिया गया था।
- अन्य क्षेत्रीय समूहों के तहत निर्वाचित होने वाले देशों में **चीन, जापान, कुवैत, बुरुंडी, फ्रांस, क्यूबा, ब्राजील** आदि शामिल हैं।

UNHRC से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य

- इसका **मुख्यालय** जिनेवा में है।
- **UNHRC** को संयुक्त राष्ट्र के तहत एक **अंतर-सरकारी निकाय** के रूप में स्थापित किया गया था। इसका लक्ष्य विश्व में मानवाधिकारों का प्रचार और संरक्षण करना है।
- **उत्पत्ति:** इसका गठन **2006** में किया गया था। इसे **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)**[44] ने ह्यूमन राइट्स कमीशन के स्थान पर UN के **एक सहायक अंग** के रूप में गठित किया था।

[43] East European regional group

[44] UN General Assembly

- **UNHRC** ने संगठन की प्रक्रियाओं और तंत्रों को स्थापित करने के लिए 2007 में एक **'इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज'** को अपनाया था।
- **संस्थागत संरचना:**
  - **ब्यूरो:** इसमें **एक अध्यक्ष और चार उपाध्यक्ष** होते हैं। ये **पांच क्षेत्रीय समूहों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व** करते हैं। यह **परिषद के प्रक्रियात्मक और संगठनात्मक नेतृत्व के लिए जिम्मेदार** है।
  - **वर्किंग ग्रुप्स:** इसके तहत **परिषद में मानवाधिकार संबंधी मुद्दों का अध्ययन** करने वाले कई कार्य समूह हैं। ये समूह **मानवाधिकार आयोग की विशेष प्रतिवेदक परियोजनाओं**[45] का रख-रखाव करते हैं।

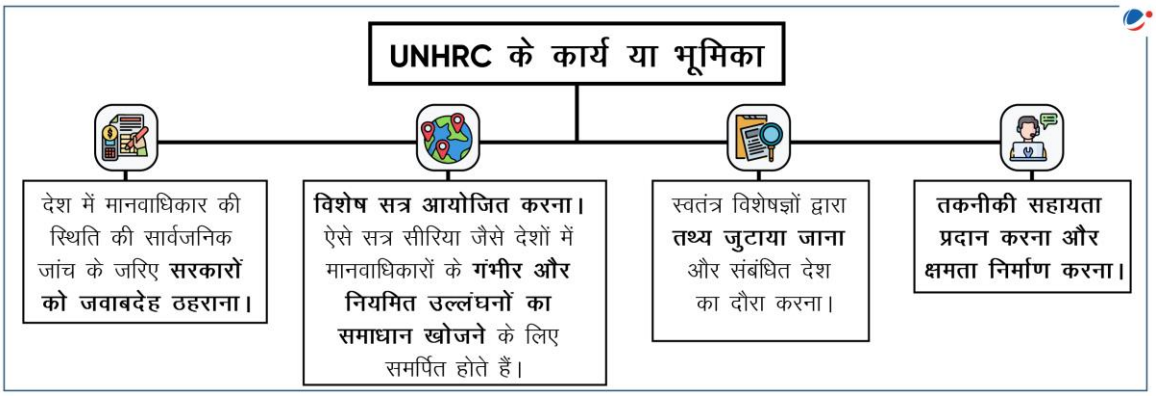

  - **सचिवालय: मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय** (OHCHR)[46] के कर्मचारी सचिवालय के अंग के रूप में कार्य करते हैं। ये परिषद के सदस्यों को तकनीकी, मूलभूत एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं।
    - UN-OHCR का गठन **1993 में UNGA द्वारा किया गया था।** UN-OHCR **सभी लोगों द्वारा मानवाधिकारों का उपयोग किए जाने और उनकी पूर्ण प्राप्ति को बढ़ावा देने व उन्हें संरक्षित करने के लिए** कार्य करता है।
    - संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त, **UN के महासचिव के प्रति जवाबदेह** होता है।
  - **पर्यवेक्षक (Observers):** गैर-सदस्य देश, अंतर-सरकारी संगठन और गैर-सरकारी संगठन।
- **शक्तियां:** यह परिषद **अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग** और **तथ्यों की खोज करने वाले मिशनों**[47] की स्थापना कर सकता है। इनसे मानवाधिकार का उल्लंघन करने वालों को बेनकाब करने, उन्हें न्याय के कटघरे में लाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद मिल सकती है। साथ ही, इससे मामले की सही तरीके से जांच की जा सकती है और उस पर समुचित प्रतिक्रिया दी जा सकती है।
  - परिषद द्वारा लिए गए **निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं** होते हैं।

मानवाधिकार परिषद की आलोचना

- **सदस्यता संबंधी मानदंड:** परिषद की कई सीटें ऐसे देशों के पास हैं जिन पर मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का आरोप है, जैसे - सऊदी अरब, चीन और सीरिया। ऐसे सदस्य देश परिषद में अपनी उपस्थिति का उपयोग **स्वयं के और दूसरे देशों के विरुद्ध होने वाली जांच को रोकने के लिए** करते हैं।
  - ऐसा **बहुत कम हुआ** है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले देशों की **सदस्यता को निलंबित** किया गया हो।
- **कुछ विशेष मुद्दों पर अधिक फोकस और राजनीतिकरण:** 2007 से परिषद में इज़रायल द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन चर्चा का मुख्य विषय रहा है। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि परिषद कुछ खास मुद्दों को अधिक अहमियत देती है और इसकी कार्य-प्रणाली पर सदस्य देशों की राजनीति हावी है।
  - इसके अलावा, परिषद द्वारा किसी देश के लिए विशेष रूप से की जाने वाली मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्टिंग में कमी आ रही है। कई देशों का आरोप है कि परिषद द्वारा विकासशील देशों को गलत तरीके से लक्षित किया जा रहा है।
- **पहुंच संबंधी बाधाएं:** HRC के सत्र में भाग लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कारण ग्लोबल साउथ में मौजूद नागरिक समाज से जुड़े कार्यकर्त्ता एवं मानवाधिकार कार्यकर्त्ता अपने क्षेत्र की समस्याओं से वैश्विक समुदाय को अवगत नहीं करा पाते हैं।
  - परिषद में कई **विशेष समूहों (बच्चे, पीड़ित, संघर्ष में बचे हुए लोग आदि) की भागीदारी या उनकी समस्याओं पर पर्याप्त रूप से ध्यान न दिया जाना** अभी भी चिंता का एक मुख्य विषय है।
- **नागरिक समाज की भागीदारी:** मानवाधिकार रक्षकों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को अक्सर बाधाओं और प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है।

---

[45] Special Rapporteur projects of the Commission on Human Rights

[46] Office of the High Commissioner for Human Rights

[47] Fact-Finding Missions

- इसके अलावा, **UN एन.जी.ओ. कमेटी** पर यह आरोप भी लगते रहते हैं कि वह विश्व के कई **नागरिक समाज संगठनों को मान्यता देने हेतु उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करती** है। इससे इन संगठनों की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है।

- **कार्यान्वयन संबंधी कमियां:**
  - **गैर-बाध्यकारी अनुशंसाएँ:** परिषद की अनुशंसाएँ गैर-बाध्यकारी होने के कारण खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देश **यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (UPR) की सिफारिशों को आसानी से खारिज कर देते** हैं।
    - UPR मानवाधिकार परिषद का एक विशिष्ट तंत्र है। यह संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य देश को हर साढ़े चार साल में अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड का पीयर-रिव्यू करने का आह्वान करता है।
  - **गुटों में मतदान करने की प्रवृत्ति:** इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC)[48] और अफ्रीकी देशों के गुटों की सामूहिक रूप से मतदान करने की प्रवृत्ति प्रत्येक मुद्दे का व्यक्तिगत रूप से समाधान करने की परिषद की क्षमता को कमजोर करती है।

आगे की राह

- **विश्वसनीयता बढ़ाना: उम्मीदवार देशों** और परिषद के सदस्यों के पूरे कार्यकाल के दौरान **उनके मानवाधिकार रिकॉर्ड की गहनता से जांच करने** पर बल दिया जाना चाहिए।
  - परिषद के ऐसे सदस्य राष्ट्र जिन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप है, उन्हें अपनी सदस्यता संबंधी दायित्वों का पालन करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा दी जानी चाहिए। ऐसा न करने पर उनकी सदस्यता को निलंबित किया जाना चाहिए।
- **पहुंच को बढ़ाना:** विश्व के अलग-अलग देशों के अपने नागरिक समाज संगठनों को धन उपलब्ध कराने या तकनीकी सहायता प्रदान करने पर विचार करना चाहिए। इससे उन्हें परिषद में सक्रिय रूप से भाग लेने में मदद मिल सकेगी।
  - परिषद को नागरिक समाज और मानवाधिकार रक्षकों के विरुद्ध **प्रतिशोध, उत्पीड़न और धमकी पर शून्य-सहिष्णुता की नीति** अपनानी चाहिए। इससे मानवाधिकारों की रक्षा में इनकी सहभागिता को और अधिक बढ़ाया जा सकेगा।
- **नागरिक समाज की मान्यता: UN एन.जी.ओ. कमेटी** की मान्यता प्रणाली में बदलाव जरूरी है। मान्यता का काम राजनयिकों के बजाए **योग्य पेशेवरों व विशेषज्ञों** को सौंपा जाना चाहिए।
- **कार्यप्रणाली में प्रभावशीलता को बढ़ाना:**
  - **सक्रिय दृष्टिकोण:** देश के दौरों और परिषद में रिपोर्ट प्रस्तुतियों के बीच के समय को कम करना चाहिए।
    - यदि रिपोर्ट में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के शुरुआती संकेत हैं, तो रिपोर्ट पर तेजी से करवाई की जानी चाहिए। ऐसा एक **अनौपचारिक ब्रीफिंग या तत्काल बहस** के माध्यम से किया जा सकता है, ताकि परिषद इन्हें समय पर रोकने में सक्षम हो सके।
  - **सहयोगात्मक दृष्टिकोण:** संयुक्त राष्ट्र के सभी कार्यों की योजनाओं और वितरण के लिए मानवाधिकार मानकों को केंद्र में रखा जाना चाहिए।
    - **HRC, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)** एवं **क्षेत्रीय मानवाधिकार निकायों** के बीच बेहतर तालमेल को बढ़ावा देने के प्रयास करने चाहिए।
- **पारदर्शिता को बढ़ाना:** स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने वाले हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए परिषद के तंत्र व आउटकम्स के बारे में बेहतर ढंग से बताया जाना चाहिए।

2.6. दक्षिण चीन सागर (South China Sea)

सुर्ख़ियों में क्यों?

फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर के एक विवादित क्षेत्र में **चीन द्वारा लगाए गए फ्लोटिंग बैरियर को हटा दिया** है। चीन ने ये फ्लोटिंग बैरियर्स लगाकर मछली पकड़ने वाली फिलीपींस की नौकाओं को विवादित क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया था।

अन्य संबंधित तथ्य

- इससे पहले **चीन ने स्कारबोरो शोल** में एक लैगून के पास **फ्लोटिंग बैरियर स्थापित** किए थे। चीन ने यह दावा किया था कि यह उसका क्षेत्र है, जबकि **फिलीपींस का दावा है कि यह उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) का हिस्सा** है।

नाइन-डैश लाइन

- यह एक **यू-आकार की रेखा** है। इसे पहली बार **1940 के दशक में चीन द्वारा मानचित्र पर दर्शाया** था। यह रेखा **दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र पर चीन के तथाकथित दावे का प्रतिनिधित्व** करती है। इसके अनुसार, **दक्षिण चीन सागर का लगभग 90% हिस्सा 'नाइन-डैश लाइन' के अंतर्गत** आता है।
- **1952** तक 'नाइन-डैश लाइन' को **'इलेवन डैश लाइन'** के रूप में जाना जाता था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा **टोंकिन की खाड़ी** को इलेवन डैश लाइन के बाहर करने के बाद से इसे 'नाइन-डैश लाइन' के रूप में जाना जाता है।

[48] Organization of the Islamic Conference

दक्षिण चीन सागर में विवाद की पृष्ठभूमि

- दक्षिण चीन सागर चीन की मुख्य भूमि के दक्षिण में अवस्थित है। इस सागर के तटवर्ती देशों में **ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान** और **वियतनाम** शामिल हैं।
- चीन **दक्षिण चीन सागर के लगभग 90% भाग को अपने EEZ का हिस्सा मानता है।** इसमें पारासेल द्वीप, स्प्रैटली द्वीप, प्रतास द्वीप और स्कारबोरो शोल जैसे द्वीपसमूह शामिल हैं। चीन का यह दावा विवादित "नाइन-डैश लाइन" पर आधारित है। चीन ने इसे पहली बार **1947** में जारी किए गए अपने मानचित्र पर दर्शाया था।
    - इस दौरान दक्षिण चीन सागर के अन्य **तटवर्ती देश** भी अपने इतिहास के आधार पर EEZ और समुद्र में मौजूद द्वीपसमूहों पर **अपना अधिकार सुनिश्चित करने के लिए दावा पेश करते रहे हैं।**
- **चीन** ने इस सागर पर अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए पूरे क्षेत्र में **कृत्रिम द्वीपों का निर्माण शुरू कर** दिया है। साथ ही, यहां पर चीन द्वारा बंदरगाहों, सैन्य केंद्रों और हवाई पट्टियों का भी निर्माण किया जा रहा है।
- **फिलीपींस इस मामले को हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय** (PCA)[49] **में भी ले गया था।**
    - न्यायालय ने वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS)[50], 1982 के प्रावधानों के तहत **फिलीपींस के पक्ष में निर्णय सुनाया था।** हालांकि, चीन ने इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया है।

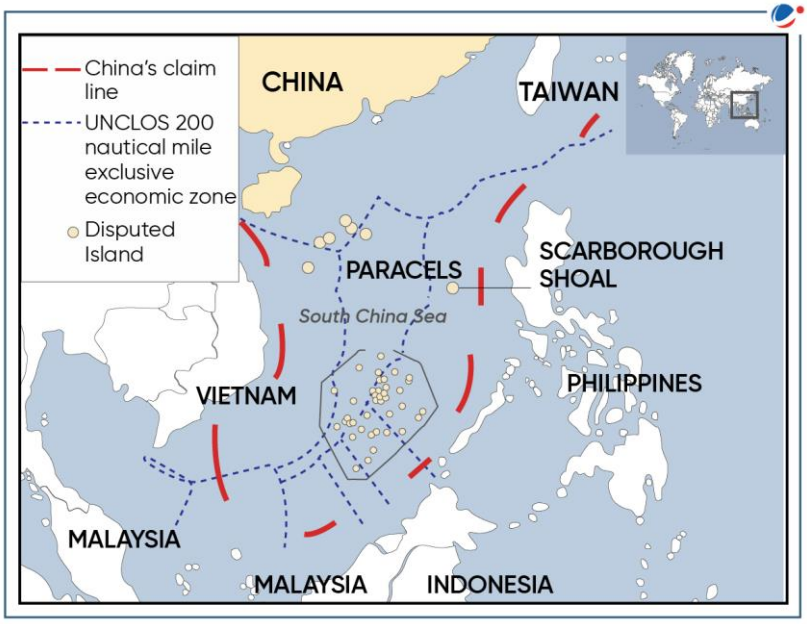

दक्षिण चीन सागर का महत्त्व

- **समुद्री व्यापार:** यह क्षेत्र **दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक** है। **वैश्विक व्यापार का 60% से अधिक हिस्सा इसी क्षेत्र के माध्यम से संपन्न होता** है।
    - वर्ष 2016 में दक्षिण चीन सागर से लगभग **3.37 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार** संपन्न हुआ था।
    - भारतीय जहाज दक्षिण चीन सागर को सुरक्षित रूप से पार करके ही प्रशांत महासागर के तटीय देशों तक पहुंचते हैं।
    - हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ होने वाला **भारत का लगभग 55% व्यापार दक्षिण चीन सागर के माध्यम से ही संपन्न होता** है।
- **प्राकृतिक भंडार:** विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, कोरल लाइम, उच्च सिलिकेट युक्त रेत, उच्च गुणवत्ता वाले रत्न एवं प्राकृतिक मोती के विशाल भंडार मौजूद हैं।
    - **ONGC विदेश लिमिटेड (ONGC-VL)** वियतनाम की **पेट्रोवियतनाम कंपनी** के साथ मिलकर इस क्षेत्र में तेल के भंडार की खोज कर रही है। यह भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है।
- **मछली पकड़ने का प्रमुख स्थान:** दक्षिण चीन सागर का जल **पूरे वर्ष गर्म बना रहता है।** इस कारण इस क्षेत्र को व्यावसायिक रूप से मछली पकड़ने वाले विश्व के प्रमुख क्षेत्रों में से एक माना जाता है।
- **असंख्य निर्जन द्वीप:** इस क्षेत्र में **कई निर्जन द्वीप** अवस्थित हैं, जिनका उपयोग बंदरगाहों, सैन्य ठिकानों, अनुसंधान संबंधी कार्य आदि के लिए भी किया जा सकता है।

[49] Permanent Court of Arbitration

[50] United Nations Convention on Law of the Seas

- **नौवहन या नौसंचालन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation):** चीन के दावों को स्वीकार करने से इस क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। यह **दुनिया के अन्य हिस्सों में भी ऐसे दावों के लिए एक गलत मिसाल पेश कर सकती** है।
- **एक्ट ईस्ट पॉलिसी:** इस क्षेत्र में जिन देशों के साथ चीन का विवाद या मतभेद हैं, उनमें से अधिकतर आसियान समूह के सदस्य हैं। आसियान समूह के इन देशों के साथ भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं।

आगे की राह

- **इस क्षेत्र के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना:** 2018 से रुकी हुई कोड ऑफ कंडक्ट वार्ता प्रक्रिया को पुनः शुरू करके इस क्षेत्र के लिए एक आचरण संहिता तैयार की जानी चाहिए।
- **संधारणीय मत्स्यन:** इस क्षेत्र में अनियंत्रित रूप से मछली पकड़ने संबंधी गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। साथ ही, सभी तटवर्ती देशों को सामूहिक रूप से मछली पकड़ने के लिए संधारणीय तरीकों को अपनाना चाहिए।
- **ट्रांस बाउंड्री मैरीटाइम पीस पार्क (MPP) की स्थापना:** इज़रायल और जॉर्डन के बीच स्थापित 'लाल सागर MPP[51]' की तरह इस क्षेत्र में भी एक MPP की स्थापना की जानी चाहिए। गौरतलब है कि MPPs को देशों के बीच सहयोग और शांति को बढ़ावा देने और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए स्थापित किया जाता है।
- **नए कृत्रिम द्वीपों के निर्माण को रोकना:** नए कृत्रिम द्वीपों के निर्माण पर रोक लगाने की आवश्यकता है। कृत्रिम द्वीपों के निर्माण से समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचता है।
- **समुद्री मार्ग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना:** इस क्षेत्र से गुजरने वाले सभी नागरिक और व्यापारिक जहाजों के बाधारहित आवागमन की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

2.7. नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र (Nagorno-Karabakh Region)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अजरबैजान ने नागोर्नो-काराबाख में **"आतंकवाद-रोधी"** एक सैन्य अभियान शुरू कर इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने का दावा किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इससे पहले दिसंबर, 2022 में अजरबैजान ने **लाचिन कॉरिडोर** को बंद कर दिया था। इससे नागोर्नो-काराबाख में खाद्य पदार्थ, ईंधन और पीने के पानी सहित आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई थी।
  - **लाचिन कॉरिडोर** 5 किलोमीटर लंबा एक गलियारा है। यह नागोर्नो-काराबाख कॉन्क्लेव को आर्मेनिया से जोड़ता है।

नागोर्नो-काराबाख कॉन्क्लेव के बारे में

- नागोर्नो-काराबाख एक **पर्वतीय क्षेत्र** है। इस क्षेत्र पर आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों देश अपना-अपना दावा करते हैं।
- हालांकि, इस क्षेत्र की **1.2 लाख आबादी** मुख्यतः आर्मेनियाई मूल की है। यहां के आर्मेनियाई मूल के लोगों का आर्मेनिया के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संबंध है।
- **संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**
  - इस क्षेत्र में मध्ययुगीन काल से ही क्षेत्रीय शक्तियों के बीच **प्रभुत्व को लेकर संघर्ष** होता रहा है। इन क्षेत्रीय शक्तियों में शामिल हैं- **साम्राज्यवादी रूस, ऑटोमन साम्राज्य (आधुनिक तुर्की) और फारसी साम्राज्य (ईरान)।**
  - **सोवियत संघ का युग:**
    - 1921 में जब **जारशाही शासन काल में रूस** सोवियत संघ में परिवर्तित हुआ, तब उस समय नागोर्नो-काराबाख **अजरबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक (SSR)** का हिस्सा था।

[51] Red Sea MPP

- 1923 में, सोवियत संघ (USSR) ने अजरबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के भीतर **नागोर्नो-काराबाख ऑटोनोमस ओब्लास्ट (प्रांत)** की स्थापना की।
- **1991** में सोवियत संघ का विघटन होने के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान ने स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा हासिल कर लिया एवं **नागोर्नो-काराबाख ने भी आधिकारिक रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी।**

- **आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध:**
  - **प्रथम युद्ध:** नागोर्नो-कराबाख पर **तनाव का पहला दौर 1988** में शुरू हुआ। जब इसकी **क्षेत्रीय विधायिका ने एक प्रस्ताव पारित करके** भौगोलिक रूप से अजरबैजान के भीतर स्थित होने के बावजूद **आर्मेनिया में शामिल होने के अपने इरादे की घोषणा** कर दी।
    - 1994 में, **रूस** की मध्यस्थता से इस क्षेत्र में युद्ध विराम लागू हुआ। इसे **बिश्केक प्रोटोकॉल** के नाम से जाना जाता है।
    - इस प्रोटोकॉल के तहत **स्टेपानाकर्ट** में एक स्व-घोषित सरकार के गठन के बाद **नागोर्नो-काराबाख को वास्तव में स्वतंत्रता** प्रदान कर दी गई।
  - **द्वितीय युद्ध:** यह 2020 में शुरू हुआ था। इसमें अजरबैजान ने नागोर्नो-काराबाख के आस-पास के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था।
    - एक बार फिर से रूस की मध्यस्थता में एक समझौता हुआ। हालांकि,अजरबैजान द्वारा और अधिक रियायत की मांग किए जाने के कारण कोई शांति समझौता नहीं हो पाया।

भारत का स्टैंड

- 2020 में, संघर्ष शुरू होने के बाद से ही, भारत का मत है कि संघर्ष का स्थायी समाधान केवल **राजनयिक वार्ता** के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से ही निकाला जा सकता है।

इस क्षेत्र में भारत के हित

- **कनेक्टिविटी:** आर्मेनिया **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC)**[52] में एक प्रमुख भागीदार देश है।
- **भू-राजनीतिक हित:** 2017 में तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान ने सुरक्षा सहयोग स्थापित किया था।
- **व्यापार:** भारत का **आर्मेनिया** के साथ व्यापार 2022-2023 में **134.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर** है, जबकि भारत का **अजरबैजान** के साथ व्यापार **2022-23 में 1.882 बिलियन अमेरिकी डॉलर** है।

- **इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए की गई पहलें:**
  - **मिन्स्क समूह: OSCE**[53] ने 1990 के दशक की शुरुआत में **मिन्स्क समूह** का गठन किया था। इसे रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस की सह-अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसका उद्देश्य नागोर्नो-काराबाख के लिए एक शांतिपूर्ण समाधान खोजना है।
    - **मिन्स्क समूह द्वारा प्रस्तुत मैड्रिड सिद्धांत** के तहत सुझाव दिया गया है कि अजरबैजान को काराबाख के सात जिलों पर नियंत्रण दिया जाए और इस क्षेत्र को स्वशासन प्रदान किया जाए, आदि।
    - हालांकि, **2011** में मैड्रिड सिद्धांत में संशोधन के बाद भी इसे स्वीकार नहीं किया गया।

निष्कर्ष

विवादों के समाधान के लिए राजनयिक वार्ता एक प्रभावी तरीका हो सकता है। मिन्स्क समूह भारत-बांग्लादेश एन्क्लेव एक्सचेंज 2015 से सीख ले सकता है, ताकि विवाद को हल करने और क्षेत्र में स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए कुछ ठोस कदम सुझाए जा सके।

2.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

2.8.1. भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रुपे डोमेस्टिक कार्ड स्कीम (DCS) समझौते पर हस्ताक्षर किए {India Uae Sign Rupay Domestic Card Scheme (DCS) Agreement}

- **NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL)** और **अल इत्तेहाद पेमेंट्स (AEP)** ने **संयुक्त अरब अमीरात में DCS के कार्यान्वयन** के लिए एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
  - NIPL, **नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)** की **पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी** है।
  - NIPL **अन्य देशों** को **लागत प्रभावी** और **सुरक्षित भुगतान प्रणाली स्थापित करने में सहायता** प्रदान करता है।
- इस साझेदारी से **भुगतान के विकल्पों में विविधता लाने, लेन-देन की लागत को कम करने** और भुगतान व्यवसाय के मामले में वैश्विक स्तर पर **संयुक्त अरब अमीरात** की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
  - संयुक्त अरब अमीरात के DCS का लक्ष्य **ई-कॉमर्स** और **डिजिटल लेन-देन के विकास** में तेजी लाना तथा **वित्तीय समावेशन** को बढ़ावा देना है। साथ ही, यह संयुक्त अरब अमीरात के महत्वाकांक्षी **डिजिटलीकरण एजेंडे** के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद करेगा।
  - NIPL द्वारा प्रदान किए गए DCS का प्रयोग **रुपे स्टैक** के रूप में किया जा सकता है। साथ ही, इसका प्रयोग **धोखाधड़ी की**

[52] International North-South Transportation Corridor

[53] Organisation for Security and Cooperation in Europe/ यूरोप के सुरक्षा और सहयोग हेतु संगठन

निगरानी करने और उनका विश्लेषण करने जैसी मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए एक साधन के रूप में भी किया जा सकता है।

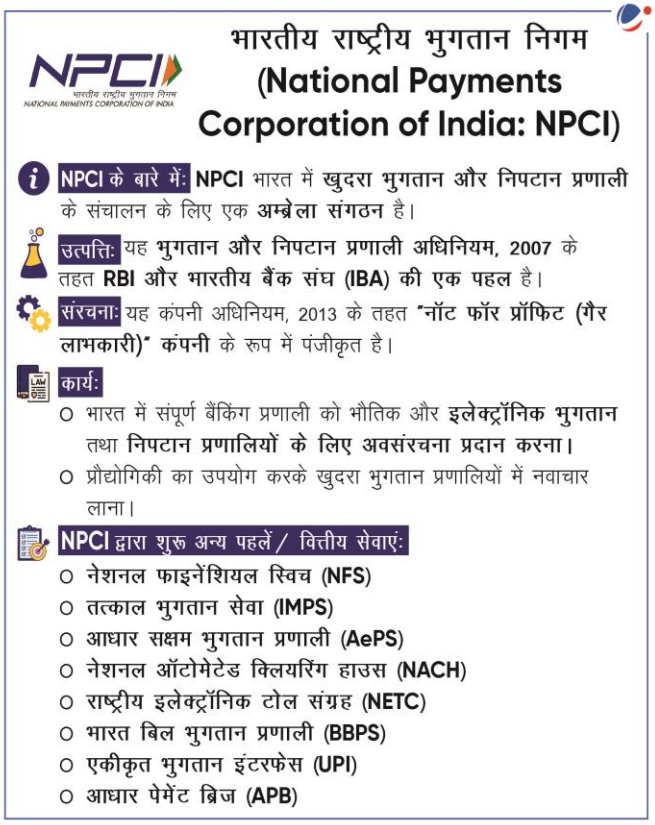

- **रुपे (RuPay) कार्ड के बारे में:**
  - **रुपे कार्ड भारत का स्वदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क है। इसे NPCI द्वारा विकसित किया गया है।**
  - **यह डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड जैसी सेवाएं प्रदान करता हैं।**
  - भारत में जारी किए गए **कुल कार्ड्स में इसकी हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से अधिक** है।
  - इसे **सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की सहायता से जारी** किया जाता है।

2.8.2. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC)

- **आर्मेनिया** की संसद ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया है।

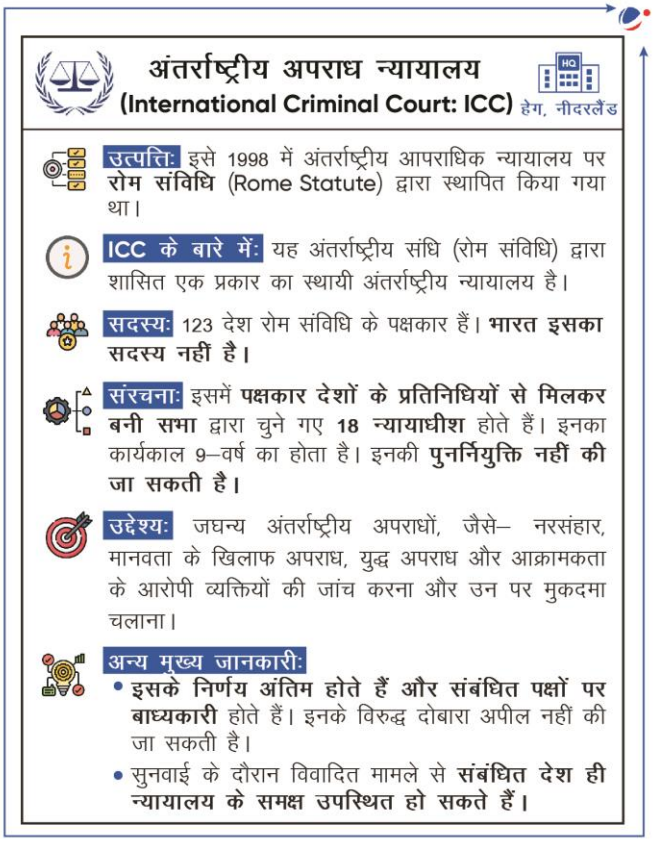

2.8.3. व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty: CTBT)

- **रूस ने CTBT** के अपने अनुसमर्थन (Ratification) को रद्द करने का संकेत दिया है। रूस का तर्क है कि CTBT के अनुसमर्थन से पीछे हटने का उद्देश्य रूस को USA के साथ 'समान स्तर' पर लाना है। दरअसल **USA ने इस समझौते पर हस्ताक्षर तो किए हैं लेकिन अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया है।**
  - USA का कहना है कि CTBT के भागीदार देश इस संधि के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करना कठिन है। इसी कारण से **USA ने इसका अनुसमर्थन नहीं किया है।**
- गौरतलब है कि CTBT एक बहुपक्षीय संधि है जो दुनिया में कहीं भी और किसी भी तरह के **परमाणु हथियारों के परीक्षण** या किसी अन्य प्रकार के परमाणु विस्फोट पर रोक लगाती है।
  - इसके तहत **सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध** लगाया गया है, चाहे वे **सैन्य या शांतिपूर्ण उद्देश्य** से किए गए हों।
- यह संधि सितंबर, 1996 में हस्ताक्षर के लिए रखी गई थी। अब तक इस पर **187 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और 178 देशों ने इसका अनुसमर्थन** किया है।

- यह संधि तब तक औपचारिक रूप से लागू नहीं हो सकती, जब तक **44 विशिष्ट देशों द्वारा इसका अनुसमर्थन नहीं** कर दिया जाता है। इनमें से आठ देशों ने अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। ये हैं- **चीन, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इज़रायल, ईरान, मिस्र** और **संयुक्त राज्य अमेरिका।**

- **भारत द्वारा CTBT पर हस्ताक्षर और इसका अनुसमर्थन न करने के कारण:**
  - **CTBT** में **पूर्ण निरस्त्रीकरण पर जोर नहीं** दिया गया है।
  - **CTBT** के एक पक्षकार के रूप में, भारत को परमाणु हथियारों के परीक्षण और विकास से प्रतिबंधित किया जाएगा। दूसरी ओर, चीन NPT के अनुसार, अपने परमाणु शस्त्रागार को बनाए रख सकता है। इस प्रकार यह एक भेदभावपूर्ण संधि है।

2.8.4. अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention Against Transnational Organised Crimes: UNTOC)

- UNTOC की 20वीं वर्षगांठ इटली में मनाई गई। **अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध** को ऐसी अवैध गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्हें **दो या दो से अधिक देशों में समूहों या नेटवर्क** द्वारा मिलकर संचालित किया जाता है। इसमें **वित्तीय या भौतिक लाभ के लिए हिंसा, भ्रष्टाचार** आदि का सहारा लिया जाता है।
- UNTOC को **संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2000** अपनाया था। इसे **2003** में लागू किया गया था।
  - यह अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए **कानूनी रूप से बाध्यकारी पहला व्यापक और वैश्विक साधन** है।

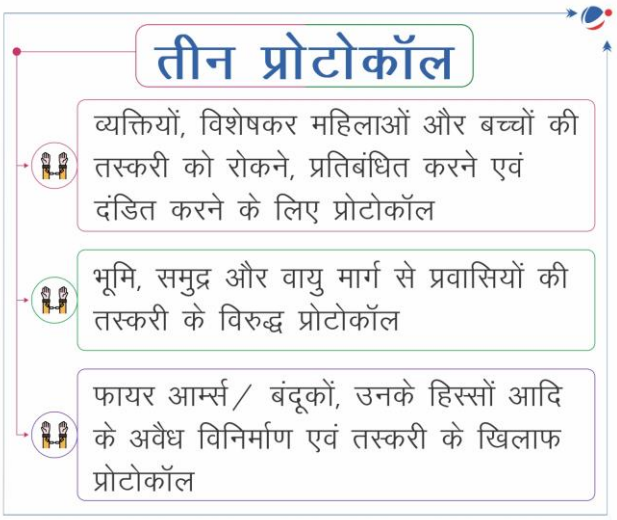

- **इस अभिसमय के पूरक के रूप में तीन प्रोटोकॉल हैं:**
- इनमें से किसी भी प्रोटोकॉल में पक्षकार बनने से पहले देशों को स्वयं अभिसमय में पक्षकार बनना होगा।
- **सदस्य:** हस्ताक्षरकर्ता 147 और पक्षकार 191 देश। भारत ने **2011** में इसकी अभिपुष्टि की थी।
- **भारत द्वारा की गई पहलें**
  - **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)** अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को दर्ज करने और प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल प्राधिकरण है।
  - **आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013** पारित किया गया है। इसमें विशेष रूप से **मानव तस्करी को परिभाषित** किया गया है।

2.8.5. एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (Asia-Pacific Institute For Broadcasting Development: AIBD)

- भारत को **लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष** चुना गया है।
- AIBD की स्थापना 1977 में **संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)** के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर (मलेशिया) में है।
  - अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) भी इसके संस्थापक संगठन हैं।
- इसमें **भारत सहित 26 सदस्य देश** हैं। **इनका प्रतिनिधित्व** इन देशों के **48 प्रसारण प्राधिकरण** करते हैं।
- इसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक **जीवंत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परिवेश** का निर्माण करना है।
- **AIBD के कार्य:**
  - मीडिया और संचार विकास के लिए **अंतर-क्षेत्रीय संबंध व सहयोग** स्थापित करना, और
  - **क्षेत्रीय प्रोग्रामिंग के विकास के लिए एक थिंक-टैंक के रूप में कार्य करना।**

2.8.6. हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association: IORA)

- **IORA-विदेश मंत्रियों की परिषद (CoM) की बैठक कोलंबो (श्रीलंका) में आयोजित हुई।**
- **बैठक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य:**
  - बैठक की थीम थी- **'क्षेत्रीय संरचना को मजबूत करना: हिंद महासागर की पहचान को सुदृढ़ करना (Strengthening Regional Architecture: Reinforcing Indian Ocean Identity)।'**
  - **'कोलंबो विज्ञप्ति'** और **'IORA विज़न 2030 एंड बियॉण्ड'** दस्तावेज को अपनाया गया।
  - **सऊदी अरब** का **11वें डायलॉग पार्टनर** के रूप में औपचारिक स्वागत किया गया।
  - **श्रीलंका वर्ष 2023-2025** के लिए **IORA की अध्यक्षता** करेगा। इसके पहले **बांग्लादेश IORA का अध्यक्ष** था।
    - **भारत** वर्ष 2025-2027 के दौरान अध्यक्ष होगा।
- **IORA के बारे में:**
  - यह **1997** में गठित एक **अंतर-सरकारी संगठन** है। यह संगठन **नेल्सन मंडेला के विज़न** पर आधारित है।
  - इसका उद्देश्य **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के भीतर क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत** करना है।
  - हिंद महासागर क्षेत्र के **23 देश इस संगठन के सदस्य** हैं।
  - **CoM** इस संगठन का **सर्वोच्च निकाय** है। इसकी **बैठक प्रतिवर्ष** होती है।
  - IOR ने **क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले छह क्षेत्रकों तथा सभी क्षेत्रकों से परस्पर संबद्ध 2 मुद्दों** की पहचान की है। इन मुद्दों में शामिल हैं- **नीली अर्थव्यवस्था और महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण।**
  - **छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों में शामिल हैं-** शैक्षणिक जगत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; मत्स्य पालन प्रबंधन; पर्यटन व सांस्कृतिक आदान-प्रदान; आपदा जोखिम प्रबंधन; समुद्री सुरक्षा और रक्षा तथा व्यापार एवं निवेश सुविधा।
  - इस संगठन की **'विशेष निधि'** विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों का समर्थन करती है।
  - **'हिंद-प्रशांत पर IORA का आउटलुक' 1982 के समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) तथा अन्य प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संधियों का पालन** करने का आह्वान करता है।
  - **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में शामिल हैं:**
    - **विश्व की जनसंख्या का 1/3 भाग** इस क्षेत्र में निवास करता है।
    - **वैश्विक तेल व्यापार का 80%** हिंद महासागर क्षेत्र से होकर गुजरता है।
    - इस क्षेत्र में लगभग **1 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन** होता है।
    - IORA सदस्य देशों के बीच लगभग **800 बिलियन डॉलर** का व्यापार होता है।
- **भारत के लिए IORA का महत्त्व:**
  - यह संगठन **चीन सहित विश्व की बड़ी शक्तियों को हिंद महासागर क्षेत्र में प्रतिद्वंद्विता से दूर रखने** का एक माध्यम है।
  - चूंकि पाकिस्तान इस संगठन का सदस्य नहीं है, इसलिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के समक्ष बाधा उत्पन्न होने की बहुत कम संभावना है।

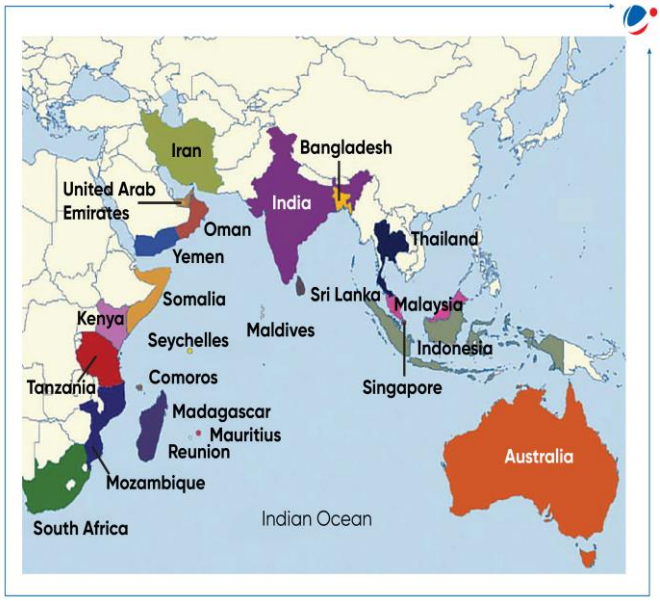

2.8.7. अंतर-संसदीय मंच (Inter-Parliamentary Forum: IPU)

- **भारतीय संसद ने नई दिल्ली में नौवें P20 शिखर सम्मेलन** की मेजबानी की। इसकी मेजबानी IPU के सहयोग से की गई है।
    - P20 शिखर सम्मेलन वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने वाले **G-20 देशों की संसद के अध्यक्षों (स्पीकर्स)** की एक वार्षिक सभा है।

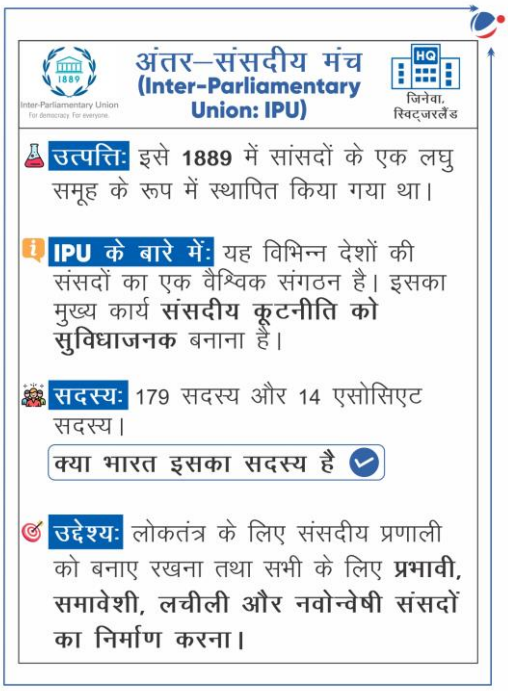

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

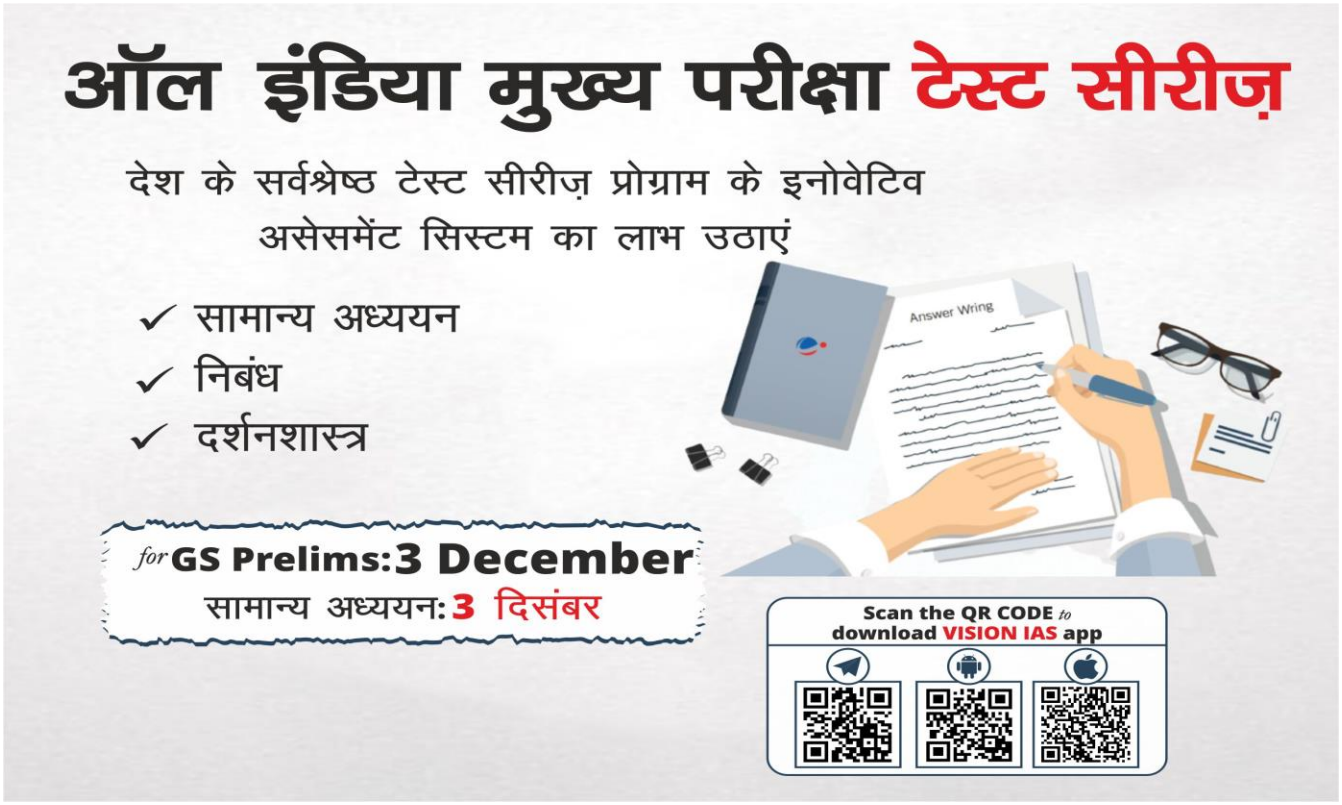

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. एम.एस. स्वामीनाथन का योगदान (Contributions of M. S. Swaminathan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक **मनकोम्बु संबासिवन स्वामीनाथन** का निधन हो गया। वे **एम.एस. स्वामीनाथन** के नाम से लोकप्रिय थे।

एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में

- वह पादप आनुवंशिकीविद् (Plant geneticist) थे। उन्हें भारत में **"हरित क्रांति का जनक"** और **"हरित क्रांति का प्रमुख वास्तुकार"** माना जाता है। उन्हें "**किसान वैज्ञानिक"** भी कहा जाता है।
- भारत की हरित क्रांति का नेतृत्व करने के लिए उन्हें **1987** में **पहला विश्व खाद्य पुरस्कार** दिया गया था।
- उन्हें **पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार** सहित कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

एम.एस. स्वामीनाथन का विज्ञान संबंधी योगदान

- **आनुवंशिक शोध (Genetic Research):** उन्होंने **ब्रीडिंग कार्यक्रमों** के तहत फसल की ऐसी **किस्में विकसित करने पर शोध किया** जो **न केवल अधिक उपज देने वाली** बल्कि **कीट और रोग प्रतिरोधी** भी हों।
  - उनके शोध से **फसल की कई ऐसी नई किस्मों का विकास** संभव हुआ जो भारतीय जलवायु और कृषि परिस्थितियों के अधिक अनुकूल हैं।
- **धान की किस्में (Rice varieties):** ओडिशा के कटक स्थित **केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (CRRI)**[54] में श्री स्वामीनाथन ने **इंडिका-जपोनिका राइस हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम** से जुड़े शोधों में अपना योगदान दिया। इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने **उर्वरकों के कुशल उपयोग, अधिक उपज वाली** और **छोटे कद वाली** धान की किस्मों को विकसित करने पर शोध किया। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय रूप से उपलब्ध, अधिक ऊंचाई वाली और कम उपज वाली धान की किस्मों की खेती की जगह इन नई किस्मों की खेती को बढ़ावा देना था।
  - इस शोध कार्यक्रम के परिणामस्वरूप **ADT27** और **RASI** जैसी किस्में विकसित की गईं। इस परियोजना के तहत विकसित किस्मों ने **भारत में हरित क्रांति लाने में प्रत्यक्ष योगदान** दिया।
  - उनके मार्गदर्शन में, वैज्ञानिकों ने जीनोम अनुक्रण के जरिए लवणता को सहने में सक्षम **'एविसेनिया मरीना (Avicennia marina)'** नामक एक मैंग्रोव प्रजाति के जीन का पता लगाया। अनुवांशिक संशोधन की सहायता से धान में इस जीन को सफलतापूर्वक शामिल करके लवणीय दशाओं में भी उगने में सक्षम धान की किस्म तैयार की जा सकेगी।
  - उन्होंने **राइस ब्रीडिंग प्रोग्राम** आरंभ किया। इसके तहत बासमती चावल की किस्मों में ऐसे गुण स्थानांतरित किए गए जिसके धान की बालियों से लदे तने नीचे झुककर जमीन पर न गिरें। इस प्रोग्राम के परिणामस्वरूप हमें **पूसा बासमती** किस्म प्राप्त हुई।
- **गेहूं की किस्में (Wheat varieties):** स्वामीनाथन ने बाद में अपना ध्यान धान की किस्मों के विकास से हटाकर गेहूं की किस्मों के विकास पर केंद्रित किया। उस समय, **गेहूं की सभी स्थानीय किस्में लंबे तने** वाली होती थीं। ये लंबे तने **दानों से भरी बालियों के भार** के कारण झुक जाते थे या जमीन पर गिर जाते थे।
  - उस समय उगाई जाने वाली किसी भी किस्म में ऐसा **कोई 'जीन' उपलब्ध नहीं था,** जिससे उपज को कम किए बिना **फसलों की ऊंचाई को कम रखा जा सके।**
  - **नॉर्मन बोरलॉग** ने **नोरिन जीन** युक्त **मैक्सिकन गेहूं की नई व बौनी किस्म** विकसित की थी। नॉर्मन बोरलॉग अमेरिकी कृषि-वैज्ञानिक थे। वे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक भी थे।
  - डॉ. स्वामीनाथन ने **मैक्सिकन गेहूं की इन बौनी किस्मों की क्षमता** को पहचाना। यह रोग-प्रतिरोधी और अधिक उपज देने वाली किस्म थी।

[54] Central Rice Research Institute

- **डॉ. स्वामीनाथन ने बोरलॉग की मदद से** और गेहूं की इन किस्मों पर अतिरिक्त शोध के बाद, **'सोनालिका'** और **'कल्याण सोना'** जैसी किस्मों को विकसित किया।

- **आलू की संकर किस्म (Potato hybrid):** उन्होंने आलू की **शीत प्रतिरोधी** किस्म **'अलास्का फ्रॉस्टलेस (Alaska Frostless)'** विकसित की।
- **पादप किस्म का सहभागी विकास (Participatory Breeding):** उन्होंने **पादप किस्म के सहभागी विकास** को बढ़ावा दिया। इसके तहत **किसानों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्मों को विकसित करने के लिए सहायता** दी जाती है।

आर्थिक-पारिस्थितिकी (Economic Ecology) में योगदान

कृषि में "सदाबहार क्रांति" रूपी आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण उन्हें UNEP[55] ने **"आर्थिक-पारिस्थितिकी के जनक[56]"** के रूप में सम्मानित किया।

- **सदाबहार क्रांति (Evergreen Revolution):** उन्होंने अपने प्रयासों को **"सदाबहार" क्रांति** लाने पर केंद्रित किया। इस क्रांति को उन्होंने **"पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाए बिना हमेशा के लिए उत्पादकता में सुधार"** के रूप में परिभाषित किया।
- **तरीका:** यह कृषि की अलग-अलग पद्धतियों के उचित मिश्रण पर आधारित है। इन पद्धतियों में शामिल हैं- **जैविक कृषि, हरित कृषि, पर्यावरण अनुकूल कृषि** और **प्रभावी सूक्ष्मजीवों पर आधारित कृषि।**
  - उन्होंने पारिस्थितिक रूप से संधारणीय कृषि प्रौद्योगिकियों को सहज रूप से उपलब्ध कराने के लिए **"डू-इकोलॉजी"** तरीके की वकालत की।
  - उन्होंने कृषि गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए **4C** का प्रस्ताव दिया। ये **4C** हैं- **संरक्षण** (Conservation), **खेती** (Cultivation), **उपभोग** (Consumption) और **व्यावसायीकरण** (Commercialization)।
- **प्रौद्योगिकी को अपनाना:** उन्होंने हमेशा अग्रणी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने और पारिस्थितिकी संरक्षण की हमारी समृद्ध विरासत के साथ इन्हें मिलाने की वकालत की।
  - उन्होंने कई नए तरीकों से **संधारणीय कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया।** इन नए तरीकों में शामिल हैं: **पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकी आधारित जैव ग्राम[57]** तथा **आधुनिक सूचना एवं संचार आधारित ग्राम ज्ञान केंद्रों** (VKCs)[58] का विकास।

एम.एस. स्वामीनाथन का नीतिगत और संस्थागत योगदान तथा वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता

- **राष्ट्रीय किसान आयोग (National Commission on Farmers: NCF):** NCF का गठन श्री स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था।
  - NCF ने कई सिफारिशें कीं। इनमें से एक है- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)[59] को **उत्पादन की भारित औसत लागत से कम-से-कम 50% अधिक** होना चाहिए।
  - NCF ने **ग्राम ज्ञान केंद्रों (VKCs) के गठन, संरक्षण खेती (Conservation Farming) को बढ़ावा, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, ऋण प्रणाली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार** की भी सिफारिशें की।
- **एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF):** उन्होंने विश्व खाद्य पुरस्कार से प्राप्त धनराशि से 1988 में चेन्नई में एक **अनुसंधान केंद्र** की स्थापना की। इस केंद्र को **एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF)** नाम दिया गया।
- **पौधों की किस्मों का संरक्षण:** उन्होंने **'पौधा या पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम[60], 2001'** को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत ने यह कानून TRIPS[61] समझौते के तहत पौधों की किस्मों को सुरक्षा प्रदान करने के अपने दायित्व के तहत बनाया था।
- **खाद्य सुरक्षा:** उन्होंने खेती के साथ पोषण को एकीकृत करने के लिए **दो कदम सुझाए:**
  - **बायोफोर्टिफाइड पौधों का एक आनुवंशिक उद्यान स्थापित करना:** ये उद्यान किसानों को ऐसे पौधों से परिचित कराने के लिए स्थापित किए जाने थे जो पौधों को आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व और प्रोटीन प्रदान कर सकते हैं।
  - **'कम्युनिटी हंगर फाइटर्स' तैयार करना:** ये फाइटर्स अपने क्षेत्र की कुपोषण से संबंधित समस्याओं तथा उन्हें दूर करने के तरीकों से भी अच्छी तरह परिचित होंगे।

---

[55] United Nations Environment Programme/ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

[56] Father of Economic Ecology

[57] Ecotechnologybased biovillages

[58] Village Knowledge Centres

[59] Minimum Support Price

[60] Protection of Plant Varieties and Farmer's Right Act

[61] Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/ बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू

- **आपदा प्रबंधन:** उन्होंने **"सूखा से संबंधित कोड (Drought code)", "बाढ़ से संबंधित कोड (Flood code)" और "अच्छे मौसम से संबंधित कोड (Good weather code)"** की अवधारणाओं को अपनाने की वकालत की। ये कोड सूखा, बाढ़ या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में किए जाने वाले उपायों का वर्णन करते हैं।
- **अनुसंधान संस्थान:** उन्होंने **कई संस्थानों की स्थापना में मदद की।** ये संस्थान निम्नलिखित हैं:
  - अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT)[62], पटानचेरु (हैदराबाद के निकट);
  - इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज (IBPGR), रोम;
    - IBPGR को अब **"बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल"** के रूप में जाना जाता है।
  - इंटरनेशनल कॉउन्सिल फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री (ICRAF), नैरोबी;
  - इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी (ICGEB), नई दिल्ली।
- **पंचवर्षीय योजनाएं:** उन्होंने **छठी पंचवर्षीय योजना (1980-1985)** को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी सहायता से इस पंचवर्षीय योजना में पहली बार **दो नए अध्याय जोड़े गए।** ये अध्याय हैं- **'महिला एवं विकास'** तथा **'पर्यावरण एवं विकास'।**
- **यू.एन. मिलेनियम प्रोजेक्ट:** उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम प्रोजेक्ट की **सह-अध्यक्षता** भी की। इस प्रोजेक्ट ने 2005 की शुरुआत में गरीबी, भुखमरी, बीमारी, निरक्षरता, पर्यावरणीय क्षरण और महिलाओं के प्रति भेदभाव को कम करने के लिए **स्पष्ट लक्ष्य और एक व्यावहारिक योजना** विकसित की थी। इन लक्ष्यों को आने वाले दशक में प्राप्त किया जाना था।

निष्कर्ष

एम.एस. स्वामीनाथन आजीवन किसानों के हितों की वकालत करते रहे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कृषि से जुड़े वैज्ञानिक नवाचार का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, संधारणीयता और समृद्धि को बढ़ावा मिल सके। भारतीय कृषि के लिए **उनके विचार, अनुसंधान और पद्धति** अभी भी नीति-निर्माताओं को **एक मजबूत, आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।**

3.2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research: ICAR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी- **अनुसंधान से प्रभाव तक: न्यायसंगत और अनुकूल कृषि-खाद्य प्रणालियों की ओर[63]।** सम्मेलन का आयोजन **ICAR[64]** और **CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म[65]** ने संयुक्त रूप से किया था।

बेहतर और अनुकूल कृषि-खाद्य प्रणालियों के लिए ICAR की भूमिका

- **फसल की किस्में:** ICAR ने **अधिक उपज देने वाली** अलग-अलग फसलों की **नई किस्मों** को विकसित करके **हरित क्रांति** लाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

[62] International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics

[63] From Research to Impact: Towards Just and Resilient Agri-food Systems

[64] Indian Council of Agricultural Research/ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

[65] Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR यानी अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सलाहकार समूह) GENDER Impact Platform

- **धान की किस्में,** जैसे- जया, स्वर्णा, पूसा बासमती 1121 आदि;
  - **जया:** यह भारत में जारी की गई धान की पहली संकर किस्म है।
  - **पूसा बासमती 1121:** इसमें विश्व की धान की सभी किस्मों में सबसे लंबा दाना निकलता है अर्थात् चावल का दाना लंबा होता है।
- **गेहूं की किस्में,** जैसे- HD 2967, DBW 187, HD 3086 आदि;
- **फलों की किस्में,** जैसे- आम्रपाली, भगवा अनार आदि।

- **बीज कार्यक्रम:** ICAR ने बीजों को सेफ्टी डुप्लीकेट्स के रूप में सुरक्षित रखने के लिए उन्हें **स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट** में जमा किया है।
  - **सेफ्टी डुप्लीकेट** में किसी सामग्री का **डुप्लीकेट और उससे संबंधित जानकारी** दोनों शामिल होते हैं।
- **जीनोमिक्स:** ICAR ने **नई दिल्ली** में **राष्ट्रीय जीन बैंक** स्थापित करने में मदद की है। यह **विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक** है। इसमें **4.52 लाख से अधिक देशी और विदेशी फसल प्रजातियों के बीजों/ किस्मों को संरक्षित करने की सुविधा** मौजूद है। साथ ही इस जीन बैंक में एक बड़ा **क्रायोप्रिजर्वेशन बैंक** भी है।
  - ICAR ने वैश्विक स्तर पर **धान, गेहूं, टमाटर और आलू** के **जीनोम अनुक्रमण**[66] में भागीदारी की है। इसके अतिरिक्त इसने अपने स्तर पर **अरहर, जूट, आम और मछलियों के जीनोम** को भी अनुक्रमित किया है।
- **एकीकृत कृषि:** ICAR ने एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया है। इससे **अपशिष्ट पुनर्चक्रण, जलवायु अनुकूलन और जोखिम न्यूनीकरण** में मदद मिली है।
  - **कृषि-बागवानी, एग्री-सिल्वी और सिल्वीपास्टोरल प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए कृषि-वानिकी के मॉडल्स** विकसित किए हैं। इससे किसानों की आय में वृद्धि की जा सकेगी।
    - **एग्री-सिल्वी (Agri-silvi)** के तहत वानिकी और खाद्य फसलों की खेती तथा वृक्षों के बीच उपलब्ध स्थान पर चारा या फसलें उगाई जाती हैं।
    - **सिल्वीपास्टोरल (Silvipastoral)** के तहत एक ही भूमि पर वानिकी के साथ-साथ पशुधन के लिए चारा भी उगाया जाता है।
  - इसने क्षेत्रीय स्तर संतति (Progeny) परीक्षण और चयन के जरिए स्वदेशी नस्ल के मवेशियों की उत्पादकता में सुधार करने में सहायता प्रदान की है। इस तरह के स्वदेशी नस्लों में **साहीवाल गाय, थारपारकर बैल, गिर नस्ल की गाय, बन्नी भैंस और कांकरेज गाय** शामिल हैं।
  - **CARI निर्भीक, कड़कनाथ, अंकलेश्वर जैसी देसी कुक्कुट प्रजातियों** की उत्पादकता में वृद्धि के कारण कुक्कुट पालन को बढ़ावा मिला है।
- **स्वास्थ्य:** ICAR ने **टीकों और नैदानिक (Diagnostics) सुविधाओं** का विकास किया है। इनसे पशुधन के स्वास्थ्य प्रबंधन में सुधार हुआ है और उनकी उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
  - इसने **देश से कई सारे पशु रोगों के उन्मूलन** में योगदान दिया है। इन रोगों में शामिल हैं- **रिंडरपेस्ट, संक्रामक बोवाइन प्लूरा निमोनिया, अफ़्रीकन हॉर्स सिकनेस और डौरिन।**
- **जलवायु स्मार्ट कृषि में योगदान:** इसे **वर्षा जल संचयन, सामुदायिक तालाबों, हाइड्रोपोनिक कृषि पद्धति और फसलों की जलवायु अनुकूल किस्मों** की सहायता से बढ़ावा दिया जा रहा है। फसलों की जलवायु अनुकूल किस्मों में **रति ML 365; अरहर BRG 1, BRG 2 और BRG 5** आदि शामिल हैं।
- **जैव-प्रौद्योगिकी समाधान:** ICAR ने कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए **फसल बायोफोर्टिफिकेशन** का कार्य शुरू किया है। बायोफोर्टिफाइड फसलों में **सोलापुर लाल (बायोफोर्टिफाइड अनार की पहली किस्म), मूंगफली गिरनार 4 व 5, पूसा डबल जीरो मस्टर्ड 31** आदि शामिल हैं। पूसा डबल जीरो मस्टर्ड 31 **कैनोला गुणवत्ता वाली सरसों की पहली भारतीय किस्म है।**
  - कृषि अपशिष्ट/ पराली जलाने की समस्या को कम करने के लिए फसल अवशेष के स्व-स्थाने (In situ/ यानी खेत में ही) और बाह्य-स्थाने (Ex situ/ यानी खेत से बाहर) अपघटन हेतु **पूसा डीकम्पोजर** विकसित किया है।
  - भारत ने दुनिया की पहली **क्लोन भैंस** विकसित की है। साथ ही, भारत ने विश्व में पहली बार **इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से भैंस के बच्चे** का जन्म करवाया है। इसका नाम **'प्रथम'** रखा गया है।
- **नीली क्रांति में योगदान:** इसने **केज (Cage) कल्चर** को बढ़ावा दिया है, जिससे **प्रति इकाई उत्पादकता में वृद्धि** हुई है। केज कल्चर वस्तुतः **कम जगह में और अधिक मात्रा में मत्स्य पालन की एक तकनीक** है।

[66] Genome sequencing

- ICAR ने तटीय पारिस्थितिकी-तंत्र की निगरानी के लिए **इकोसिस्टम हेल्थ इंडेक्स (EHI)** विकसित किया है। इसने समुद्री प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए **बायोफेंस तकनीक** को अपनाया है। इसके अलावा ICAR, आक्रामक विदेशज प्रजातियों की जल्द पहचान हेतु जागरूकता अभियान चलाता है।
- ICAR सभी हिमालयी राज्यों में **'ठंडे पानी में मत्स्य पालन'** के विकास की दिशा में कार्य कर रहा है।

- **कृषि यंत्रीकरण में योगदान:** इसने **मिलेट्स मिल, ड्रोन रिमोट सेंसिंग, मल्चिंग शीट बिछाने की मशीन** जैसी कृषि संबंधी इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों का विकास किया है।

अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सलाहकार समूह (Consultative Group on International Agricultural Research: CGIAR)

- इसे **1971** में स्थापित किया गया था। यह दानदाताओं की एक रणनीतिक साझेदारी है। यह उन **15 अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों** का समर्थन करता है, जो **सरकार, नागरिक समाज संगठनों और निजी व्यवसायों** के सहयोग से कार्य करते हैं।
- CGIAR **एक वैश्विक अनुसंधान साझेदारी** है। इसका मुख्य उद्देश्य **खाद्य-सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना** है। यह जलवायु संकट की स्थिति में **भोजन, भूमि और जल प्रणालियों का पुनरुद्धार** करने के प्रति समर्पित है।
- यह **पांच प्रभाव क्षेत्रों**[67] पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

3.3. राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड (National Turmeric Board: NTB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार ने **तेलंगाना** में **राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड (NTB)** के गठन हेतु अधिसूचना जारी की है।

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में

- **बोर्ड के प्रमुख उद्देश्य:**
  - **नए उत्पाद और मूल्य वर्धन** को बढ़ावा देकर **घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हल्दी की मांग** पैदा करना।
  - हल्दी और हल्दी से संबंधित उत्पादों के निर्यात के लिए **अवसंरचना तथा लॉजिस्टिक्स का निर्माण करना एवं उन्हें बेहतर बनाना।**
  - हल्दी की आपूर्ति श्रृंखला में **गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सुरक्षा मानकों का निर्धारण करना।**
  - हल्दी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपयोग से संबंधित **पारंपरिक ज्ञान का लिखित प्रमाण तैयार करना।**
  - हल्दी के औषधीय गुणों, स्वास्थ्य और आरोग्य को बढ़ाने वाले गुणों का **अध्ययन, नैदानिक परीक्षण और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।**
- **राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की संरचना:**
  - **अध्यक्ष**: केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त।
  - **चार सदस्य:** वाणिज्य, कृषि और आयुष मंत्रालयों तथा औषध विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार सदस्य।
  - **आठ अन्य सदस्य:** हल्दी की मूल्य श्रृंखला से जुड़े व्यक्ति।
  - यह बोर्ड **वाणिज्य मंत्रालय के अधीन** काम करेगा।

भारत में हल्दी (Curcuma longa)

- भारत दुनिया में हल्दी का **सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक** देश है।

[67] Five impact areas

- **हल्दी से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य:**
  - यह **अदरक कुल (Zingiberaceae)** से संबंधित एक उष्णकटिबंधीय पौधा है।
  - **तापमान:** इसके लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान अच्छा होता है।
  - **वर्षा:** इसके लिए 1,500 मि.मी. या इससे अधिक की वार्षिक वर्षा अच्छी होती है।
  - **मृदा:** इसकी खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली लाल दोमट मृदा की आवश्यकता होती है।
  - **अवधि:** रोपण के 9 से 10 महीने बाद प्रकंद या हल्दी की प्राप्ति होती है।
  - इसमें **'करक्यूमिन'** नामक एक प्राकृतिक सक्रिय घटक मौजूद होता है। इसके कारण **हल्दी का रंग पीला** होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण, दोनों मौजूद होते हैं।
- **कृषि:** भारत में लगभग **3.24 लाख हेक्टेयर भूमि पर हल्दी की खेती** की जाती है। इससे प्रतिवर्ष लगभग **11.61 लाख टन** हल्दी का उत्पादन होता है। वैश्विक हल्दी के उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 75% से अधिक है।
  - **भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में** उगाई जाती हैं। भारत के सबसे बड़े हल्दी उत्पादक राज्य हैं- **महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक** और **तमिलनाडु।**
- **भारतीय हल्दी का निर्यात मुख्य रूप से बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, USA और मलेशिया** को किया जाता है। इसका निर्यात मूल्य **2030 तक लगभग 1 बिलियन डॉलर** तक पहुंचने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

हल्दी के लिए एक अलग बोर्ड की स्थापना से भारत में हल्दी की खेती करने वाले किसानों की एक दशक पुरानी मांग पूरी होगी। साथ ही, इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी के निर्यात में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में भी सहायता मिलेगी।

3.4. नोबेल पुरस्कार, 2023 (Nobel Prizes 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई।

नोबेल पुरस्कार के बारे में

- नोबेल पुरस्कार एक **अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार** है। इनका प्रशासन **स्टॉकहोम (स्वीडन) में स्थित नोबेल फाउंडेशन** करता है। ये पुरस्कार **अल्फ्रेड नोबेल** की वसीयत (1895) द्वारा स्थापित किए गए थे।
  - **अल्फ्रेड नोबेल** एक स्वीडिश नागरिक थे। वे एक आविष्कारक और उद्यमी थे। अल्फ्रेड नोबेल को **डायनामाइट, ब्लास्टिंग कैप और धुआं रहित बारूद** के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है।
- **पुरस्कार की श्रेणियां:** ये पुरस्कार पहली बार **1901** में दिए गए थे। ये पुरस्कार **प्रतिवर्ष** छह क्षेत्रों, यथा- **भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति** और **अर्थशास्त्र** के लिए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने **पिछले वर्ष के दौरान** मानव जाति के सर्वाधिक कल्याण में योगदान दिया है। अल्फ्रेड नोबेल द्वारा विरासत में छोड़ी गई संपत्ति से पुरस्कार की राशि वितरित की जाती है।
  - गौरतलब है कि **अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार "रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन" ने 1968** में स्थापित किया था। इसे **पहली बार 1969** में दिया गया था।

- **पुरस्कार के तौर पर विजेताओं को क्या मिलता है?**
  - एक **नोबेल डिप्लोमा:** प्रत्येक डिप्लोमा एक अनूठी कलाकृति होती है;
  - एक **नोबेल पदक;** और
  - **पुरस्कार राशि:** इस बार नोबेल पुरस्कार के तौर पर 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की धनराशि प्रदान की गई। यह धनराशि प्राप्त करने के लिए विजेता को व्याख्यान देना होता है।
- **कौन-सी संस्थाएं पुरस्कार देती हैं?**
  - **भौतिकी, रसायन विज्ञान** और **अर्थशास्त्र** के नोबेल पुरस्कार **रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज** प्रदान करती है।
  - **साहित्य** का नोबेल पुरस्कार **स्वीडिश एकेडमी, स्टॉकहोम (स्वीडन)** प्रदान करती है।
  - **चिकित्सा** या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार **कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम (स्वीडन)** प्रदान करती है।
  - प्रत्येक पुरस्कार श्रेणी के लिए पात्र उम्मीदवारों का चयन तथा नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता का चयन **नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी** करती है।
- नोबेल पुरस्कार विजेताओं को **"लौरिएट (Laureate)"** कहा जाता है। यह शब्दावली प्राचीन यूनान में प्रतिस्पर्धा के विजेताओं को दी जाने वाली लॉरेल रीथ से प्रेरित है। एक वर्ष में प्रत्येक पुरस्कार श्रेणी के **एक से अधिक, लेकिन अधिकतम तीन विजेता हो सकते** हैं।
- नोबेल संविधि (Nobel statutes) के अनुसार, विजेताओं के चयन में शामिल **जजों को 50 वर्ष तक अपने निर्णय पर सार्वजनिक विचार-विमर्श की मनाही है।**

नोट: *रसायन विज्ञान, भौतिकी और चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पर इस डॉक्यूमेंट के "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी" खंड में विस्तार से चर्चा की गई है। इसी तरह, साहित्य में नोबेल पुरस्कार और नोबेल शांति पुरस्कार पर आर्टिकल्स क्रमशः संस्कृति और सामाजिक मुद्दे खंड में शामिल किए गए हैं।*

3.4.1. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार (2023): श्रम बल में महिलाएं (Nobel Prize in Economics: Women in Labour Force)

सुर्ख़ियों में क्यों?

"अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार 2023" **क्लाउडिया गोल्डिन** को देने की घोषणा की गई। गोल्डिन को यह पुरस्कार **"श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी के आउटकम्स के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने"** के लिए दिया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- पिछली सदी में, उच्च आय वाले कई देशों में वैतनिक कार्यों में महिलाओं का अनुपात बढ़कर तीन गुना हो गया। यह आधुनिक समय में श्रम बाजार में हुए **सबसे बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलावों में से एक** है। हालांकि, लैंगिक स्तर पर असमानता की समस्या अभी भी मौजूद है।
- **क्लाउडिया गोल्डिन** के शोध ने हमें श्रम बाजार में महिलाओं की **ऐतिहासिक और समकालीन भूमिकाओं** के बारे में नई और कई जगह आश्चर्यजनक समझ प्रदान की है।

लैंगिक असमानता की स्थिति

- **वैश्विक स्थिति:** विश्व स्तर पर, **लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं वैतनिक रोजगार** में हैं, जबकि पुरुषों के मामले में यही अनुपात 80 प्रतिशत है।
  - दक्षिण एशिया में, केवल लगभग 25% महिलाएं ही श्रम बाजार का हिस्सा हैं।
- **भारत में स्थिति:** भारत में, 2022 के लिए महिलाओं की **श्रम बल भागीदारी दर 24%** और **पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर 73.6%** थी।
  - वर्ष 2021 के लिए भारत में महिलाओं में **सुभेद्य रोजगार (Vulnerable employment)** दर 77.3% और पुरुषों में 72.9% थी। सुभेद्य रोजगार **स्व-रोजगार का एक रूप** है। इसमें श्रम आय कम होती है और रोजगार सुरक्षित नहीं होता है।
- **U-आकार का संबंध:** विकास और महिला श्रम बल भागीदारी के बीच U-आकार का संबंध है। यहां विकास से आशय प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से है। इसे निम्नलिखित तरीके से समझा जा सकता है:

- निम्न आय वाले देशों में **महिलाओं की श्रम बल भागीदारी अधिक** (कृषि में अधिक हिस्सेदारी) होती है, **मध्यम आय वाले देशों में भागीदारी कम हो जाती है,** और **उच्च आय वाले देशों में यह भागीदारी फिर अधिक** हो जाती है।

- **आय में अंतर:** जब महिलाएं काम करती हैं, तो वे आमतौर पर **कम कमाती** हैं। भारत में, **स्व-रोजगार से जुड़े कार्यबल में महिलाओं एवं पुरुषों में आय का अंतर** बहुत अधिक है।
  - हालांकि, भारत में पुरुष और महिलाओं के बीच आय का अंतर कम हो रहा है। वर्ष 2017 में पुरुषों ने जितनी आय अर्जित की, उसका 76% आय महिलाओं ने अर्जित की। वर्ष 2004 में यह अनुपात 70% था। हालांकि, 2021-22 तक, यह अनुपात स्थिर बना हुआ था।
- **अवसर:** महिलाओं के **औपचारिक रोजगार में कार्य करने की संभावना कम** होती है। उनके पास व्यवसाय का विस्तार करने या करियर में प्रगति का अवसर भी कम होता है।

महिला श्रम बल भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक

- **U-आकार का कर्व:** पहले, यह मान लिया गया था कि "आर्थिक संवृद्धि और वेतनभोगी रोजगार में महिलाओं की संख्या" के बीच एक स्पष्ट सकारात्मक संबंध है।
  - गोल्डिन के U-आकार के कर्व ने प्रदर्शित किया कि **श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी और आर्थिक संवृद्धि के बीच ऐतिहासिक रूप से कोई सुसंगत संबंध नहीं है।**

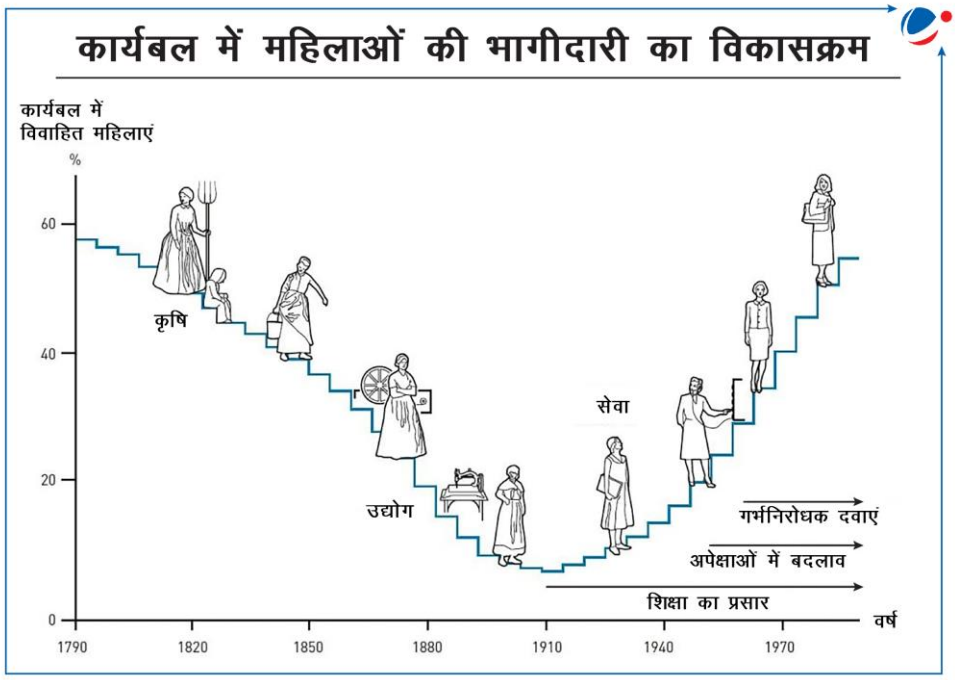

- **सामाजिक मानदंड:** कानून या रीति-रिवाज जिन्हें **"विवाह के बाद प्रतिबंध (Marriage bars)"** के रूप में जाना जाता है। ये अक्सर विवाहित महिलाओं को श्रम की बढ़ती मांग के बावजूद रोजगार में बने रहने से रोकते हैं।
  - इसके अलावा, महिलाएं अक्सर **विवाह के बाद लंबे समय के लिए रोजगार छोड़** देती हैं। इससे शिक्षा और अन्य कौशल से जुड़े उनके चयन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परिणामस्वरुप उन्हें आने वाले समय में मिलने वाली नौकरी/ करियर भी प्रभावित होता है।
- **तकनीकी नवाचार:** गर्भनिरोधक दवाओं का सेवन बढ़ने से महिलाएं देर से विवाह करने लगी हैं और विवाहित महिलाएं भी बच्चों के जन्म में जल्दबाजी करने से बच रही हैं। **इसके चलते उनकी शिक्षा और करियर की संभावनाओं में वृद्धि हुई है।**
  - हालांकि, इसका **यह मतलब कतई नहीं है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच आय का अंतर पूरी तरह समाप्त हो गया है।** हाँ, इतना जरूर है कि 1970 के दशक के बाद से आय का अंतर काफी कम हो गया है।
- **मासिक वेतन प्रणाली:** आर्थिक संवृद्धि, महिलाओं में शिक्षा के बढ़ते स्तर और वेतनभोगी महिलाओं का अनुपात दोगुना होने के बावजूद, 1930 और 1980 के बीच आय का अंतर लगभग एक जैसा ही रहा।
  - ऐसा आंशिक रूप से पीसवर्क कॉन्ट्रैक्ट्स (अर्थात् काम के अनुसार भुगतान संविदा) को त्यागने और आधुनिक वेतन प्रणाली (मासिक वेतन) को अपनाने के कारण हुआ है।
    - पीसवर्क कॉन्ट्रैक्ट में एक कर्मचारी को उसके वर्क परफॉरमेंस के आधार पर भुगतान किया जाता है, न कि उसे फिक्स सैलरी दी जाती है।
- **पेरेंटहुड प्रभाव:** बच्चों की देखभाल (केयर इकोनॉमी) में **पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक जिम्मेदारी उठाती** हैं। इससे उनके करियर में प्रगति करना और आय में वृद्धि करना कठिन हो जाता है।
  - मौजूदा दौर में श्रम बाजार के कई क्षेत्रक कामगारों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे रोजगार में निरंतर उपलब्ध रहें और नियोक्ता की अपेक्षाओं के अनुरूप लचीला बन रहें। गौरतलब है कि बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं के लिए ऐसा करना मुश्किल हो जाता है।

आगे की राह- कार्यबल में लैंगिक असमानता को कम करना

- **मूल्यांकन:** जो नीति निर्माता इन असमानताओं को दूर करना चाहते हैं, उन्हें पहले यह समझना होगा कि ये क्यों मौजूद हैं।

- **सामूहिक कार्रवाई:** निजी और सार्वजनिक क्षेत्रक के अग्रणी संगठनों द्वारा सामूहिक, समन्वित और साहसिक कार्रवाई लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को तेज करने में सहायक होगी।
- **निवेश:** महिलाओं को सूचना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच प्रदान करने के उपायों में निवेश करने से लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलती है।
    - ब्राजील ने कोरोना महामारी की शुरुआत में "आपातकालीन सहायता नकद अंतरण कार्यक्रम" शुरू किया था। इसके तहत महिला प्रधान परिवारों को दोगुना लाभ दिया गया। इससे गरीबी दर में गिरावट आयी है।
- **अनुकूल वातावरण:** संस्थागत बाधाओं को दूर करने के लिए कर प्रणाली, सार्वजनिक व्यय, वित्तीय अवसंरचना और विनियमों के साथ-साथ श्रम बाजारों में सुधार करने की आवश्यकता है।
    - नॉर्वे में, सार्वभौमिक बाल देखभाल सेवा के विस्तार से माताओं के रोजगार करने की संभावना में 32% तक की बढ़ोतरी हुई है।
- **पूर्वाग्रहों और सामाजिक मानदंडों से निपटना:** आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)[69] के अनुसार, सामाजिक संस्थाओं में लैंगिक भेदभाव से **विश्व अर्थव्यवस्था को 6 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान** होता है।
    - कम उम्र में विवाह को हतोत्साहित करने, घरेलू हिंसा को अपराध घोषित करने और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि जैसे सामाजिक और कानूनी उपायों से ऐसे नुकसान को कम किया जा सकता है।

भारत में लैंगिक अंतराल (असमानता) को कम करने के लिए उठाए गए कदम

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020:** इसके तहत सवैतनिक मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। साथ ही, 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात की पाली में महिला श्रमिकों को कार्य करने की अनुमति देने जैसे प्रावधान किए गए हैं।
- **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा पर संहिता[68], 2020:** ओपन कास्ट खनन सहित भूमि के ऊपर की खदानों में तथा जमीन के नीचे जहां निरंतर उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, वहां तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों में महिलाओं को रोजगार दिया जा सकता है।
- **वेतन संहिता 2019:** इसके अंतर्गत किसी प्रतिष्ठान में लैंगिक आधार पर महिला और पुरुष कर्मचारियों के बीच भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है।
- **प्रशिक्षण और कौशल विकास:** महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क की सहायता से महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

- **सूक्ष्म-वित्त तक पहुंच:** इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर (IGC) नामक एक परियोजना में पाया गया है कि भारत में सूक्ष्म-वित्त ऋणों की अधिक पहुंच से महिला श्रम बल की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह वृद्धि वेतन भोगी रोजगार के बजाय स्वरोजगार की वजह से हुई है।

3.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.5.1. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट 2022-2023 {Periodic Labour Force Survey (PLFS) Report 2022-2023}

- PLFS की शुरुआत 2017 में की गई थी। इसका उद्देश्य **रोजगार और बेरोजगारी से जुड़े मुख्य संकेतकों (जैसे- LFPR, WPR व UR) का निम्नलिखित आधार पर अनुमान लगाना है:**
    - वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS)[70] में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए **तीन माह के अल्पकालिक समय अंतराल पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों** का अनुमान लगाना।
    - वार्षिक रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में **'सामान्य स्थिति' तथा CWS दोनों** में रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना।
- **PLFS में प्रयुक्त प्रमुख संकेतक:**
    - **श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate: LFPR):** यह कुल आबादी में **श्रम बल में शामिल व्यक्तियों** का प्रतिशत है। इसमें कार्यरत या काम की तलाश में लगे लोग या काम करने के लिए उपलब्ध लोग शामिल हैं।
    - **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (Worker Population Ratio: WPR):** कुल जनसंख्या में **रोजगार प्राप्त व्यक्तियों** का प्रतिशत।
    - **बेरोजगारी दर (Unemployment Rate: UR):** इसे **श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत** के रूप में परिभाषित किया जाता है।
    - **कार्यकलाप की स्थिति (Activity Status):** यह निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा **की गई कार्य गतिविधियों** के आधार पर निर्धारित की जाती है।

[68] Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions

[69] Organisation for Economic Co-operation and Development

[70] Current Weekly Status

- **सामान्य स्थिति (Usual Status)-** कार्य गतिविधि का निर्धारण सर्वेक्षण की तारीख से ठीक **पहले के 365 दिनों की संदर्भ अवधि** के आधार पर किया जाता है।
- **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS)-** कार्य गतिविधि का निर्धारण सर्वेक्षण की तारीख से ठीक **पहले के सात दिनों की संदर्भ अवधि** के आधार पर किया जाता है।

LFPS के प्रमुख निष्कर्ष

संकेतक		2017-18	2022-23	ट्रेंड
LFPR	कुल	49.8 %	57.9 %	↑
	ग्रामीण	50.7 %	60.8 %	↑
	शहरी	47.6 %	50.4 %	↑
	पुरुष	75.8 %	78.5 %	↑
	महिला	23.3 %	37.0 %	↑
WPR	कुल	46.8 %	56.0 %	↑
UR	कुल	6 %	3.2 %	↓

3.5.2. बॉण्ड यील्ड (Bond Yield)

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **सरकारी प्रतिभूतियों** (G-Sec) को **ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) के जरिए बेचने** का फैसला लिया है। इससे वित्त वर्ष 2023-24 में **बॉण्ड यील्ड बढ़कर अपने उच्चतम स्तर** पर पहुंच गया है।
  - RBI बाजार में **रुपये की तरलता** बनाए रखने के लिए **OMOs का उपयोग** करता है।
- **बॉण्ड** एक प्रकार ऋण लिखत है अर्थात् यह बाजार से ऋण लेने का एक साधन है। इसे खरीदकर **कोई निवेशक किसी इकाई** (आमतौर पर कॉर्पोरेट या सरकार) **को पैसा उधार देता है।** इससे बॉण्ड जारीकर्ता को निर्धारित अवधि के लिए **फ्लोटिंग दर या निश्चित ब्याज दर** पर ऋण प्राप्त होता है।
  - बॉण्ड का उपयोग **कंपनियों, नगर पालिकाओं, राज्यों और संप्रभु सरकारों** द्वारा विभिन्न परियोजनाओं और गतिविधियों के **वित्त-पोषण के लिए धन जुटाने के लिए** किया जाता है।
  - सरकारी प्रतिभूतियां **केंद्र सरकार या राज्य सरकारों** द्वारा जारी किए जाने वाने व्यापार योग्य लिखत या साधन होते हैं। यह **सरकार की ऋण संबंधी जरूरतों** को पूरा करता है।
  - ये प्रतिभूतियां **अल्प अवधि** तथा **दीर्घ अवधि** की होती हैं। ऐसी प्रतिभूतियां, जिनकी मूल परिपक्वता अवधि (मैच्योरिटी) एक वर्ष से कम होती है, उन्हें आमतौर पर **ट्रेजरी बिल** कहा जाता है। इसी प्रकार जिन प्रतिभूतियों की मूल परिपक्वता अवधि एक वर्ष अथवा उससे अधिक होती है उन्हें **सरकारी बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां** कहा जाता है।
- बॉण्ड यील्ड वह **रिटर्न** है जो एक **निवेशक** इसकी संपूर्ण परिपक्वता अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राप्त करने की **उम्मीद करता है।**
  - जब कोई निवेशक बॉण्ड खरीदता है तो वह अनिवार्य रूप से बॉण्ड जारीकर्ताओं को पैसा उधार देता है। बदले में, बॉण्ड जारीकर्ता बॉण्ड के पूरे जीवनकाल में निवेशकों को ब्याज का भुगतान करता है और परिपक्वता अवधि पर बॉण्ड के अंकित मूल्य को चुकाता है। निवेशक जो पैसा कमाते हैं उसे **यील्ड** कहते हैं।
  - यील्ड को आमतौर पर **ब्याज दर,** या **जारीकर्ता के लिए "उधार प्राप्त करने की लागत"** के रूप में भी जाना जाता है।
- जब बाजार में ब्याज दर का स्तर बढ़ता है, तो बॉण्ड की कीमत कम हो जाती है। इसके विपरीत, जब ब्याज दर या मार्केट यील्ड में गिरावट आती है, तो बॉण्ड की कीमत बढ़ जाती है।
- किसी बॉण्ड की यील्ड उसकी **कीमत के व्युत्क्रमानुपाती** होती है। जब किसी बॉण्ड की कीमत कम होती है, तो यील्ड बढ़ती है।

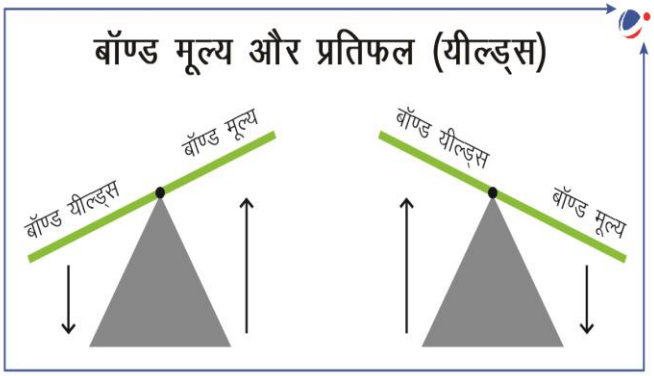

3.5.3. व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 (Trade and Development Report 2023)

- संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन (अंकटाड/ UNCTAD) द्वारा "व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023" जारी की गई है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - इस रिपोर्ट में **वैश्विक अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण** किया गया है। साथ ही, रिपोर्ट में इससे जुड़ी कई चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया है।
  - **वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था की स्थिति:**
    - **2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर 2.4% रहने का अनुमान** है।
    - **पूर्वी और मध्य एशिया को छोड़कर** पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की संवृद्धि 2022 के बाद से धीमी हो गई है।
    - गरीब देशों की ऋणग्रस्तता, प्रमुख क्षेत्रों में धीमी संवृद्धि एवं बहुपक्षीय संस्थाओं की ओर से संतोषजनक प्रतिक्रिया न मिलने के कारण जो रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, वे काफी चिंताजनक हैं।
  - **भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े अनुमान:**
    - **भारत की आर्थिक संवृद्धि दर** 2023 में 6.6% और 2024 में 6.2% रहने का अनुमान है।

- भारत में, निजी और सरकारी क्षेत्रकों के साथ-साथ बाह्य क्षेत्रकों ने भी घरेलू विकास में योगदान दिया है।
- जून 2023 में बेरोजगारी दर का 8.5% होना और बढ़ती असमानता **भारत के लिए चिंता का विषय** हैं।

- **रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों पर एक नज़र:**
  - **वित्तीय स्थिरता:** केंद्रीय बैंकों को निजी और सार्वजनिक क्षेत्रकों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय को मजबूत करना चाहिए।
  - **सामाजिक सुरक्षा:** व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **वास्तविक वेतन** में वृद्धि एवं अन्य प्रतिबद्धताओं की जरूरत है।
  - **एनर्जी ट्रांजिशन एग्रीमेंट्स:** एनर्जी ट्रांजिशन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और जलवायु अनुकूलन के लिए वित्त तक विश्वसनीय पहुंच की सुविधा के लिए G-20, विश्व व्यापार संगठन, IMF और विश्व बैंक के तत्वावधान में समझौते किए जाने चाहिए।
  - **व्यापार विनियमन:** अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कमोडिटी और खाद्य पदार्थों के व्यापार को विनियमित करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है।
  - **डेट सर्विसिंग और वित्तीय अवसंरचना में सुधार:** डेट सर्विसिंग के भारी बोझ को दूर करने के लिए वैश्विक वित्तीय अवसंरचना से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं में सुधार करने की आवश्यकता है।
    - **डेट सर्विसिंग (Debt Servicing):** इसका आशय किसी कंपनी या व्यक्ति के सभी ऋण चुकाने हेतु आवश्यक कुल नकदी से है।

3.5.4. त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क {Prompt Corrective Action (PCA) Framework}

- **भारतीय रिज़र्व बैंक** अक्टूबर, 2024 से **सरकारी स्वामित्व वाली NBFCs[71] को भी PCA पर्यवेक्षी मानदंड के दायरे में लाएगा।**
- त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) फ्रेमवर्क का उद्देश्य **सही समय पर पर्यवेक्षी उपायों को लागू** करना है। इसके तहत **पर्यवेक्षित संस्थाओं को समय पर सुधार संबंधी उपायों को शुरू और लागू** करना होता है, ताकि उन्हें वित्तीय संकट से बचाया जा सके।
- NBFCs के लिए PCA फ्रेमवर्क 14 दिसंबर, 2021 को आरंभ किया गया था।
- तब से **फ्रेमवर्क की समीक्षा** की जाती रही है। नई समीक्षा के तहत ही 1 अक्टूबर, 2024 से **सरकारी NBFCs (बेस लेयर को छोड़कर) को भी PCA फ्रेमवर्क के दायरे में लाने का निर्णय** लिया गया है। इन NBFCs पर यह फ्रेमवर्क 31 मार्च, 2024 तक या उसके बाद तक की जा चुकी वित्तीय लेखा-परीक्षा के आधार पर लागू होगा।
  - **बेस लेयर में उन NBFCs को वर्गीकृत किया गया है, जो जमा-स्वीकार नहीं** करती हैं और जिनकी परिसंपत्ति का आकार 1000 करोड़ रुपये से कम है।
  - बेस लेयर के अतिरिक्त अन्य 3 लेयर हैं: **मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर।**
  - सरकारी NBFCs में शामिल हैं; PFC, REC, IRFC, IFCI इत्यादि।

[71] Non-Banking Financial Company/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी

- NBFCs को PCA फ्रेमवर्क के दायरे में लाने के **निम्नलिखित कारण हैं:**
  - वित्तीय दृष्टि से कई NBFCs का आकार काफी बढ़ गया है, तथा
  - **वित्तीय प्रणाली के अन्य घटकों के साथ** इनके जुड़ जाने के कारण **ये अर्थव्यवस्था के लिए अधिक महत्वपूर्ण** (Systemically important) हो गई हैं।

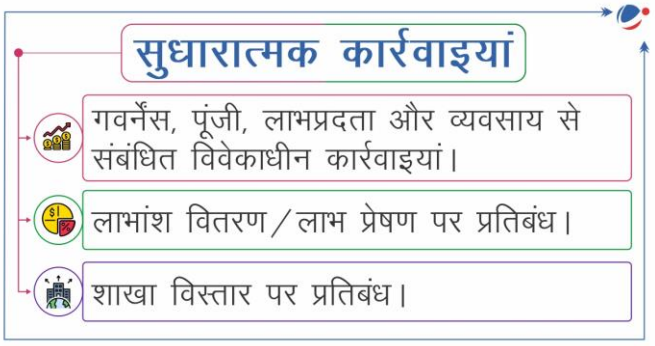

3.5.5. भारतीय रिज़र्व बैंक (विलफुल डिफॉल्टर्स और लार्ज डिफॉल्टर्स के साथ व्यवहार) दिशा-निर्देश, 2023 जारी किए गए {Reserve Bank of India (Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters) Directions, 2023 Released}

- इन दिशा-निर्देशों के तहत, RBI ने **विनियमित संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र का विस्तार** किया है। इस प्रकार ये संस्थाएं अब **उधारकर्ताओं को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत कर सकती हैं, विलफुल डिफॉल्ट की परिभाषा का विस्तार कर सकती हैं और उनकी पहचान प्रक्रिया में सुधार** कर सकती हैं।
- **दिशा-निर्देशों से संबंधित मुख्य बिंदु:**

किन पर लागू होंगे	• बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs), सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक तथा NABARD, SIDBI, एक्जिम बैंक, NHB और NaBFID जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (AIFI) सहित **सभी विनियमित संस्थाएं।**
परिभाषा	• विलफुल डिफॉल्टर एक ऐसा **उधारकर्ता या गारंटर** होता है, जो **ऋण चुकाने में सक्षम होने के बावजूद भी ऋण की अदायगी** नहीं करता है। इसके तहत **न्यूनतम बकाया राशि 25 लाख रुपये या उससे अधिक** होनी आवश्यक है। • **लार्ज डिफॉल्टर** वह होता है, जिसकी डिफॉल्ट राशि **1 करोड़ रुपये या उससे अधिक** होती है।
विलफुल डिफॉल्ट की समीक्षा एवं अंतिम निर्णय	• किसी खाते को **गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA)[72] के रूप में वर्गीकृत किए जाने के छह महीने** के भीतर। • पहले, इसके लिए **कोई विशेष समय-सीमा निर्धारित नहीं** की गई थी।
पहचान प्रक्रिया	• **पहचान समिति:** एक पहचान समिति द्वारा साक्ष्यों की जांच के बाद किसी उधारकर्ता को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके बाद विलफुल डिफॉल्टर को **कारण बताओ नोटिस** जारी किया जाएगा। • **समीक्षा समिति:** यह समिति विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकरण के लिए पहचान समिति के प्रस्ताव पर विचार करेगी।
अन्य प्रावधान	• **विलफुल डिफॉल्टर को कोई अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा नहीं दी सकेगी।** यह रोक विलफुल डिफॉल्टर की सूची से हटने के बाद **1 वर्ष बाद तक प्रभावी रहेगी।** • ऋणदाता मूल देनदार के खिलाफ कार्यवाही पूरी किए बिना भी **गारंटर के खिलाफ कार्यवाही कर सकेगा।**

3.5.6. कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (Card-On-File Tokenization: CoFT)

- RBI ने CoFT के लिए नए चैनल प्रस्तुत किए हैं।
- टोकनाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग **कार्ड का पूरा डिटेल भरने की जगह एक यूनिक टोकन या कोड से भुगतान करने के लिए किया जाता** है।
- इसके जरिए कार्ड नंबर, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू (CVV) जैसी संवेदनशील जानकारी उजागर किए बिना सुरक्षित **ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती** है।
- यह **2022 से लागू** है। वर्तमान में, एक CoFT टोकन केवल मर्चेंट के एप्लिकेशन या वेबपेज के माध्यम से सृजित किया जा सकता है।
- अब CoFT टोकन सृजन को सीधे बैंक के स्तर पर जारी करने का प्रस्ताव किया गया है।
- इस नए कदम का उद्देश्य प्रत्येक ऐप पर **टोकन प्रक्रिया के डुप्लीकेशन को खत्म करने के साथ-साथ** ट्रांजैक्शन संबंधी सुरक्षा में वृद्धि करना है। **इससे कार्ड के डेटा से संबंधित धोखाधड़ी** में कमी आएगी।

3.5.7. वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 52वीं बैठक आयोजित की गई {52nd Goods and Services Tax Council (GST) COUNCIL Meeting Held}

- **परिषद द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें:**
  - **जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास** एक तरह के **सरकारी प्राधिकरण** हैं और उन्हीं की तरह **GST से छूट के लिए पात्र** हैं।

[72] Non-performing asset

- **शीरे (Molasses)** पर GST दर को **28% से घटाकर 5%** करने की सिफारिश की गई है।
  - इससे **चीनी मिलें गन्ना किसानों को त्वरित भुगतान** कर सकेंगी।
- **मानव उपभोग** के लिए अल्कोहल युक्त मदिरा के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले **एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) को GST के दायरे से बाहर** करने की सिफारिश की है।
  - ENA **उच्च सांद्रता वाला अल्कोहल** है। यह **फार्मास्यूटिकल्स, परफ्यूम, टॉयलेटरीज (साबुन मंजन आदि)** इत्यादि के लिए एक प्रमुख घटक है।
- **GSTAT के सदस्यों की योग्यता:** निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए CGST अधिनियम, 2017 के प्रावधानों को **अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021** के साथ संरेखित करना होगा।
  - **अध्यक्ष एवं सदस्यों की न्यूनतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए तथा उनका कार्यकाल क्रमशः 70 वर्ष व 67 वर्ष** की आयु तक होना चाहिए।

- **GST परिषद के बारे में:**
  - **संविधान के अनुच्छेद 279A के उपबंधों के अधीन GST परिषद** की स्थापना की गई है। इस प्रकार, यह एक **संवैधानिक निकाय** है। अनुच्छेद 279A को **101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016** के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है।
  - **अध्यक्ष:** केंद्रीय वित्त मंत्री।
  - **सदस्य:**
    - केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री या राजस्व प्रभारी।
    - वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री।
  - **कार्य:** GST के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करना।
  - **मतदान के माध्यम से निर्णय लेना:** निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के **3/4 बहुमत** की आवश्यकता होती है।
    - डाले गए मतों में केंद्र की हिस्सेदारी **33%** होती है।

GST अपीलीय अधिकरण (GSTAT) के बारे में:

- GSTAT, केंद्रीय GST अधिनियम, 2017 के तहत एक **वैधानिक निकाय है।**
- यह GST कानूनों के तहत **अपील का दूसरा मंच** है और केंद्र एवं राज्यों के बीच **विवाद समाधान का पहला साझा मंच** है। पहले स्तर पर अपीलीय प्राधिकरण हैं।
  - यह **अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण** द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करेगा।

3.5.8. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (National Investment and Infrastructure Fund: NIIF)

- NIIF ने 600 मिलियन डॉलर के **भारत-जापान कोष** की स्थापना के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (JBIC) के साथ सहयोग किया है।
  - इस कोष में JBIC और भारत सरकार एंकर निवेशक होंगे। एक एंकर निवेशक किसी नए फंड में पूंजी लगाने वाला पहला निवेशक होता है।
- **NIIF के बारे में:**
  - इसे भारत सरकार ने स्थापित किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए एक सहयोगी निवेश प्लेटफॉर्म है।
  - NIIF प्लेटफॉर्म के तहत सरकार ने तीन फंड स्थापित किए हैं:
    - **मास्टर फंड,**
    - **फंड ऑफ फंड्स,** और
    - **स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड**
  - NIIF का उद्देश्य मुख्य तौर पर **इक्विटी और इक्विटी से जुड़े विपत्रों में निवेश करना** है।

3.5.9. IRDAI ने बीमा वाहक दिशा-निर्देश (BHG) जारी किए {IRDAI Issued Bima Vahak Guidelines (BHG)}

- इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य **ऐसे महिला केंद्रित वितरण चैनल स्थापित** करना है, जो प्रत्येक गांव में बीमा समावेशन और जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित होंगे।
  - इसका उद्देश्य **देश के हर कोने में बीमा की पहुंच और उपलब्धता में सुधार** करना है।
- बीमा वाहकों के काम का दायरा **गांवों में बीमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने** के अलावा प्रपोज़ल फॉर्म भरने, ग्राहकों के लिए KYC प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने, बीमा पॉलिसी जारी करने आदि तक होने की संभावना है।
- यह **IRDAI की 'सभी के लिए बीमा' लक्ष्य** को प्राप्त करने की **रणनीति का एक हिस्सा** है।

3.5.10. क्रिटिकल और सामरिक खनिज (Critical and Strategic Minerals)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन क्रिटिकल और सामरिक खनिजों लिथियम, नाइओबियम तथा दुर्लभ भू-तत्वों के खनन के लिए रॉयल्टी दरों को मंजूरी प्रदान की।
- क्रिटिकल खनिजों को किसी देश के **आर्थिक विकास और उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक** माना जाता है। कोई खनिज, क्रिटिकल खनिज है या नहीं इसका मापन **दो मापदंडों जैसे आर्थिक महत्त्व तथा आपूर्ति संबंधी जोखिम** पर किया जाता है।

- **रॉयल्टी दरों** को मंजूरी देने के बाद **केंद्र सरकार देश में पहली बार इन क्रिटिकल खनिजों के खनन हेतु ब्लॉक्स की नीलामी** कर सकेगी।
    - देश की संपदा पर सरकार का **संप्रभु स्वामित्व** होता है। इसलिए, खनन करने वाली कंपनी को खनिज पदार्थों का खनन करने के बदले सरकार को निर्धारित दरों पर आर्थिक भुगतान करना होता है। इस आर्थिक भुगतान को ही रॉयल्टी कहते हैं।
    - **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (MMDRA)[73], 1957 की दूसरी अनुसूची खनिजों की रॉयल्टी दरों से संबंधित है।**
- यदि किसी खनिज के लिए रॉयल्टी दर निर्धारित नहीं की गई हो, तो रॉयल्टी दर उसके **औसत बिक्री मूल्य (ASP)[74] का 12 प्रतिशत** होती है। **लिथियम, नाइओबियम और दुर्लभ भू-तत्वों** के लिए क्रमशः **3 प्रतिशत, 3 प्रतिशत और 1 प्रतिशत** रॉयल्टी दरें निर्धारित की गई हैं।
- वर्तमान में, **भारत की खनिज रॉयल्टी दरें दुनिया में सबसे अधिक** हैं। इससे इस खनन क्षेत्रक की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है और खनन करने वाली कंपनियों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ता है।
- **महत्त्व:**
    - खनिज के लिए रॉयल्टी दरों को **वैश्विक स्तरों के अनुरूप लाने से खनन क्षेत्रक में निवेश को बढ़ावा** मिलेगा।
    - कम रॉयल्टी दरे रखने से भारत में **खनिज की खोज करने के कार्य को बढ़ावा मिलेगा।**
    - इससे **आयात पर निर्भरता को कम करने,** आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं से पैदा होने वाली समस्याओं को कम करने में सहायता मिलेगी।

3.5.11. इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता (ISCAC) 2022 {India Smart Cities Awards Contest (ISCAC) 2022}

- ISCAC का आयोजन **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत** किया जाता है।
- ISCAC उन शहरों, परियोजनाओं और नवीन विचारों को मान्यता देता है तथा पुरस्कृत करता है, **जो 100 स्मार्ट शहरों में सतत विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही, समावेशी, न्यायसंगत, स्वस्थ और सहयोगी शहरों के विकास को प्रोत्साहित** कर रहे हैं।
    - ISCAC के **2018, 2019 और 2020 में तीन संस्करण** हो चुके हैं।
- **शीर्ष 3 स्मार्ट सिटी:** इंदौर, सूरत और आगरा
- **शीर्ष 3 राज्य:** मध्य प्रदेश, तमिलनाडु व राजस्थान
- **शीर्ष केंद्र-शासित प्रदेश:** चंडीगढ़

3.5.12. पर्यटन क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए गोवा रोडमैप (Goa Roadmap for Tourism)

- G-20 के दिल्ली घोषणा-पत्र ने सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के साधन के रूप में **'पर्यटन क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए गोवा रोडमैप'** के महत्त्व को रेखांकित किया है।
    - इस रोडमैप में पर्यटन में **पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों** की पहचान की गई है- **हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल विकास, पर्यटन MSMEs और गंतव्य प्रबंधन।**
- दिल्ली घोषणा-पत्र में **'ट्रैवल फॉर लाइफ'** पहल की शुरुआत का भी उल्लेख किया गया है। यह पहल सभी पर्यटकों और पर्यटक व्यवसायों को ऐसे सरल कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जिनका पर्यावरण संरक्षण और जलवायु कार्रवाई के लिए विशेष महत्त्व है।
- इसके अलावा, **पर्यटन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO)[75] के सहयोग से G-20 पर्यटन और SDG डैशबोर्ड** शुरू किया है। यह डैशबोर्ड एक **वैश्विक रिपॉजिटरी** के रूप में कार्य करेगा। यह रिपॉजिटरी G20 देशों की संधारणीय पर्यटन प्रणालियों एवं नीतियों के **सर्वोत्तम उदाहरणों और केस स्टडी** को प्रदर्शित करेगी।

3.5.13. निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (RoDTEP) योजना {Scheme for Remission of Duties and Taxes On Exported Products (RoDTEP)}

- **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** ने RoDTEP समर्थन को **30 जून, 2024** तक बढ़ाने की घोषणा की है।
- **RoDTEP के बारे में:**
    - इसे **निर्यात पर शुल्क छूट योजना** के रूप में शुरू किया गया था।
    - इस योजना के अंतर्गत उन निर्यातकों को **संबद्ध शुल्क/ करों से प्राप्त राशि वापस कर दी जाती है, जिन्होंने अन्य योजनाओं के**

[73] Mines and Minerals (Development and Regulation) Act
[74] Average Sale Price
[75] UN World Tourism Organization

तहत छूट प्राप्त नहीं की है। इन संबद्ध शुल्कों/करों में शामिल हैं- स्थानीय कर, कोयला उपकर, मंडी कर आदि।

- यह योजना **वैश्विक स्तर पर स्वीकृत एक सिद्धांत पर आधारित** है। इस सिद्धांत के अनुसार **करों और शुल्कों का निर्यात नहीं** किया जाना चाहिए। साथ ही, **निर्यात किए गए उत्पादों पर लगने वाले करों और शुल्कों पर या तो छूट दी जानी चाहिए या उन्हें निर्यातकों को वापस** कर दिया जाना चाहिए।
- यह विश्व व्यापार संगठन (WTO) **के नियमों के अनुरूप** है। इसे **एंड-टू-एंड आईटी परिवेश में लागू** किया जा रहा है।

3.5.14. स्वचालित 'स्टेटस होल्डर' प्रमाण-पत्र (Automatic 'Status Holder' Certificates)

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने **विदेश व्यापार नीति, 2023** के तहत सिस्टम-आधारित स्वचालित **'स्टेटस होल्डर' प्रमाण-पत्र** जारी किए हैं।
- अब **प्रमाण-पत्र आई.टी. प्रणाली द्वारा जारी** किया जाएगा। यह प्रमाण-पत्र वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCI&S) के पास उपलब्ध पण्य निर्यात पर **इलेक्ट्रॉनिक डेटा तथा अन्य जोखिम मापदंडों के आधार पर उपलब्ध** कराया जाएगा।
  - स्टेटस होल्डर्स ऐसे **बिजनेस लीडर** होते हैं, जिन्होंने **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्कृष्ट प्रदर्शन** किया है और **देश के विदेश व्यापार में अधिक योगदान** दिया है।

3.5.15. प्रोजेक्ट मेरियाना (Project Mariana)

- प्रोजेक्ट मेरियाना को **तीन BIS इनोवेशन हब केंद्रों ने संयुक्त रूप से** विकसित किया था। इनमें शामिल हैं- **द स्विस, सिंगापुर और यूरोसिस्टम हब सेंटर्स।** इसका **बैंक ऑफ फ्रांस, मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर और स्विस नेशनल बैंक** के साथ विकास किया गया था।
- इस परियोजना ने **वित्तीय संस्थानों के बीच होलसेल केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (wCBDCs)[76] के सीमा पार व्यापार और निपटान** का परीक्षण किया है। इसके लिए इसने **पब्लिक ब्लॉकचेन पर नई विकेन्द्रीकृत वित्त (DeFI) प्रौद्योगिकी अवधारणाओं** का उपयोग किया है।
  - **होलसेल CBDC** का तात्पर्य **केंद्रीय बैंक भंडार में अंतरबैंक हस्तांतरण और संबंधित होलसेल लेन-देन के निपटान** से है।

3.5.16. वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2023 {Global Innovation Index (GII), 2023}

- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा जारी "वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2023" में भारत की 40वीं रैंक बरकरार रही।

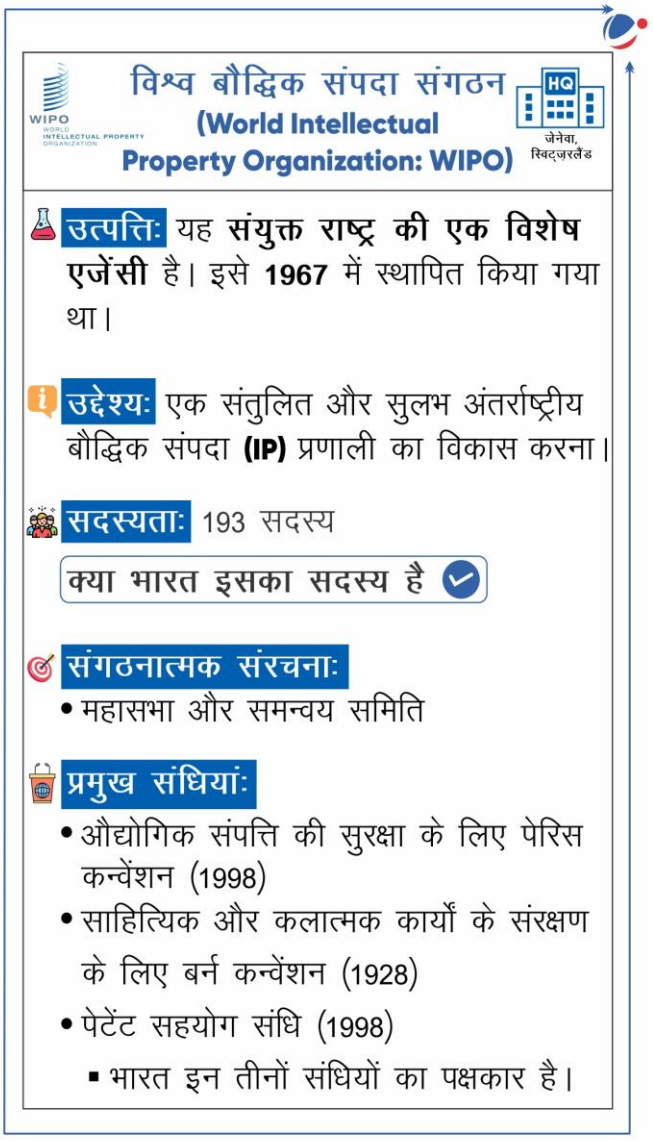

[76] Wholesale central bank digital currencies

- GII विश्व की सरकारों के लिए अपने-अपने देशों में **सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रक में होने वाले नवाचार आधारित बदलावों का आकलन करने का एक विश्वसनीय तरीका** है।
    - इसे **कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, INSEAD बिजनेस स्कूल और WIPO** संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष प्रकाशित करते हैं।
    - **नवाचार को मापने के मापदंड:** इनमें शामिल हैं- संस्थाएं; मानव पूंजी एवं अनुसंधान; अवसंरचना; बाजार का परिष्करण (ऋण, निवेश आदि); व्यवसाय का परिष्करण (ज्ञान आधारित कर्मी/ नवाचार संपर्क/ ज्ञान ग्रहण); ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट (ज्ञान सृजन/ ज्ञान प्रभाव/ ज्ञान प्रसार); तथा रचनात्मक आउटपुट।
- **सूचकांक के मुख्य बिंदु:**
    - **स्विट्जरलैंड** लगातार 13वें वर्ष **GII में पहले स्थान** पर है।
    - वैश्विक स्तर पर मजबूत तकनीकी प्रगति हुई है। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहन और ऑटोमेशन जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने में भी तेजी आई है।
    - **भारत में नवाचार की स्थिति:**
        - भारत **निम्न-मध्यम आय वर्ग वाले देशों में अग्रणी देश है और स्थिर** बना हुआ है।
        - भारत ने **लगातार 13वें वर्ष नवाचार में बहुत बेहतर प्रदर्शन** करते हुए कीर्तिमान बनाया है।
        - **शोध प्रकाशन आउटपुट के मामले में भारत ने (2022 में चौथी रैंक), यूनाइटेड किंगडम (पांचवीं) को पीछे छोड़** दिया है और जर्मनी (तीसरी) से केवल एक रैंक पीछे है।
        - **शीर्ष 100 टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स में भारत के 4 क्लस्टर्स शामिल हैं।** ये हैं: बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई।

3.5.17. मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स (Multilateral Development Banks: MDBs)

- G20 विशेषज्ञ समूह ने 'बिगर, बोल्डर, बेटर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स (MDBs)' शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है।
- यह रिपोर्ट **मोरक्को के मारकिश में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक** में प्रस्तुत की गई थी।
- इस बैठक में स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह ने **रिपोर्ट का दूसरा भाग** प्रस्तुत किया था।
- यह रिपोर्ट 'बिगर, बोल्डर, बेटर MDBs' की थीम पर **बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) में सुधारों पर केंद्रित** है।
    - इससे पहले रिपोर्ट का **प्रथम भाग प्रस्तुत** किया गया था। इसमें **2030** तक MDBs के वार्षिक ऋणदान स्तरों को **तीन गुना बढ़ाकर 390 बिलियन डॉलर** करने की बात कही गई थी।
- MDBs वे वित्तीय संस्थान होते हैं, जिनकी स्थापना **विश्व के कई देश मिलकर** करते हैं। ये संस्थाएं **अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा शासित** होती हैं। इन संस्थाओं के उदाहरण हैं- **ब्रेटन वुड संगठन, एशियाई विकास बैंक** आदि।
- **रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें:**
    - **बेटर MDBs:**
        - इसके लिए निम्न और मध्यम आय वाले देशों के संबंध में **बाह्य वित्त-पोषण अंतराल से जुड़ी मुख्य समस्या** का समाधान करना चाहिए।
        - जलवायु कार्रवाई में **गैर-रियायती ऋण** देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
        - **क्षेत्रीय कार्यक्रमों के साथ एकीकरण द्वारा राष्ट्रीय परिवर्तनों** को बढ़ावा देना चाहिए।
    - **बिगर MDBs:**
        - **जोखिम से बचने** की प्रवृत्ति की बजाय सूचित जोखिम लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर **निजी वित्त** को प्रोत्साहित करना चाहिए।
        - अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के लिए **अधिक से अधिक दान देने की प्रतिबद्धता प्रकट की जानी चाहिए।**
        - **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** का समर्थन करते हुए **वित्तीय रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के लिए एक ग्लोबल चैलेंजेज फंडिंग मैकेनिजम (GCFM)** की स्थापना करनी चाहिए।
    - **बोल्डर MDBs:**
        - **कैस्केड सिद्धांत को अपनाना:** इसका तात्पर्य यह है कि जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण प्रदान करने से बचते हैं, वहां निजी क्षेत्र से वित्त का प्रबंध किया जाना चाहिए।
        - **बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी** (MIGA) को सशक्त बनाना चाहिए।

3.5.18. उभरते बाजार बॉण्ड सूचकांक (Emerging-Market Bond Index: EMBI)

- **जेपी मॉर्गन** जून 2024 से **भारत सरकार के बॉण्ड** को अपने बेंचमार्क EMBI में जोड़ेगा।
- EMBI **उन अंतर्राष्ट्रीय सरकारी और कॉरपोरेट बॉण्ड्स के कुल रिटर्न प्रदर्शन को मापने** के लिए एक बेंचमार्क सूचकांक है, जो विशिष्ट तरलता एवं संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

- **EMBI में शामिल होने के निम्नलिखित संभावित परिणाम हो सकते हैं:**
    - देश की संप्रभु उधार लागत में कमी हो सकती है,
    - चालू खाता घाटे के वित्त-पोषण में मदद मिल सकती है,
    - घरेलू वित्तदाताओं के लिए अधिक उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश करने हेतु तरलता प्राप्त हो सकती है,
    - रुपये की मांग में वृद्धि हो सकती है और इसके मूल्य को समर्थन मिल सकता है आदि।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

4. सुरक्षा (Security)

4.1. अलगाववाद (Separatism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के विदेश मंत्री ने अलगाववाद और संगठित अपराध के बीच बढ़ती सांठगांठ पर नजर बनाए रखने का सुझाव दिया।

अलगाववाद क्या है?

- सरल शब्दों में कहें तो एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करना अलगाववाद है। कई बार इसमें एक अलग व स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण या मौजूदा राष्ट्र के साथ संबंधों को नए सिरे से निर्धारित करने की मांग भी की जाती है।
- देश के अलग-अलग राज्यों में कई क्षेत्रों/ समुदायों के बीच राष्ट्र के साथ संबंधों को फिर से तय करने की मांग उठती रही है। इस तरह की मांगों का स्वरूप और उन्हें पूरा करने के तरीके अलग-अलग हैं, जिन्हें निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है:

उग्रवाद	• यह वर्तमान शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने या चुनौती देने के लिए **प्रशासन या सरकारी प्राधिकरण के खिलाफ किया गया संगठित व सशस्त्र विद्रोह** है। • आतंकवाद के विपरीत, **उग्रवादी आंदोलन के लिए सामान्यतः समाज के एक वर्ग से प्रत्यक्ष** या **नैतिक समर्थन** प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इससे उग्रवादी अपनी गतिविधियों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं और वैधानिक सत्ता यानी सरकार को चुनौती देते हैं। • उदाहरण के लिए- मध्य और पूर्वी भारत में वैचारिक विद्रोह या माओवाद या नक्सलवाद।
अलग राज्य की मांग के लिए आंदोलन: ये आंदोलन आम तौर पर तीन रूप धारण कर सकते हैं:	
अलग राज्य के लिए आंदोलन	• इसके तहत एक या एक से अधिक राज्यों से कुछ क्षेत्र को मिलाकर **एक अलग राज्य बनाने की मांग** की जाती है।
स्वायत्तता के लिए आंदोलन	• इसके तहत किसी एक क्षेत्र या एक से अधिक क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मामलों में स्वायत्तता प्राप्त करने हेतु **लोगों की सामूहिक लामबंदी** की जाती है। • उदाहरण के लिए- बोडोलैंड, कार्बी और दिमासा (या दिमासा-कचारी) ने असम राज्य के भीतर स्वायत्तता प्राप्त कर ली है।
अलगाववादी आंदोलन (Secessionist movement)	• इसे पूरी तरह से अलगाव के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत अलगाववादी या एक क्षेत्र के लोग अपने देश से **अलग होकर एक संप्रभु देश की मांग करते हैं।** • उदाहरण के लिए - ग्रेटर नागालिम की मांग।

अलगाववादी प्रवृत्तियों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक

- **आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन:** उदाहरण के लिए- स्वतंत्रता के बाद से ही पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकास की दृष्टि से उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। इससे इस क्षेत्र में अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है।
- **सांस्कृतिक पहचान:** नागालिम की मांग के पीछे अलग संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संरक्षण का तर्क दिया जाता है।

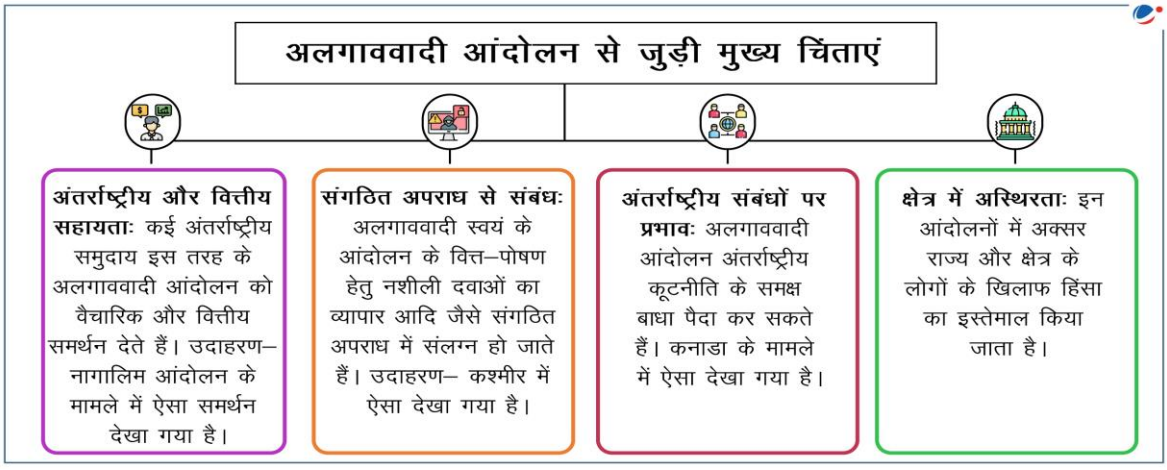

- **ऐतिहासिक कारण:** उदाहरण के लिए- स्वतंत्रता के बाद मिजोरम में शुरू हुए अलगाववादी आंदोलन का एक कारण यह था कि कुछ मिजो लोगों का मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थे और इसलिए वे भारतीय संघ से संबंधित नहीं थे।
- **देश के प्रति विश्वास की कमी:** कई बार जनता में इस बात को लेकर संशय की स्थिति बन जाती है कि देश या राज्य उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। उदाहरण के लिए- पश्चिम अफ्रीकी देशों, जैसे- माली, गिनी और बुर्किनाफासो में कई समूह एक अलग राष्ट्र की मांग उठा रहे हैं।
- **विदेश नीति:** यूक्रेन के कुछ लोगों का विश्वास है कि उसे यूरोपीय संघ और नाटो में शामिल होना चाहिए जबकि अन्य लोग रूस के साथ जुड़ाव पर बल देते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय और वित्तीय सहायता:** कई अलगाववादी आंदोलनों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वैचारिक और वित्तीय समर्थन मिलता है।

अलगाववादी आंदोलन और अन्य क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति भारत का दृष्टिकोण

- **लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत:** भारत ने दमन के बजाय लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत के माध्यम से क्षेत्रीय आकांक्षाओं का समाधान किया है। उदाहरण के लिए- मिजोरम में शांति बनाए रखने के लिए **मिजो समझौते पर हस्ताक्षर** करना।
- **सत्ता में भागीदारी:** कई बार क्षेत्रीय समूहों और दलों को सत्ता में भागीदारी दी गई है ताकि उनके सामूहिक विकास में उनकी भी हिस्सेदारी दिखे।
- **पिछड़े क्षेत्रों का विकास:** अपर्याप्त अवसंरचना तथा संसाधनों तक सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों के संधारणीय विकास के लिए विशेष ध्यान दिया गया तथा कई योजनाएं बनाई गई हैं। उदाहरण के लिए- आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational District Programme)।
- **संविधान का लचीलापन:** संविधान में कुछ राज्यों और क्षेत्रों की विशेष स्थिति के चलते उन्हें शासन संबंधी स्वायत्तता प्रदान करने हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं।
  - संविधान की छठी अनुसूची विभिन्न जनजातियों को स्वायत्त तरीके से उनकी प्रथाओं और प्रथागत कानूनों को संरक्षित करने की अनुमति देती है।
- **बल प्रयोग:** क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए **यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम** जैसे समूहों के खिलाफ बल का प्रयोग भी किया जाता है।

4.2. भारत का आतंकवाद-रोधी दृष्टिकोण (India's Anti-Terrorism Approach)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने **राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)[77] द्वारा आयोजित आतंकवाद-रोधी सम्मेलन** को संबोधित किया। इस सम्मेलन में उन्होंने न केवल आतंकवाद से निपटने बल्कि इसके संपूर्ण इकोसिस्टम को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा, गृह मंत्री ने आतंकवाद से निपटने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए।

आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का दृष्टिकोण

- **कानूनी फ्रेमवर्क:** भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए प्रमुख कानून निम्नलिखित हैं:
  - गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 {Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967};
  - राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (National Security Act, 1980); आदि।
- **कानून लागू करने के लिए समर्पित एजेंसी:** NIA भारत में आतंकवाद-रोधी कानून प्रवर्तन संगठन के रूप में कार्य करने वाली प्रमुख एजेंसी है।
  - इसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), राज्य पुलिस सेवाओं जैसी अन्य एजेंसियों सहयोग प्रदान करती हैं।
- **आतंकवाद के वित्त-पोषण को रोकना:** भारत निम्नलिखित संगठनों का सदस्य है:
  - वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (Financial Action Task Force: FATF);
  - एशिया/ पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग; और
  - यूरेशियन ग्रुप।
- **हिंसक उग्रवाद की रोकथाम (Countering Violent Extremism):** केंद्रीय गृह मंत्रालय, हिंसक उग्रवाद से निपटने वाला प्रमुख मंत्रालय है।
- **लोगों का विश्वास जीतना:** कट्टरता की संभावनाओं को कम करने के लिए सरकार निम्नलिखित विकासात्मक पहल कर रही है:
  - **सिविक एक्शन प्रोग्राम:** सरकारी सुरक्षा बल इस तरह के कार्यक्रम के जरिए स्थानीय आवश्यकताओं और स्थितियों के अनुसार कुछ सिविक गतिविधियां करते हैं, जैसे- चिकित्सा शिविरों का आयोजन, स्वच्छता अभियान, खेलों का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नि:शुल्क परामर्श, मुफ्त दवा वितरण आदि।
  - **उड़ान योजना:** इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास के जरिए जम्मू-कश्मीर में युवाओं की क्षमता का निर्माण करना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग:** भारत ने कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी मंचों पर प्रभावी भूमिका निभाई है। भारत ने इन मंचों के जरिए आतंकवाद-रोधी बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया है।

[77] National Investigation Agency

- 1996 में, भारत ने पहल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय[78] का मसौदा तैयार किया था। इसका उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करना था।

नोट: *आतंकवाद का मुकाबला करने में NIA की भूमिका पर अगले आर्टिकल में विस्तार से चर्चा की गई है।

आतंकवाद के प्रति मौजूदा दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता क्यों है?

- **संगठन से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े बिना भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना:** पिछले कुछ सालों में यह देखने को मिला है कि आतंकवादी आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न देशों में फैले समान विचारधारा वाले समूहों/ व्यक्तियों के जरिए आतंकी कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। इसके चलते लोन वुल्फ हमलों में भी वृद्धि हुई है।
- **हथियारों की बदलती प्रकृति:** कुछ आतंकवादी समूह अब रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल या परमाणु (CBRN)[79] सामग्रियों का उपयोग करने की क्षमता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** आतंकवादी अब सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं। इसके चलते कहीं से और कभी भी साइबर हमले का जोखिम तेजी से बढ़ रहा है।

डेटा बैंक

नवीनतम **वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (2023) में भारत 13वें स्थान** पर है। भारत उन देशों के समूह में भी शामिल है जो आतंकवादी गतिविधियों से सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं।

- **आतंकवाद हेतु धन जुटाने के नए तरीके:** आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने हेतु धन जुटाने के लिए विशेष रूप से क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म या वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं।
  - ऐसी गतिविधियों की संख्या और उनकी विविधता को देखते हुए उनका पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो रहा है।
- **वैश्विक स्तर पर आतंकवाद की सर्वसम्मत परिभाषा का अभाव:** वैश्विक स्तर पर आतंकवाद की परिभाषा को लेकर सर्वसम्मति नहीं है। इसके परिणामस्वरूप 'आतंकवाद' की सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा का अभाव बना हुआ है।
- **अन्य संगठित अपराधों के साथ सांठगांठ:** आतंकवादी गतिविधियों एवं नकली वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार, वनस्पतियों व जीवों से संबंधित अवैध अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी आदि के बीच गठजोड़ भारत के लिए नई चिंताएं पैदा कर रही हैं।
  - फिक्की (FICCI) की एक रिपोर्ट की मानें तो मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद परस्पर रूप से संबंधित हैं।
- **अलग-अलग एजेंसियों के बीच सहयोग का अभाव:** केंद्र और राज्य स्तर पर अलग-अलग आतंकवाद-रोधी एजेंसियां (ATAs)[80] सीमित सहयोग और डेटा आदान-प्रदान के साथ काम कर रही हैं।
- **कानूनी और न्यायिक प्रणाली में देरी एवं जटिलताएं।**

आगे की राह

- **सम्मेलन में सुझाए गए प्रमुख उपाय:**
  - NIA के तहत सभी राज्यों के लिए **आतंकवाद-रोधी एक मॉडल संरचना** तैयार की जानी चाहिए।
  - आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और अधिक सफल बनाना चाहिए। इसके लिए सभी ATAs को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में डेटाबेस के बहुआयामी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित उपयोग को बढ़वा देना चाहिए।
  - इस हेतु भारत ने निम्नलिखित डेटाबेस वर्टिकल्स तैयार किए हैं:
    - इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS),
    - नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (NAFIS),
    - नेशनल इंट्रीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को-ऑफेंडर्स (NIDANO),
    - नेशनल डेटाबेस ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर्स (NDHTO), आदि।
    - इन डेटाबेस वर्टिकल्स का उपयोग आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए किया जा सकता है।
  - केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए **राज्य की सभी ATAs में एक समान हायरार्की और मानक संचालन प्रक्रिया होनी चाहिए।**

[78] Comprehensive Convention on International Terrorism

[79] Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear

[80] Anti-Terrorist Agencies

- **NIA, आतंकवाद-रोधी दस्ते और स्पेशल टास्क फोर्स** को आतंकवाद के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए लीक से हटकर सोचना चाहिए और आतंकवाद से निपटने के लिए नवीन उपाय करने चाहिए।
  - उदाहरण के लिए- आतंकवादियों द्वारा युवा लड़कों को फंसाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों (मोडस ऑपरेंडी) का अध्ययन करने में NIA को **पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो** (BPR&D)[81] की मदद करनी चाहिए।
- **वैश्विक स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक सहयोग** किया जाना चाहिए। इसमें देश के अलग-अलग राज्यों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शामिल है।
- **एक साझा प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना** चाहिए ताकि आतंकवाद का मुकाबला करने की कार्यप्रणाली में एकरूपता लाई जा सके।

- **अन्य उपाय:**
  - **अन्य संगठित अपराधों के साथ आतंकवादियों के जुड़ाव पर ध्यान देना:** उदाहरण के लिए- **'ऑपरेशन ध्वस्त'** मामले में NIA ने पंजाब और हरियाणा पुलिस के साथ समन्वय कर **आतंकवादी-गैंगस्टर-ड्रग्स-हथियार तस्करी** के गठजोड़ को तोड़ने के लिए छापेमारी की थी।
  - **पड़ोसी देशों के साथ सहयोग:** विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने **नेबरहुड फर्स्ट नीति** के तहत आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक साझा मंच स्थापित करने की सिफारिश की है।
  - **डिजिटल इकोसिस्टम की सुरक्षा को मजबूत करना:** डिजिटल इकोसिस्टम या साइबरस्पेस के बढ़ते महत्त्व के कारण इसे और अधिक सुरक्षित एवं मजबूत बनाने के लिए बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता है।
    - साइबर सुरक्षा हेतु ऑस्ट्रेलिया की **'एसेंशियल 8'** जैसी रणनीति पर आगे बढ़कर विचार किया जा सकता है।
  - **हमारे लोकतंत्र को भीतर से मजबूत करना:** लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करके सरकार नागरिकों का विश्वास और सहयोग हासिल कर सकती है।

4.2.1. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency: NIA)

NIA के बारे में

- NIA का गठन **2008** में किया गया था। इसे 26/11 के **मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद बनाए गए** राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत गठित किया गया था।
- **उद्देश्य:** फोकस्ड कार्यबल के साथ **राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का मुकाबला करने** और **राष्ट्रीय सुरक्षा-संबंधी अन्य जांच** में **बेहतर मानक स्थापित करना।**
- यह **गृह मंत्रालय** के अधीन कार्य करती है।
- इसे राज्यों से अनुमति लिए बिना ही **राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने का अधिकार प्राप्त** है।
- **राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2019** ने NIA को भारत के बाहर किए गए **अनुसूचित अपराधों की जांच करने की शक्ति प्रदान की है।**

आतंकवाद-रोधी प्रयासों में NIA की भूमिका

- **राज्यों के साथ सहयोग:** यह आतंकवादी मामलों की जांच में सभी राज्यों और अन्य जांच एजेंसियों को सहायता प्रदान करता है।
- **प्रभावी और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करना:** NIA जिन लोगों को गिरफ्तार करता है उनके दोषी पाए जाने का दर अधिक रही है। 2022 में NIA द्वारा की गई गिरफ़्तारी के मामले में **समग्र दोषसिद्धि दर (Overall Conviction Rate) लगभग 94%** थी।
- **डेटा कलेक्शन:** NIA को सात क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। ये क्षेत्र हैं- मादक पदार्थ, हवाला, हथियारों की तस्करी, नकली मुद्रा, बम विस्फोट, टेरर फंडिंग और आतंकवाद।
- **पेशेवर तरीके से गहन जांच:** यह उन अपराधों की जांच करता है जहां साक्ष्य एकत्र करना काफी मुश्किल होता है।
- **सतर्क और परिस्थितिजन्य उपाय:** उदाहरण के लिए- NIA ने जम्मू-कश्मीर में ओवर ग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ कई मामले दर्ज किए और उनके स्लीपर सेल को काफी बेहतर तरीके से समाप्त किया।

संबंधित सुर्ख़ियां:

फिक्की ने "हिडन स्ट्रीम्स: अवैध बाजार, वित्तीय प्रवाह, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध[82]" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की

- इस रिपोर्ट में 122 देशों में अलग-अलग अवैध गतिविधियों से जुड़े पहलुओं की जांच की गई है। इसमें संगठित अपराध करने वालों और अवैध आर्थिक गतिविधियों के बीच गठजोड़ को उजागर किया गया है। अवैध आर्थिक गतिविधियों में शामिल हैं: मनी लॉन्ड्रिंग, जाली करेंसी का कारोबार, हथियार व नशीली दवाओं की तस्करी, आतंकवाद एवं अन्य संगठित अपराध आदि।

[81] Bureau of Police Research and Development

[82] Hidden Streams: Linkages between Illicit Markets, Financial Flows, Organized Crime and Terrorism

- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - **संयुक्त राष्ट्र** का अनुमान है कि एक वर्ष में वैश्विक स्तर पर की जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग का मूल्य वैश्विक GDP के 2 से 5% तक के बीच हो सकती है।
- **रिपोर्ट में भारत से संबंधित कुछ बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC)[83] की मानें तो भारत में **मनी लॉन्ड्रिंग से जुडी कुल राशि 159 बिलियन अमरीकी डॉलर है।**
  - **वैश्विक संगठित अपराध सूचकांक[84], 2021** में विश्व के 122 देशों में संगठित अपराध के लिए औसत बेंचमार्क 5.2 था। इसे अलग-अलग देशों 1-10 के पैमाने पर मापा गया था। गौरतलब है कि इस सूचकांक में भारत का स्कोर वैश्विक औसत से कम (4.3) था। यह संगठित अपराध करने वालों के कम प्रसार को दर्शाता है।
  - **भारत में राजस्व खुफिया निदेशालय[85]** ने 2021-2022 में शुल्क चोरी के 437 मामलों दर्ज किए, जो 2020-21 की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है।
  - **भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के प्रसार के चलते** नकली वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार को बढ़वा मिलता है। इसके चलते आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी चिंताएं भी बढ़ जाती हैं।
  - 2021 में लगाए गए एक अनुमान के अनुसार, देश के **अलग-अलग भागों में हिंसा के चलते 1.17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ** था। यह राशि PPP के संदर्भ में देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6% है।
- **मुख्य सिफारिशें:** खतरों को समाप्त करने के लिए नीतिगत रूप में **6C** को अपनाना:
  - विनियमकीय फ्रेमवर्क के तहत आतंकवाद और संगठित अपराध का संज्ञान लेना (**C**ognisance of Terrorism and Organised Crime Under Regulatory Framework),
  - धन के अवैध प्रवाह का सतत एवं बारीकी से मूल्यांकन करना (**C**ontinuous and Critical Evaluation of Illicit Financial Flows),
  - बेहतर समन्वय के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी का गठन करना (**C**entral Nodal Agency for Greater Coordination),
  - जागरूकता पैदा करना और उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएँ बदलना (**C**reating Awareness and Changing Consumer Preferences),
  - व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना (**C**ombatting Trade Based Money Laundering), और
  - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग एवं समन्वय बनाना (**C**ooperation and Coordination at International Level)।

4.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

4.3.1. भारतीय वायु सेना (IAF) का नया ध्वज प्रतीक {New Indian Air Force (IAF) Ensign}

- भारतीय वायु सेना की **91वीं वर्षगांठ** के अवसर पर IAF के नए ध्वज प्रतीक का अनावरण किया गया।
- नए ध्वज प्रतीक में **ऊपरी दाएं कोने पर वायु सेना का क्रेस्ट** शामिल है।
  - IAF क्रेस्ट के शीर्ष पर **राष्ट्रीय प्रतीक 'अशोक सिंह' उत्कीर्ण** है और उसके नीचे **देवनागरी में "सत्यमेव जयते"** लिखा है।
  - अशोक सिंह के नीचे एक **हिमालयी बाज** है, जिसके पंख फैले हुए हैं। यह **भारतीय वायुसेना के युद्ध कौशल को दर्शाता** है।
  - **हल्के नीले रंग का एक वलय हिमालयी बाज को घेरे हुए है**, जिस पर **"भारतीय वायु सेना"** लिखा हुआ है।
  - भारतीय वायु सेना का आदर्श वाक्य **"नभः स्पृशं दीप्तम्"** हिमालयी बाज के नीचे **देवनागरी** में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। यह आदर्श वाक्य **भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24** से लिया गया है। इसका अर्थ है- **गौरव के साथ आकाश को छुओ।**

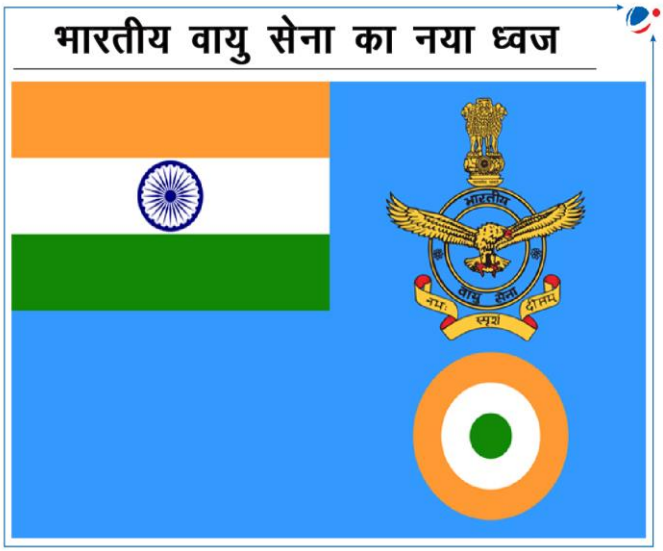

[83] UN Office on Drugs and Crime

[84] Global Organised Crime Index

[85] Directorate of Revenue Intelligence

4.3.2. सोनोबॉयज (Sonobuoys)

- भारतीय नौसेना ने **MQ-9B सी-गार्जियन ड्रोन को सोनोबॉयज** से लैस करने की योजना बनाई है।
- सोनोबॉयज एक छोटा उपकरण है। इसका उपयोग **पानी के अंदर ध्वनि का पता लगाने** के लिए किया जाता है।
    - इसमें **हाइड्रोफोन लगे होते हैं, जो पानी के अंदर ध्वनियों का पता** लगाते हैं। ये विशेषकर **पनडुब्बियों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ध्वनियों का पता** लगाते हैं।
    - इन उपकरणों को **विमान या जहाजों पर** लगाया जाता है। ये रियल टाइम आधार पर ध्वनि संबंधी डेटा को प्रसारित करते हैं। इससे दुश्मनों की **पनडुब्बी से संभावित खतरों का पता लगाने में मदद** मिलेगी।

4.3.3. सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास (Simbex Exercise)

- यह **वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक** अभ्यास है। इसे **भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर की नौसेना** संयुक्त रूप से आयोजित करती है।

5. पर्यावरण (Environment)

5.1.ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेसिलिएंस (Global Infrastructure Resilience)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन **(CDRI)**[86] ने वैश्विक अवसंरचना पर पहली द्विवार्षिक (दो वर्ष में एक बार) रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक **"ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेसिलिएंस: कैप्चरिंग द रेसिलिएंस डिविडेंड**[87]**"** है।

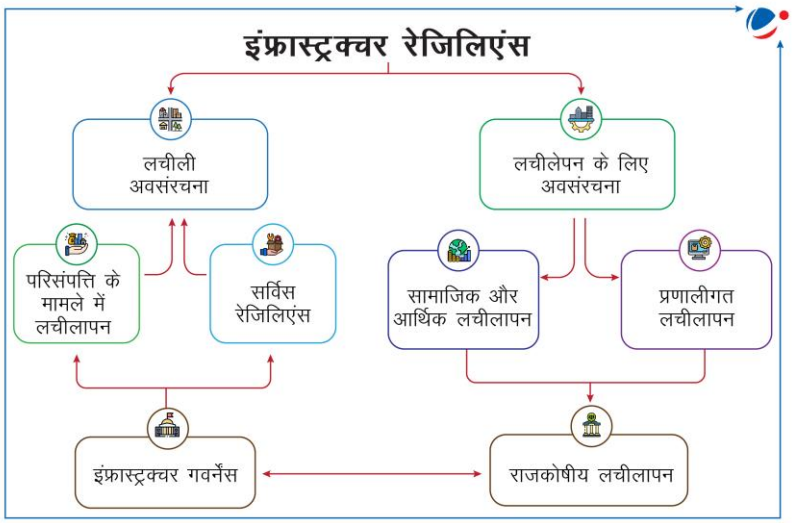

इंफ्रास्ट्रक्चर रेसिलिएंस या अवसंरचना लचीलापन क्या है?

- **अवसंरचना:** संयुक्त राष्ट्र ने अवसंरचना को "समुदाय या समाज के सामाजिक और आर्थिक काम-काज के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली भौतिक संरचनाओं, सुविधाओं, नेटवर्क और अन्य परिसंपत्तियों" के रूप में परिभाषित किया है।
- **रेसिलिएंस या लचीलापन:** सरल शब्दों में कहें तो काम-काज के स्तर को बनाए रखते हुए सकारात्मक, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से **जोखिमों** से **रक्षा करने, मुकाबला करने, सहने, अनुकूलन, प्रतिक्रिया करने एवं ठीक होने** की क्षमता को ही लचीलापन कहते हैं।
- **आयाम:**
  - **लचीली अवसंरचना:** इसका आशय खतरनाक घटनाओं और आघातों को सहने, उनके खिलाफ प्रतिक्रिया करने और उनसे उभरने में सक्षम अवसंरचना से है।
  - **लचीलेपन के लिए अवसंरचना:** इसका आशय व्यापक सामाजिक और आर्थिक या प्रणालीगत लचीलेपन का समर्थन करते हुए नए प्रणालीगत जोखिम पैदा न करने वाली अवसंरचना से है।

वैश्विक अवसंरचना जोखिम के मद्देनज़र अवसंरचना लचीलेपन की आवश्यकता

- **पुरानी हो चली अवसंरचना:** कई देशों में अवसंरचना संबंधी पुरानी परिसंपत्तियों को बदलने की जरूरत है। ऐसा खासकर उन देशों में करना जरूरी है जहां औद्योगिकीकरण द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हुआ था।
- **अवसंरचना संबंधी अकुशल गवर्नेंस:** निम्न आय वाले देशों में **अवसंरचना की व्यापक कमी** के चलते सामाजिक-आर्थिक विकास बाधित होता है। इस स्थिति में अवसंरचना संबंधी अकुशल गवर्नेंस के कारण यह समस्या और बढ़ जाती है।
  - अवसंरचना संबंधी अकुशल गवर्नेंस में अनुपयुक्त योजना और डिजाइन; निम्नस्तरीय मानक; अप्रभावी विनियमन एवं अनुपालन एवं कम निवेश आदि शामिल हैं।
- **प्रणालीगत जोखिम:** जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि जैसे प्रणालीगत जोखिम पृथ्वी पर जीवन की क्षमता को प्रभावित करते हैं।
  - जलवायु परिवर्तन शमन को लेकर किए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के जरिए कार्बन-लॉक-इन अवसंरचना के स्थान पर कम, शून्य या नकारात्मक उत्सर्जन वाली अवसंरचना को **तेजी से अपनाने पर जोर दिया** गया है।
- **विकासात्मक लाभ:** अवसंरचना के लचीलेपन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किया गया निवेश काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इस तरह के निवेश से देश एक ऐसे विकास पथ पर आगे बढ़ सकते है जो गुणवत्ता और भरोसेमंद आवश्यक सेवाओं, अवसंरचना परिसंपत्तियों के लिए कम नुकसानदायक, कम प्रणालीगत जोखिम और सतत विकास लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो।
- **अनुपातहीन प्रभाव:** निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMICs)[88] में अवसंरचना के लचीलेपन के लिए आवश्यक संसाधनों की मात्रा मौजूदा निवेश की तुलना में दस गुना कम है।
- **अवसंरचना हेतु वित्त:** हालिया अनुमान के अनुसार, अवसंरचना की कमी को दूर करने, SDGs और 2050 तक निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 9.2 ट्रिलियन डॉलर वार्षिक निवेश की आवश्यकता है।

---

[86] Coalition for Disaster Resilient Infrastructure

[87] Global Infrastructure Resilience: Capturing the Resilience Dividend

[88] Low and Middle Income Countries

- यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वर्षों में कुल वैश्विक अवसंरचना निवेश का **50% हिस्सा** केवल चार देश (चीन, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका) में निवेश होगा।

प्रकृति-आधारित अवसंरचना समाधान (Nature-based Infrastructure Solutions: NbIS)

NbIS की विशेषताएं: ये **अवसंरचना की रक्षा भी करते हैं और अवसंरचना संबंधी सेवा भी प्रदान** करते हैं। ये जलवायु परिवर्तन को सहने में सक्षम होते हैं। ये पर्यावरणीय अखंडता और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। ये सामाजिक भलाई को भी सुनिश्चित करते हैं। इसलिए यदि इन्हें व्यापक रूप से अपनाया जाए, तो ये लचीलेपन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

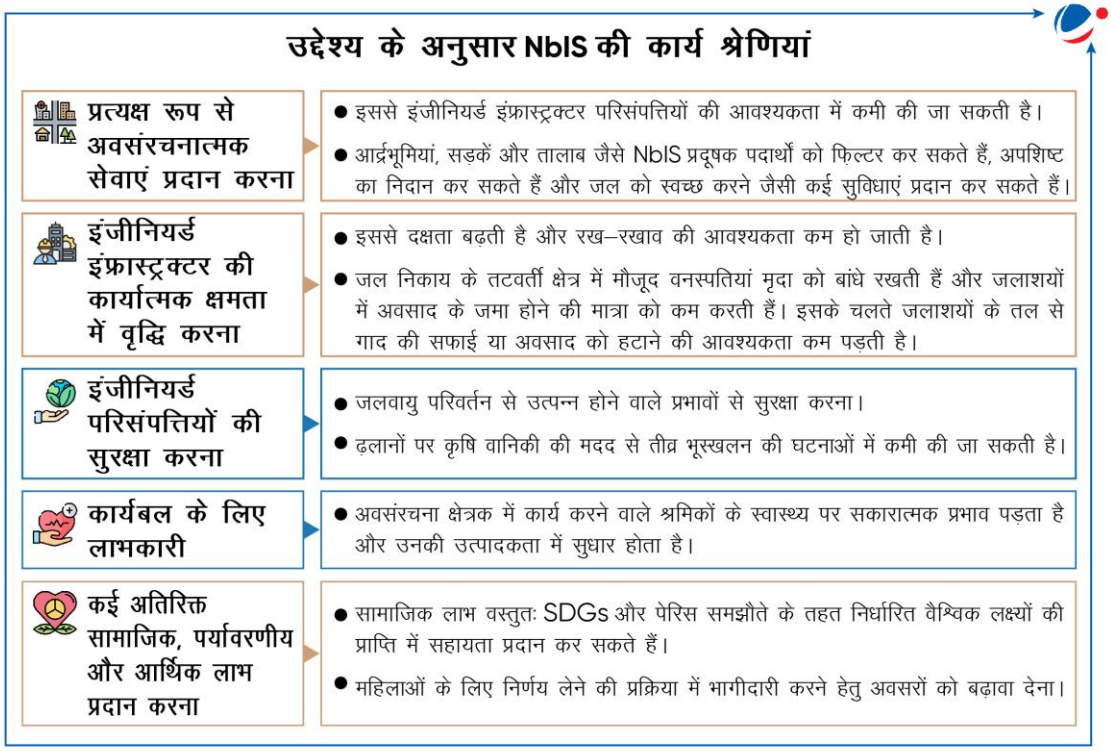

- **पारंपरिक अवसंरचना की सुरक्षा:** NbIS का उपयोग करके पारंपरिक 'ग्रे' अवसंरचना की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। NbIS, 'ग्रे' अवसंरचना को सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं या 'ग्रे' अवसंरचना की जगह NbIS का भी उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार यह प्रकृति के अनुकूल निर्माण कार्य करने की दिशा में एक आदर्श बदलाव ला सकता है।
- **कम लागत:** औसत रूप से देखें तो ग्रे अवसंरचना परियोजनाओं की तुलना में NbIS की लागत 49 प्रतिशत कम है। दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रे अवसंरचना परियोजनाओं की 51 प्रतिशत लागत में ही प्रकृति-आधारित अवसंरचना समाधान (NbIS) हासिल किए जा सकते हैं।
- **कार्बन उत्सर्जन को कम करना:** NbIS किसी अवसंरचना के जीवनचक्र के दौरान कार्बन उत्सर्जन को भी कम करते हैं। इससे भूमि के उपयोग में बदलाव करने से बचने और अवसंरचना के जीवनकाल को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- **सामाजिक-आर्थिक परिणाम:** NbIS विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्णय लेने और गवर्नेंस में महिलाओं की भागीदारी के अवसरों में बढ़ोतरी करते हैं।
  - अनुमानों के अनुसार इसके चलते 2030 तक **59 मिलियन नौकरियां** पैदा हो सकती हैं।
  - NbIS को व्यापक रूप से अपनाने से **SDGs हासिल करने में सहायता मिलेगी।**

NbIS को एकीकृत करने की चुनौतियां

- **ज्ञान की आवश्यकता:** NbIS के लिए नए अंत:विषयक ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। पारंपरिक इंजीनियरों एवं वास्तुकारों के पास इस ज्ञान और कौशल का प्रायः अभाव रहता है।
- **शोध का अभाव:** पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्य निर्धारित करने, प्रकृति-आधारित मूल्यों को मॉडलिंग और लागत-लाभ लेखांकन में एकीकृत करने और NbIS के डिजाइन की सुगम बनाने वाले शोध का अभाव है।
- **जोखिम मूल्यांकन का अभाव:** जोखिम निर्धारण के मामले में एक विश्वसनीय और मजबूत प्रक्रिया के बिना NbIS संबंधी लचीलेपन से मिलने वाले लाभों का पता लगाना लगभग असंभव है।
- **राजनीतिक रूप से अनाकर्षक:** NbIS कभी-कभी राजनीतिक रूप से अनाकर्षक हो सकते हैं क्योंकि यह निजी लाभ प्राप्त करने के अवसरों को कम करता है।
- **परिपक्वता अवधि (Gestation period):** अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तत्काल आवश्यकता की स्थिति में NbIS प्रायः एक धीमा समाधान हो सकता है।

NbIS को एकीकृत करना

- **अनुसंधान:** इस संबंध में सावधानीपूर्वक समीक्षा, क्यूरेटेड, अप-टू-डेट, बहुभाषी और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अनुसंधान, पुस्तकालय, डिजाइन मानक और केस स्टडी आवश्यक हैं।
  - विशेषकर LMICs सहित सभी देशों को NbIS में **राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र** स्थापित करना पड़ेगा।
- **परिणाम से जुड़े NbIS:** NbIS संबंधी निगरानी को SDGs हासिल करने की राह में प्रगति और वैश्विक साझा लक्ष्यों से जोड़ना चाहिए। इससे NbIS को अधिक-से-अधिक अपनाने में मदद मिल सकती है।
- **विनियमन:** पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रभावी कानून बनाना जरूरी है ताकि NbIS में अधिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।
- **रेटिंग प्रणाली: रेटिंग टूल्स** लचीलेपन या संधारणीयता के लिए बाजार के संकेत के रूप में काम कर सकते हैं। साथ ही, इनके चलते बाजार में NbIS संबंधी प्रमाणित उदाहरण भी उपलब्ध हो सकते हैं।
  - उदाहरण के लिए- ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट **(GRIHA)**
- **वैश्विक मानक:** NbIS के लिए **निर्धारित वैश्विक मानक,** NbIS परियोजनाओं में अधिक-से-अधिक वित्त-पोषण के लिए मार्ग खोल सकते हैं।
- **वित्त-पोषण हेतु प्रोत्साहन:** ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदा निर्माण प्रक्रिया में NbIS को एकीकृत करना चाहिए। इससे अवसंरचना के प्रभाव को बढ़ाने, अवसंरचना के नुकसान और क्षति को कम करने और जैव विविधता के नुकसान को रोकने में सहायता मिल सकती है।

निष्कर्ष

दीर्घकालिक जीवनचक्र वाले डिजाइन पर अवसंरचना संबंधी परिसंपत्तियों का निर्माण करना आने वाले दशकों में निवेश को लेकर आश्वस्त रहने और विकास के पथ के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ-साथ विनाशकारी जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान से जुड़े जीवन के अस्तित्व संबंधी जोखिमों से निपटने के लिए अवसंरचना के लचीलेपन को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है।

5.2. हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ (Glacial Lake Outburst Flood: GLOF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सिक्किम में **हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ (GLOF)** की घटना घटित हुई है। यह घटना **दक्षिण ल्होनक झील** के दक्षिणी तटबंध के टूटने से हुई है।

क्या आप जानते हैं?

- लाचेन चू (नदी) और लाचुंग चू, चुंगथांग में मिलकर आगे **तीस्ता** नदी के नाम से बहती हैं।

सिक्किम में आई अचानक बाढ़ के लिए उत्तरदायी कारक

सिक्किम में आई आपदा मुख्यतः **निम्नलिखित कारकों के विनाशकारी संयोजन** के कारण उत्पन्न हुई थी।

- **हिमनद का पिघलना:** सिक्किम की **दक्षिण ल्होनक झील** काफी ऊंचाई पर हिमनदीय क्षेत्र में स्थित है। जलवायु परिवर्तन के कारण **हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं,** जिसके चलते ल्होनक झील में जल स्तर काफी बढ़ गया।
- **GLOF की घटना:** जब हिमनदों के पिघलने से प्राप्त जल के कारण हिमनदीय झील में जल की मात्रा चरम **बिंदु** तक पहुंच जाती है, तब हिमनदीय झील के तटबंध टूट जाते है। इसके कारण आई बाढ़ को **GLOF कहते हैं। इस घटना में बादल फटने के कारण होने वाली अत्यधिक वर्षा की भूमिका के चलते** GLOF का प्रभाव अत्यंत विनाशकारी हो जाता है।
  - **GLOF,** अचानक घटित होने वाली एक विनाशकारी घटना है। **हिमनदीय झील** के जल को रोक कर रखने वाले हिमनद या हिमोढ़ जैसे प्राकृतिक तटबंध के **टूटने से** अचानक और बहुत अधिक मात्रा में ढलान की दिशा में जल का प्रवाह होने लगता है। इसके कारण प्रचंड बाढ़ आती है।
- **चुंगथांग बांध:** बाढ़ का पानी **लाचेन नदी** से होते हुए **चुंगथांग में तीस्ता-III जल विद्युत परियोजना** तक पहुंच गया। **चुंगथांग बांध से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने** के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई।

हिमनदीय झीलों और GLOF के बारे में

- **हिमनदीय झील या हिमानी झील का आकार काफी बड़ा हो सकता है।** इन झीलों का निर्माण पिघलते हिमनद के सामने, ऊपर या नीचे भी हो सकता है।
  - सामान्यतः हिमनद के पिघलने से हिमनदीय झीलों में जल पहुंचता रहता है और झील का आकार भी बढ़ता जाता है। इन झीलों के तटबंध असंगठित हिमोढ़, अस्थिर हिम और अवसाद के बने होते हैं। अतः झील में जल की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाने से तटबंध टूट सकते हैं और जल एवं मलबे के तीव्र प्रवाह के कारण निचले इलाकों में काफी हानि हो सकती है।
  - ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और हिमनदीय झीलों के आकार और संख्या में वृद्धि हो रही है।

- किसी भी कारण से हिमनदीय झील में एकत्रित जल के अचानक और बहुत अधिक मात्रा में ढ़लान की दिशा में तीव्र प्रवाह के चलते निचले इलाकों में आने वाली प्रचंड बाढ़ को ही GLOF कहते हैं।
- **भारत में GLOF संबंधी सुभेद्यता**
    - हाल ही में, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) ने हिंदू कुश हिमालय (HI-WISE) आकलन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में 1.5°C से 2°C के बीच की वृद्धि से हिमनदों का विस्तार **2015 की तुलना में 30-50% तक कम हो** जाएगा।
    - **हाई माउंटेन एशिया (HMA)** क्षेत्र में रहने वाले 9 मिलियन से अधिक लोग **हिमनद झील के टूटने** के कारण खतरे का सामना कर सकते हैं। यहां हाई माउंटेन एशिया क्षेत्र से आशय तिएन शान, पामीर, हिंदू कुश, काराकोरम, हिमालय और किलियान शान की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे क्षेत्र से है।
    - भारत में पिछले दशक के दौरान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में **GLOF की कम-से-कम तीन अत्यधिक विनाशकारी घटनाएं** जैसे **केदारनाथ (2013), चमोली (2021) और सिक्किम (2023)** हुई हैं।

अचानक आने वाली बाढ़ या फ्लैश फ्लड आने के कारण

- **जल के प्रवाह में होने वाली वृद्धि:** अत्यधिक भारी वर्षा के कारण छोटी और मौसमी नदियों, सहायक नदियों एवं मुख्य नदी में जल की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। यह अचानक आने वाली बाढ़ का एक प्रमुख कारण है।
- **बादल फटना:** एक निश्चित क्षेत्र में कम समय में ही अचानक अत्यधिक भारी वर्षा को बादल फटना कहते हैं। बादल फटने की भविष्यवाणी करना बेहद कठिन होता है।
- **तूफानी वर्षा (Rainstorms):** IMD के अनुसार, तूफानी वर्षा का आशय एक निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र में काफी व अत्यधिक भारी वर्षा से है।
- **मानव जनित कारक:** बढ़ते केंद्रीकृत विकास और पर्यटन अर्थव्यवस्था के विस्तार के चलते संवेदनशील क्षेत्रों में अनियोजित तरीके से निर्माण किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए:
    - भूकंप, भूस्खलन और अन्य आपदाओं की आशंका वाले संवेदनशील क्षेत्रों में **जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण** करना।
    - पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में **असंधारणीय और अनियोजित अवसंरचनाओं का निर्माण** करना।
    - मानवजनित कारणों से ग्रीनहाउस गैसों और प्रदूषकों के उत्सर्जन के कारण **जलवायु परिवर्तन** एवं ग्लोबल वार्मिंग में होने वाली वृद्धि।

बाढ़ के प्रभाव को कम करने या बाढ़ के शमन हेतु उपाय

- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA):** इसने बाढ़ के प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही, NDMA ने इस दौरान अलग-अलग केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं को भी निर्धारित किया है।
    - **इस संबंध में NDMA द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश:**
        - 2020 में **GLOFs के प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश**,
        - 2010 में शहरी बाढ़ के प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश, और
        - 2008 में बाढ़ प्रबंधन के लिए **दिशा-निर्देश जारी।** (इन्फोग्राफिक देखें)
- **संरचनात्मक उपाय:** इसमें जलाशयों, तालाबों, तटबंधों का निर्माण करना; नदियों के अतिरिक्त जल को नहरों में भेजना या अन्य जल-निकासी सुविधा का निर्माण करना; अपवाह मार्ग और जल निकासी सुविधा में सुधार करना, वाटरशेड प्रबंधन आदि शामिल हैं।
- **बाढ़ संभावित क्षेत्र को जोन में बांटना:** इसका उद्देश्य बाढ़ की व्यापकता या उसके आने की बारंबारता के आधार पर क्षेत्रों को अलग-अलग जोन्स में बांटना है। साथ ही, इसका उद्देश्य इन जोन्स के लिए उपयुक्त अवसंरचना के निर्माण के प्रकार भी निर्धारित करना है।
- **अग्रिम चेतावनी प्रणाली:** NDMA ने भारत में जोखिम वाली 56 हिमनदीय झीलों में से अधिकांश के लिए रियल टाइम अलर्ट हेतु अग्रिम चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की योजना बनाई है।

- **जलविद्युत परियोजनाओं के लिए दिशा-निर्देश:** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने जलविद्युत परियोजनाओं के लिए **ढलान स्थिरता (Slope stability)** बनाए रखने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। **ढलान स्थिरता** का आशय ढलान को क्षतिग्रस्त किए बिना हुए जल के तीव्र प्रवाह को बनाए रखना है।

ऐसे उपाय जो किए जा सकते हैं:

- **जोखिम मूल्यांकन:** आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियां तैयार करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों का व्यापक जोखिम मूल्यांकन करके आवश्यक जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए।
- **निगरानी और डेटा संग्रह:** संवेदनशील हिमनदीय झीलों और नदियों के आस-पास की मौसम विज्ञान संबंधी घटनाओं का पता लगाने के लिए गहन निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का शीघ्र विकास किया जाना चाहिए।
- **जलवायु-शमन:** समुदायों और अवसंरचनाओं को बढ़ते जोखिम से रक्षा करने के लिए जलवायु शमन प्रयास और अनुकूलन संबंधी उपाय किए जाने की आवश्यकता है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), ड्रोन और लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग (Lidar) तकनीक का उपयोग करके संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है।
- **सामूहिक लचीलापन:** स्थानीय चेतावनी प्रणाली और सामूहिक लचीलेपन का निर्माण करने हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक एवं स्थानीय ज्ञान तथा प्रथाओं को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए।
- **ग्रीन-ग्रे अवसंरचना:** इसमें अतिरिक्त जल का भंडारण करने हेतु जलाशयों (Retention basins), आर्द्रभूमि, वृक्षारोपण, सेडीमेंट ट्रैप्स, बाढ़ अवरोध अवसंरचना, डायवर्जन चैनल आदि का निर्माण किया जाता है। इससे पर्वतीय नदियों की भू-आकृति में सुधार किया जा सकता है।
    - इसके अलावा, पहाड़ी क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं जैसे- बांध, पुल और राजमार्ग का निर्माण करते समय **गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले उपायों का सख्ती से पालन** किया जाना चाहिए।
- **EPIC रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क:** विश्व बैंक ने बाढ़ और सूखे के जोखिमों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए EPIC रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। EPIC रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क के घटक हैं- **सक्षम (Enable), योजना (Plan), निवेश (Invest), नियंत्रण (Control)।**

5.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.3.1. कोरल रीफ ब्रेकथ्रू (Coral Reef Breakthrough)

- इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव (ICRI) ने 'कोरल रीफ ब्रेकथ्रू' लॉन्च किया है। ICRI ने **'ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स' और संयुक्त राष्ट्र हाई-लेवल क्लाइमेट चैंपियंस के साथ साझेदारी** में कोरल रीफ ब्रेकथ्रू लॉन्च किया है।
    - इस पहल का लक्ष्य **उथले जल की उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के कम-से-कम 125,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को विलुप्त होने से बचाना** है।
- **लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य-योजनाएं:**
    - **प्रवाल को नुकसान पहुंचाने वाले स्थानीय कारकों को कम करना:** इनमें प्रदूषण के भूमि-आधारित स्रोतों, विध्वंसक तटीय विकास और अत्यधिक मत्स्यन गतिविधियों को कम करना शामिल हैं।
    - **लचीलापन आधारित प्रवाल भित्ति संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना:** इसके लिए 30x30 लक्ष्यों सहित वैश्विक तटीय सुरक्षा लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने और उन्हें पार करने की कोशिश की जाएगी।
        - **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क का लक्ष्य-3:** इसके तहत वर्ष 2030 तक कम-से-कम **30 प्रतिशत स्थलीय और अंतर्देशीय जल क्षेत्रों तथा समुद्री एवं तटीय क्षेत्रों को संरक्षित** करने का लक्ष्य रखा गया है।
    - **प्रवालों के अनुकूल व्यापक नवोन्मेषी समाधानों और क्लाइमेट स्मार्ट डिजाइनों के विकास एवं कार्यान्वयन में सहायता करना:** इससे **2030 तक 30 प्रतिशत निम्नीकृत प्रवालों की पुनर्बहाली** में मदद मिलेगी।

- प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और पुनर्बहाली के लिए सार्वजनिक व निजी स्रोतों से **2030 तक कम-से-कम 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश** जुटाया जाएगा।

- प्रवाल भित्तियां वस्तुतः सैकड़ों से लेकर हजारों **"पॉलीप्स"** नामक एकल प्रवालों के लघु समूह से बनी होती हैं।
  - प्रवाल समुद्री **अकशेरुकी जीव हैं। इनका कठोर बाहरी कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट से बना** होता है।
  - **भारत में, प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित समुद्री क्षेत्रों में प्राप्त होती हैं:**
    - कच्छ की खाड़ी,
    - मन्नार की खाड़ी,
    - अंडमान और निकोबार, तथा
    - लक्षद्वीप द्वीप समूह।

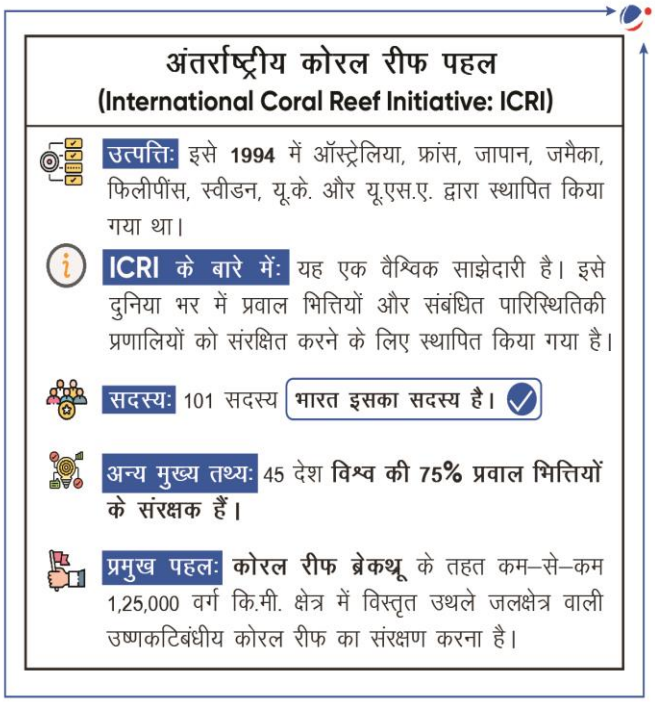

5.3.2. सतत वित्त (Sustainable Finance)

- UNESCAP ने "**सतत वित्त: एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अंतराल को कम करना**[89]" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है।
- सतत वित्त से तात्पर्य **संधारणीय कार्यकलापों का वित्त-पोषण** और **संधारणीय रूप से प्रबंधित वित्त** से है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - सतत वित्त में वैश्विक स्तर पर **वित्त-पोषण में मौजूद कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त पूंजी और तरलता उपलब्ध** है।
  - एशिया-प्रशांत क्षेत्र **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को 2030 तक हासिल करने की राह पर नहीं** है।
  - **एशिया-प्रशांत के 51 देश** जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन **(UNFCCC) के पक्षकार** हैं। हालांकि, इनमें से **केवल 17 देशों ने ही अपने 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs)' में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन** कर उनकी **रिपोर्टिंग** की है।
  - इस क्षेत्र में आपदाओं और अन्य प्राकृतिक विपदाओं से होने वाली औसत आर्थिक हानि बढ़कर **1.1 ट्रिलियन डॉलर से 1.4 ट्रिलियन डॉलर के बीच** हो सकती है।
  - ऐसा कहा जा रहा है कि **उच्च उत्सर्जन की स्थिति में जलवायु परिवर्तन से भारत को वर्ष 2100 तक सकल घरेलू उत्पाद के 35 प्रतिशत तक का नुकसान** हो सकता है।

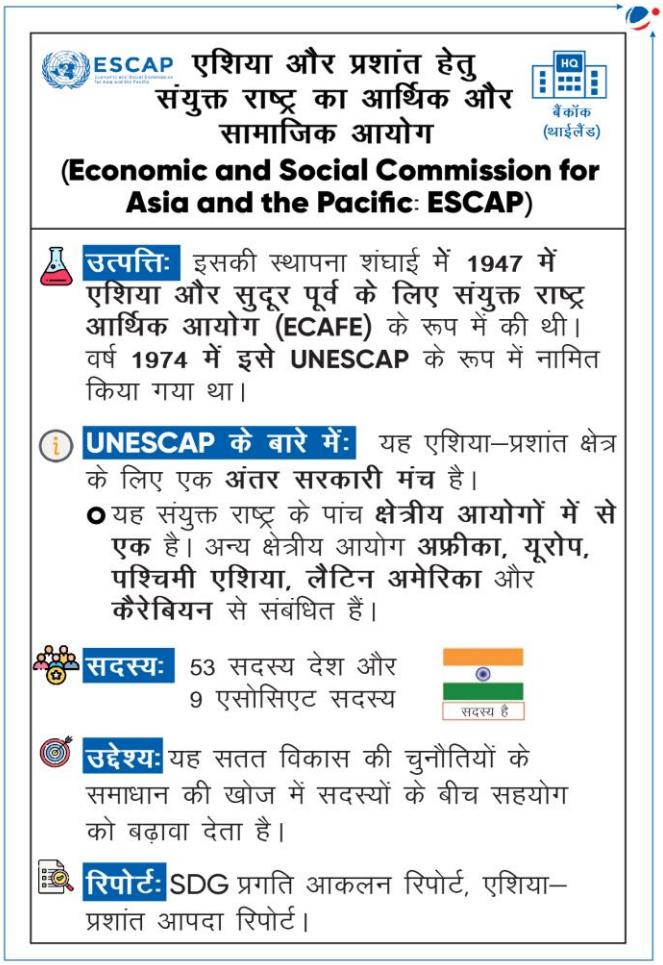

- **रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें: नीति निर्माताओं, विनियामकों और निजी वित्त के लिए कार्रवाई के क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - **विश्वसनीय ट्रांजीशन मार्ग** का अनुसरण करते हुए **2050 तक नेट जीरो संकल्प** के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए। इसमें **2030 के लक्ष्यों** की प्राप्ति भी शामिल होनी चाहिए।

[89] Sustainable Finance: Bridging the Gap in Asia and the Pacific

- सभी मुख्य सरकारी मंत्रालयों की **नीतियों में एकरूपता लानी चाहिए और क्षमताएं विकसित करनी चाहिए।**
- पूंजी और निवेश आवश्यकताओं के बीच सेक्टरोल और रीजनल लेवल पर **असंगति को कम** करना चाहिए।
- स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के साथ-साथ हरित प्रौद्योगिकियों और अन्य नेट-जीरो निवेशों के लिए भी **स्थानीय-मुद्रा में वित्त-पोषण** को बढ़ावा देना चाहिए।
- बहुपक्षीय विकास बैंकों, द्विपक्षीय विकास वित्तीय संस्थानों आदि द्वारा **रियायती वित्त-पोषण सुनिश्चित करना चाहिए और संबंधित जोखिमों को साझा करना चाहिए।**

5.3.3. नेट ज़ीरो रोडमैप (Net Zero Roadmap)

- हाल ही में, **नेट ज़ीरो रोडमैप** के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट **"1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को पहुंच में रखने के लिए एक वैश्विक मार्ग[90]"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)[91]** ने जारी की है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:**
  - ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना कठिन होता जा रहा है। हालांकि, उम्मीद अभी भी बनी हुई है क्योंकि **दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना का विकास** हो रहा है।
  - सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक कार जैसी **स्वच्छ ऊर्जा तकनीकें** उन तकनीकों में से हैं, जो आज और 2030 के बीच उत्सर्जन में **एक तिहाई कटौती** कर सकती हैं।
- **सुझाव:** इस दशक के अंत तक नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को तिगुना करने; कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज का उपयोग करने आदि को बढ़ावा देना चाहिए।

5.3.4. जलवायु परिवर्तन के कारण सुंदरबन में नुकसान और क्षति (Climate Impact, Loss & Damage in Sundarbans)

- भारत व बांग्लादेश के विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण **सुंदरबन में नुकसान और क्षति** हुई है। इसे **"ग्लोबल कॉमन्स"** के रूप में देखा जाना चाहिए।
  - ऐसा इसलिए है, क्योंकि **सुंदरबन से बहुत कम कार्बन उत्सर्जन होता है, फिर भी यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से गंभीर रूप से प्रभावित** हो रहा है।
- **ग्लोबल कॉमन्स** में ऐसे क्षेत्र और उनके संभावित आर्थिक संसाधन शामिल हैं, जो **राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों से बाहर** हैं। साथ ही, **जिन तक सभी देशों की पहुंच है।** जैसे- **खुला समुद्र, वायुमंडल, अंटार्कटिका, बाह्य अंतरिक्ष** आदि।
  - **ग्लोबल कॉमन्स को शासित करने वाले अभिसमय और संधियां निम्नलिखित हैं-** संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) 1982; अंटार्कटिक संधि प्रणाली, बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में राज्यों की गतिविधियों को शासित करने वाले सिद्धांतों पर संधि आदि।
- **सुंदरबन बंगाल की खाड़ी में निचले द्वीपों का एक समूह है।** यह भारत (40%) और बांग्लादेश (60%) में फैला हुआ है।
  - यह **गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा** पर स्थित है। यह **विश्व में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र** है।
  - इसे **सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** के रूप में नामित है। इसके अतिरिक्त, रामसर कन्वेंशन के तहत इसे **'अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि'** का दर्जा भी प्राप्त है।
  - **जीव-जंतु:** एश्वुराइन मगरमच्छ, रॉयल बंगाल टाइगर, वॉटर मॉनिटर छिपकली, गंगा डॉल्फिन, ओलिव रिडले टर्टल आदि।
  - **संकट:** यह क्षेत्र बाढ़, भूकंप, चक्रवात, समुद्र के स्तर में वृद्धि और समुद्र तट के क्षरण के प्रति संवेदनशील है।

शब्दावली को जानें

➢ **हानि और क्षति (Loss and Damage):** यह दुनिया भर में मानव (विशेष रूप से सुभेद्य समुदाय) और प्राकृतिक पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणामों को संदर्भित करती है।

5.3.5. जीवाश्म ईंधन में से मीथेन को कम करने की अनिवार्यता (Cutting Methane From Fossil Fuels)

- इस रिपोर्ट को **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)** ने तैयार किया है। इसे **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और UNEP-संयोजित क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन (CCAC)** के सहयोग से तैयार किया गया है।
  - CCAC की स्थापना 2012 में की गई थी। यह **एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय निकाय** है जो **मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों** की सांद्रता को कम करने के लिए कार्य करता है। अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक **जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण,** दोनों के लिए उत्तरदायी होते हैं।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:**
  - जीवाश्म ईंधन से मीथेन को कम करने से **2050 तक 0.1°C तापमान वृद्धि** से बचा जा सकता है।

[90] A Global Pathway to keep the 1.5 °C Goal in reach
[91] International Energy Agency

- यदि मीथेन को कम करने संबंधी **लक्षित कार्रवाई नहीं** की जाती है, तो **2050 तक** वैश्विक औसत सतही तापमान में **1.6 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि** होने की आशंका है।

- **वर्ष 2050 तक मीथेन उत्सर्जन के शमन से निम्नलिखित को रोका जा सकता है:**
  - ओज़ोन के प्रभाव में आने से होने वाली **लगभग 1 मिलियन असामयिक मौतें**;
  - ओज़ोन और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले लगभग **90 मिलियन टन फसलों (गेहूं, चावल, सोया और मक्का) के नुकसान; तथा**
  - अत्यधिक गर्मी के कारण **लगभग 85 अरब घंटों की श्रम हानि।**
- **मीथेन (CH4)** एक **ग्रीनहाउस गैस है। यह 30 प्रतिशत ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार** है।
  - वैश्विक स्तर पर **हर साल लगभग 580 मिलियन टन मीथेन उत्सर्जित** होती है। इसमें से **60 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए मानव गतिविधियां जिम्मेदार** हैं। इन गतिविधियों में **लैंडफिल, कृषि पद्धतियां, अपशिष्ट जल उपचार** आदि शामिल हैं।
  - मीथेन जलवायु परिवर्तन के लिए **दूसरी सर्वाधिक उत्तरदायी** ग्रीन हाउस गैस है। प्रथम स्थान पर **कार्बन डाइऑक्साइड** है।

5.3.6. सीमेंट उद्योग का विकार्बनीकरण (Decarbonisation of The Cement Industry)

- सीमेंट उद्योग में **पायरो-प्रोसेसिंग और कैल्सीनेशन** प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, जो **कार्बन उत्सर्जन** का कारण बनती हैं।
  - **पायरो-प्रोसेसिंग:** इसके तहत भट्टी में **चूना पत्थर और क्ले** को 1,400 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है।
  - **कैल्सीनेशन:** इसके अंतर्गत **कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$)** को गर्म किया जाता है।
- **सीमेंट उद्योग में विकार्बनीकरण की आवश्यकता क्यों है?**
  - यह विश्व में **लोहे और इस्पात के बाद दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक उत्सर्जक** है।
  - सीमेंट उद्योग, वैश्विक स्तर पर CO_2 उत्सर्जन में लगभग **7 प्रतिशत का योगदान** देता है।
  - वर्ष 2050 या 2070 तक **"शुद्ध शून्य" उत्सर्जन की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सीमेंट उद्योग का विकार्बनीकरण आवश्यक** है। ज्ञातव्य है कि **भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन** का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- **भारत के समक्ष मौजूद चुनौतियां:**
  - भारत में **शहरीकरण काफी तीव्र गति** से हो रहा है। यहां आवास और अवसंरचनाओं के विकास में तेजी देखी जा रही है।
  - पायरो-प्रोसेसिंग व कैल्सीनेशन के लिए **विकल्पों की उपलब्धता का अभाव है।**
  - क्षेत्रीय ऊर्जा दक्षता संवर्द्धन को बढ़ावा देने के लिए **पहलें और आर्थिक उपाय सीमित हैं।**

- **उपाय:**
  - **ब्लेंडेड सीमेंट** की हिस्सेदारी को बढ़ाना अर्थात् किसी अन्य विकल्प का उपयोग करके **चूना पत्थर का कम-से-कम उपयोग** करना चाहिए।
  - **सीमेंट के उत्पादन में पुनर्चक्रित सामग्रियों** की हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता है।
  - **रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल (RDF), औद्योगिक अपशिष्ट और बायोमास** जैसे वैकल्पिक ईंधनों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए।
  - **कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज (CCUS)** जैसी नवीन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने की जरूरत है।

5.3.7. भारत में फॉस्फोरस की उपलब्धता कम हो रही है (India Running Out of Phosphorus)

- **फॉस्फोरस** पौधों के विकास के लिए अति-आवश्यक **सूक्ष्म पोषक तत्वों** में से एक है। **पौधों को निम्नलिखित के लिए इसकी आवश्यकता होती है:**
  - प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया;
  - पौधे के भीतर ऊर्जा स्थानांतरण और पोषक तत्वों का संचार;
  - मजबूत जड़ों का विकास;
  - आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण आदि।
- **भारत विश्व में फॉस्फोरस का सबसे बड़ा आयातक है।** इसका अधिकतर हिस्सा **पश्चिम अफ्रीका के कैडमियम से भरे भंडारों** से आता है।
  - भारत में फॉस्फेट की चट्टानें मुख्य रूप से केवल दो राज्यों **राजस्थान और मध्य प्रदेश** में पाई जाती हैं।
  - कुछ निक्षेप **प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भाग** में भी मौजूद हैं। जैसे **ललितपुर (उत्तर प्रदेश), मसूरी अभिनति (syncline) और कड़प्पा बेसिन (आंध्र प्रदेश) आदि।**

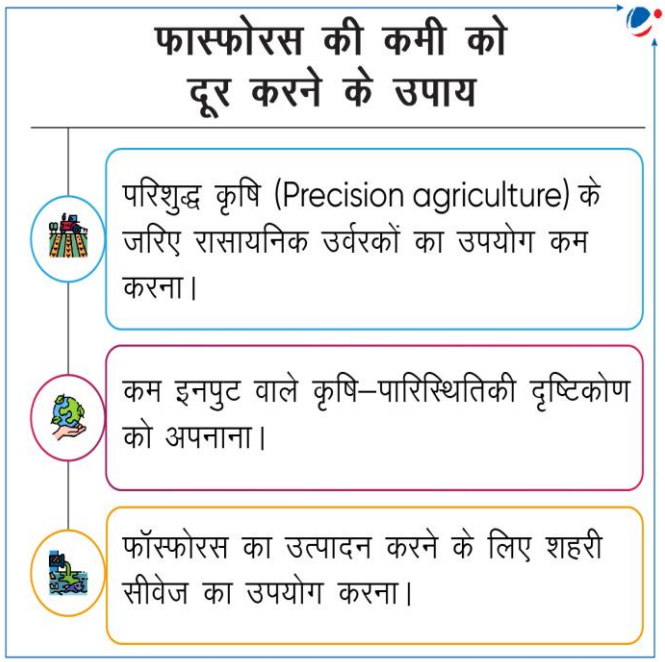

- **फॉस्फोरस की उपलब्धता को लेकर चिंताएं:**
  - अधिकतर स्थानों पर फॉस्फोरस **कैडमियम** के साथ मौजूद होता है। कैडमियम एक **भारी धातु** है, जिसे अलग करना एक महंगी प्रक्रिया है।
  - मोरक्को, पश्चिमी सहारा (गैर-स्वशासी राज्यक्षेत्र), चीन, अल्जीरिया **जैसे कुछ ही देशों का फॉस्फोरस के अधिकतर वैश्विक भंडार पर नियंत्रण होना** एक प्रमुख भू-राजनीतिक चिंता का विषय है।
- **फॉस्फोरस के हानिकारक प्रभाव:**
  - अधिकतर फॉस्फोरस **कृषि अपवाह के रूप में और सीवेज के माध्यम से सीधे जल निकायों में पहुंच** जाता है। इससे **विषाक्त शैवालों की वृद्धि** होती है।
  - अक्सर **कैडमियम युक्त उर्वरकों** को मिट्टी में डाला जाता है। **फसलें इन्हें अवशोषित कर लेती हैं।** जब मनुष्य ऐसी फसलों का उपभोग करता है तो, इससे उनके शरीर में इनका **जैव संचय** होने लगता है। इससे **हृदय रोग में वृद्धि** होती है।

5.3.8. कोनोकार्पस वृक्ष (Conocarpus Trees)

- यह एक **आक्रामक मैंग्रोव प्रजाति** है। हाल ही में, **गुजरात सरकार ने इसे उगाने पर प्रतिबंध** लगा दिया है। इससे पहले **तेलंगाना सरकार ने भी इस पर रोक** लगा दी थी।
- कोनोकार्पस, **कॉम्ब्रेटेसी कुल** के पुष्पीय पादपों की दो प्रजातियों का एक जीनस है। कोनोकार्पस विश्व के **उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों** की मूल प्रजाति है।
  - सजावटी पादप के रूप में **सार्वजनिक स्थानों** पर इसका **व्यापक रूप से उपयोग** किया जाता है।
  - इस वृक्ष में **सर्दियों के मौसम में फूल खिलते** हैं। इससे फैलने वाले कणों की वजह से आस-पास के लोगों में **सर्दी, खांसी, अस्थमा, एलर्जी** आदि की शिकायतें देखी जाती हैं।
  - इस प्रजाति की जड़ें मिट्टी के अंदर गहराई तक जाकर बड़े पैमाने पर विकसित होती हैं। इससे **दूरसंचार लाइनों, ड्रेनेज लाइनों और ताजे जल की आपूर्ति वाले पाइपों को नुकसान** पहुंचता है।

5.3.9. अमेज़न नदी बेसिन (Amazon River Basin)

- **पुराक्वेक्वारा झील के सूखने** से अक्सर जलमग्न रहने वाले गांव **मिट्टी के मैदानों में परिवर्तित** हो गए हैं।
- यह झील **अमेजन नदी बेसिन** में स्थित है। यह **अल नीनो और उत्तरी उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर के जल के गर्म** होने के कारण गंभीर सूखे का सामना कर रही है।
  - ये जलवायुवीय घटनाएं **ग्लोबल वार्मिंग और जीवाश्म ईंधन के दहन** से बढ़ गई हैं।
- **अमेज़न नदी बेसिन:**
  - यह **विश्व का सबसे बड़ा जल अपवाह बेसिन** है।
  - यह **दक्षिण अमेरिका के लगभग 34% भाग** को कवर करता है।

- दुनिया के **लगभग 60% वर्षावन** यहीं पर हैं। साथ ही, **यहां पृथ्वी पर जीवन के 10% ज्ञात स्रोत** भी मौजूद हैं।
- **कवर किए गए देश: ब्राज़ील** (भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों इससे होकर गुजरती हैं), **बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला।**

5.3.10. पेट्रोलियम कोक या पेट कोक (Petroleum Coke Or Pet Coke)

- सर्वोच्च न्यायालय ने **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)** को अत्यधिक प्रदूषणकारी **पेट कोक के वितरण से संबंधित मुद्दों पर विचार करने** का निर्देश दिया है।
- **पेट्रोलियम कोक (पेट कोक) कार्बन-युक्त ठोस सामग्री** है। इसे **अंतिम क्रैकिंग प्रक्रिया** से प्राप्त किया जाता है। क्रैकिंग प्रक्रिया ऊष्मा-आधारित केमिकल इंजीनियरिंग प्रक्रिया है।
- इसके **उच्च कैलोरी मान के कारण इसका उपयोग कोयले के प्रतिस्थापन के रूप में** किया जाता है।
- पेट कोक **हाइड्रोफोबिक** होता है। इसका अर्थ है कि पेट कोक **वर्षा के मौसम में नमी नहीं पकड़ता है।**
- पेट कोक **कम वाष्पशील पदार्थ** है। ऐसे में इसके वाष्प बनकर नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है। इसके दहन के बाद **राख की कम मात्रा उत्पन्न** होती है।
- इसका उपयोग **सीमेंट निर्माण, चूना भट्टी, औद्योगिक बॉयलर, एल्यूमीनियम एनोड** आदि में किया जाता है।

5.3.11. गोबरधन (GOBARdhan) के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल (Unified Registration Portal for GOBARdhan)

- इस पोर्टल का उद्देश्य **देश भर में संपीडित बायो-गैस (CBG) और बायोगैस संयंत्रों के पंजीकरण** को व्यवस्थित करना है।
  - इस पोर्टल पर पंजीकृत CBG/ बायोगैस संयंत्र रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की **बाजार विकास सहायता (MDA)** योजना के तहत **1500 रुपये/ मीट्रिक टन** की सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
- **गोबरधन (गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन)** योजना केंद्रीय **जल शक्ति मंत्रालय** के अधीन शुरू की गई है।
- **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य **मवेशियों के गोबर, कृषि अपशिष्टों और अन्य जैविक अपशिष्टों** को बायोगैस, CBG एवं जैव उर्वरकों में परिवर्तित करके धन कमाना तथा ऊर्जा उत्पन्न करना है।

5.3.12. पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट डिग्रेडिंग एंजाइम (PET46) {Polyethylene Terephthalate Degrading Enzyme (PET46)}

- शोधकर्ताओं ने पहली बार **गहरे समुद्र के एक सूक्ष्मजीव में PET46** की खोज की है।
  - PET एक प्रकार का **हल्का प्लास्टिक** है। इसका **खाद्य पदार्थों और सॉफ्ट ड्रिंक्स, जल जैसे पेय पदार्थों की पैकिंग** में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- PET46 एंजाइम **लंबी-श्रृंखला और लघु-श्रृंखला, दोनों प्रकार के PET अणुओं को क्षीण करने की अनूठी क्षमता** रखता है। इससे PET का **निरंतर क्षरण** होता रहता है।
- **महत्त्व:**
  - यह **समुद्र में PET अपशिष्ट को नष्ट** कर सकता है। इससे प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के प्रयासों में प्रभावी मदद मिल सकती है।
  - यह **गहरे समुद्र में आर्किया (समुद्री जीव) की पारिस्थितिक भूमिका को समझने में योगदान** देगा।
  - **अन्य PET डिग्रेडिंग एंजाइम हैं -** PETase, MHETase, THC_Cut1 आदि।

5.3.13. मैनिस मिस्टीरिया (पैंगोलिन की नई खोजी गई प्रजाति) {Manis Mysteria (Newly Discovered Species Of Pangolin)}

- वैज्ञानिकों ने **अत्यधिक संकटग्रस्त पैंगोलिन की एक नई प्रजाति** की खोज की है।

- **पैंगोलिन के बारे में**
  - यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र **स्तनधारी** है, जो पूरी तरह से शल्कों से ढका हुआ है।
  - **अफ्रीका में इसकी चार प्रजातियां पाई जाती हैं:** काले पेट वाला पैंगोलिन, सफेद पेट वाला पैंगोलिन, विशाल ग्राउंड पैंगोलिन और टेम्मिंक ग्राउंड पैंगोलिन।
  - **एशिया में इसकी चार प्रजातियां पाई जाती हैं:** भारतीय पैंगोलिन, फिलीपीन पैंगोलिन, सुंडा पैंगोलिन और चीनी पैंगोलिन।
  - **IUCN स्थिति: चीनी, फिलीपीन और सुंडा पैंगोलिन** को IUCN की लाल सूची में **क्रिटिकली एंडेंजर्ड** के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

- **भारतीय पैंगोलिन: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध** है।
  - IUCN की लाल सूची में भारतीय पैंगोलिन की स्थिति- **एंडेंजर्ड।**

5.3.14. डेम्सेलफ्लाई प्रजाति (Damselfly Species)

- **पश्चिमी घाट (केरल)** में एक नई डेम्सेलफ्लाई प्रजाति पाई गई है। इसका नाम **आर्मगेडन रीडटेल** रखा गया है।
- आर्मगेडन रीडटेल नाम **"इकोलॉजिकल आर्मगेडन"** की अवधारणा का सीधा संदर्भ है। यह एक पदावली है, जिसका **उपयोग दुनिया भर में कीटों की आबादी में विनाशकारी गिरावट का वर्णन करने** के लिए किया जाता है।
- **पारिस्थितिक भूमिका:** कीट परागण, पोषक चक्र और अन्य जीवों के लिए भोजन स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

5.3.15. फिश मिंट (Fish Mint)

- यह औषधीय गुणों से भरपूर एक **जड़ी बूटी वाला पौधा** है।
- **वितरण:** इस प्रजाति के पौधे **हिमालय के गिरिपाद से लेकर दक्षिण-पूर्वी एशिया, चीन, कोरिया और जापान** में भी मिलते हैं।
  - यह **मेघालय** में जा मर्दोह, **मणिपुर** में टोकनिंग-खोक और **असम** में मासुन्दुरी के नाम से जाना जाता है।
- **विशेषताएं:** इसका **स्वाद और गंध मछली जैसा है।** इसलिए इस पौधे का नाम फिश मिंट है।
- **आक्रामक पौधा:** इसमें भूमिगत राइजोम्स से फिर से अंकुरण की क्षमता होती है। इसलिए, पौधे को नुकसान पहुंचने पर यह फिर से उग आता है।
- **औषधीय गुण:** इसका पाचन संबंधी विकारों, कीड़े के काटने, बुखार, खांसी आदि के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है।
- इसके लाभों को प्राचीन **आयुर्वेद और सिद्ध ग्रंथों में वर्णित** किया गया है।

5.3.16. डांसिंग फ्रॉग (Dancing Frogs)

- IUCN के **दूसरे वैश्विक उभयचर आकलन** के अनुसार **पश्चिमी घाट के डांसिंग फ्रॉग** सर्वाधिक संकटग्रस्त उभयचर प्रजातियों में से एक हैं।
  - IUCN सूची में **नीलगिरि डांसिंग फ्रॉग को वल्नरेबल तथा व्हाइट-चीक्ड डांसिंग फ्रॉग को एंडेंजर्ड** के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- इस प्रजाति को **आक्रामक प्रजातियों, भूमि उपयोग परिवर्तन, चरम मौसम आदि से खतरा** है।
- इनका नाम डांसिंग फ्रॉग इसलिए रखा गया है, क्योंकि ये **"फुट फ़्लैगिंग"** करते हैं। इसमें नर मेंढक अपने पिछले पैरों को एक-एक करके फैलाते हैं और नृत्य की मुद्रा में अपनी जालनुमा पैर की उंगलियों को तेज गति से हवा में लहराते हैं।

5.3.17. पिंक बॉलवर्म (Pink Bollworm)

- पिंक बॉलवर्म (PBW) से **बीटी कपास** की फसल को पिछले दो दशकों में **सबसे अधिक क्षति** हुई है।
  - **बेसिलस थुरिंजिएन्सिस (Bt) कपास** में मिट्टी के बैक्टीरिया से प्राप्त जीन शामिल रहते हैं। कपास की यह फसल इस जीन के कारण एक प्रोटीन निर्मित करती है, जो कुछ प्रकार के कीटों के लिए घातक होता है। यह प्रोटीन **अमेरिकन बॉलवर्म** के लिए भी विषाक्त होता है, लेकिन अब यह प्रोटीन PBW पर प्रभावी नहीं हो रहा है।
- **पिंक बॉलवर्म (PBW)** का वैज्ञानिक नाम **पेक्टिनोफोरा गॉसिपिएला (सॉन्डर्स)** है।
  - बॉलवर्म विविध शलभों/ पतंगों (Moths) के लार्वा होते हैं।
- यह संभवतः **पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र की मूल (नेटिव)** प्रजाति है।
- **प्रभाव:** वयस्क मादा PBW, **कॉटन बॉल्स पर अंडे देती** है। अंडों से निकले नये **लार्वा बीजों को खाते हैं** और कपास के रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे कपास की **उपज और गुणवत्ता कम** हो जाती है

5.3.18. कमलांग टाइगर रिज़र्व (Kamlang Tiger Reserve)

- कमलांग टाइगर रिज़र्व में गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से पहली बार **बटरफ्लाई वॉक और नेचर ट्रेल कार्यक्रम** का आयोजन किया गया।
- **कमलांग टाइगर रिज़र्व के बारे में**
  - यह **अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले** में अवस्थित है। इसका नाम **यहां से बहने वाली कमलांग नदी** के नाम पर रखा गया है।
  - **जलवायु:** उपोष्णकटिबंधीय।
  - **वनस्पति:** वृक्षों की सामान्य प्रजातियों में **अम्मोरा वालिची (अमारी), गमेलिना आर्बोरिया (गमरी)** आदि शामिल हैं।
  - **जीव-जंतु:** हिम तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड, बाघ, हिमालयन पाम सिवेट, हॉर्नबिल आदि।
  - **ग्लो झील** इसी रिज़र्व में स्थित है।

5.3.19. 15-मिनट सिटीज (15-Minute Cities)

- यह एक **शहरी योजना निर्माण अवधारणा** है। यह प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक सेवा-आपूर्ति को निवासियों द्वारा पैदल चलकर या बाइक से तय की जाने वाली कम दूरी के भीतर उपलब्ध करवाने का समर्थन करती है।
- यह एक **स्थानिक विकास मॉडल** है। यह अधिक स्थानीय, स्वस्थ, उचित और संधारणीय जीवन शैली को बढ़ावा देने में मदद करता है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

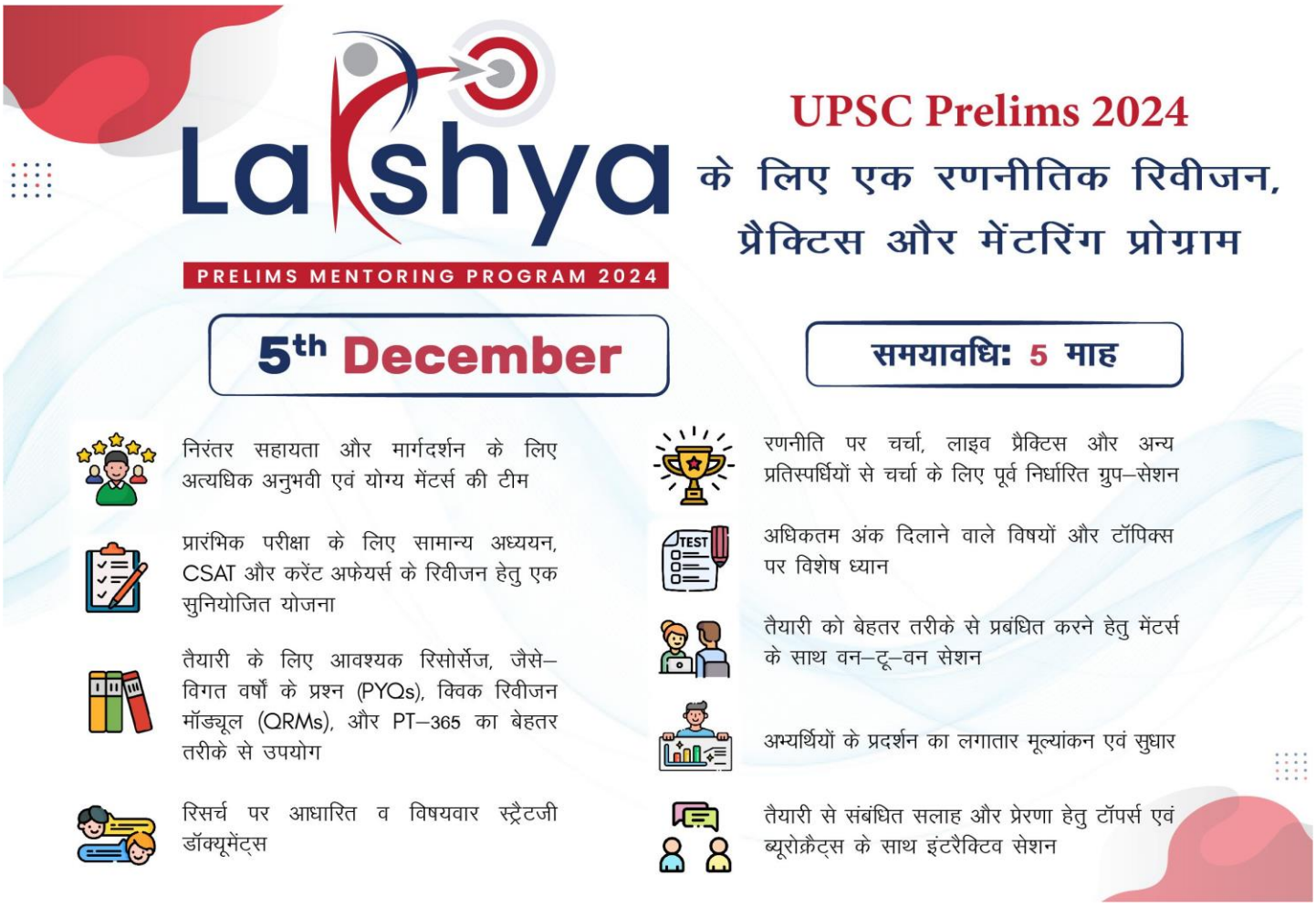

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. LGBTQIA+ के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला (Supreme Court Judgment on LGBTQIA+ Rights)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने **सुप्रियो @ सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ** वाद में सर्वसम्मति से समलैंगिक व्यक्तियों के बीच विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया।

शब्दावली को जानें

- **सिविल यूनियनः** दरअसल यह एक प्रकार का **कानूनी दर्जा** है जो मुख्यतः उन न्याय क्षेत्रों (या देशों) में समलैंगिक जोड़ों को दिया जाता है जहां **उन्हें कानूनी रूप से विवाह करने की अनुमति नहीं मिली** है।
  - यह मूल रूप से समलैंगिक विवाहों को **मान्यता नहीं देने** और **पूर्ण मान्यता देने के बीच की स्थिति** है।
  - सिविल यूनियन को विवाहित जोड़ों के समान ही अधिकार मिलते हैं। इसे **पहली बार 1999 में अमेरिका के वर्मोंट राज्य में कानूनी दर्जा** दिया गया था।

अन्य संबंधित तथ्य

- कई याचिकाओं में **विशेष विवाह अधिनियम[92], 1954; हिंदू विवाह अधिनियम[93], 1955;** और **विदेशी विवाह अधिनियम[94], 1969** के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि उक्त कानून गैर-विषमलैंगिक (Non-heterosexual) विवाहों को मान्यता नहीं देते हैं।
- विवाह के मुद्दे पर, अदालत ने **न्यायिक संयम बरतते हुए** इसे **नीतिगत मामला बताया** और इस संबंध में निर्णय लेने का कार्य स्पष्ट रूप से विधायिका और कार्यपालिका पर छोड़ दिया।
  - हालांकि, सभी पांच न्यायाधीशों ने **समलैंगिक जोड़ों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने की आवश्यकता को स्वीकार** किया, लेकिन **वे क्वीयर जोड़ों को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त "सिविल यूनियन"** का दर्जा देने पर एकमत नहीं थे।
  - तीन न्यायाधीशों के बहुमत ने इस बात पर जोर दिया कि **ऐसे विवाह की कोई भी कानूनी स्वीकृति केवल अधिनियमित कानून के जरिए** ही होनी चाहिए।

LGBTQIA+ के अधिकार: याचिकाकर्ता की दलीलें और न्यायालय का फैसला

मुद्दे	याचिका	न्यायालय का निर्णय	असहमतिपूर्ण राय
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का विवाह करने का अधिकार	• **मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने का मौलिक अधिकार संविधान** में दिया गया है। यह अधिकार न मिल पाने की स्थिति में न्यायालय द्वारा कदम उठाया जाना चाहिए। • यदि न्यायालय इसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है, तो इस अधिकार की रक्षा करने का दायित्व राज्य सरकार का होगा।	• न्यायालय ने सर्वसम्मति से यह माना कि भारत में विवाह करने का कोई मौलिक व स्पष्ट अधिकार नहीं है। • मौजूदा ढांचे के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विवाह करने का अधिकार है।	
क्वीयर जोड़ों के लिए सिविल यूनियन में प्रवेश का अधिकार	• क्वीयर जोड़ों के लिए एक सिविल यूनियन की मान्यता।	• न्यायालय क्वीयर जोड़ों के लिए सिविल यूनियन का विकल्प प्रदान नहीं कर सकता।	• सिविल यूनियन की मान्यता की मांग की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके

[92] Special Marriage Act

[93] Hindu Marriage Act

[94] Foreign Marriage Act

		• सरकार ऐसे यूनियन से मिलने वाले किसी अधिकार को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं है।	कि क्वीयर जोड़ों को भी विवाह से प्राप्त होने वाले लाभ मिलें। • अंतरंग मिलाप (Intimate associations) करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के दायरे में आता है। • किसी यूनियन में प्रवेश का अधिकार 'सेक्सुअल ओरिएंटेशन' के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।
विशेष विवाह अधिनियम (SMA) की व्याख्या	• **जेंडर-विशिष्ट शब्दों** जैसे कि "पति" और "पत्नी" को अधिक समावेशी शब्दों "पार्टी" या "स्पाउस" से प्रतिस्थापित करना। • SMA क्वीयर विवाहों की अनुमति न देकर **अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 और 25 का उल्लंघन** करता है।	• **न्यायालय ने SMA को जेंडर-न्यूट्रल तरीके से अमान्य करार देने या व्याख्या करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया** कि इस तरह की कार्रवाइयां विधायी क्षेत्र का अतिक्रमण करेंगी और अन्य कानूनों पर "व्यापक" प्रभाव डाल सकती हैं।	• SMA ने **संविधान के समानता संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन किया है।** ○ साथ ही, यह भी कहा गया कि SMA अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करने के बावजूद असंवैधानिक नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया, क्योंकि 1954 में अधिनियमित करते समय SMA का प्राथमिक उद्देश्य अलग-अलग धर्मों के व्यक्तियों, विशेष रूप से विषमलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह को सुविधाजनक बनाना था।
गैर-विषमलैंगिक जोड़ों के लिए गोद लेने का अधिकार	• **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)**[95] के दिशा-निर्देश **अविवाहित जोड़ों को संयुक्त रूप से बच्चों को गोद लेने की अनुमति नहीं देते हैं। ये दिशा-निर्देश उन क्वीयर जोड़ों के लिए भेदभावपूर्ण हैं** जो कानूनी रूप से शादी नहीं कर सकते हैं।	• न्यायालय ने **CARA द्वारा** क्वीयर जोड़ों पर गोद लेने से लगाए गए **प्रतिबंध को बरकरार रखा।** • न्यायालय ने कहा कि नियमों को रद्द करने से हानिकारक, "विनाशकारी" और "असामान्य प्रभाव" उत्पन्न हो सकते हैं, जिनका समाधान "केवल विधायिका और कार्यपालिका ही कर सकती हैं।"	• **ये दिशा-निर्देश क्वीयर समुदाय के साथ भेदभाव करते हैं** और इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन है। • **"वैवाहिक" शब्द को हटाते हुए** इसमें विवाहित और अविवाहित जोड़ों के साथ-साथ क्वीयर जोड़े भी शामिल किए जाने चाहिए, जिससे वे भी संयुक्त रूप से एक बच्चा गोद ले सकें।

फैसले के अन्य मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **न्यायालयों ने इस मुद्दे को धर्मनिरपेक्ष कानूनों तक सीमित रखा है:** सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे को केवल विशेष विवाह अधिनियम तक ही सीमित रखेगी और अलग-अलग धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों पर चर्चा नहीं करेगी।
  - उदाहरण के लिए- यदि न्यायालय LGBTQIA+ विवाहों को कवर करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) की व्याख्या करता है, तो उसे दत्तक ग्रहण, अभिभावकता और विरासत से संबंधित उन अधिकारों को भी ध्यान में रखना होगा, जो वर्तमान में विषमलैंगिक जोड़ों के लिए उपलब्ध हैं।

[95] Central Adoption Resource Authority

- **न्यायिक संयम:** यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक संयम को दर्शाता है, जिसमें उसने मौलिक अधिकारों को विकसित करने, गारंटी देने और लागू करने से बचते हुए विधायिका की भूमिका निभाने से परहेज किया।
    - विवाह से संबंधित कानून अनुच्छेद 245 और 246 तथा समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के तहत विधायिका के दायरे में आते हैं।
- **असहमतिपूर्ण राय और पहलू:** इस फैसले के कई पहलू LGBTQIA+ समुदाय के अधिकारों पर भविष्य में विचार-विमर्श और चर्चा का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए- 'क्वीरनेस (Queerness) या समलैंगिकता एक शहरी, कुलीन अवधारणा या अभिव्यक्ति मात्र नहीं है'।
- **समलैंगिक व्यक्तियों के साथ हिंसा और भेदभाव की रोकथाम:** सुप्रीम कोर्ट ने क्वीयर समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए सरकार और पुलिस को निर्देश जारी किए हैं।
    - इन निर्देशों में गैर-भेदभाव, जन जागरूकता, क्वीयर समुदाय के लिए हेल्पलाइन, सुरक्षित घर और अंतरलिंगी (Intersex) बच्चों की सुरक्षा शामिल है।
    - पुलिस को दिए गए विशिष्ट निर्देशों में उत्पीड़न न करना, चयन की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की सुरक्षा, हिंसा से सुरक्षा और प्रारंभिक जांच करना शामिल है।

निष्कर्ष

हालांकि, इस निर्णय ने LGBTQIA+ समुदायों को उनके लोगों के अधिकारों, विशेष रूप से विवाह और गोद लेने के संबंध में निराश किया है। फिर भी, केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का आश्वासन समानता के संघर्ष में एक आशा की किरण प्रतीत होता है।

दुनिया भर में LGBTQIA+ के अधिकार

- वर्तमान में, **130 से अधिक देशों** ने **समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर** कर दिया है।
- **नीदरलैंड 2001 में समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला देश** बना था।
- वर्तमान में, दुनिया भर के **30 से अधिक देशों द्वारा समलैंगिक विवाह को वैधता दी जा चुकी** है।

6.2. जातिगत जनगणना (Caste Census)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बिहार राज्य सरकार ने राज्य में किए गए जाति सर्वेक्षण पर एक रिपोर्ट जारी की है। गौरतलब है कि राज्य विधानमंडल ने इस सर्वेक्षण के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था।

अन्य संबंधित तथ्य

- बिहार राज्य सरकार ने कहा कि **यह सर्वेक्षण व्यापक रूप से जनगणना नहीं** था, बल्कि **जाति जनसांख्यिकी पर केंद्रित** एक **"सामाजिक सर्वेक्षण"** था।
- बिहार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण डेटा जारी करने के बाद, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि सहित **कई अन्य राज्य भी जाति सर्वेक्षण करा** रहे हैं या **इसकी योजना बना** रहे हैं।

भारत में जाति व्यवस्था

- जाति **भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी अनूठी संस्था** है।
- परिभाषा के अनुसार जाति एक **बंद सामाजिक व्यवस्था** है जिसकी **सदस्यता जन्म के आधार पर तय होती** है।
    - जाति व्यवस्था के कई मूल नियम **जातियों के मिश्रण को रोकने के लिए** बनाए गए हैं। इनमें **विवाह, भोजन साझा करने और सामाजिक संपर्क से लेकर व्यवसाय तक के नियम** शामिल हैं।
- हालांकि, **जाति हिंदू समाज की एक विशेषता है, किंतु यह भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख गैर-हिंदू समुदायों में भी देखने को मिलती है।**
    - यह मुसलमान, ईसाई और सिख समुदाय में मुख्य रूप से देखने को मिलती है।

भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास

- जनसंख्या की जाति-वार गणना **1881 में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के तहत शुरू** की गई थी और यह 1931 की जनगणना तक जारी रही।
- **1941 में,** जाति-आधारित **डेटा एकत्र तो** किया गया था लेकिन उसे **प्रकाशित नहीं** किया गया।
- हालांकि, **स्वतंत्रता के बाद** भारत सरकार ने इस आशंका के साथ **पूर्ण जातिगत गणना करनी बंद** कर दी कि इससे जातीय विभाजन मजबूत हो सकता है और जाति व्यवस्था बनी रह सकती है।
    - स्वतंत्र भारत में प्रत्येक जनगणना में केवल **अनुसूचित जाति (SC)** और **अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित डेटा प्रकाशित** किया गया है। इसमें अन्य जातियों से संबंधित डेटा प्रकाशित नहीं किया जाता है।
- 2011 में, एक व्यापक कार्यक्रम के जरिए **सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC)** आयोजित की गई थी।
    - इसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया था:
        - ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय तथा राज्य सरकारें/ केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन।
    - 2016 में, **जाति से संबंधित डेटा को छोड़कर SECC डेटा** को अंतिम रूप दिया गया और प्रकाशित किया गया।
    - 2021 में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए एक हलफनामे में SECC 2011 से प्राप्त जाति/ जनजाति डेटा को "दोषपूर्ण" और "उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं" माना।

भारत में जनगणना

- संविधान के **अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय** है। यह **अनुसूची VII के तहत संघ सूची की प्रविष्टि 69** के तहत निर्दिष्ट है।
- **जनगणना अधिनियम, 1948:** यह अधिनियम जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ-साथ जनगणना आयोजित करने की एक योजना प्रदान करता है।
- **गृह मंत्रालय** के तहत, **भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त** को दशकीय जनगणना आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- बाद में, इस कार्यालय को **जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969** को लागू करने का कार्य भी सौंपा गया।

क्या आप जानते हैं?

> द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग, 1980) ने अनुमान लगाया था कि **OBCs (अन्य पिछड़ा वर्ग) की आबादी देश की कुल जनसंख्या का 52 प्रतिशत है।**

जातिगत जनगणना के पक्ष में तर्क	जातिगत जनगणना के विपक्ष में तर्क
• **संविधान द्वारा सौंपे गए कार्य:** अनुच्छेद 340 एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। यह आयोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के साथ-साथ सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सिफारिशें करेगा। • **सामाजिक न्याय और आरक्षण नीति में सुधार:** इससे मौजूदा श्रेणियों में नई जातियों के समावेशन या इन श्रेणियों में से उन्नत जातियों (क्रीमी लेयर) के निष्कासन के निर्धारण में सरकार को मदद मिलेगी। ○ जातिगत जनगणना से प्राप्त डेटा की सहायता से आरक्षण के लाभों का अधिक न्यायसंगत वितरण सक्षम किया जा सकता है, क्योंकि इससे **'कोटा-विदिन-कोटा' (उप-वर्गीकरण या आरक्षण के भीतर आरक्षण)** प्रणाली तैयार करना संभव होगा। • **नीति निर्धारण:** जाति जनगणना के डेटा से उचित तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर नीति निर्माण में मदद मिलेगी, ताकि वंचित-दमित वर्गों की जरूरतों तथा मांगों को पूरा किया जा सके। • **विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देना:** इस जनगणना का उपयोग निर्वाचित निकायों, सिविल सेवाओं और अन्य संस्थानों में अलग-अलग जातियों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार विविधता और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।	• **संवैधानिक प्रावधान:** संविधान पिछड़े वर्गों की बात करता है न कि पिछड़ी जातियों की। ○ संविधान में जाति शब्द का प्रयोग **केवल 'अनुसूचित जातियों' के संबंध** में ही किया गया है। • **डेटा की गणना में कठिनाइयां: भारत में हजारों की संख्या में मौजूद जातियों और उपजातियों** की संख्या के मद्देनजर, जातिगत डेटा एकत्र करना तथा उसका उचित उपयोग करना कठिन कार्य है। ○ इसके अलावा, लाभ की चाहत में अनेक समूहों द्वारा **लामबंदी और जवाबी-लामबंदी** जनगणना प्रक्रिया को बहुत हद तक प्रभावित करेगी। इसके परिणामस्वरूप **फर्जी या पक्षपातपूर्ण डेटा** प्राप्त होगा। ○ **अंतर्जातीय विवाह, अनुलोम विवाह** (Hypergamy), **प्रवासन** आदि से संबंधित मौजूदा जटिलताओं के कारण कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं, जिन्होंने समय के साथ कई जातिगत जुड़ाव उत्पन्न किए हैं। • **राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना:** ऐसी चिंताएं हैं कि जातिगत डेटा का उपयोग वोट बैंक की राजनीति और पहचान-आधारित ध्रुवीकरण सहित राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

• **न्यायिक आवश्यकता:** इंद्रा साहनी वाद में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कि उचित आकलन और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बाद ही राज्य लोगों के किसी विशेष वर्ग को "पिछड़ा" होने का दर्जा दें। ○ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस तरह का दर्जा विशेषज्ञों के एक स्थायी निकाय द्वारा समय-समय पर समीक्षा के अधीन होना चाहिए। • **जाति का उन्मूलन:** कई विशेषज्ञों का मानना है कि जाति को खत्म करने के लिए सबसे पहले जाति व्यवस्था से मिलने वाले विशेषाधिकारों को खत्म करना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए, राज्य को पहले जातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति, विशेषाधिकारों/ वंचनाओं का मानचित्रण करना होगा।	• **आरक्षण की मांग में वृद्धि:** आलोचकों का कहना है कि जाति-आधारित जनगणना से प्रभावित होकर अलग-अलग समुदाय नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अधिक आरक्षण की मांग उठा सकते हैं। • **असंतोष का खतरा:** जाति-आधारित आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करने से अलग-अलग समूहों में असंतोष पैदा हो सकता है। यह अंतरजातीय तनाव को बढ़ा सकता है और अधिक समावेशी तथा सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

आगे की राह

- **राजनीतिक सर्वसम्मति बनाना:** सामाजिक-राजनीतिक चिंतन के ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक राजनीतिक सहमति के जरिए निर्णय लिए जाने चाहिए।
- **समावेशी परामर्श:** जाति जनगणना के नियोजन और कार्यान्वयन में सभी हितधारकों (जैसे- समुदाय के नेताओं, कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों सहित) को शामिल करना चाहिए।
  - प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, **समाजशास्त्रियों और अनुसंधान संस्थानों** को जातिगत जनगणना की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है।
- **जाति और उपजाति की पहचान करना:** जनसंख्या में मौजूद सभी संप्रदायों और उपजातियों की पहचान करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर प्रारंभिक सामाजिक-मानव विज्ञान (Socio-anthropological) अध्ययन किया जा सकता है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** जाति-आधारित डेटा का विश्लेषण और मूल्यांकन करने तथा सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स आदि।
- **समय-समय पर समीक्षा और अपडेट करना:** यह समझना होगा कि समय के साथ सामाजिक संरचनाएं विकसित होती हैं और जातिगत पहचानें बदल सकती हैं। इन परिवर्तनों को शामिल करने के लिए लचीलेपन के साथ जनगणना प्रक्रिया को डिज़ाइन करना चाहिए। साथ ही, डेटा को अपडेट करने और इसकी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।

6.3. युवाओं के नेतृत्व में विकास (Youth-Led Development)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर युवाओं के लिए **मेरा युवा भारत (MY Bharat) नामक प्लेटफॉर्म** शुरू किया गया है।

मेरा युवा भारत (MY Bharat) के बारे में

- भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा 'मेरा युवा भारत' एक स्वायत्त निकाय है। इसका उद्देश्य '**युवाओं के विकास' और 'युवाओं के नेतृत्व में विकास' के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक व्यापक संस्थागत तंत्र** प्रदान करना है।
  - यह **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय** की एक पहल है। इसका लक्ष्य **सामाजिक गतिशीलता, शैक्षिक समता** और **व्यावहारिक कौशल** का उपयोग करके भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना है।
- यह मंच **युवाओं** को **व्यवसायों, सरकारी विभागों और गैर-लाभकारी संगठनों के कार्यक्रमों से जुड़ने** तथा **उनसे सीखने के अवसर** प्रदान करता है।
- **मेरा युवा भारत (MY Bharat)** के तहत **15-29 वर्ष आयु वर्ग के युवा** लाभान्वित होंगे। यहां 'युवा' की परिभाषा राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई परिभाषा के अनुरूप है।
  - इस कार्यक्रम के तहत **विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाई गई योजनाओं** के मामले में, **लाभार्थी 10-19 वर्ष की आयु वर्ग** के होंगे।

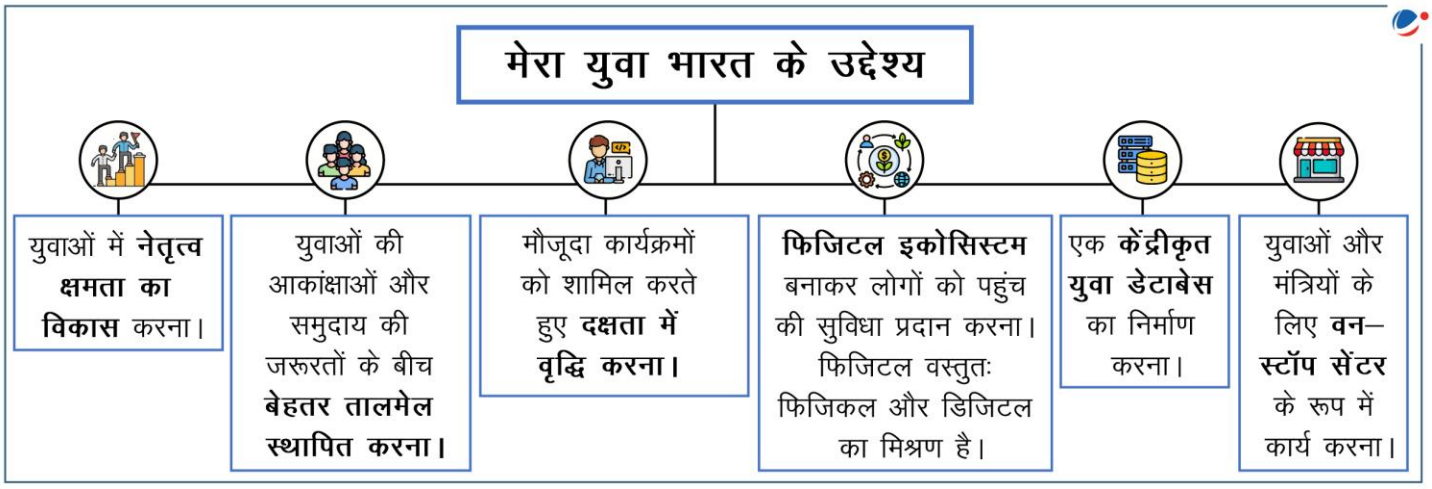

भारत को युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता क्यों है?

- **जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए:** भारत **29 वर्ष की औसत आयु** के साथ दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है।
  - भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, जबकि 50 प्रतिशत आबादी 25 वर्ष से भी कम आयु की है।
- **आर्थिक लाभ:** बेहतर शिक्षा और कौशल से लैस युवा आबादी अर्थव्यवस्था के विस्तार में मदद कर सकती है।
  - **दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है।** ये रोजगार पैदा करने वाले प्रमुख स्रोत के रूप में उभर रहे हैं।
- **राजनीतिक सहभागिता:** देश के राजनीतिक और सामाजिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि सभी युवाओं के बीच नागरिकता तथा सामुदायिक सेवा के प्रति समर्पण जैसे गुणों को प्रोत्साहित किया जाए।
- **सामाजिक चुनौतियों का समाधान:** युवाओं पर ध्यान केंद्रित करके कई सामाजिक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए- लैंगिक असमानता; गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच का अभाव आदि।
- **पर्यावरण का संरक्षण:** युवा प्राकृतिक संसाधनों सहित प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।
  - भारतीय युवा काफी उत्साह के साथ **'पर्यावरण के लिए जीवन शैली (LiFE)[96] आंदोलन'** को अपना रहे हैं। साथ ही, वे **संधारणीय विकास** के लिए इसके तहत शामिल सिद्धांतों को भी बढ़ावा दे रहे हैं।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता:** वर्तमान में दुनिया गहनता के साथ परस्पर जुड़ी हुई है। ऐसे में, कौशल से लैस युवा कार्यबल वाले देश वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने हेतु बेहतर स्थिति में हैं। भारत के युवा देश की वैश्विक प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

भारत के युवाओं के सामने चुनौतियां

- **निम्नस्तरीय शिक्षा प्रणाली:** इसमें शिक्षा की खराब गुणवत्ता (व्यावसायिक शिक्षा पर कम ध्यान देना), उच्चतर शिक्षा तक पहुंच की कमी और उच्च ड्रॉपआउट दर शामिल हैं।
- **उच्च बेरोजगारी:** शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर काफी अधिक है। भारत में यह दर अधिकांश विकसित और विकासशील देशों की तुलना में काफी अधिक है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)[97]** के अनुसार, 2022 में भारत में अनुमानित **युवा बेरोजगारी दर 23.22 प्रतिशत** थी।
- **शोषणकारी कार्यस्थल:** इसमें कम वेतन, लंबी कार्य अवधि, उत्पीड़न (विशेष रूप से महिलाओं का) और सामाजिक सुरक्षा या कानूनी सुरक्षा की अनुपस्थिति शामिल है।
- **सामाजिक मुद्दे:** इसमें मादक द्रव्यों का सेवन, हिंसा, अपराध, कट्टरपंथ, सांप्रदायिकता और लैंगिक आधार पर भेदभाव शामिल हैं।
  - ये समस्याएँ युवाओं के नैतिक मूल्यों, नागरिक भावना, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रभावित करती हैं।
- **मनोवैज्ञानिक मुद्दे:** असफलता की स्थिति में खुद की योग्यता पर संशय और आत्मविश्वास की कमी उन्हें अवसाद में धकेल देती है।
  - यहां तक कि वे आत्महत्या की हद तक भी चले जाते हैं, जैसे- एजुकेशन हब कोटा में देखी गईं हालिया घटनाएं।

---

[96] Lifestyle for Environment

[97] International Labor Organization

- **सांस्कृतिक और सामाजिक अपेक्षाएं:** पारंपरिक सांस्कृतिक मानदंड और सामाजिक अपेक्षाएं कभी-कभी युवाओं की पसंद तथा आकांक्षाओं को सीमित कर सकती हैं। इसे विशेष रूप से शिक्षा, करियर और विवाह के संदर्भ में देखा जा सकता है।
- **युवाओं में सोशल मीडिया की लत:** इसका अत्यधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों और उत्पादकता पर असर डालता है।

युवाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए शुरू की गईं पहलें

शिक्षा	• नई शिक्षा नीति, 2020 • समग्र शिक्षा (एकीकृत स्कूली शिक्षा), 2018

स्वास्थ्य और आरोग्यता	• **आयुष्मान भारत योजना**
	  ○ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (HWCs)
	  ○ प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM–JAY)

एंटरप्रेन्योरशिप	• **स्टार्ट–अप और स्टैंड–अप इंडिया**
विज्ञान	• साइंस सिटीज/ केंद्र और इनोवेशन हब • इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (IMPRINT–2)
अवसंरचना	• स्मार्ट सिटी मिशन • कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) • पी.एम. गति शक्ति
कौशल विकास	• प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना • आजीविका संवर्धन के लिए कौशल प्राप्ति और ज्ञान जागरूकता (संकल्प/ SANKALP)
नवाचार	• अटल टिंकरिंग लैब (ATL) कार्यक्रम

आगे की राह

- **राजनीतिक सशक्तीकरण:** युवाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए लामबंदी करने और उनका पक्ष रखने हेतु युवाओं से संबंधित संगठनों और **नागरिक समाज संगठनों** को प्रशिक्षण देना चाहिए।
  - युवाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं और चिंताओं को दूर करने के लिए उन्हें नीति-निर्माण तथा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करना चाहिए।
- **कौशल अंतराल समाप्त करना:** व्यावसायिक कौशल, इंटर्नशिप और एम्बेडेड (Embedded) अप्रेंटिसशिप डिग्री कार्यक्रमों को महत्त्व दिया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखने के व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हों।
  - **सॉफ्ट स्किल्स**, जैसे- रचनात्मकता, निर्णयन, रणनीतिक सोच, अन्तर्वैक्तिक कौशल, नेतृत्व कौशल, संज्ञानात्मक समझ और समय प्रबंधन **को बढ़ावा देना चाहिए।**
- **स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय:** साक्ष्य बताते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य के परिणामस्वरूप आर्थिक उत्पादकता बढ़ती है।
- **पहुंच और भागीदारी को बढ़ावा देना:** हाशिए के समुदायों और कुछ क्षेत्रों, जैसे- ग्रामीण क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत आदि के लिए विशेष पहलों और अभियानों की आवश्यकता है।

6.4. वृद्धजनों की बढ़ती आबादी (Ageing Population)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत (UNFPA India)[98] ने **इंडिया एजिंग रिपोर्ट, 2023** जारी की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस रिपोर्ट में भारत के वृद्धजनों के जीवन की दशाओं और कल्याण की गहन समीक्षा की गई है।
- यह रिपोर्ट **'इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज' (IIPS)** के सहयोग से तैयार की गई थी।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र

- 2010 के बाद से 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या में गिरावट के साथ-साथ **वृद्धजनों की आबादी में तीव्र वृद्धि देखी गई है।** इससे पता चलता है कि भारत में वृद्धों की आबादी में वृद्धि तीव्र गति से हो रही है।
- वृद्धजनों की वास्तविक आबादी और उसमें वृद्धि के मामले में **अलग-अलग राज्यों में काफी अधिक अंतर** है।
  - दक्षिणी और पश्चिमी भारत की तुलना में, मध्य और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्यों में युवा आबादी अधिक है।

वृद्धों की बढ़ती आबादी के समक्ष आने वाली चुनौतियां

- **सामाजिक मुद्दे:**
  - **वृद्धजनों की आबादी में महिलाओं की अधिक संख्या (पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक है):** वृद्धावस्था में गरीबी स्वाभाविक रूप से जेंडर आधारित हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिक उम्र की महिलाओं के विधवा होने की संभावना अधिक होती है। वे अकेले जीवन यापन करती हैं और उनके पास आय का कोई साधन नहीं होता है। उनकी अपनी संपत्ति भी कम होती है या उन्हें पूरी तरह से परिवार पर निर्भर रहना पड़ता है।
  - **ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धजनों की अधिक आबादी:** भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, लगभग 71 प्रतिशत वृद्धजन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वृद्धजनों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वृद्धजन आय असुरक्षा, पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी और अलगाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
  - **वृद्धजनों की बढ़ती आबादी:** 2000-2022 के दौरान, देश की कुल जनसंख्या में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की जनसंख्या में 103 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

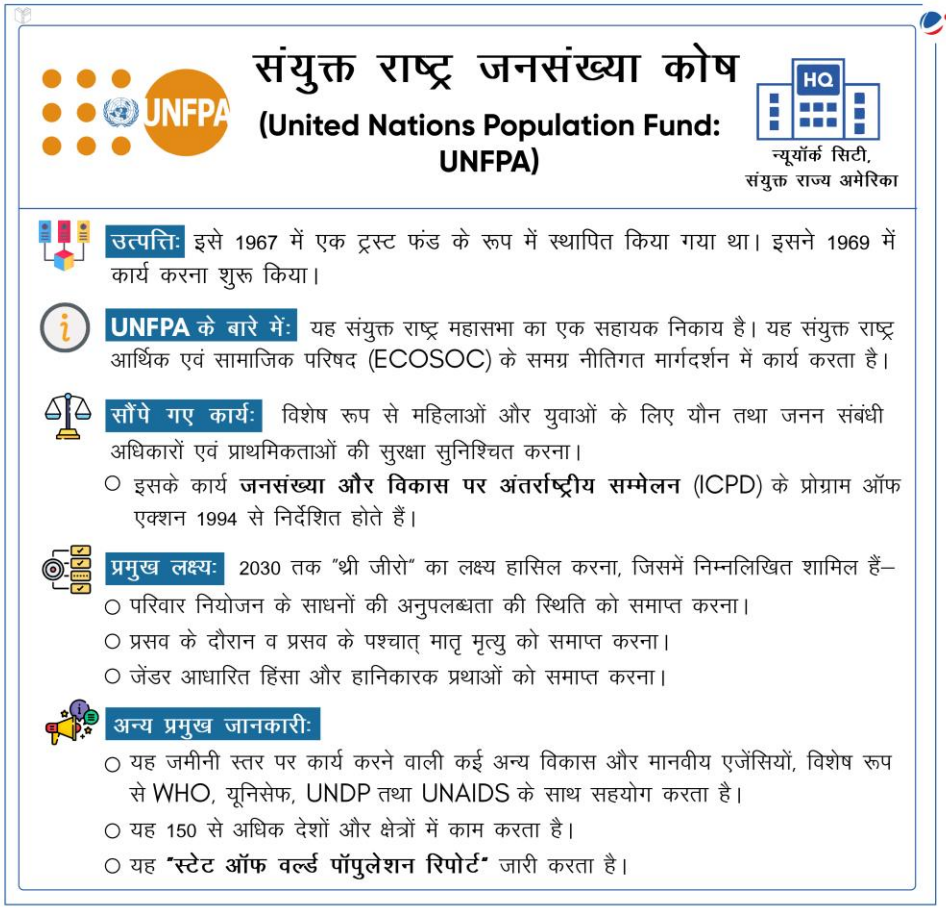

[98] United Nations Population Fund India

- **अन्य:** एकल परिवार के बढ़ते प्रचलन, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की कम उपलब्धता, महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव आदि के कारण अलगाव और अकेलेपन में बढ़ोतरी होगी।

- **आर्थिक बोझ:** इससे श्रम बल और सार्वजनिक बचत में कमी तथा वृद्धावस्था में आय असुरक्षा के साथ-साथ राष्ट्र की उत्पादकता में भी गिरावट आएगी।
- **स्वास्थ्य सेवा और दीर्घकालिक देखभाल:** वृद्धजनों को अक्सर अधिक व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं और दीर्घकालिक देखभाल की आवश्यकता होती है। इससे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर दबाव बढ़ सकता है।
- **मनोदशा संबंधी समस्याएं:** लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया (LASI) सर्वेक्षण से पता चलता है कि बढ़ती उम्र के साथ अवसाद में वृद्धि देखी गई और यह समस्या पुरुषों की तुलना में बुजुर्ग महिलाओं में अधिक पाई गई।

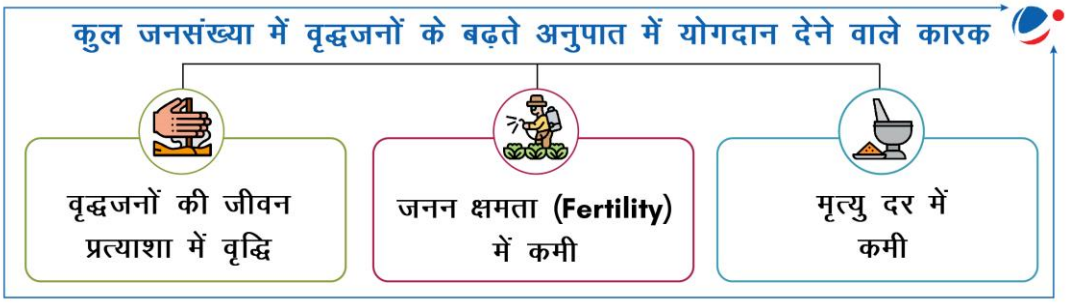

वृद्धजनों की बढ़ती आबादी को अवसर में बदलने के तरीके

- **वृद्धजनों द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों (ESHGs)[99] को बढ़ावा देना:** ESHGs को आजीविका मिशन से भी जोड़ा जाना चाहिए। इससे वे अधिक उत्पादक और आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
- **वृद्धाश्रमों को विनियमित करना:** वृद्धाश्रमों को सरकारी निगरानी में लाया जाना चाहिए। साथ ही, इसके लिए एक विनियामक निकाय स्थापित किया जा सकता है।
  - इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है कि वृद्धावस्था के दौरान वृद्धजनों की देखभाल वृद्धाश्रम के बजाय घर में बेहतर तरीके हो सकती है।
- **सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा देना:** इसमें उन सभी आर्थिक गतिविधियों, उत्पादों और सेवाओं को शामिल किया गया है, जो 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
- **डिजिटल इकोसिस्टम का लाभ उठाना:** वृद्ध आबादी के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने से उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। साथ ही, इससे अर्थव्यवस्था में उनके एकीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।
- **जागरूकता अभियान:** वरिष्ठ नागरिकों में उनके लिए बनाई गई अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव है।
  - लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया (LASI) रिपोर्ट के अनुसार, केवल 12 प्रतिशत **वृद्धजनों** को ही **भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007** के बारे में जानकारी है।

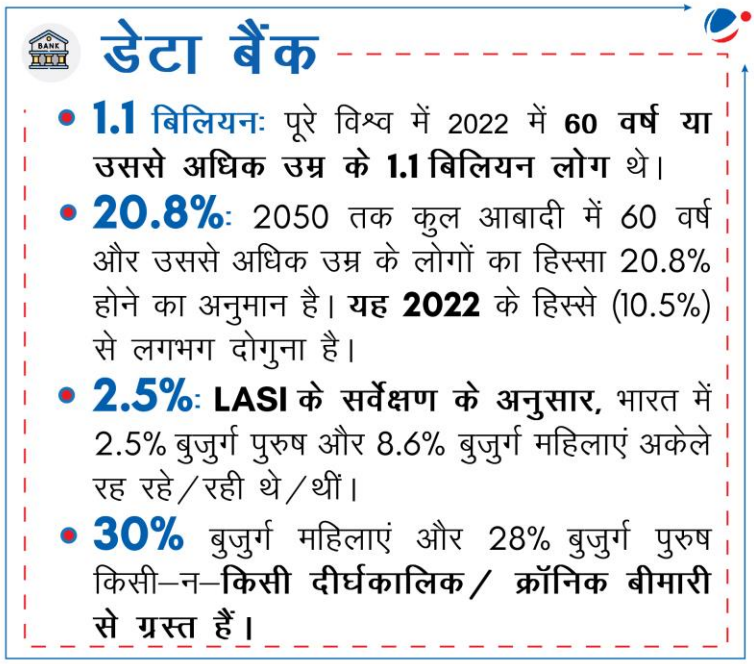

- **अन्य**
  - वृद्धजनों की देखभाल में **कॉर्पोरेट क्षेत्रक की भागीदारी** को बढ़ावा देना।
  - **वृद्धजनों के लिए सेवाओं का विस्तार करना।** इसमें घर पर ही स्वास्थ्य देखभाल, क्रेच जैसी सुविधाएं या सुसज्जित डे-केयर सेंटर और जीवन संबंधी सहायक सुविधाएं शामिल हैं।
  - **आयु-अनुकूल अवसंरचना का विकास करना।**

[99] Elderly SHGs

वैश्विक स्तर पर की गई पहलें

- **मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग (MIPAA), 2002**
- **सतत विकास लक्ष्य 3 (SDG 3): सभी उम्र के लोगों का स्वस्थ जीवन और कल्याण सुनिश्चित करना।**
- **संयुक्त राष्ट्र स्वस्थ वृद्धावस्था दशक: 2020-2030**

भारत द्वारा की गई पहलें

- **संवैधानिक:** अनुच्छेद 41 में वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने का उल्लेख है।
- **कानून और नीतियां**
  - वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007
  - राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (NPOP), 1999
  - वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (SCWF), 2016
- **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं:**
  - **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) (2007):** यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) की पांच उप-योजनाओं में से एक है।
  - **प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (2017):** इसका उद्देश्य वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
  - **अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY-2021):** AVYAY एक अम्ब्रेला योजना है जिसमें निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं:
    - **वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम योजना**
    - **वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना**
    - राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY)
    - **वरिष्ठ नागरिकों के लिए आजीविका और कौशल पहल**
    - सिल्वर इकॉनमी को बढ़ावा
- **रियायतें और छूट:** इसमें रेलवे द्वारा यात्री मित्र सेवाएं आदि शामिल हैं।

वृद्धजनों की बढ़ती आबादी और इससे जुड़े मुद्दों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें।

वीकली फोकस #84: भारत में वृद्धजनों की बढ़ती आबादी का सशक्तीकरण

6.5. नोबेल शांति पुरस्कार 2023: महिला अधिकार (Nobel Peace Prize 2023: Women Rights)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार (2023) से सम्मानित किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- नरगिस मोहम्मदी एक वैज्ञानिक, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। वे **ईरान में महिलाओं के दमन के विरुद्ध संघर्ष में अहम भूमिका निभाती रही हैं। इसके अलावा, नरगिस मोहम्मदी सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार संघर्ष करती** रही हैं।
- **नोबेल समिति द्वारा पुरस्कार** के लिए नरगिस मोहम्मदी का चयन वैश्विक स्तर पर **राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व करने वाली महिलाओं की पहचान को मान्यता प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता** है।

नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में

- नोबेल शांति पुरस्कार **अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा स्थापित पांच मूल नोबेल पुरस्कारों में से एक है।**
- यह पुरस्कार उस व्यक्ति/संगठन को दिया जाता है "जिसने **राष्ट्रों के बीच बन्धुत्व, स्थायी सेनाओं को समाप्त करने या उनमें कमी करने** के लिए और **पीस कांग्रेस के आयोजन एवं प्रचार** के लिए **सबसे अधिक या सर्वोत्तम कार्य** किया हो"।
  - यह **पुरस्कार व्यक्तियों और संगठनों दोनों को प्रदान** किया जाता है।
- **प्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था।**

वैश्विक महिला अधिकार आंदोलन

- अलग-अलग देशों में **महिलाओं के अधिकार संबंधी आंदोलनों की सक्रियता में विविधता** पाई जाती है। यह विविधता उनके **इतिहास, सरकार के स्वरूप, आर्थिक मॉडल, सांस्कृतिक** और **राजनीतिक रूपों** के आधार पर निर्भर करती है।

- **यू. एन. वीमेन** और नारीवादी विद्वानों एवं कार्यकर्ताओं ने मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकारों के लिए वैश्विक आंदोलन को **4 चरणों** में विभाजित किया है।
- **पहला चरण:** पहला चरण **19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में** मुख्य रूप से पश्चिमी देशों में शुरू हुआ। इसका ध्यान विशेषकर महिलाओं को मताधिकार (मतदान का अधिकार) देने जैसे कानूनी मुद्दों पर केंद्रित था।
  - इसके अतिरिक्त, इस चरण में **परिवार के भीतर समान अधिकार, रोजगार में समान वेतन और उच्च शिक्षा तक पहुंच** की मांग की गई।
- **दूसरा चरण:** यह चरण **1970 और 1980 के दशक में शुरू** हुआ था। यह चरण एक व्यापक युवा आंदोलन का हिस्सा था। यह आंदोलन **उच्च शिक्षा के विस्तार** से उत्पन्न हुआ था।
  - आंदोलन का यह चरण **संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, रंगभेद के विरोध** आंदोलन और **वियतनाम युद्ध** से प्रेरित था।
  - दूसरे चरण की शुरुआत में कार्यकर्ता कट्टरपंथी और आलोचनात्मक दोनों प्रकार के थे।
  - कई नारीवादी विचारधाराओं के बीच साझे मौलिक सिद्धांतों में निम्नलिखित शामिल थे-
    - **स्वायत्तता का समर्थन करना,**
    - **महिलाओं को अपने स्वयं के एजेंडे को परिभाषित करने के अधिकार पर जोर देना,**
    - यहां तक कि राजनीतिक संगठनों और पार्टियों में शामिल होते हुए भी महिलाओं ने अपने एजेंडे को स्वयं निर्धारित करने की मांग की।
  - इस चरण की गतिविधियों में **न्यायसंगत वेतन** और **प्रजनन के अधिकार** से संबंधित अभियानों का समर्थन, **महिला केंद्रित पत्रिकाएं और प्रकाशन संस्थानों (Publishing houses)** की स्थापना करना शामिल था।
- **तीसरा चरण:** यह चरण **मुख्य रूप से 1980 और 1990 के दशक** की गतिविधियों से संबंधित है। इस दौरान विशेष रूप से **नारीवादियों और नारीवादी विचारधाराओं के समर्थकों का मुख्यधारा राजनीति में क्रमिक प्रवेश** हुआ। इसे तीसरे चरण की शुरुआत माना जा सकता है।
  - इस चरण के **तीन महत्वपूर्ण तत्वों** में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - **नीतिगत मामलों में सक्रियता** को महत्त्व देना अर्थात नीतियों को महिला-केंद्रित बनाना;
    - **ग्लोबल साउथ** में नारीवादी आंदोलनों और अधिकारों के समर्थकों को मजबूत करना;
    - **महिलाओं से संबंधित अध्ययन को एक विषय के रूप में** समेकित करना।
  - महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र के चार विश्व सम्मेलन हुए हैं। ये हैं; मेक्सिको (1975), कोपेनहेगन (1980), नैरोबी (1985) और बीजिंग (1995)। ये सम्मेलन नीतिगत कार्यों और वैश्विक नारीवादी विचारों पर चर्चाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए।
  - इस दौरान **बीजिंग प्लेटफार्म फॉर एक्शन (PFA)** का गठन भी किया गया था। यह **महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कनवेंशन (CEDAW)**[100] से प्रेरित एक नीतिगत कार्रवाई संबंधी फ्रेमवर्क है।

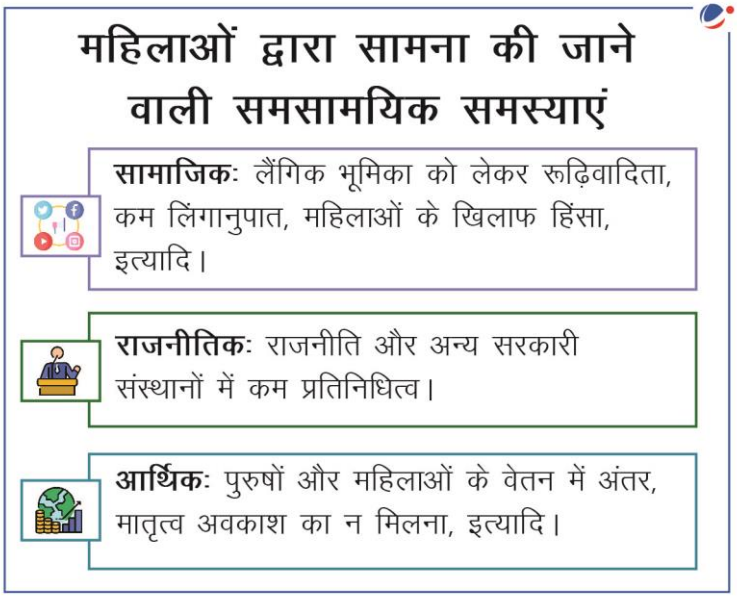

- **चौथा चरण:** इंटरनेट की शुरुआत ने **सोशल मीडिया से प्रेरित महिला अधिकार आंदोलन** के एक नए स्वरूप को आरंभ किया।
  - इस नारीवादी आंदोलन ने सामाजिक न्याय से संबंधित अनेक मुद्दों को उठाया। इनमें नस्लीय समानता, प्रवासन सुधार, जनन अधिकार, पर्यावरण और LGBTQIA+ अधिकार शामिल हैं।
  - इस चरण के 3 प्रमुख उदाहरणों में शामिल हैं:
    - **ब्राज़ील:** यहां पहले से प्राप्त अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास किए गए।
    - **भारत:** यहां जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध अभियान शुरू किए गए।
    - **मलावी**: यहां न्याय और मान्यता प्राप्त करने के लिए LGBTQIA+ कार्यकर्ताओं ने सक्रिय रूप से कार्य किया।

[100] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

निष्कर्ष

नारीवाद एक प्रकार से विवादास्पद राजनीति का एक पहलू है, जो वैश्विक सामाजिक आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही, इसका महत्त्व निरंतर बना हुआ है। हालांकि, प्राथमिकताओं और व्याख्याओं में भिन्नता हो सकती है, लेकिन अलग-अलग देशों, क्षेत्रों तथा दशकों में नारीवादियों द्वारा व्यक्त की गई मांगों में काफी समानताएं हैं। यह लैंगिक असमानता की स्थायी प्रकृति और नारीवादी एजेंडे की मांगों को पूरा करने में प्रगति की क्रमिक गति को रेखांकित करता है।

भारत में महिला आंदोलन का विकास

भारत में महिला आंदोलन की उत्पत्ति 19वीं सदी के अंत में देखी जा सकती है। इस आंदोलन ने समय के साथ राज्य और नागरिक समाज सहित कई हितधारकों को शामिल करते हुए इसमें बदलाव किया है।

महिला आंदोलन के चरण

- **प्रथम चरण:** इसकी नींव **19वीं और 20वीं शताब्दी** के विशिष्ट मुद्दों पर **सुधार तथा उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों** द्वारा रखी गई थी। इसमें सती प्रथा और बाल विवाह आदि के विरुद्ध आवाज उठाई गई।
  - इस आंदोलन का उद्देश्य महिलाओं के लिए बेहतर **राजनीतिक अधिकार,** शिक्षा और रोजगार तक पहुंच आदि के साथ **सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को शामिल** करना था।
  - राष्ट्रीय आंदोलन के **गांधीवादी युग के दौरान,** महिलाओं ने संगठन बनाकर **राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक सुधार गतिविधियों के लिए अपना आंदोलन जारी रखा।**
- **दूसरा चरण:** दूसरा चरण महिला मुक्ति आंदोलन को संदर्भित करता है। यह चरण 1960 के दशक में शुरू हुआ था। यह महिलाओं के लिए कानूनी और सामाजिक समानता से संबंधित था।
  - **टुवर्ड्स इक्वेलिटी रिपोर्ट (1974) और महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन/ संधि (1979)** के प्रकाशन ने **स्वायत्त महिला आंदोलन के एक नए चरण** के लिए नैतिक तथा तर्कसंगत आधार की पेशकश की। इस आंदोलन के प्रभाव एक्टिविस्ट और शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखे गए।
  - **टुवर्ड्स इक्वेलिटी रिपोर्ट** ने समकालीन भारत में महिलाओं की दयनीय स्थिति को प्रकट किया। इसमें लिंगानुपात में गिरावट, महिला मृत्यु दर और अस्वस्थता की बढ़ती दर, महिलाओं का आर्थिक हाशिए पर होना और भेदभावपूर्ण पर्सनल लॉ संबंधी खामियों का जिक्र किया गया।
  - इस चरण का प्रमुख आंदोलन **1973 का चिपको आंदोलन** था। इसमें महिलाओं ने **पर्यावरणीय आपदाओं और आर्थिक नीतियों के खिलाफ अपने अधिकारों** की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन किया था।
  - **पहले और दूसरे चरण के बीच मुख्य अंतर** यह था कि पहले चरण का **समर्थन महिलाओं की ओर से पुरुषों द्वारा** किया गया था, जबकि दूसरे चरण का नेतृत्व व्यापक स्तर पर **महिलाओं तथा स्व-नियोजित महिला संघ (SEWA) जैसे महिला संगठनों** द्वारा किया गया था।
- **तीसरा चरण:** इस चरण की **शुरुआत 1990 के दशक** में हुई थी। यह नई उत्तर-औपनिवेशिक और नव-उदारवादी विश्व व्यवस्था से उभरकर सामने आया।
  - तीसरी लहर ने सामुदायिक उद्देश्यों से व्यक्तिगत अधिकारों की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए **"सार्वभौमिक नारीत्व" (Universal womanhood) के विचार को खंडित** कर दिया।
  - समाज के 'जमीनी स्तर' पर महिलाओं को **औपचारिक निर्णय लेने और शासन का हिस्सा बनने का अवसर दिया गया।**
    - संविधान में 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायत और नगरपालिका निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया। 73वें और 74वें संशोधन के तहत स्थानीय स्वशासन सुनिश्चित किया गया था।
  - अन्य महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले गैर सरकारी संगठनों में बढ़ोतरी हुई। इस आंदोलन ने **दलित और वंचित महिलाओं के अधिकार संबंधी मुद्दों को भी उठाया।**
- **चौथा चरण:** हालांकि, वर्तमान में इस पर बहस चल रही है, लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि नारीवाद का चौथा चरण **2012 के आस-पास शुरू** हुआ था। इस चरण में **यौन उत्पीड़न, बॉडी शेमिंग (Body Shaming) और बलात्कार** जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - हालांकि, चौथी लहर **पश्चिम में उत्पन्न** हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग के कारण यह **भारत में लगभग समकालिक रूप से उभरी।**
  - इस लहर का एक प्रमुख घटक **सोशल मीडिया का उपयोग** था। इस कारण महिलाओं के मुद्दे पर स्थानीय विरोध के साथ-साथ वैश्विक आक्रोश भी देखे गए, उदाहरण के लिए- **#MeToo आंदोलन।**

6.6. प्रो-लाइफ बनाम प्रो-चॉइस (Pro-Life Vs. Pro-Choice)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाहित महिला के 26 सप्ताह से अधिक के तीसरे गर्भ का समापन कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्तमान याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि याचिकाकर्ता प्रसव उपरांत मनोविकार से पीड़ित थी। साथ ही, वह भावनात्मक, आर्थिक और शारीरिक रूप से तीसरे बच्चे को पालने में सक्षम नहीं थी।
- न्यायालय ने कहा कि **गर्भावधि 24 सप्ताह से अधिक हो गई है।** यदि न्यायालय याचिकाकर्ता को **गर्भ समापन की अनुमति देता है तो गर्भ के चिकित्सकीय समापन (MTP) अधिनियम, 2021 का उल्लंघन होगा।**
  - न्यायालय ने यह भी कहा कि **इससे मां को तत्काल कोई खतरा नहीं था** और यह **भ्रूण की विकृति का मामला भी नहीं था।**
    - MTP अधिनियम के अनुसार, 24 सप्ताह से अधिक की अवधि के बाद गर्भ के समापन के केवल यही दो अपवाद हैं।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि **न्यायालय, एक महिला की स्वायत्तता को मान्यता प्रदान करके "अजन्मे बच्चे के अधिकार" को समाप्त नहीं कर सकता है।**
  - इस फैसले ने भारत में महिलाओं के जनन अधिकारों के संबंध में **प्रो-लाइफ बनाम प्रो-चॉइस** वाद-विवाद को जन्म दिया है।

गर्भ का चिकित्सीय समापन (MTP) (संशोधन) अधिनियम, 2021:

- यह निम्नलिखित मामलों में गर्भ के समापन की अनुमति देता है:
  - **20 सप्ताह तक की गर्भावधि:** केवल एक चिकित्सक की सलाह पर गर्भ के समापन का अधिकार सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध है।
  - **20 से 24 सप्ताह तक की गर्भावधि:** इस दौरान कम-से-कम **दो चिकित्सकों की सलाह पर** और **केवल निम्नलिखित दो परिस्थितियों** में ही गर्भ के समापन की अनुमति है:
    - **बच्चे को गंभीर बीमारी होने का खतरा होने पर;** और
    - **गर्भवती महिला के जीवन के समक्ष खतरा होने पर।**
  - **24 सप्ताह से अधिक की गर्भावधि:** इस दौरान भ्रूण की विकृति के आधार पर और केवल **मेडिकल बोर्ड** की सलाह पर ही गर्भ के समापन का अधिकार उपलब्ध है।
- भारत में, भारतीय दंड संहिता की धारा 312 और 313 के तहत गर्भ समापन गैर-कानूनी है, जब तक कि इसे MTP अधिनियम के तहत निर्धारित तरीके से नहीं किया जाता है।

प्रो-लाइफ बनाम प्रो-चॉइस वाद-विवाद

प्रो-लाइफ	**प्रो-चॉइस**
प्रो-लाइफ समर्थकों का कहना है **जन्म देने और जीवन प्रदान करने संबंधी महिलाओं की क्षमता का समाज को सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा, किसी भी महिला को गर्भ के समापन के लिए प्रेरित नहीं किया जाना चाहिए।**	प्रो-चॉइस समर्थकों का कहना है **कि गर्भधारण करना है या नहीं** और **गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म देना है या नहीं, यह तय करना महिलाओं का मूलभूत मानवाधिकार है।**
प्रो-लाइफ के पक्ष में तर्क • **मानव जीवन की शुचिता:** जीवन की शुरुआत गर्भधारण से होती है, इसलिए गर्भ का समापन एक प्रकार से हत्या करने के समान है। गर्भ का समापन एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देता है जिसमें मानव जीवन को वस्तु के रूप में देखा जाता है। • **लिंग चयन पर आधारित गर्भ का समापन:** गर्भ के समापन की अनुमति देने से यह संभावना है कि यह **नियोजित पितृत्व (Planned Parenthood)** का हिस्सा बन सकता है। इससे **लिंग चयन पर आधारित गर्भ के समापन** का मार्ग खुल सकता है। • **गर्भवती महिलाओं के लिए सहायता:** माता-पिता के मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने के लिए सामाजिक और पारिवारिक समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए, न कि गर्भ का समापन किया जाना चाहिए। • **धार्मिक और नैतिक विश्वास:** कई प्रो-लाइफ समर्थकों के विचार धार्मिक या नैतिक मान्यताओं पर आधारित हैं जिसमें गर्भ समापन को नैतिक रूप से अस्वीकार्य माना गया है। • **भ्रूण के विकास की समझ में प्रगति:** चिकित्सा प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, गर्भ धारण की अवधि के दौरान फीटल वायबिलिटी (Foetal viability) समय से पूर्व हो गई है।	**प्रो-चॉइस के पक्ष में तर्क** • **जनन अधिकार:** गर्भ के समापन पर रोक लगाना वस्तुतः एक महिला की **दैहिक संप्रभुता** और **जनन अधिकारों का उल्लंघन** है। • **जीवन की गुणवत्ता:** अनैच्छिक गर्भधारण माता-पिता के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। साथ ही, अनैच्छिक जन्म से बच्चे के पालन-पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। • **अपवाद के रूप में विशेष मामले:** प्रो-चॉइस का समर्थन करने वाले वैवाहिक बलात्कार और यौन अपराधों के चलते अनैच्छिक गर्भधारण के मामले में या माँ के जीवन को खतरे में डालने वाले मामलों में गर्भ के समापन को जायज ठहराते है। • **अधिक जनसंख्या:** महिलाओं को बच्चे पैदा करने चाहिए या नहीं इसके बारे में विकल्प चुनने का अधिकार होना चाहिए। इससे बेहतर परिवार नियोजन में मदद मिल सकती है। • **सामाजिक प्रभाव**: वित्तीय कठिनाइयों, गरीबी आदि के कारण अनैच्छिक गर्भधारण के मामलों से परिवार विघटित हो सकते हैं।

भारत में प्रो-लाइफ बनाम प्रो-चॉइस वाद-विवाद

- MTP अधिनियम, 1971 के अनुसार, **भारत में गर्भ समापन एक अर्हताप्राप्त अधिकार (Qualified right) है**। अतः इसे केवल किसी महिला के अनुरोध के आधार पर नहीं किया जा सकता है।
- न्यायपालिका ने विधायी ढांचे के तहत **अजन्मे बच्चे के कल्याण को स्वीकार किया है। साथ ही, महिलाओं की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए सावधानीपूर्वक, करुणामय और सूक्ष्म विचारों को भी अपनाया गया है।**
- इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि **पंजीकृत चिकित्सकों को** गर्भ समापन की इच्छुक **महिलाओं पर अतिरिक्त कानूनी शर्तें थोपने से बचना चाहिए**।

क्या आप जानते हैं?

> 2022 में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि केवल **"गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MTP) अधिनियम"** के मामले में, **"बलात्कार" की परिभाषा में "वैवाहिक बलात्कार" (Marital rape)** को भी **शामिल** किया जाना चाहिए।

> इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने **अविवाहित और सिंगल महिलाओं को उनके 24 सप्ताह तक के गर्भ की सुरक्षित और कानूनी तरीके से चिकित्सकीय समाप्ति यानी एबॉर्शन का अधिकार** दिया।

आगे की राह

- **यौन शिक्षा:** बच्चों और किशोरों को **उम्र के अनुरूप यौन शिक्षा** प्रदान की जानी चाहिए। इसमें बच्चों और किशोरों को **रिश्तों, प्रजनन संबंधी जागरूकता और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित** करना शामिल है।
  - इससे समाज में **अनैच्छिक गर्भधारण** और **वैवाहिक बलात्कार सहित यौन अपराध** की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।
- **प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सेवा:** इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को स्थापित करना और उनका विस्तार करना चाहिए कि **"हर बच्चा महत्वपूर्ण है, हर बच्चे का जन्म सुरक्षित तरीके से हो, साथ ही हर लड़की और महिला के साथ गरिमा/ सम्मान से व्यवहार किया जाए"**।
  - इसमें **परिवार नियोजन में विकल्पों का विस्तार एवं सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने सहित प्रसूतिविद्या (मिडवाइफरी) पहलों को मजबूत बनाना** इत्यादि शामिल होना चाहिए।
- **गोद लेना:** गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए और गोद लेने के कलंक को समाप्त किया जाना चाहिए। इससे माता-पिता के लिए बच्चे के पालन-पोषण में आने वाली कठिनाइयों को समाप्त करके बच्चे की बेहतर देखभाल सुनिश्चित की जा सकती है।
- **कार्यस्थल:** लैंगिक भेदभाव किए बिना **समान काम के लिए समान वेतन, बेहतर वेतन वाला मातृत्व-पितृत्व अवकाश, रियायती बाल देखभाल** जैसी पहलें गर्भ समापन के मामलों को कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं।
  - **मातृत्व अवकाश का प्रबंध करने हेतु** प्रक्रियाओं तैयार करने के लिए पर्याप्त **अंतराल प्रबंधन संरचनाएं** प्रदान करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए- जोमैटो ने नवजात बच्चों की माताओं की सहायता के लिए एक अद्वितीय सहायता प्रणाली शुरू की है। इसमें माताओं की सहायता के लिए एक कर्मचारी को नियुक्त किया जाएगा, ताकि उन्हें कार्यस्थल पर हमेशा उपस्थित रहने की आवश्यकता न हो।

गर्भ समापन से संबंधित कानूनों की वैश्विक स्थिति

- **सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स (CPR)** के अनुसार, **पिछले 30 वर्षों में 60 से अधिक देशों ने अपने गर्भ समापन कानूनों को सरल बनाया है।**
- केवल **4 देशों** अर्थात् अमेरिका, निकारागुआ, अल साल्वाडोर और पोलैंड ने **गर्भ समापन की वैधता को समाप्त किया है।**
- दुनिया में **24 देश** ऐसे हैं जहां गर्भ समापन **पूरी तरह से प्रतिबंधित है।**

6.7. सहमति की आयु (Age of Consent)

सुर्ख़ियों में क्यों?

22वें विधि आयोग ने अपनी 283वीं रिपोर्ट में यौन संबंध के लिए सहमति की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष नहीं किए जाने की सिफारिश की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- विधि आयोग को **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012** के तहत सहमति की आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष करने के संदर्भ में विचार करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।
- **पोक्सो अधिनियम, 2012** लैंगिक हमलों, लैंगिक उत्पीड़न तथा अश्लील सामग्रियों (पोर्नोग्राफी) के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने के लिए बनाया गया था।
  - इस अधिनियम में ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए **विशेष न्यायालयों** (Special Courts) की स्थापना का भी उपबंध है।

सहमति की आयु क्या है?

- सहमति की आयु, वह आयु है, जिसमें किसी व्यक्ति को **कानूनी रूप से** यौन क्रियाओं हेतु **सहमति देने के लिए सक्षम माना जाता है।**
- पोक्सो अधिनियम के तहत एक बालक के रूप में वर्गीकृत करने की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अतः स्वाभाविक रूप से यह "सहमति की आयु" बन गई है।

विधि आयोग के बारे में

- यह एक गैर-सांविधिक निकाय है। इसका गठन विधि और न्याय मंत्रालय की एक अधिसूचना द्वारा किया गया है।
- **विजन:** इसका उद्देश्य समाज में सभी को न्याय प्रदान करने और विधि के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कानूनों में सुधार करना है।
- **स्वतंत्रता के बाद,** केंद्र सरकार ने **1955 में प्रथम विधि आयोग** की स्थापना **की थी।** भारत के तत्कालीन महान्यायवादी (अटॉर्नी-जनरल) श्री एम. सी. सीतलवाड़ **इसके प्रथम अध्यक्ष थे।**
  - अब तक 22 विधि आयोगों की नियुक्ति की जा चुकी है। **एक निश्चित विचारार्थ विषय के साथ इनमें से प्रत्येक का कार्यकाल तीन वर्ष था।**
  - 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में पहले विधि आयोग का गठन स्वतंत्रता से पूर्व ही 1834 में किया गया था।

सहमति की आयु कम करने के पक्ष में तर्क

- **पोक्सो अधिनियम के तहत बढ़ते आपराधिक मामले:** हालिया समय में यह देखा गया है कि "पोक्सो अधिनियम" के तहत दर्ज होने वाले आपराधिक मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है।
  - लड़कियों के माता-पिता चाहते हैं कि पुलिस उन मामलों में आरोपियों (लड़के) के खिलाफ "पोक्सो अधिनियम" के तहत मामला दर्ज करें, जहां दोनों भाग गए हैं या सहमति से यौन क्रियाओं (प्रेम-प्रसंग संबंधी मामलों) में सम्मिलित हुए हैं।
  - संशोधनों के माध्यम से उन **किशोर लड़कों को अन्याय से बचाने में मदद मिलेगी, जिनसे अपराधी की तरह व्यवहार किया जाता है।**
- **बच्चों का समय से पूर्व परिपक्व होना: सोशल मीडिया जागरूकता** तथा **इंटरनेट कनेक्टिविटी तक सुलभ पहुंच** के कारण 14 वर्ष की आयु के लगभग सभी पुरुष या महिला कम आयु में ही तरुणावस्था प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही, सही निर्णय लेने के लिए उनकी पर्याप्त मानसिक परिपक्वता हो चुकी होती है।
- **यौन स्वायत्तता को मान्यता:** यौन स्वायत्तता में वांछित यौन क्रिया में शामिल होने का अधिकार और अवांछित यौन आक्रामकता से सुरक्षित रहने का अधिकार, दोनों शामिल हैं।
  - मानव यौन गरिमा का पूर्ण सम्मान केवल तभी माना जा सकता है जब किशोरों के अधिकारों के इन दोनों पहलुओं को मान्यता दी जाए।
- **वैश्विक प्रथाओं को अपनाना:** वैश्विक स्तर पर सहमति की आयु 13 से 18 वर्ष के बीच है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और पुर्तगाल में सहमति की आयु 14 वर्ष है। इंग्लैंड और वेल्स में यह 16 वर्ष है।

भारतीय दंड संहिता के अनुसार सहमति की आयु

- **यौन संबंधों के लिए सहमति की आयु 18 वर्ष तक बढ़ाने के लिए आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में संशोधन किया गया।** यह संशोधन पोक्सो अधिनियम के तहत उपबंधित सहमति की आयु मानदंड के अनुरूप बनाने के लिए किया गया।
- हालांकि, किसी **पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने** का अपवाद अभी भी कानून में बना हुआ है, बशर्ते कि **पत्नी की आयु 15 वर्ष से अधिक हो।**
- यह **पोक्सो अधिनियम से असंगत है,** क्योंकि पोक्सो अधिनियम की धारा 42A आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 द्वारा ही शामिल की गई थी। यह धारा इसे अन्य कानूनों पर अधिभावी (Overriding) बनाती है।
  - **इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में, सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 375 के अपवाद 2 की निम्नानुसार व्याख्या की:** "किसी पुरुष और उसकी पत्नी (15 से 18 वर्ष के बीच की आयु) के बीच यौन संबंध को बलात्कार नहीं माना जाएगा।"

सहमति की आयु कम करने के विपक्ष में तर्क

- **भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक परिपक्वता की कमी:** इसके कारण वे यौन क्रियाओं के संदर्भ में सोच-समझकर निर्णय नहीं ले पाते हैं।
- **विवाह की आयु के साथ ताल-मेल:** सैद्धांतिक रूप से सहमति की आयु तथा विवाह की आयु को समान नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि, व्यवहार में देश के सामाजिक परिवेश को देखते हुए **दोनों आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं।**
- **बाल शोषण तथा तस्करी: सहमति की आयु में कोई भी कमी कई अपराधों** से अपराधी को **सुरक्षित बच निकलने का मौका प्रदान करेगी।**

उदाहरण के लिए- अवयस्क लड़कियों के दमन, वैवाहिक बलात्कार तथा तस्करी सहित अन्य प्रकार के अपराध से अपराधी **सुरक्षित बच निकलेंगे।**

- **बाल विवाह को बढ़ावा:** सहमति की आयु में कमी माता-पिता को अवयस्क लड़कियों का विवाह करने का अवसर प्रदान करेगी। इससे बाल विवाह के विरुद्ध सदियों से चल रहे संघर्ष पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- **किशोर अवस्था में गर्भ धारण को प्रोत्साहन:** सहमति की आयु में कमी से न केवल कम आयु में विवाह के लिए विवश किए गए बच्चों के स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, बल्कि ऐसे संबंधों से होने वाली संभावित संतानों के लिए भी स्वास्थ्य संबंधी गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो सकती है।

विधि आयोग की सिफारिशें

- **निर्देशित न्यायिक विवेक:** इसके तहत, यदि न्यायालय यह पाता है कि आरोपी तथा बच्चे के बीच संबंध घनिष्ठ हैं, तो न्यायालय आरोपी को **अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा से कम कोई भी सजा दे सकता है।**
  - इसके लिए आरोपी और बच्चे के बीच आयु का अंतर **तीन वर्ष से अधिक नहीं** होना चाहिए।
  - इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि यदि संबंध में दोनों की मंजूरी हो, आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास न हो और अपराध के बाद उसका आचरण अच्छा हो, इत्यादि तो विवेक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- **किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 में संशोधन:** पोक्सो अधिनियम के तहत ऐसे मामले जिनमें दोनों पक्षों की आयु 16 से 18 वर्ष के बीच है, उन्हें आपराधिक न्यायालयों के स्थान पर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निपटाया जाना चाहिए।
  - आयोग ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 18 में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। इस धारा के तहत कारावास के अलावा अन्य सजाएं, जैसे- चेतावनी, सामुदायिक सेवा, परामर्श तथा अच्छे आचरण को बनाए रखने की शर्त पर परिवीक्षा (पैरोल) पर रिहाई संबंधी मामलों के निस्तारण का अधिकार किशोर न्याय बोर्ड को होगा।
- **यौन क्रियाओं के बारे में जागरूकता फैलाना,** कम आयु में यौन संबंध बनाने के दुष्परिणाम, गर्भनिरोधक तथा सुरक्षित यौन व्यवहार के बारे में जानकारी के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम के बारे में भी जागरूकता फैलाई जानी चाहिए।

6.8. बाल यौन शोषण सामग्री (Child Sexual Abuse Material: CSAM)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** ने टेलीग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर) तथा यूट्यूब सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उनसे भारत में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से **बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) को हटाने** के लिए कहा गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दायित्व दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम[101], 2021** सोशल मीडिया मध्यस्थों से सख्त अपेक्षाएं रखता है। इसके तहत उन्हें **अपने प्लेटफॉर्म पर CSAM जैसे आपराधिक या हानिकारक पोस्ट की अनुमति नहीं देनी चाहिए।**
- MeitY ने सोशल मीडिया मध्यस्थों को चेतावनी दी है कि **नोटिस के अनुपालन में किसी भी प्रकार की देरी करने पर उन्हें दी गई सुरक्षा सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी।**
  - **दी गई सुरक्षा सुविधा (Safe Harbour Protection)** से तात्पर्य **सोशल मीडिया मध्यस्थों को** किसी तीसरे पक्ष की सामग्री के विरुद्ध प्राप्त प्रतिरक्षा से है। इसका अर्थ है कि यह उन्हें किसी भी कानूनी दायित्व से बचाता है। यह सुरक्षा उन्हें **आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79** के तहत प्रदान की जाती है।

[101] Information Technology (Intermediary Liability Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules

बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) क्या है?

- **CSAM** कोई भी ऐसी सामग्री हो सकती है जिसमें किसी बच्चे के साथ यौन गतिविधियों को स्पष्ट रूप दर्शाया गया हो।
- CSAM **ऑनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहार एवं शोषण (OCSAE) का हिस्सा है**। इसके अंतर्गत बच्चों को यौन चैट में शामिल करना, बाल CSAM का निर्माण तथा वितरण करना, नाबालिगों के यौन उत्पीड़न की लाइव स्ट्रीमिंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
    - **भारत में** मई 2023 तक **CSAM के प्रसार के लगभग 4.5 लाख मामले दर्ज** किए गए हैं।
    - एक अनुमान के अनुसार वैश्विक स्तर पर **2-17 वर्ष की आयु के लगभग 1 अरब बच्चों ने शारीरिक, यौन या भावनात्मक हिंसा का सामना किया है।**

बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) का पीड़ितों पर प्रभाव

- **अपराधबोध, शर्मिंदगी तथा दोषी ठहराना:** पीड़ित व्यक्ति, दुर्व्यवहार को रोकने में सक्षम नहीं होने के कारण अपराधबोध से ग्रस्त हो सकते हैं। यहां तक कि वे इसके लिए स्वयं को भी दोषी मान सकते हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य:** CSAM का सामना करना चिंता, डिप्रेशन तथा पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) जैसे **मानसिक तनावों** का कारण बन सकता है। इससे **शिक्षा में कम उत्साह, स्वयं को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति (जैसे- आत्महत्या)** जैसे नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं।
- **सामाजिक अलगाव**: बचपन में ही ऑनलाइन यौन शोषण का सामना करने बच्चों में **आत्म-सम्मान में कमी** आती है। यह शोषण करने वालों से बच्चों को होने वाले हानिकारक अनुभवों के कारण होता है। यह **व्यक्तिगत संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और विश्वास निर्माण को बाधित करता** है। साथ ही, यह पीड़ितों में अलगाव तथा अकेलेपन को बढ़ाता है।
- **मादक द्रव्य तथा शराब का दुरुपयोग:** बचपन में यौन शोषण के आघात से उबरने के लिए, पीड़ित किशोरावस्था में ही शराब तथा मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। अधिकांश मामलों में यह क्रिया वयस्क अवस्था में भी जारी रहती है।
- **रोगों में वृद्धि**: CSAM के कारण कई संक्रामक और गैर-संक्रामक रोग हो सकते हैं। इसमें एचआईवी सहित यौन संचारित रोग, अनपेक्षित गर्भधारण, गर्भपात तथा अन्य बीमारियां आदि शामिल हैं।

CSAM की रोकथाम के लिए किए गए उपाय

- **सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000:** आईटी अधिनियम की धारा 66E, 67, 67A और 67B में CSAM सहित **अश्लील या पोर्नोग्राफिक सामग्री के ऑनलाइन प्रसारण के लिए कठोर दंड और जुर्माने** का प्रावधान किया गया है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:** इन नियमों का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर **CSAM के प्रसार पर रोक लगाना है।**
    - **नियम 3(1)(b)** के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं को पीडोफिलिक (Paedophilic) या बच्चों के लिए हानिकारक सामग्री पोस्ट करने से रोकने के लिए "उचित प्रयास करना" चाहिए।
    - **नियम 4(4)** के अनुसार, भारत में बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों (50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता) को **स्वचालित उपकरणों सहित प्रौद्योगिकी-आधारित उपायों को लागू करना अनिवार्य है**। इससे बाल यौन शोषण को दर्शाने वाली सूचना की सक्रिय रूप से पहचान की जा सकेगी।
- **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012:** यह **18 वर्ष की आयु से कम के सभी बालक/ बालिकाओं को यौन शोषण,** यौन उत्पीड़न तथा अश्लील चित्र दिखाना/ पोर्नोग्राफिक सामग्री के अपराधों से **सुरक्षा प्रदान करता है**।
    - इसमें **कठोर दंडों** का प्रावधान है जिन्हें **अपराध की गंभीरता के अनुसार वर्गीकृत किया** गया है।
- अन्य प्रासंगिक कानूनों के अलावा भारतीय दंड संहिता, POCSO अधिनियम और आईटी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आने वाले अपराधों की जांच के लिए **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो(CBI) द्वारा OCSAE रोकथाम/ जांच इकाई** का गठन किया गया था।
- निर्भया फंड के तहत सरकार ने **'महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम (CCPWC)'** नामक परियोजना लागू की है। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** बच्चों के डेटा के लिए डेटा प्रोसेसिंग इकाइयों पर तीन शर्तें लागू करता है: 'माता-पिता की सत्यापन योग्य सहमति' प्राप्त करना, बच्चों को क्षति नहीं पहुंचाना, और बच्चों को ट्रैक या मॉनिटर नहीं करना या उनको लक्षित विज्ञापन नहीं दिखाना।
- **सोशल मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा पहल: CSAM को सक्रिय रूप से हटाने के लिए** YouTube **बाल यौन शोषण इमेजरी (CSAI) मैच नामक एक स्वचालित टूल का उपयोग करता है।**

बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के उन्मूलन के समक्ष चुनौतियां

- **जागरूकता का अभाव:** भारत के CSAM रिपोर्टिंग प्लेटफार्म की सीमित जानकारी तथा पहुंच के कारण **स्वतः रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या बहुत कम** है।
    - वर्ष 2020 में, **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP)** ने बच्चों के खिलाफ 1,102 साइबर अपराध दर्ज किए थे। इसके विपरीत, NCRB को केवल एक ही वर्ष 2020 में नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लोइटेड चिल्ड्रन (NCMEC) से OCSAE की लगभग 2.7 लाख रिपोर्ट प्राप्त हुईं थीं।
- **बच्चों की सुरक्षा और निजता का संतुलन:** बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सामग्री का पता लगाने के लिए, **सोशल मीडिया प्लेटफोर्मों को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को हटाना पड़ सकता है। इससे ऑनलाइन संवाद की सुरक्षा कमजोर हो सकती है।** साथ ही, इससे अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन भी होगा।
- **अनामिता:** अपराधी फेक अकाउंट का उपयोग करके **सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों और चैट स्पेस के माध्यम से** छोटे बच्चों की कमजोरियों का लाभ उठाकर उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। इससे यौन शोषण करने वालों, उनके सहायकों तथा बाल शोषण सामग्री के दर्शकों की पहचान करना कठिन हो जाता है। फलतः इस प्रकार के मामलों में कानूनी कार्यवाही करना और भी कठिन हो जाता है।
- **डिजिटल युग:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बढ़ता उपयोग, **ऑनलाइन कक्षाओं की ओर बड़े पैमाने पर स्थानांतरण तथा शैक्षिक ऐप्स का उपयोग** भी बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
    - वर्ष 2019-2020 तक, कोविड-19 और शिक्षा जैसी सेवाओं के ऑनलाइन मोड में परिवर्तित होने के कारण बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध में 400% की वृद्धि हुई थी। इन अपराधों में से लगभग 90% में CSAM का प्रकाशन या प्रसारण शामिल था।

आगे की राह

- **विनियमन:** सोशल मीडिया कंपनियां भविष्य में ऐसी सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए **सामग्री मॉडरेशन एल्गोरिदम तथा रिपोर्टिंग तंत्र जैसे सक्रिय उपायों को लागू कर सकती** हैं।
    - इसके अलावा, **एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क विकसित करने की आवश्यकता** है। इसकी **सहायता से** सभी बच्चों और युवाओं के बेहतर विकास हेतु सुरक्षित भौतिक तथा ऑनलाइन वातावरण के महत्त्व की पहचान की जा सकेगी। साथ ही, **बाल ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा दिया** जा सकेगा।
- **ऑनलाइन ग्रूमिंग तथा प्रारंभिक व्यवहार को लक्षित करना:** प्रारंभिक बाल यौन शोषण तथा दुर्व्यवहार गतिविधियों (जैसे कि बाल यौन शोषण के लिए ऑनलाइन ग्रूमिंग) की पहचान करना और निराकरण करना।
    - ऑनलाइन ग्रूमिंग एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन तकनीकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग दुर्व्यवहार करने वाले इंटरनेट के माध्यम से बच्चों का यौन शोषण करने के लिए करते हैं।
- **जागरूकता:** मास मीडिया के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाकर बाल यौन शोषण के मुद्दे पर जनता का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।
    - इसके अलावा विद्यालयों में **कंप्यूटर विज्ञान तथा यौन शिक्षा पाठ्यक्रमों में OCSAE के मॉड्यूल को शामिल किया** जाना चाहिए।
- **सहयोग:** भारत को **दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाते हुए ऑनलाइन बाल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहयोग की शुरुआत करनी चाहिए**। OCSAE का समाधान करने के लिए मजबूत तंत्र वाले देशों (जैसे- ऑस्ट्रेलिया) के साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **बच्चों के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण:** बच्चों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्राउज़िंग के दौरान उन्नत सुरक्षा उपायों को विकसित किया जा सकता है। यह, उन दोस्तों या वयस्कों से विशेष सुरक्षा में सहायता प्रदान कर सकता है जो बच्चों के साथ हानिकारक यौन गतिविधि में शामिल होने का प्रयास करते हैं।

6.9. बच्चों द्वारा सोशल मीडिया का अधिक उपयोग (Children's Prolonged Usage if Social Media)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, **60% शहरी बच्चे सोशल मीडिया तथा अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिदिन 3 घंटे व्यतीत** करते हैं।

बच्चों की इंटरनेट तक पहुंच में अलग-अलग हितधारकों की भूमिका

- **अभिभावक:** आधुनिक समाज (विशेष रूप से शहरी समाज) में माता-पिता दोनों ही लगभग कामकाजी होते हैं। इस कारण वे अपने **बच्चों पर पर्याप्त ध्यान नहीं** दे पाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान आधुनिक समाज में **"आईपैड किड"** जैसी एक नवीन अवधारणा विकसित हो रही है।
  - आईपैड किड उस **छोटे बच्चे के लिए प्रयुक्त संज्ञा है,** जो अधिकांश समय **आईपैड या अन्य स्मार्ट डिवाइस** पर व्यस्त रहता है।
  - इसके अलावा, माता-पिता भी विविध गतिविधियों के द्वारा बच्चों को सोशल मीडिया के प्रति बढ़ावा देते हैं। ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं- सोनोग्राम तस्वीरें अपलोड करना, गर्भावस्था के दौरान अपने अनुभवों के बारे में पोस्ट करना, अपने नवजात शिशुओं की तस्वीरें अपलोड करना आदि।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (जैसे यूट्यूब या इंस्टाग्राम):** ये प्लेटफॉर्म्स डेटा माइनिंग एवं विश्लेषण की मदद से, बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनकी प्रवृत्ति/ रूचि के अनुसार कंटेंट प्रसारित करते हैं।
  - **उदाहरण:** स्क्रीन से आने वाले प्रेरक जैसे रंग, ध्वनि तथा कहानियां बहुत तेजी से बदलते हैं। ये बदलाव बच्चों में संवेदनात्मक भावों को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। इससे बच्चों में **खुशी के हार्मोंस का स्राव होने लगता है।**
- **विद्यालय:** महामारी ने शिक्षा को तीव्रता से डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म्स में परिवर्तित कर दिया है। बहुत शीघ्र हुए इस परिवर्तन के कारण डिजिटल शिक्षण के नकारात्मक प्रभावों के बारे में आवश्यक जागरूकता का प्रसार नहीं हो सका है। Parents also feel pressure to provide the technological device as most of the work given after the pandemic is done online
  - **उदाहरण:** महामारी के दौरान और बाद में भी कक्षा कार्य व गृह कार्य ऑनलाइन करवाया जाता था। इस कारण माता-पिता व अभिभावकों पर भी तकनीकी डिवाइस खरीदने का आर्थिक बोझ पड़ गया था।
- **बच्चे:** डिजिटल विश्व बच्चों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों तथा तनावों से बचने के लिए एक सहायक के रूप में आकर्षित करता है।
  - बच्चों पर नई तकनीक तथा नवीनतम गेम और एप्लिकेशन का उपयोग करने के लिए मित्र समूह का भी दबाव होता है।
- **सरकार:** वयस्कों तथा बच्चों के लिए अलग-अलग विनियमन तंत्र का अभाव है।

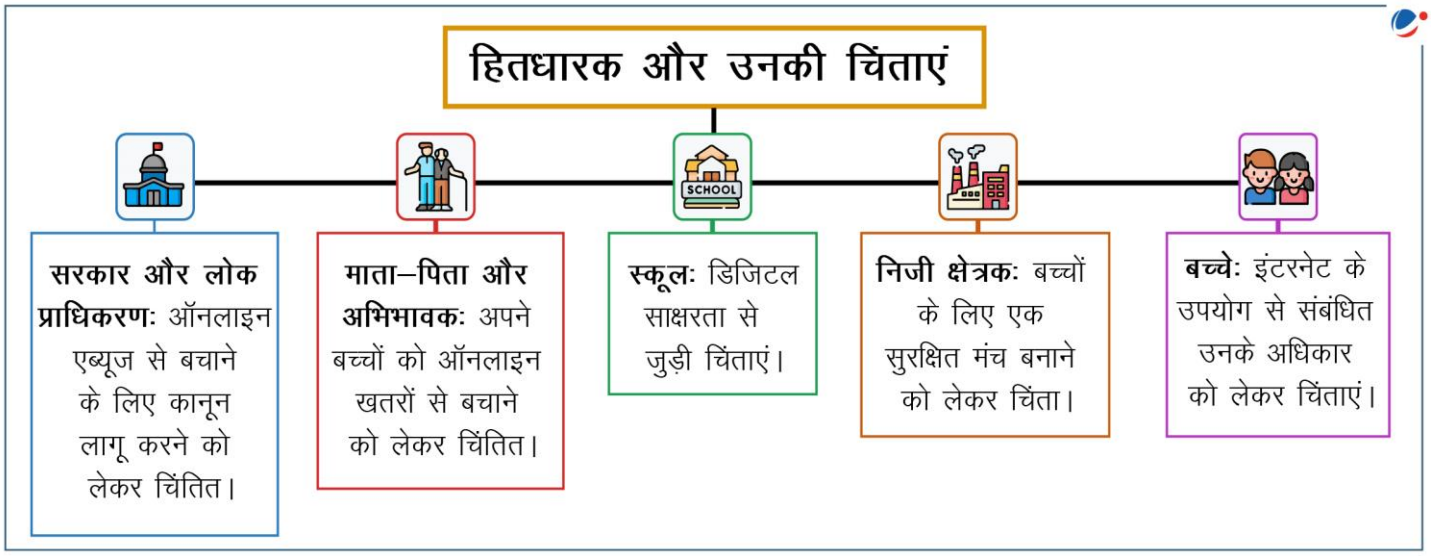

बच्चों पर सोशल मीडिया के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव

सकारात्मक	नकारात्मक
• **संज्ञानात्मक कौशल:** कई सोशल मीडिया एप्लीकेशंस खेलों के माध्यम से पढ़ने, लिखने, गणना करने आदि कौशल सीखने में सहायता कर सकती हैं। • **सार्वभौमिक मूल्य:** विश्व भर के लोगों से अंतर्क्रिया के दौरान बच्चों में दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करने, सार्वभौमिक नैतिकता व सार्वभौमिक मूल्यों का आदर करने जैसे मूल्य का विकास हो सकता है। • **सामाजिक कौशल:** सोशल मीडिया विविध लोगों के साथ सुगमतापूर्वक संचार तथा बातचीत करने की सुविधा प्रदान करता है। • **सूचनाओं तक आसान पहुंच:** सोशल मीडिया विविध विषयों पर प्रचुर मात्रा में जानकारी प्रदान कर सकता है। • **रचनात्मकता:** बच्चे कला, लेखन या वीडियो कंटेंट जैसे अलग-अलग माध्यमों से अपनी रचनात्मकता व्यक्त करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं तथा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं।	• **साइबर बुलिंग तथा ऑनलाइन उत्पीड़न:** बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बुलिंग, उत्पीड़न या बहिष्कार के शिकार हो सकते हैं। इससे भावनात्मक तनाव, चिंता, यहां तक कि अवसाद जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। • **फेक न्यूज:** सोशल मीडिया एक सहज व क्षमतावान प्लेटफॉर्म है, जिस पर दूसरों के बारे में झूठी, मनगढ़ंत, शर्मनाक तथा शत्रुतापूर्ण सूचनाएं प्रसारित की जा सकती हैं। • **सामाजिक संबंधों में कमी:** बच्चे आसपास के लोगों से आमने-सामने मिलने में तनाव महसूस कर सकते हैं। साथ ही, अन्य लोगों से संवाद करने के लिए सोशल मीडिया के आदी हो सकते हैं। • **वास्तविक व ऑनलाइन रियलिटी में पहचान करने में असमर्थता:** बच्चों में ऑनलाइन रियलिटी व वास्तविक रियलिटी में भेद करने की क्षमता सीमित होती है। • **फेसबुक डिप्रेशन:** बच्चों को पर्याप्त लाइक्स न मिलने तथा कथित ऑनलाइन समर्थन खोने का डर रह सकता है। • **स्क्रीन पर अत्यधिक समय बिताना:** इससे शारीरिक गतिविधियों में कमी, कम नींद आना तथा स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

आगे की राह

- **अभिभावकों का नियंत्रण:** अभिभावक इंटरनेट उपयोग के लिए पेरेंटल कंट्रोल सेटिंग का विकल्प चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, विशिष्ट वेबसाइट्स को इंटरनेट पर देखने की अनुमति देना या उन्हें देखने पर प्रतिबंध लगाना।
- **बच्चों को सशक्त बनाना:** सशक्तीकरण में कई तकनीक शामिल होती हैं, जैसे बच्चों को आयु-उपयुक्त भाषा में कानूनी सीमाओं के बारे में शिक्षा देना; अपने समुदायों के सांस्कृतिक व नैतिक मानदंडों तथा उनकी अपेक्षाओं पर चर्चा करना आदि।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** बच्चों के डिवाइसेज़ को नवीनतम सॉफ्टवेयर तथा गोपनीयता सेटिंग्स के साथ अपडेट करना चाहिए। इससे कम-से-कम डेटा संग्रहण किया जा सकेगा।
- **विनियमन:** सरकारें ऐसे कानून तथा नियम बना सकती हैं, जो बच्चों की ऑनलाइन निजता की रक्षा करें तथा साइबर बुलिंग को रोकें।
- **इंटरनेट प्रदाता की भूमिका:** वे बाल-केंद्रित फीचर्स व फंक्शंस, प्रभावी रिपोर्टिंग, फीडबैक तंत्र आदि के माध्यम से ऑनलाइन बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार को रोक सकते हैं तथा इस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
- **विद्यालय:** विद्यालय स्तर पर छात्रों को इंटरनेट के सुरक्षित तथा प्रभावी उपयोग के बारे में शिक्षित किया जा सकता है।
- **शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना:** शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने और बच्चों में अनुशासन तथा टीम वर्क की भावना पैदा करने के लिए "फिट इंडिया मूवमेंट" जैसी पहल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **बाल ऑनलाइन सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) दिशा-निर्देश (2020):** इन दिशा-निर्देशों को अलग-अलग देश और हितधारक राष्ट्रीय एवं स्थानीय रीति-रिवाजों तथा कानूनों के अनुरूप अनुकूलित करके अपना सकते हैं।

6.10. चक्रीय प्रवास (Circular Migration)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कई विशेषज्ञों के अनुसार भारत में आंतरिक प्रवास लगभग सदैव चक्रीय रहा है। इसके तहत प्रवासियों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर मौसमी प्रवास होता है।

चक्रीय प्रवास क्या है ?

- चक्रीय प्रवास की कोई **मानक परिभाषा नहीं** है। सामान्य तौर पर यह **एक से अधिक उत्प्रवास (Emigration) और वापसी से संबद्ध बार-बार होने वाली प्रवास की घटना** है।

- इसका तात्पर्य लोगों द्वारा **स्थायी या अस्थायी रूप** से किसी अन्य स्थान पर बसने की बजाय, काम की उपलब्धता होने की स्थिति में स्थानांतरण से है। उदाहरण के लिए किसी अनुबंध-आधारित कार्य को पूरा करने हेतु कुछ समय के लिए अन्य स्थान पर स्थानांतरित होना।

- अधिकतर **निम्न-आय वर्ग के लोग ज्यादा चक्रीय प्रवास** करते हैं। वे दूसरे देश, शहर, स्थान आदि में **मौसमी तौर पर उपलब्ध रोजगार का लाभ** प्राप्त करने के लिए प्रवास करते हैं।

चक्रीय प्रवास के लाभ

- इससे **राज्यों या शहरों की विकास आवश्यकताओं** के साथ-साथ व्यक्तियों का आर्थिक विकास भी **संतुलित** होता है।
- यह मांग-आधारित आंतरिक प्रवास को सुविधाजनक बना कर **ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन की समस्या को कम** करता है। साथ ही, यह **कौशल एवं विशेषज्ञता के स्थानांतरण (ब्रेन सर्कुलेशन) को प्रोत्साहित** करता है।
- जनसंख्या में स्थायी वृद्धि में कमी लाते हुए **श्रम बाजार की कमी को दूर** करता है।
- यह गांव और शहर में आय के अवसरों को बढ़ाकर **आय अस्थिरता के जोखिमों में कमी** लाता है।
- यह **स्थायी आप्रवास से जुड़े दबावों** (जैसे संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिक चुनौतियां, अवैध प्रवास आदि) को **कम** करता है।
- **चक्रीय प्रवासी** उन प्रवासियों, जो घर लौटने का इरादा नहीं रखते हैं, की तुलना में **विप्रेषण (Remittance) के रूप में अधिक धनराशि घर भेजते हैं।**
- यह व्यक्तियों को **अलग-अलग संस्कृतियों, विचारों और प्रथाओं से परिचित कराकर सांस्कृतिक आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान** करता है।

भारत में चक्रीय प्रवास के समक्ष चुनौतियां

- **नियोक्ताओं द्वारा शोषण** जैसे कि अस्वच्छ और असुरक्षित कार्य दशाएं, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, न्यूनतम मजदूरी जैसे श्रम मानदंडों का उल्लंघन आदि।
- रोजगार की प्रकृति **निर्वाह स्तर** की होती है। इसलिए बचत या परिसंपत्ति निर्माण के लिए सीमित अवसर मौजूद होते हैं।
- प्रवास संबंधी डेटा का अभाव है। साथ ही, इसकी व्यापकता के संबंध में जानकारी भी बहुत कम उपलब्ध है। इसके कारण **प्रवासियों को सरकार से बहुत कम नीतिगत सहायता** मिलती है।
- **प्रवासी गंतव्य क्षेत्रों** में राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल नहीं हो पाते हैं।
- **ज्यादातर प्रवास तनाव और अभावों** की वजह से होता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि अधिकांश चक्रीय प्रवासी वंचित समूहों से और लगभग निरक्षर होते हैं।
- **अन्य मुद्दे:** सामाजिक अलगाव, भाषा संबंधी बाधाएं, रोजगार की अनिश्चितता, मेजबान राज्यों में प्रवासी विरोधी भावनाएं आदि।

भारत में आंतरिक प्रवासियों के लिए किए गए उपाय

- **अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979:** यह अधिनियम अंतर्राज्यीय प्रवासियों के लिए कामकाज की बेहतर दशाएं, न्यूनतम मजदूरी, शिकायत निवारण तंत्र, दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा आदि सुनिश्चित करता है। साथ ही, यह उनके कौशल की वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा हेतु प्रावधान भी करता है।
  - ज्ञातव्य है कि इस कानून को अब **उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता (OSH), 2020** में शामिल कर लिया गया है।
- **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं:**
  - **प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):** इनके द्वारा प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु के कारण जीवन व दिव्यांगता से जुड़े बीमा कवर प्रदान किए जाते हैं।
  - **प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना (PM-SYM):** इसके तहत **मासिक पेंशन** के रूप में वृद्धावस्था से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।

आगे की राह

- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर **चक्रीय प्रवासी कामगारों पर व्यापक डेटा** एकत्र किया जा सकता है, उदाहरण के लिए **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** में डेटा संग्रह करना।
- कम लागत पर बीमा पॉलिसियों, व्यावसायिक सुरक्षा और कौशल वृद्धि योजनाओं के रूप में **सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान** किया जा सकता है।

- श्रम कानूनों के विनियमन के लिए **केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सामंजस्य व समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय प्रवास परिषद** का गठन किया जा सकता है।
- प्रवासी श्रम बल को औपचारिक आर्थिक ढांचे में **शामिल करने के लिए समर्पित सरकारी नीतियां** तैयार की जा सकती हैं।
- **प्रवासी अधिकारों को मजबूत संरक्षण** प्रदान करके उनकी शोषण और दुर्व्यवहार संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

6.11. वैश्विक भुखमरी सूचकांक (Global Hunger Index: GHI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) 2023 जारी किया गया है। GHI को **कंसर्न वर्ल्डवाइड (आयरलैंड का अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन) और वेल्टहंगरहिल्फे (जर्मनी का निजी सहायता संगठन)** जारी करते हैं।

GHI स्कोर

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) एक ऐसा साधन है, जिसका उपयोग वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर **भुखमरी के स्तर को मापने तथा उसकी निगरानी करने** के लिए किया जाता है। इसके तहत अलग–अलग देशों के स्कोर को निर्धारित करने के लिए **चार संकेतकों का उपयोग** किया जाता है। ये चार संकेतक हैं:

अल्प–पोषण (Undernourishment): यह मापदंड आवश्यकता से कम **कैलोरी ग्रहण करने वाली जनसंख्या** के हिस्से को व्यक्त करता है।

बाल दुबलापन (Child wasting): यह मापदंड पांच वर्ष से कम आयु के उन बच्चों की संख्या को इंगित करता है, **जिनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम** है। इस प्रकार यह अल्प–पोषण की गंभीर स्थिति को दर्शाता है।

बाल ठिगनापन (Child stunting): यह मापदंड पांच वर्ष से कम आयु के उन बच्चों की संख्या को इंगित करता है, **जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम** है। इस प्रकार यह अल्प–पोषण की दीर्घकालिक स्थिति को दर्शाता है।

बाल मृत्यु दर: यह मापदंड **पांच वर्ष से कम आयु** के बच्चों की मृत्यु दर को दर्शाता है। ये मौतें अपर्याप्त पोषण और अस्वस्थ वातावरण के मिले–जुले कारणों से होती हैं।

GHI स्कोर को उपर्युक्त चार संकेतकों के भारांश के आधार पर तैयार किया जाता है:

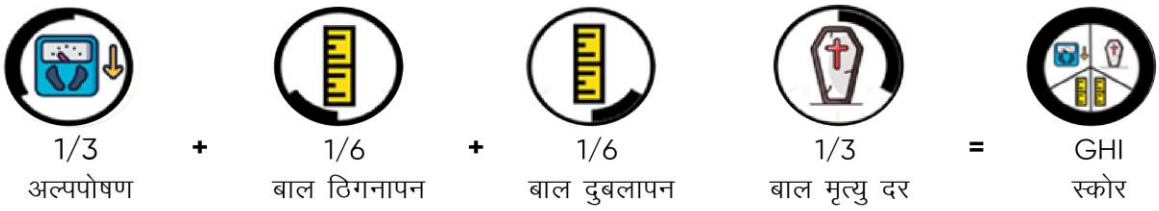

GHI पैमाने पर भुखमरी की गंभीरता

अत्यधिक चिंताजनक (Extremely Alarming) GHI ≤ 50.0	चिंताजनक (Alarming) GHI 35.0-49.9	गंभीर (Serious) GHI 20.0–34.9	सामान्य (Moderate) GHI 10.0–19.9	कम (Low) GHI ≤ 9.9

GHI के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- **वैश्विक प्रवृत्तियां**
  - वर्ष 2015 से, **भुखमरी के खिलाफ दुनिया भर में प्रगति काफी हद तक रुकी** हुई है। यह रुकावट **कोविड-19 महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव** जैसे कई संकटों के संयुक्त प्रभावों को दर्शाती है।
  - विश्व में सर्वाधिक भुखमरी **दक्षिण एशिया और अफ्रीका (सहारा मरुस्थल के दक्षिण में)** में है। दोनों क्षेत्रों के लिए GHI स्कोर **27.0** है।
- **भारत से संबंधित निष्कर्ष**
  - इस सूचकांक में **125 देशों** में भारत **111वें स्थान** पर है। भारत का **GHI स्कोर 28.7** है। इसी आधार पर **भुखमरी की गंभीरता वाले GHI पैमाने पर भारत को 'गंभीर श्रेणी' में वर्गीकृत** किया गया है।
    - **2015 में भारत का GHI स्कोर 29.2 था। 2023 का स्कोर 2015 के स्कोर में मामूली सुधार** दर्शाता है।
  - भारत में **बाल दुबलेपन (Child wasting) की दर 18.7 प्रतिशत है, जो विश्व में सर्वाधिक** है। यह आंकड़ा देश में अल्पपोषण की गंभीर स्थिति को दर्शाता है।
  - इसके अलावा, **15-24 आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता 58.1% है।**

GHI पर भारत की आपत्ति

- **सूचकांक तैयार करने की पद्धति संबंधी मुद्दे: GHI के चार में से तीन संकेतक बच्चों के स्वास्थ्य** से संबंधित हैं। इस तरह ये भारत की संपूर्ण आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
  - **बाल ठिगनापन, दुबलापन और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर** के लिए भुखमरी के अलावा अन्य कारण भी जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए- अस्वच्छ पेयजल, स्वच्छता की कमी, आनुवंशिक कारण, दूषित पर्यावरण व भोजन का सही से सेवन नहीं करना आदि।
- **सैंपल के आकार का छोटा होना: चौथा संकेतक** "अल्पपोषित आबादी का अनुपात" (PoU)[102] **3000 लोगों के छोटे सैंपल साइज से टेलीफोन-संवाद के जरिए लिए गए ओपिनियन पोल** पर आधारित है।
  - रिपोर्ट में भारत की PoU आबादी को **16.3%** होने के अनुमान लगाया गया है। इसके आधार पर ही भारत की रैंक को कम किया गया है।
- **डेटा का उपयोग:** GHI में बाल दुबलेपन के लिए **पोषण ट्रैकर (Poshan Tracker) के डेटा की बजाय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-5 द्वारा जारी बाल दुबलेपन से संबंधित डेटा का उपयोग** किया है। भारत ने इस तरीके पर आपत्ति प्रकट की है।
  - **पोषण ट्रैकर पोर्टल** पर दर्ज किए गए डेटा से पता चलता है कि पांच वर्ष से कम आयु के कुल 7.24 करोड़ बच्चों में बाल दुबलेपन की व्यापकता **7.2%** है।
    - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पोषण ट्रैकर को **पोषण पर नियमित प्रशासनिक डेटा को त्रुटिहीन रूप से प्रसारित करने वाले एक उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म** के रूप में मान्यता दी है।

भारत में भुखमरी से निपटने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013:** यह भोजन के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता देता है।
- **80 करोड़** गरीब लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की शुरुआत** की गई है।
- **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना:** पंजीकृत महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म से संबंधित गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद की अवधि में पारिश्रमिक सहायता व पौष्टिक भोजन के लिए **5,000 रुपये** प्रदान किए जाते हैं।
- **पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन):** इसका उद्देश्य मुख्य पोषण मापदंडों के अनुसार बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार करना है।
- **पोषण ट्रैकर:** यह एक रियल टाइम आधारित निगरानी प्रणाली है। यह प्राधिकारियों को पोषण स्तर की प्रगति को ट्रैक करने और सेवा वितरण की आपूर्ति श्रृंखला में अंतराल की पहचान करने में सक्षम बनाता है।
- **ईट राइट मूवमेंट:** इसका उद्देश्य सुरक्षित, स्वस्थ और संधारणीय भोजन सुनिश्चित करने के लिए देश की खाद्य प्रणाली को रूपांतरित करना है।

निष्कर्ष

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI), 2023 विविध संकटों के कारण बढ़ती भुखमरी के खिलाफ चल रहे वैश्विक संघर्षों को उजागर करता है। GHI तैयार करने के लिए अपनाई गई पद्धति की भारत द्वारा आलोचना भुखमरी की व्यापकता के सटीक आकलन के समक्ष आने वाली चुनौती को रेखांकित करती है। हालांकि,

[102] Proportion of the Undernourished

GHI की खामियों के बावजूद, भारत को अपनी कुपोषण से संबंधित समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हालांकि, सरकार द्वारा चलाई जा रही पहलें पोषण को लक्षित करती हैं, फिर भी भुखमरी और कुपोषण से निपटने के लिए नीतियों के बेहतर लक्ष्यीकरण हेतु इसके अलग-अलग उत्तरदायी कारकों की गहराई से समझ महत्वपूर्ण है।

6.12. भारत में खेल (Sports in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल 107 पदक जीतकर अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। इन पदकों में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया।
- इससे पहले भारत ने 18वें एशियाई खेलों में 70 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, लेकिन 19वें एशियाई खेलों में भारत ने उस प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ दिया।
- कुल 383 पदक जीतकर **चीन** ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके बाद **जापान** और **दक्षिण कोरिया** क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

भारत के बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी कारक

- **खेल गवर्नेंस: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय** ने 2011 में **भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता**[104] को लागू किया।
  - इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) के कामकाज में **पारदर्शिता लाना और जवाबदेही** सुनिश्चित करना तथा राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रबंधन में **सुशासन को बढ़ावा देना** है।
- **अवसंरचना और प्रशिक्षण: भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI)** ने खेल संबंधी अवसंरचनाओं में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए; देश के अलग-अलग हिस्सों में स्टेडियम बनाए गए हैं।
  - विदेशों से विश्व स्तरीय कोच, स्पोर्ट्स चिकित्सक और खेल प्रशिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं।
- **वित्तपोषण:** पिछले कुछ वर्षों में खेलों के लिए बजटीय आवंटन को बढ़ाया गया है। उदाहरण के लिए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के बजटीय आवंटन में वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में 11% की वृद्धि की गई थी।
- **राज्यों की भूमिका:** राज्यों के स्तर पर भी प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के लिए; उत्तर प्रदेश ने **"एक जिला, एक खेल** (ODOS)[105]**"** योजना शुरू की है।

भारत में खेल

- भारत में खेल **संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 33 में शामिल** है। यह विषय अनिवार्य रूप से संघ के राज्यों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।
- **भारत में खेल शासन का वर्तमान मॉडल**
  - **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (MYAS)** के अधीन भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI)[103] जैसे संस्थानों की स्थापना की गई है। अन्य संस्थान SAI के तहत खेल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।
  - **भारतीय ओलंपिक संघ (IOA)** के अधीन राज्य ओलंपिक संघ (SOAs) तथा राष्ट्रीय और राज्य खेल महासंघ (NSFs और SFs) कार्य कर रहे हैं।
  - **कुछ ऐसे खेल जो अब तक आयोजित ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं** रहे हैं (जैसे- क्रिकेट), उनके प्रशासन के लिए **अलग बोर्ड्स हैं** और ये उन खेलों **के अंतर्राष्ट्रीय संघों से संबद्ध** हैं। **उदाहरण के लिए-**भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से संबद्ध है।

[103] Sports Authority of India

[104] National Sports Development Code of India

[105] One District, One Sport

- **कॉर्पोरेट्स की भूमिका:** कई कंपनियों ने अपने **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** का उपयोग खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया है।
- **समुदाय आधारित खेल:** इसके तहत खेल एवं शारीरिक गतिविधियों पर केंद्रित लीग, फिटनेस क्लासेस और सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
- **समाज में प्रतिष्ठा मिलना:** पहले केवल कुछ ही खेलों के खिलाड़ियों को समाज में सम्मान प्राप्त होता था, लेकिन हाल के वर्षों में कई अन्य खेलों के एथलीटों को भी समाज में वैसा ही सम्मान मिल रहा है।
- **अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करना:** हाल के वर्षों में, भारत द्वारा कई विश्व स्तरीय टूर्नामेंट, जैसे कि- इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी की गई है। इससे भारतीय एथलीटों को अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी खेल आयोजनों में प्रदर्शन करने का अवसर मिला है।

खेलों को बढ़ावा देने में आने वाली चुनौतियां

- **खेल पदानुक्रम: खेलों में** निचले स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक **पदानुक्रम का अभाव** है।
- **खराब शासन व्यवस्था:** भारतीय खेलों के वर्तमान शासन मॉडल में स्पष्ट **जवाबदेही** और **पारदर्शिता** का अभाव है। यह बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।
    - **खेल संघों** में खेल में कम विशेषज्ञता रखने वाले राजनीतिज्ञों का प्रायः उच्च पदों पर वर्चस्व देखा जाता है। इन पर भाई-भतीजावाद, खेल संघ को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझना जैसे आरोप लगते रहे हैं।
- **समाज और सामाजिक गतिविधियों की बदलती प्रकृति:** बढ़ते शहरीकरण और डिजिटलीकरण ने बच्चों की शारीरिक गतिविधियों वाले खेलों में भाग लेने के अवसरों और रुचि को कम किया है। इसके परिणामस्वरूप उनकी खेलों में भागीदारी भी कम हुई है।
- **पारिश्रमिक और रोजगार सुरक्षा का अभाव:** माता-पिता अक्सर अपने बच्चों के लिए **खेल को पेशेवर करियर के रूप में चुनने में संकोच करते हैं।** इसकी जगह वे अपने बच्चों की **शैक्षणिक उत्कृष्टता या प्रदर्शन पर अधिक ध्यान** देते हैं।
- **वित्तपोषण कम मिलना:** भारत में, खेलों के लिए बजट आवंटन लगभग 24 रुपये प्रति व्यक्ति/प्रति वर्ष है, जो यूरोपीय संघ के 8,000 रुपये प्रति व्यक्ति खेल बजट की तुलना में अत्यंत कम है।
- **मनोवैज्ञानिक समर्थन:** भारत में खेल प्रशिक्षण पूरी तरह से खेल-उन्मुख है। यहां एथलीटों को **मानसिक रूप से मजबूत करने पर बहुत कम ध्यान दिया जाता** है।
- **अन्य:** खेल आयोजनों के लिए खिलाड़ियों के चयन और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में क्षेत्रवाद का होना (उदाहरण के लिए- हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में बेहतर सुविधाएं हैं), यौन उत्पीड़न की शिकायत, क्रिकेट को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाना जैसी कई अन्य चुनौतियां हैं।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें

- **टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS):** इसने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि "एथलीटों के मुख्य समूह" को सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों। जैसे-विदेशी परिवेश, एथलीट विशिष्ट कोच व प्रशिक्षण एवं विदेशों में प्रतिस्पर्धा के अवसर जैसे व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त हो।
    - इस स्कीम को राष्ट्रीय खेल विकास कोष (NSDF)[106] से सहायता दी जाती है।
- **खेलो इंडिया योजना:** इस योजना का मुख्य उद्देश्य एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। साथ ही योग्य एथलीटों की पहचान करके उनके प्रदर्शन में और निखार लाना तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
    - इसके तहत सभी राज्यों में "खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (KISCE)" स्थापित किए जा रहे हैं।
- **फिट इंडिया मूवमेंट:** यह भारतीयों के बीच शारीरिक फिटनेस और खेल संस्कृति को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के लोगों को सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
- **राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय:** खेल को समर्पित भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थापित किया गया है।

खेल आयोजनों में प्रदर्शन में और सुधार के लिए आवश्यक उपाय

- **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF)[107] के हिस्से के रूप में स्पोर्ट्स एजुकेशन:** इसे साकार करने के लिए "स्पोर्ट्स एजुकेशन पाठ्यचर्या की रूपरेखा" का मसौदा तैयार करना, कुछ स्कूलों में उसे प्रयोग के तौर पर लागू करना और उसका परीक्षण किया जाना चाहिए। इसके बाद संबंधित विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर इसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और फिर इसे देश- भर में लागू किया जाना चाहिए।
- **निरीक्षण:** ब्लॉक और जिला स्तर पर खेल संघों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि इन स्तरों पर संबंधित खेल अकादमियों की निगरानी की जा सके।
- **खेल प्रशासन में खेल से जुड़े लोगों को शामिल किया जाना:** इससे उचित निर्णय लेना संभव होगा। इससे अधिक प्रभावी और ज्ञान-आधारित नीतियां बनाई जा सकेंगी।

[106] National Sports Development Fund

[107] National Curriculum Framework

- **क्षेत्रीय असमानता को कम किया जाना:** सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अवसंरचना तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु पर्याप्त वित्त-पोषण प्रदान करना चाहिए। साथ ही, ग्रामीण व शहरी तथा अमीर एवं गरीब के विभाजन इत्यादि को कम किया जाना चाहिए।
- **वित्तपोषण:** खेलों के विकास के लिए **बजटीय आवंटन को बढ़ाए जाने** की आवश्यकता है। साथ ही **विश्व स्तरीय अवसंरचना**, प्रशिक्षण उपकरण, प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन और विदेशी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए **निजी भागीदारी को बढ़ाने की भी** आवश्यकता है।
- **रोजगार:** सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी उद्यमों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे अपनी **रिक्तियों का एक निश्चित प्रतिशत पर खिलाड़ियों को नियुक्त** करे। इसके अलावा, निजी क्षेत्रक को कर छूट जैसे प्रोत्साहन देकर खिलाड़ियों को रोजगार देने हेतु प्रेरित किए जाने चाहिए।
- **खिलाड़ियों को सम्मान देना तथा उनके प्रति नज़रिये में बदलाव लाना:** टेलीविजन तथा अन्य संचार माध्यमों से सभी खेलों के प्रसारण कवरेज में वृद्धि की जानी चाहिए।

भारत में स्पोर्ट्स के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें।

वीकली फोकस #66: भारत में खेलः ओलंपिक और अन्य

6.13. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.13.1. आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए स्कूलों हेतु दिशा-निर्देशों का मसौदा (Draft Guidelines for Schools to Prevent Suicide)

- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए स्कूलों हेतु दिशा-निर्देशों का मसौदा जारी किया है। इन दिशा-निर्देशों का मसौदा **"UMMEED/ उम्मीद (अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एंपैथाइज, इंपावर, डेवलप)"** शीर्षक से जारी किया गया है। ये दिशा-निर्देश **"रिपोर्ट की गई आत्म-क्षति के मामले में संवेदनशीलता व समझ बढ़ाने और सहायता प्रदान करने के लिए स्कूलों हेतु निर्देशों"** के रूप में कार्य करेंगे।
  - **'हर बच्चे का महत्त्व है"** अवधारणा, आत्महत्या की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का आधार है।
- आत्महत्या **व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों** की एक जटिल परिणति है, जिसके लिए शायद ही कोई एक परिस्थिति या घटना जिम्मेदार होती है।
  - **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017**, भारत में आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है।
- **आत्महत्या की ओर ले जाने वाले कारक:**
  - **व्यक्तिगत कारक:** बचपन में हुए प्रतिकूल अनुभव (दुर्व्यवहार, हिंसा आदि); सोशल मीडिया की लत, मादक पदार्थों का सेवन; जीवन में अच्छा प्रदर्शन करने का आंतरिक दबाव आदि।
  - **स्कूल:** साथियों/ शिक्षकों के साथ सकारात्मक संबंधों का अभाव, धमकाना, अपमान, अलगाव; स्कूल-परिवार से जुड़ाव का अभाव; स्कूल की ओर से शैक्षणिक दबाव आदि।
  - **परिवार:** विवाद और अशांति (तलाक, वित्तीय कठिनाइयां आदि); माता-पिता द्वारा उपेक्षा/ दुर्व्यवहार; विद्यार्थियों पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दबाव डालना आदि।
  - **समुदाय और समाज:** मानसिक बीमारी से जुड़ा कलंक; मीडिया में आत्महत्या के मामलों की सनसनीखेज और असंवेदनशील रिपोर्टिंग आदि।

6.13.2. श्रेष्ठ योजना (Shreshta Scheme)

- वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक **श्रेष्ठ/ SHRESHTA[108] योजना** के तहत **14.94 करोड़ रुपए खर्च** किए जा चुके हैं।
- **मंत्रालय:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
- **योजना प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक योजना है।
- **उद्देश्य:** शिक्षा के क्षेत्र में **सेवा से वंचित** अनुसूचित जाति वाले प्रमुख क्षेत्रों में **अंतराल को भरना।** इसके लिए स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। साथ ही, अनुसूचित जातियों के **सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास** के लिए एक **परिवेश सृजित** करना।
- **लाभ: कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के अनुसूचित जाति के गरीब और मेधावी विद्यार्थियों** को उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:**
  - **मोड 1:** जिला प्रशासन।
  - **मोड 2:** स्वैच्छिक संगठन (VO)/ गैर-सरकारी संगठन (NGO)/ अन्य संगठन।

6.13.3. बच्चों में कुपोषण की पहचान और प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल (Identification and Management of Malnutrition in Children)

- "बच्चों में कुपोषण की पहचान और प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल" को मानकीकृत किया गया। केंद्रीय **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय** के सहयोग से यह प्रोटोकॉल आरंभ किया है।
- यह प्रोटोकॉल **आंगनवाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश** प्रदान करता है।
  - कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका उपचार **मिशन पोषण 2.0** का अभिन्न पहलू है।
- **प्रोटोकॉल के मुख्य घटक:**
  - इसमें कुपोषित बच्चों के **विकास की निगरानी, एपेटाइट टेस्ट, पोषण स्थिति प्रबंधन** आदि शामिल हैं।
    - **एपेटाइट टेस्ट** में बच्चों को शरीर के वजन के अनुसार भोजन दिया जाता है। यदि कोई बच्चा भोजन का **तीन-चौथाई हिस्सा भी ग्रहण** नहीं कर पाता है, तो उसे **पोषण पुनर्सुधार केंद्र (NRC)[109]** में भेज दिया जाता है।
  - आवश्यक उपाय करने के बाद जो बच्चे विकास संबंधी जरूरी मानदंडों को पूरा कर लेते हैं, उन्हें **बाद की देखभाल सेवाएं** उपलब्ध कराई जाती हैं।
  - **'बड्डी मदर (Buddy Mother)' पहल:** इस पहल के तहत एक स्वस्थ बच्चे की माता हर हफ्ते आंगनवाड़ी केंद्र में एक कुपोषित बच्चे की माता का मार्गदर्शन करती है।
    - 'बड्डी मदर' अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले **असम** में किया गया था।
  - यह **आहार में विविधता** लाने को प्रोत्साहित करता है तथा **भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों को शामिल करने की सलाह** देता है।
- भारत में **5 वर्ष से कम उम्र के 7.7 प्रतिशत बच्चे गंभीर दुबलेपन के समस्या से ग्रस्त** हैं।

6.13.4. SPECS 2030 पहल (SPECS2030 Initiative)

- यह **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** की एक वैश्विक पहल है। यह **दृष्टि-बाधा और दृष्टिहीनता से जुड़ी समस्याओं को दूर** करने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य दृष्टि-बाधा और दृष्टिहीनता से ग्रस्त सभी लोगों की आँखों की देखभाल एवं उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करना है।
- **उद्देश्य:** चश्मा लगाने वाले लोगों की संख्या की रिपोर्टिंग करना।
- **भारत की भूमिका:** भारत में, 10 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्हें आंखों की देखभाल और चश्मे की जरूरत है, लेकिन वे इनसे वंचित हैं। SPECS 2030 पहल इस समस्या को दूर करने में मदद करेगी।
- **निकट दृष्टि दोष (मायोपिया)-** इसे **अवतल** लेंस (Concave lens) से ठीक किया जा सकता है।
- **दूर दृष्टि दोष (हाइपरमेट्रोपिया)-** इसे **उत्तल** लेंस (Convex lens) द्वारा ठीक किया जा सकता है।
- **प्रेस्बायोपिया-** पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आंखों की क्षमता का धीरे-धीरे कम होना। इसे **बायफोकल लेंस** द्वारा ठीक किया जाता है।

6.13.5. हक्की पिक्की जनजाति (Hakki Pikki Tribe)

- **हक्की पिक्की जनजाति के बारे में:**
  - यह कर्नाटक की एक **अर्द्ध-घुमंतू जनजाति** है।

[108] Residential Education for Students in High Schools in Targeted Areas/ लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिक्षा

[109] Nutritional Rehabilitation Centre

- इस जनजाति को **'पक्षियों का शिकारी या चिड़ीमार'** के रूप में जाना जाता है। इस जनजाति के लोग परंपरागत रूप से पक्षियों को पकड़ते और उनका शिकार करते हैं।
  - 'हक्की' शब्द का अर्थ **'पक्षी'** और 'पिक्की' का अर्थ **'शिकारी'** होता है।
- पक्षियों के शिकार के उनके पेशे को गैर-कानूनी घोषित किए जाने के बाद, 1970 के दशक में उनका पुनर्वास किया गया।
- इन्हें **मातृसत्तात्मक समुदाय** माना जाता है।
- उनके बोलचाल की भाषा **'वागरी'** है।
  - यूनेस्को ने **वागरी** को एंडेंजर्ड भाषाओं में सूचीबद्ध किया है।
- वे अपनी देशज औषधियों के लिए जाने जाते हैं।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 (Nobel Prize in Physics 2023)

पुरस्कार प्रदान किया गया: यह पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिकी (Electron Dynamics) का अध्ययन करने के लिए प्रकाश की एटोसेकंड पल्सेस उत्पन्न करने वाली प्रयोगात्मक विधियों की खोज हेतु दिया गया है।

पुरस्कार विजेता: पियरे एगोस्टिनी (Pierre Agostini), फेरेंक क्रॉस्ज़ (Ferenc Krausz), और ऐनी एल'हुइलियर (Anne L'Huillier)।

इलेक्ट्रॉन गतिकी के बारे में

- सरल शब्दों में कहें तो **परमाणुओं और अणुओं** के भीतर **इलेक्ट्रॉन्स के व्यवहार एवं उनकी गति** को ही इलेक्ट्रॉन गतिकी कहते हैं।
- एक परमाणु वस्तुतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाभिक से बना होता है तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर घूमते हैं।
- परमाणुओं के अंदर गतिविधियां अत्यंत सूक्ष्म टाइम-स्केल में घटित होती हैं। परमाणु एक सेकंड के एक अरबवें हिस्से के दस लाख वें हिस्से में गति कर सकते हैं और घूम सकते हैं। इस टाइम-स्केल को फेमटोसेकंड कहते हैं (1 फेमटोसेकंड 10^{-15} सेकंड के बराबर होता है)।
- इलेक्ट्रॉन्स, **एटोसेकंड में गति** करते हैं। इसलिए इनका अध्ययन करना काफी मुश्किल हो जाता है।
    - इस खोज से पहले तक परमाणु के अंदर की गतिविधियों का अध्ययन फेमटोसेकंड पल्सेस के जरिए किया जाता था। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की गतिविधियों को कैप्चर करना कठिन बना हुआ था। गौरतलब है कि **एटोसेकंड,** फेमटोसेकंड से भी छोटा टाइम स्केल है।
        - ब्रह्मांड के निर्माण से आज तक जितने सेकंड्स गुजरे हैं उतने सेकंड्स को 1 सेकंड से विभाजित करने पर जो समयमान (टाइम-स्केल) प्राप्त होगा वह एक एटोसेकंड होता है। अतः एक एटोसेकंड, एक सेकंड के $1x10^{-18}$ के बराबर होता है। सरल शब्दों में कहें तो जितने सेकेंड्स ब्रह्मांड के निर्माण से आज तक गुजरे हैं उतने ही एटोसेकंड्स एक सेकंड में होते हैं।

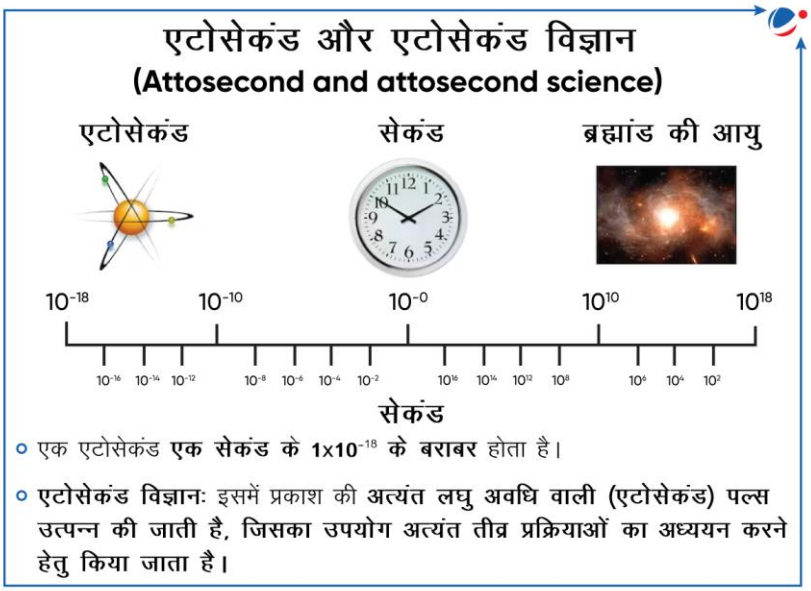

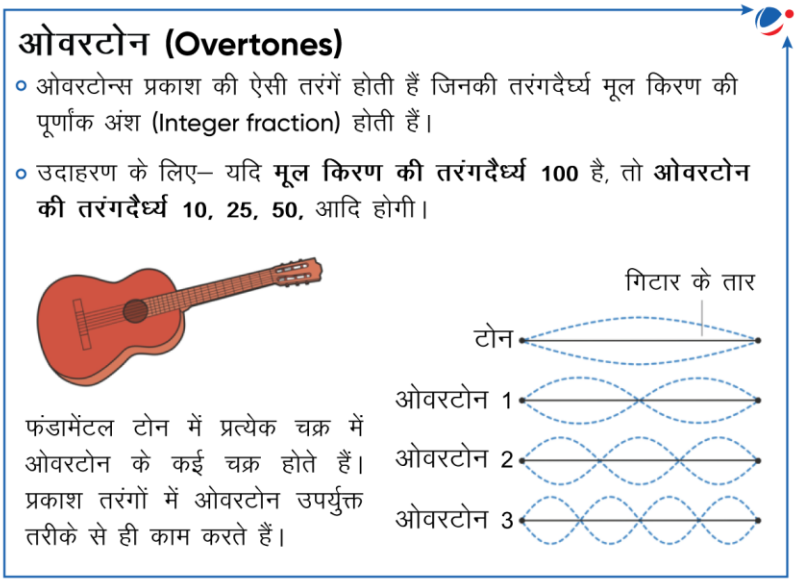

इस खोज ने इस चुनौती पर कैसे काम किया?

प्रकाश के एटोसेकंड पल्सेस को उत्पन्न करना (ऐनी एल'हुइलियर)

- 1987 में, ऐनी एल'हुइलियर और उनके सहयोगियों ने **नोबल गैस** के माध्यम से **अवरक्त लेजर प्रकाश को प्रवाहित** किया। इसके परिणामस्वरूप **कई अलग-अलग ओवरटोन उत्पन्न** हुए।
    - जब एक ओवरटोन का शिखर और दूसरे ओवरटोन का शिखर, आपस में जुड़ते हैं, तो वे संपोषी या **रचनात्मक व्यतिकरण** (Constructive interference) से गुजरते हैं। इसके परिणामस्वरूप एक बड़े शिखर का निर्माण होता है।

- इसी तरह, जब एक ओवरटोन का शिखर और दूसरे ओवरटोन का गर्त आपस में मिलते हैं, तो वे **विनाशी व्यतिकरण** (Destructive interference) से गुजरते हैं। इसके परिणामस्वरूप तरंगे **एक-दूसरे को 'निष्प्रभावी'** कर देती हैं, अर्थात् एक सरल रेखा (शीर्ष और गर्त के बिना) में प्रवाहित होने लगती हैं।

- इस तरह से काफी अधिक संख्या में ओवरटोन को जोड़कर भौतिक विज्ञानी कुछ सौ एटोसेकंड के लिए प्रकाश पल्सेस उत्पन्न कर सकते हैं।

पल्स ट्रेन उत्पन्न करना (पियरे एगोस्टिनी और फेरेंक क्रॉस्ज़)

- 2001 में, पियरे एगोस्टिनी और फ़ेरेन्क क्रूज़ ने एटोसेकंड पल्स की श्रृंखला (ट्रेन) को सफलतापूर्वक उत्पन्न और सत्यापित किया था। इस श्रृंखला से तात्पर्य पल्स के बाद अंतराल, उसके बाद एक और पल्स, उसके बाद फिर अंतराल के साथ यही क्रम चलते जाने से है।
    - 2017 तक, विशेषज्ञ 43 एटोसेकंड की पल्स उत्पन्न करने में सक्षम थे।

इसके परिणामस्वरूप, इन प्रयोगों से प्रकाश की पल्सेस उत्पन्न हुईं जिन्हें एटोसेकंड में मापा गया। इन पल्सेस का उपयोग परमाणुओं और अणुओं (इलेक्ट्रॉन गतिकी सहित) के अंदर की प्रक्रियाओं को कैप्चर करने के लिए किया जा सकता है।

भौतिकी के विभिन्न क्षेत्रों में एटोसेकंड का उपयोग

- **चिकित्सीय निदान में:** इसकी सहायता से शरीर में किसी विशेष अणुओं की उपस्थिति की जांच की जा सकेगी।
    - उदाहरण के लिए- रोगों की पहचान करने के लिए रक्त में आणविक स्तर के परिवर्तनों का अध्ययन करना।
- **अल्ट्राफास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास**: इससे त्वरित गति से काम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और बेहतर दूरसंचार, इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी का विकास करने में सहायता मिलेगी।
- **इलेक्ट्रॉनों का सटीक नियंत्रण**: इसकी मदद से पदार्थ विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और उत्प्रेरक जैसे क्षेत्रों में अल्पकालिक परमाण्विक और आणविक प्रक्रियाओं को समझा जा सकता है।

प्रकाश की सबसे लघु अवधि वाली पल्स की मदद से इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया को समझना

जब लेजर प्रकाश को किसी गैस के माध्यम से गुजारा जाता है, तो गैस में परमाणुओं से पराबैंगनी ओवरटोंस उत्पन्न होते हैं। सटीक दशाओं में, इन ओवरटोंस के अलग–अलग चरण हो सकते हैं। जब ओवरटोंस एक साथ मिलकर जुड़ जाते हैं तब एटोसेकंड पल्सेस की उत्पत्ति होती है।

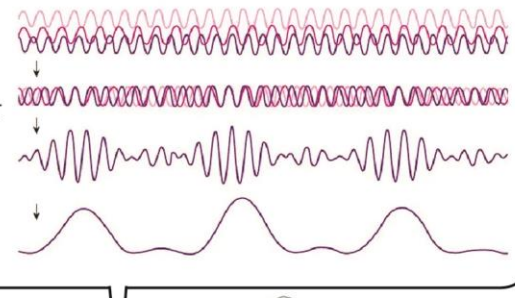

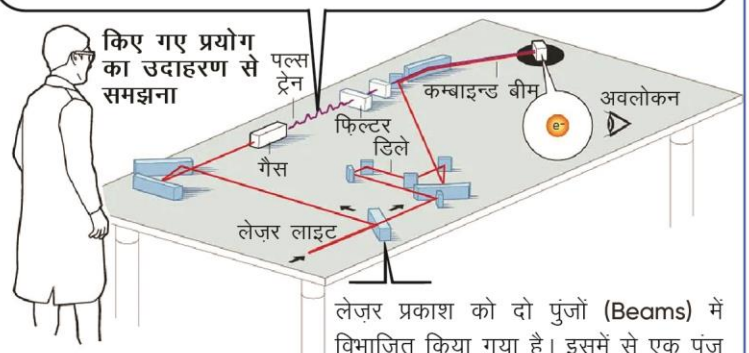

लेज़र प्रकाश को दो पुंजों (Beams) में विभाजित किया गया है। इसमें से एक पुंज का उपयोग एटोसेकंड पल्स को निर्मित करने के लिए किया गया। अब आगे इस एटोसेकंड पल्स और मूल लेजर पल्स को जोड़ा या कम्बाईन किया जाता है। अंततः इस कम्बाइन्ड बीम का उपयोग अत्यंत तीव्र प्रयोग करने के लिए किया जाता है।

7.2. रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 (Nobel Prize in Chemistry 2023)

पुरस्कार प्रदान किया गया: यह पुरस्कार **क्वांटम डॉट्स** की खोज और विकास के लिए दिया गया है।

पुरस्कार विजेता: मौंगी जी. बावेंडी (Moungi G. Bawendi), **लुईस ई. ब्रूस** (Louis E. Brus) और **एलेक्सी येकिमोव** (Aleksey Yekimov)।

क्वांटम डॉट्स के बारे में (QDs)

- क्वांटम डॉट्स **मानव निर्मित अर्द्धचालक कण** (Semiconductor Particles) होते हैं। इनका आकार सामान्यतः **10 नैनोमीटर** (1 नैनोमीटर = 1×10^{-9}m) **से अधिक नहीं** होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो क्वांटम डॉट्स ऐसे नैनोपार्टिकल्स होते हैं जो आकार में इतने छोटे होते हैं कि उनका आकार ही उनके गुणों को निर्धारित करता है।

क्वांटम डॉट

क्वांटम डॉट, ऐसे **क्रिस्टल होते है जिसमें प्रायः कुछ हज़ार परमाणु** होते हैं। आकार के संदर्भ में, इसका एक फुटबॉल से वही संबंध होगा जो फुटबॉल का पृथ्वी के आकार से होगा।

- ये अलग-अलग प्रकार के परमाणुओं जैसे कि कैडमियम, सेलेनियम आदि से मिलकर बने होते हैं।
- कुछ धातुओं में भी क्वांटम डॉट्स के समान व्यवहार देखने को मिलता है। इसलिए, कुछ मामलों में इन्हें **मेटल क्वांटम डॉट्स** भी कहा जा सकता है।
- QDs को कृत्रिम परमाणुओं या शून्य-आयामी (Zero-dimensional) इलेक्ट्रॉन प्रणालियों के रूप में भी जाना जाता है।

- **क्वांटम डॉट्स के गुण:** ये **क्वांटम परिरोध (Quantum Confinement)** प्रदर्शित करते हैं। इसके चलते QDs में ऑप्टिकल और ट्रांसपोर्ट संबंधी कई विशिष्ट गुण होते हैं।
  - **प्रतिदीप्ति (Fluorescence):** जब क्वांटम डॉट्स को किसी बाहरी विद्युत या प्रकाश स्रोत से प्रदीप्त किया जाता है, तब वे एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के फोटॉन उत्सर्जित करते हैं।
  - **ट्यूनेबल एमिशन (Tunable Emission):** QDs अपने आकार के आधार पर अलग-अलग रंगों के प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं। इस गुण को **साइज-ट्यूनेबल एमिशन** कहा जाता है और इसका व्यापक रूप से उपयोग डिस्प्ले प्रौद्योगिकियों और बायोइमेजिंग में किया जाता है।
  - **फोटोस्टेबिलिटी (Photostability):** पारंपरिक ऑर्गेनिक डाई की तुलना में QDs में प्रकाश-विरंजन या फोटोब्लीचिंग (समय के साथ प्रतिदीप्ति का ह्रास) की संभावना कम होती है। इसके चलते ये इमेजिंग जैसे कि लाइव-सेल इमेजिंग में उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त होते हैं।
  - **पदार्थ की विविधता:** क्वांटम डॉट्स को अलग-अलग अर्द्धचालक पदार्थों जैसे कि कैडमियम सेलेनाइड (CdSe), लेड सल्फाइड (PbS), और इंडियम आर्सेनाइड (InAs) आदि से बनाया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं।
  - **बायोकम्पेटेबिलिटी:** कुछ क्वांटम डॉट्स बायोकम्पेटिबल होते हैं। इसका अर्थ है कि इनका उपयोग जीवित कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना मानव का उपचार करने और जैविक अनुसंधान में किया जा सकता है। यह गुण बायोइमेजिंग और शरीर में निर्धारित स्थानों या कोशिकाओं तक दवा को पहुंचाने (टार्गेटेड ड्रग डिलेवरी) में सहायक है।

शब्दावली को जानें

- **क्वांटम कन्फाइनमेंट:** यह क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़ी **एक प्रक्रिया** है। यह तब घटित होती है जब पार्टिकल्स (प्रायः इलेक्ट्रॉन्स) **अत्यंत ही सूक्ष्म क्षेत्र में सीमित हो जाते हैं,** जैसे– **नैनोस्केल स्ट्रक्चर** में।
  - इसका अर्थ है कि जब पार्टिकल्स को अत्यंत ही सूक्ष्म क्षेत्र में सीमित कर दिया जाता है, तो वे **विशिष्ट व्यवहार** प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। यह **क्वांटम कन्फाइनमेंट के कारण होता है।**

जब पार्टिकल्स संकुचित होते हैं तो क्वांटम प्रभाव उत्पन्न होता है

जब पार्टिकल्स केवल कुछ नैनोमीटर व्यास के होते हैं, तो **इलेक्ट्रॉन्स के लिए उपलब्ध स्थान संकुचित** हो जाता है। इसके चलते **पार्टिकल्स के ऑप्टिकल गुण प्रभावित हो जाते हैं।**

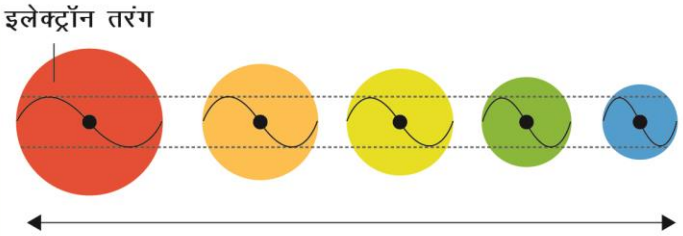

क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल

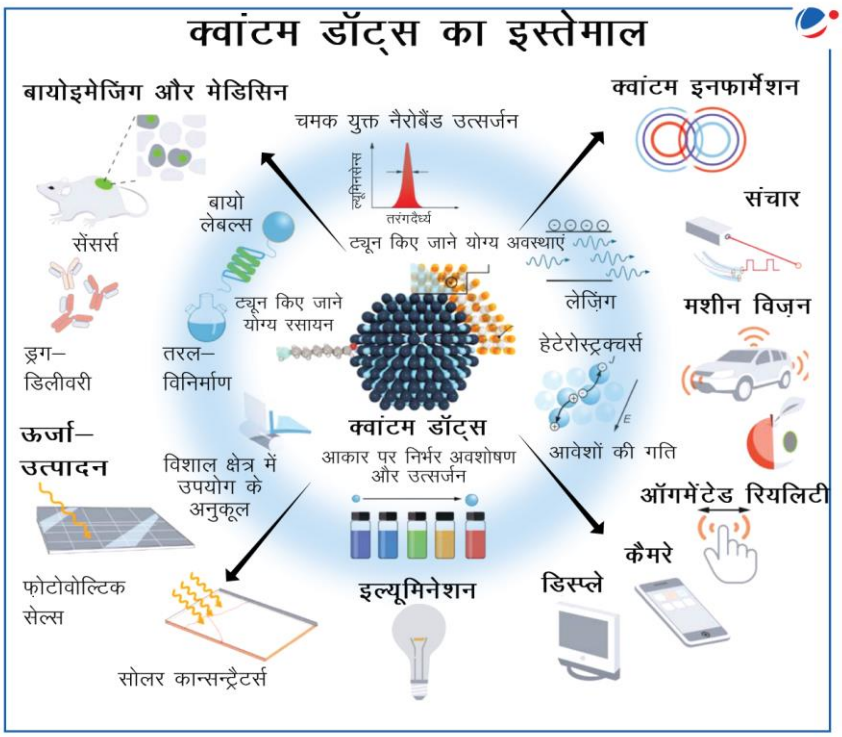

नोबेल विजेताओं की खोज के बारे में

- 1980 के दशक की शुरुआत में, **एलेक्सी येकिमोव** ने रंगीन कांच में **साइज-डिपेंड्स क्वांटम इफेक्ट (आकार के आधार पर क्वांटम प्रभाव)** उत्पन्न करने में सफलता हासिल की थी।
  - उन्होंने प्रमाणित किया कि **पार्टिकल या कण का आकार क्वांटम प्रभावों के जरिए कांच के रंग को प्रभावित करता है।**
- कुछ साल बाद, **लुईस ई. ब्रूस** दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने किसी तरल पदार्थ में स्वतंत्र रूप से तैरते कणों में साइज-डिपेंड्स क्वांटम इफेक्ट को सिद्ध किया था।

- 1993 में, **मौंगी जी. बावेंडी** द्वारा अत्यंत विशिष्ट आकार और प्रकाश संबंधी उच्च गुणवत्ता वाले क्वांटम डॉट्स बनाने के लिए एक तकनीक विकसित की गई।

विभिन्न क्षेत्रों में क्वांटम डॉट्स का उपयोग

इस प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी उपयोग किया जा सकता है:

- **इलेक्ट्रॉनिक्स**: इसका उपयोग **QLED तकनीक** पर आधारित टेलीविजन स्क्रीन और **LED लैंप** आदि बनाने में किया जाता है।
- **एडवांस सर्जरी:** इसका उपयोग कैंसर जैसे रोगों के उपचार में **टार्गेटेड ड्रग डिलेवरी**, नैनोमेडिसिन आदि क्षेत्र में किया जा सकता है। साथ ही, बायोकेमिस्ट, डॉक्टर आदि **जैविक ऊतक की मैपिंग** करने के लिए क्वांटम डॉट्स का उपयोग कर सकते हैं।
- **जालसाजी-रोधी (Anti-counterfeit) उपायों में:** इसका उपयोग करेंसी और दस्तावेजों पर सुरक्षा मार्कर के रूप में उपयोग किया जाता है।
- **अन्य संभावित उपयोग:** इसका उपयोग क्वांटम कंप्यूटिंग; पतले सोलर सेल के विनिर्माण; फ्लेक्सिबल या लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स; अत्यंत सूक्ष्म आकार के सेंसर बनाने और एन्क्रिप्टेड क्वांटम संचार आदि में किया जा सकता है।

7.3. फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2023 (Nobel Prize in Physiology or Medicine 2023)

पुरस्कार प्रदान किया गया: न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खोजों के लिए मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन खोजों ने **कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में प्रभावी mRNA टीकों** के विकास को संभव बनाया था।

पुरस्कार विजेता: कैटालिन कारिको (Katalin Karikó) और **ड्रू वीसमैन** (Drew Weissman)।

टीकाकरण और कोविड-19 के बारे में

- टीकाकरण, **किसी निर्धारित रोगजनक** के प्रति **शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को** बेहतर ढंग से बचाव करने में सक्षम बनाता है।
- लंबे समय तक **पोलियो, खसरा और यलो फीवर आदि जैसी** बीमारियों से बचाव हेतु मृत या क्षीण वायरस पर आधारित टीके का उपयोग किया जाता रहा है।
- तकनीक में प्रगति होने से टीकों को बनाने के लिए एक पूरे वायरस के बजाय **वायरस के आनुवंशिक कोड (Genetic Code) के केवल एक हिस्से का उपयोग** किया जाने लगा। इन टीकों को **DNA-आधारित टीके** के रूप में जाना जाता है।
- हालांकि, **सेल कल्चर** की सहायता से ही व्यापक पैमाने DNA-आधारित वैक्सीन बनाना संभव है और इसमें **काफी समय** भी लगता है। सेल कल्चर के तहत प्रयोगशाला में नियंत्रित दशाओं में कोशिकाओं का विकास किया जाता है।
    - जब हम DNA आधारित वैक्सीन लगवाते हैं, **तो हमारी कोशिकाएं वायरस या बैक्टीरिया के जीन पार्टिकल को प्रोटीन में बदल देती हैं।** इस प्रोटीन को **हमारा शरीर एक बाह्य तत्व के रूप में देखता** है। इसके बाद हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इन प्रोटीनों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करने लगती है।
- **कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप** के दौरान, घातक और तेजी से फैलने वाले वायरस के खिलाफ तेजी से वैक्सीन की खोज करना बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसी स्थिति में **mRNA तकनीक** महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि इस तकनीक के आधार पर वैक्सीन का निर्माण काफी कम समय में ही किया जा सकता था।

mRNA या मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड (messenger Ribonucleic Acid: mRNA) के बारे में

- DNA में हमारे शरीर की सभी आनुवंशिक जानकारियां संग्रहित होती है। mRNA इस आनुवंशिक जानकारी को निर्देशों के सेट के रूप में कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इन निर्देशों के आधार पर ही कोशिकाएं प्रोटीन का निर्माण करती हैं।
    - **RNA में 4 न्यूक्लियोसाइड क्षार या बेस होते हैं।** इन्हें संक्षिप्त रूप से एडेनिन (A), यूरेसिल (U), गुआनिन (G) और साइटोसिन (C) के नाम से जाना जाता है। ये DNA में पाए जाने वाले एडेनिन (A), थायमिन (T), गुआनिन (G) और साइटोसिन (C) के अनुरूप आनुवंशिक कोड के अक्षर हैं।

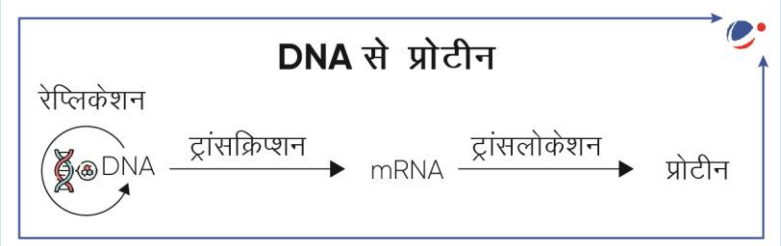

mRNA वैक्सीन की कार्य प्रणाली

- प्रयोगशाला में mRNA का निर्माण करके mRNA वैक्सीन बनाई जाती है। ये **हमारी कोशिकाओं को निर्धारित प्रोटीन** या प्रोटीन के एक खंड का निर्माण **करने के लिए उत्प्रेरित करती** हैं। इस प्रोटीन के चलते हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जवाबी कार्रवाई करने के लिए सक्रिय हो जाती है।
  - **इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA** या **सिंथेटिक mRNA,** mRNA का संश्लेषित रूप है। इसका उपयोग mRNA-आधारित टीकों को बनाने के लिए किया जाता है। इसका निर्माण जीवित कोशिका के बाहर किया जाता है।
- प्रतिरक्षा प्रणाली की यह जवाबी कार्रवाई, **जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है**, हमें तुरंत बीमार होने से बचाने में मदद करती है। साथ ही, हमारा शरीर उक्त रोगजनकों को याद रखता है, जिसके चलते भविष्य के लिए प्रतिरोधक क्षमता निर्मित हो जाती है।

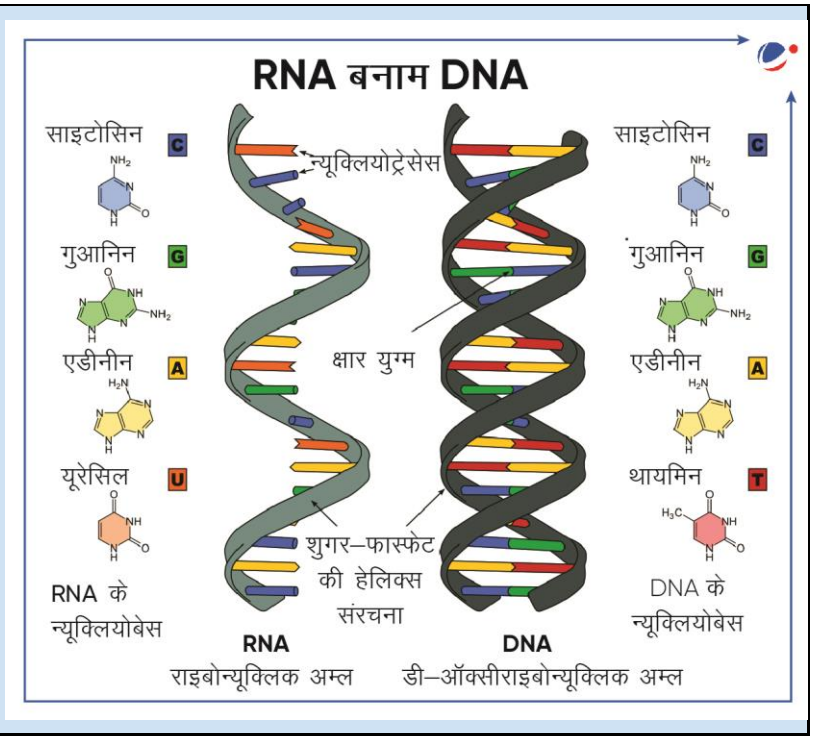

mRNA टीकों ने तेजी से टीकों का विकास करने का अवसर प्रदान किया है, लेकिन इसमें कुछ प्रमुख चुनौतियां भी मौजूद हैं। नोबेल पुरस्कार विजेताओं की खोज में इन चुनौतियों का समाधान किया गया है।

नोबेल पुरस्कार विजेताओं का कार्य

- **mRNA टीकों से संबंधित चिंताओं को समझना:**
  - इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA टीकों से जुड़ी हुई समस्याएं:
    - **अस्थिरता**: इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA को शरीर में डिलीवर करने के लिए अस्थिर और चुनौतीपूर्ण माना जाता था। mRNA को शरीर में डिलीवर करने के लिए एक **एडवांसड डिलीवरी सिस्टम** की आवश्यकता थी।
    - **इंफ्लेमेटरी रिएक्शन:** कोशिकाएं इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA को एक आक्रामक बाह्य तत्व के रूप में देखती हैं। इसके बाद ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और **इंफ्लेमेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल** को रिलीज करती हैं।
    - कोशिकाओं और ऊतकों में **अप्रभावी प्रोटीन का निर्माण होना।**

शब्दावली को जानें

- **स्तनधारियों की कोशिकाएं** (Mammalian cells): ये **यूकेरियोटिक कोशिकाएं** हैं जो स्तनपायी के ऊतक से प्राप्त की जाती हैं।
  - यूकेरियोटिक कोशिकाओं में **केंद्रक** (Nucleus) और **अंगक** (Organelles) होते हैं।
  - ये **प्लाज्मा झिल्ली** से घिरे होते हैं।
  - कवक, पादप, प्राणी आदि में **यूकेरियोटिक कोशिकाएं** होती हैं।

- उन्होंने सवाल किया कि **इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA को मानव शरीर आक्रामक बाह्य तत्व के रूप में** क्यों देखता है, जबकि स्तनधारी कोशिकाओं से प्राप्त mRNA के मामले में ऐसा नहीं है।
  - **अलग-अलग रिएक्शन का कारण:** स्तनधारी mRNA कोशिकाओं से प्राप्त mRNA को जब शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण शरीर में इसके विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती है। इसके विपरीत जब संश्लेषित mRNA को शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो वह अपरिवर्तित रहता है अर्थात् इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण से शरीर इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि शरीर इसे एक आक्रामक बाह्य तत्व के रूप में देखता है।
- इससे उन्हें पता चला कि कुछ महत्वपूर्ण गुणों के कारण संश्लेषित mRNA, स्तनधारी कोशिकाओं से प्राप्त mRNA से अलग होते हैं।

नोबेल पुरस्कार विजेताओं की खोज का महत्त्व

- **समझ:** कारिको और वीसमैन को पता था कि **स्तनधारी कोशिकाओं से प्राप्त RNA में न्यूक्लियोसाइड के बेस अक्सर रासायनिक रूप से परिवर्तित (Modified) होते रहते हैं।**
- **परिकल्पना:** उन्होंने परिकल्पना की कि परिवर्तित होने वाले क्षार (बेस) की प्रयोगशाला में निर्मित इनविट्रो में अनुपस्थिति, इंफ्लेमेटरी रिएक्शन की व्याख्या कर सकती है।

- **परीक्षण:** परीक्षण के दौरान, उन्होंने क्षार में विशिष्ट रासायनिक परिवर्तन के साथ mRNA के कई वेरिएंट तैयार किए। इन सभी mRNA को उन्होंने एक-एक करके डेंड्रिटिक कोशिकाओं तक डिलीवर किया।
- **परिणाम:** इन परीक्षणों से प्राप्त परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि जब mRNA क्षारों में परिवर्तन किया गया तो **इंफ्लेमेटरी रिएक्शन लगभग समाप्त** हो गया।

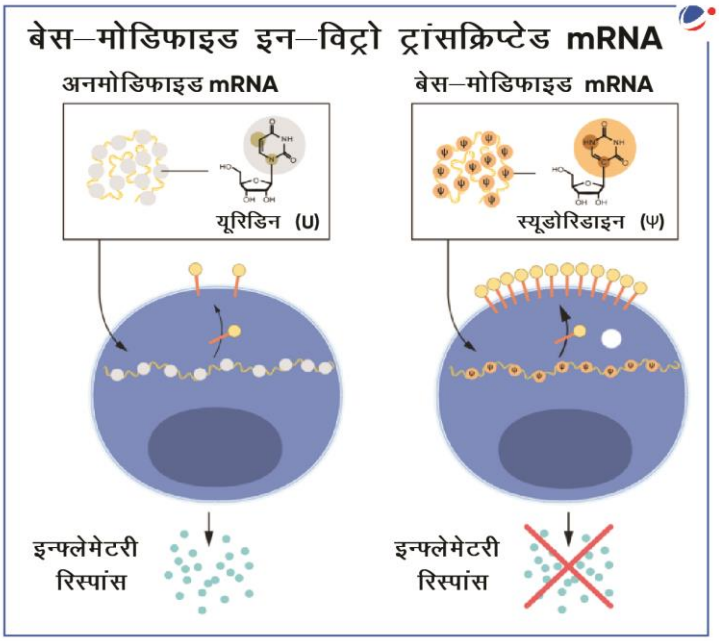

खोज का विभिन्न क्षेत्र में उपयोग

- **कोविड-19 टीकाकरण:** कोविड-19 वैश्विक महामारी की शुरुआत के साथ, SARS-CoV-2 सरफेस प्रोटीन को एन्कोड करने वाले बेस-मॉडिफाइड mRNA वैक्सीन को बहुत तेजी के साथ विकसित किया गया।
  - उदाहरण के लिए- फाइजर/ BioNTech और मॉडर्ना द्वारा विकसित mRNA टीके।
- **टीकों का तीव्र विकास:** इस खोज के चलते mRNA टीके प्रभावशाली क्षमता और तीव्र गति से विकसित किए जा सकते हैं। अतः इसका उपयोग अन्य संक्रामक रोगों के खिलाफ टीकों के विकास के लिए एक नए प्लेटफॉर्म के रूप में किया जा सकता है।
- **व्यापक उपयोग:** भविष्य में, इस प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सकीय प्रोटीन को कोशिकाओं तक डिलीवर करने के लिए एवं कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए भी किया जा सकता है।
- **ग्लोबल हेल्थ:** mRNA टीके की सहायता से वैश्विक स्तर पर कई संक्रामक रोगों का समाधान किया जा सकता है। इसमें संक्रामक **महामारियों (Epidemics)** और **वैश्विक महामारियों (Pandemics)** की **गंभीरता और प्रसार** को कम करने में काफी मदद मिल सकती है।

7.4. नेट न्यूट्रैलिटी (Net Neutrality)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लगभग 128 स्टार्ट-अप्स ने ट्राई (TRAI)[110] को पत्र लिखकर **OTT सेवाओं** को विनियमित करने की **टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं** की मांग का विरोध किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (TSPs)[111] का मानना है कि **नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो जैसी OTT एप्लीकेशन सेवाएं न केवल उनके नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण बैंडविड्थ का उपयोग** करती हैं, बल्कि **व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी अन्य OTT संचार सेवा कंपनियां उनके राजस्व में हानि का कारण भी बनती** हैं।
- इसलिए TSPs अपने बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए बिग टेक प्लेटफॉर्म्स और OTT से **'नेटवर्क उपयोग शुल्क[112]'** वसूलने की अनुमति चाह रहे हैं।

नेट न्यूट्रैलिटी क्या है?

- नेट न्यूट्रैलिटी सभी ऑनलाइन कंटेंट और सेवाओं के लिए एक मुक्त व समान इंटरनेट प्रदान करने की अवधारणा है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISPs)[113] कंटेंट, उनके स्रोत या उनके गंतव्य के आधार पर **भेदभाव किए बिना या अलग-अलग शुल्क लिए बिना** सभी के साथ एक समान व्यवहार करें।
- इस विचार के समर्थकों का मानना है कि **इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) सहित सभी कंपनियों को इंटरनेट डेटा एवं उपयोगकर्ताओं के साथ समान व्यवहार करना चाहिए।**

---

[110] Telecom Regulatory Authority of India/ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

[111] Telecom Service Providers

[112] Network usage fee

[113] Internet Service Providers

- उन्हें कुछ उपयोगकर्ताओं के हितों की पूर्ति के लिए इंटरनेट तक पहुंच को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, न ही कंटेंट तक पहुंच की गति को धीमा या कंटेंट को ब्लॉक करना चाहिए।

- यह मुद्दा **2013 में फेसबुक के "फ्री बेसिक्स (Free Basics)"** की शुरुआत के बाद आरंभ हुआ था। फेसबुक ने इसे भारत में **केवल रिलायंस नेटवर्क के उपयोगकर्ताओं** और **ग्राहकों** के लिए **मुफ्त में उपलब्ध वेबसाइटों और डिजिटल कंटेंट का एक सेट** प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया था।
  - **फ्री बेसिक्स** एक मुफ्त इंटरनेट एक्सेस प्लेटफॉर्म है जो बिना डेटा शुल्क के बुनियादी ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। यह एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 60 से अधिक देशों में उपलब्ध है।
- इसको रोकने के लिए ट्राई ने **"डेटा सेवाओं के लिए भेदभावपूर्ण टैरिफ का निषेध विनियम[114], 2016"** नामक एक नया फ्रेमवर्क जारी किया था। इसके अंतर्गत ट्राई ने **दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अलग-अलग दरें वसूलने से रोक दिया** और **नेट न्यूट्रैलिटी सुनिश्चित करने का** प्रयास किया।

ओवर द टॉप (OTT) सेवा तथा टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (TSP) और OTT के बीच संबंध

- OTTs वस्तुतः **सार्वजनिक इंटरनेट पर अंतिम उपयोगकर्ताओं** को उपलब्ध कराए जाने वाले **डिजिटल कंटेंट, कोई सर्विस या एप्लिकेशन्स** होते हैं। इन्हें दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है-
  - **OTT संचार सेवाएं:** ये सेवाएँ इंटरनेट पर रियल टाइम में व्यक्ति-से-व्यक्ति के बीच दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे- व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि।
  - **OTT एप्लिकेशन सेवाएं:** इसमें अन्य सभी OTTs सेवाएं, जैसे- मीडिया सेवाएं, व्यापार और वाणिज्य सेवाएं, क्लाउड सेवाएं और सोशल मीडिया शामिल हैं, उदाहरण के लिए- फेसबुक, अमेजन, नेटफ्लिक्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं आदि।

TSPs और OTT के बीच संबंध

- जब **TSPs अपने निवेश के लिए शुल्क मांगने के अपने अधिकार का दावा करते** हैं, तो इसे एक नए रूप में **नेट न्यूट्रलिटी के विरुद्ध एक कदम के रूप में भी देखा जा सकता** है।
- **TSPs द्वारा निवेश की जाने वाली पूंजीगत लागत बहुत अधिक** है, क्योंकि वे उपभोक्ताओं को विभिन्न सेवाओं के लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक अवसंरचनाओं को स्थापित करने में लाखों रुपये खर्च करते हैं। OTTs भी इसका एक हिस्सा है।
- **TSPs के राजस्व पर भी प्रभाव पड़ता है,** क्योंकि कुछ OTTs वही सेवाएं प्रदान करते हैं जो TSPs प्रदान करते हैं, जैसे- इंटरनेट पर कॉल और मैसेजिंग सेवाएं। इस प्रकार OTTs उनके प्रतिस्पर्धियों के रूप में कार्य करते हैं।
- **TSPs संबंधी विनियामकीय फ्रेमवर्क ज्यादा कठोर है** और वे सरकार एवं TRAI के नियमों से बंधे हैं, जबकि OTTs पर ऐसे प्रत्यक्ष दायित्व नहीं हैं।
- **TSPs द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रसारण क्षमता की मांग को OTTs कंटेंट द्वारा बढ़ावा मिलता** है। इससे **शुद्ध डेटा खपत में वृद्धि होती** है। यह TSP के पक्ष में है, क्योंकि यह TSPs को लाभ प्रदान करता है।

नेट न्यूट्रैलिटी की उपेक्षा के निहितार्थ

- **उपभोक्ताओं के बीच भेदभाव को बढ़ावा:** इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) **किसी विशिष्ट कंटेंट, एप्लिकेशन, प्रोडक्ट का पक्ष ले सकते** हैं और उसे **बढ़ावा दे सकते** हैं। इसके कारण उपभोक्ताओं के बीच भेदभाव पैदा होगा।
- **नवाचार को हतोत्साहन:** नेट न्यूट्रलिटी न होने पर **स्टार्ट-अप और छोटी कंपनियों के लिए समान अवसर समाप्त हो सकता** है। फलतः नए आइडिया के मामले में नवाचार हतोत्साहित होगा तथा बिग टेक कंपनियां और मजबूत होंगी।
- **गोपनीयता संबंधी चिंताएं:** इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) उपयोगकर्ताओं की सहमति के बिना **उनके डेटा को एकत्र करने और उसके मुद्रीकरण करने** की अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं।
- **उपभोक्ता की स्वतंत्रता पर लगाम:** इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) द्वारा यह निर्देशित करना कि उपभोक्ताओं के लिए क्या सुलभ है या क्या किफायती है, **उपभोक्ताओं की चुनने की स्वतंत्रता को बाधित करती** है।
- **डिजिटल विभाजन को बढ़ावा:** यह डिजिटल विभाजन को बढ़ाता है। इससे हाशिए पर रहने वाले समुदायों के पास आवश्यक ऑनलाइन कंटेंट, शैक्षिक उपकरणों और नौकरी के अवसरों तक पहुंच कम होती है।

आगे की राह

- **ए.के.भार्गव समिति की सिफारिशों को शामिल करना:**
  - TSP/ ISP की लाइसेंस शर्तों में एक खंड का समावेश करना चाहिए। इसमें यह शामिल होना चाहिए कि **लाइसेंस धारक नेट न्यूट्रैलिटी के सिद्धांतों और शर्तों का पालन करेंगे।**

[114] Prohibition of Discriminatory Tariffs for Data Services Regulations

- जब तक नेट न्यूट्रैलिटी के सिद्धांतों के पक्ष में एक उचित कानूनी ढांचा लागू नहीं हो जाता, तब तक समिति द्वारा सुझाए गए **लाइसेंसिंग शर्तों के माध्यम से लागू किए जाने वाले अंतरिम प्रावधान** ही आगे की राह हो सकते हैं।

- **विनियामकीय ढांचे की सहायता से एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना,** जो अंतिम उपभोक्ताओं को प्रभावित किए बिना TSPs और OTTs दोनों के लिए निष्पक्ष और समान हो।
- **परिभाषित करना:** OTTs और उनकी सेवाओं को उनकी कंटेंट, सेवा आदि के संदर्भ में परिभाषित करना चाहिए ताकि OTTs को भी विनियमन के दायरे में लाया जा सके।
- **ग्राहकों के हितों की रक्षा** करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागत में कोई वृद्धि न हो जो ग्राहकों के ऊपर आर्थिक भार बढ़ाए।
- **सक्रिय निगरानी:** TRAI को TSPs के व्यवहार की सक्रिय रूप से निगरानी करनी चाहिए ताकि नेट न्यूट्रैलिटी के प्रति किसी भी उल्लंघन का तुरंत पता लग सके और उसका समाधान किया जा सके।

7.5. भारत की अंतरिक्ष तकनीक संबंधी क्षमताओं को विकसित करना (Unlocking India's Space Tech Potential)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव 2023 में **इंडियन स्पेस एसोसिएशन (ISpA), नैसकॉम, डेलॉइट इंडिया** द्वारा संयुक्त रूप से **"एक्सप्लोरिंग अपार्चुनिटीज फॉर इंडियन डाउनस्ट्रीम स्पेसटेक[115]"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई।

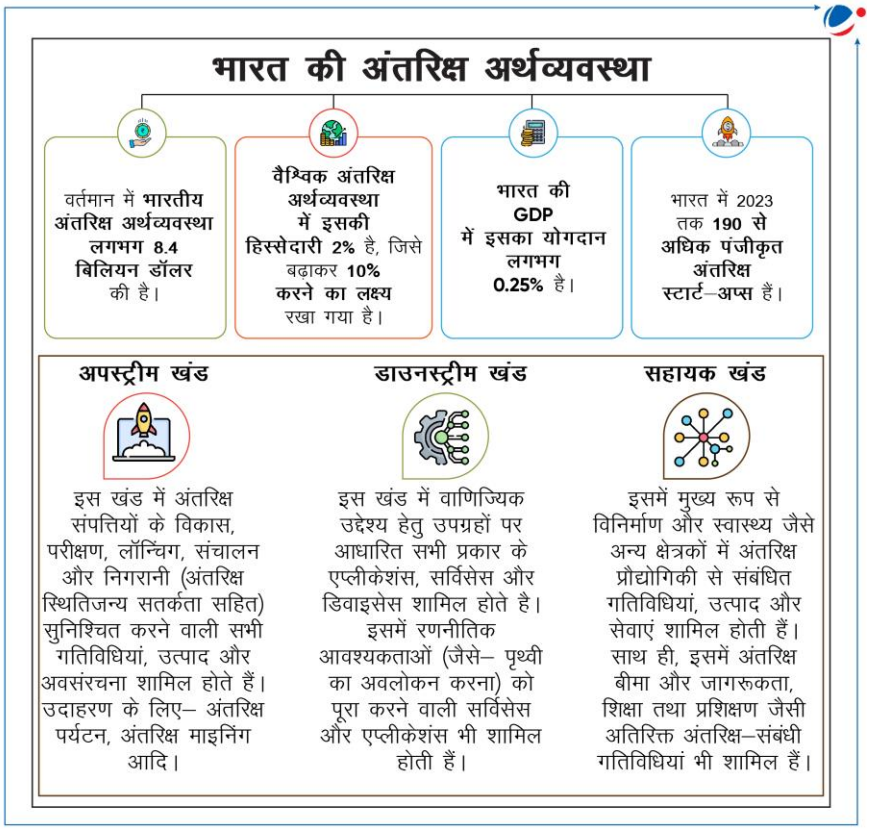

भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ा परिवर्तन

- **शुरुआत**: भारत की अंतरिक्ष यात्रा 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति (INCOSPAR)[116], 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)[117], और 1972 में अंतरिक्ष विभाग (DoS)[118] के गठन के साथ शुरू हुई।
- **सरकार का एकाधिकार**: 1960 के दशक से लेकर 2010 तक, अंतरिक्ष क्षेत्रक में प्रभावी रूप से सरकार का एकाधिकार था और निजी क्षेत्रक की भागीदारी नगण्य थी।
- **निजी क्षेत्रक का प्रवेश: अंतरिक्ष अब सरकार के एकाधिकार का विशेष क्षेत्र नहीं है।** अंतरिक्ष क्षेत्रक के **रणनीतिक और आर्थिक महत्त्व के कारण** अब इस क्षेत्रक का संचालन **सार्वजनिक और निजी भागीदारी** से होगा। भागीदारी के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों के बीच आपसी सहयोग वाले संबंध होंगे।
- **क्षेत्रक विविधीकरण:** अब तक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अधिकांश योगदान मूल्य श्रृंखला के अपस्ट्रीम खंड से रहा है जैसे कि उपग्रह विनिर्माण, प्रक्षेपण आदि।
    - **भारत की नई अंतरिक्ष नीति, 2023** मूल्य श्रृंखला के **डाउनस्ट्रीम खंड** में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के अवसरों को बढ़ावा देती है।

[115] Exploring Opportunities for Indian Downstream Spacetech

[116] Indian National Committee for Space Research

[117] Indian Space Research Organization

[118] Department of Space

भारतीय डाउनस्ट्रीम अंतरिक्ष क्षेत्रक के लिए संभावित क्षेत्र

- **रिमोट सेंसिंग/ भू अवलोकन:** इसमें **उपग्रह डेटा के भंडारण, डेटा विश्लेषण एवं विभिन्न कार्यों हेतु ऍप्लिकेशन्स का विकास** से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। इनका उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रकों में किया जा सकता हैं:
  - **कृषि**: फसल निर्धारण, मृदा का मानचित्रण, मौसम की निगरानी, सिंचाई प्रबंधन आदि में।
  - **शहरी नियोजन और विकास**: मास्टर प्लान बनाने, अर्बन हीट आइलैंड की भविष्यवाणी और निगरानी करने में।
  - **आपदा प्रबंधन**: आपदाओं के पूर्वानुमान और आपदा पश्चात प्रबंधन में।
  - **ब्लू इकोनॉमी (मत्स्यन, समुद्र विज्ञान):** मछलियों का पता और पूर्वानुमान लगाने, संभावित मत्स्य क्षेत्रों का पता लगाने में।
- **उपग्रह संचार (Sat Com):** इसके तहत उन उत्पादों और सेवाओं पर फोकस किया जा सकता है जो प्रसारण, संचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी सेवाओं के लिए संचार उपग्रहों का उपयोग करते हैं। जैसे-
  - सुदूर क्षेत्रों में **बैंक शाखाओं के लिए कनेक्टिविटी** प्रदान करने में।
  - **स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी सेवाओं का वितरण** सुनिश्चित करने में।
  - **अन्य क्षेत्रक:** इसमें पर्यटन, भुगतान, व्यापार, डिजिटल वाणिज्य आदि क्षेत्रक शामिल हैं।

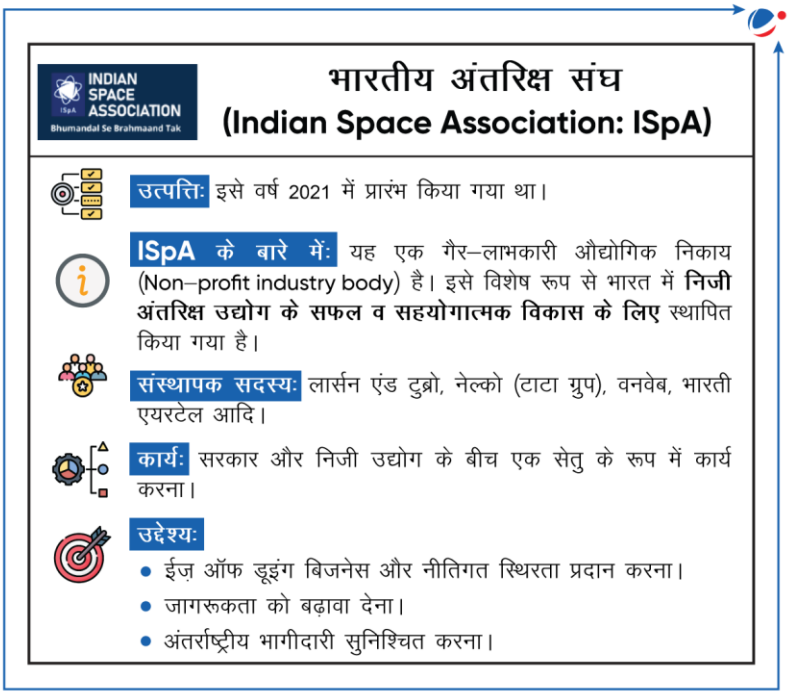

- **पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सेवाएं (PNT):** इसमें **परिसंपत्तियों की ट्रैकिंग, हवा, जमीन और समुद्र हेतु नेविगेशन सेवाएं** आदि शामिल हैं।
  - **निर्देशन:** इसमें ड्रोन, उद्यमों के लिए नेविगेशन, टोल संग्रह, रेलवे आदि को सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।
  - **नागरिक उड्डयन:** यहां इसका उपयोग वाणिज्यिक उड्डयन, हवाई अड्डा संचालन आदि में किया जाता है।
  - **समय तुल्यकालन (Time Synchronization):** इसके जरिए विभिन्न क्षेत्रकों, जैसे- दूरसंचार, ऊर्जा, वित्त आदि के संचालन को और बेहतर बनाया जा सकता है।
- **रणनीतिक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष का उपयोग:** जल, थल और वायु के बाद अंतरिक्ष को **फोर्थ ऑपरेशन डोमेन** के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों को पूरा करने के लिए हमेशा से **दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करने वाला क्षेत्रक** रहा है।
  - **सुरक्षित संचार**: एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र।
  - **खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही कार्य:** इसके तहत रणनीतिक निगरानी, परिसंपत्ति, समुद्री डोमेन संबंधी सतर्कता आदि शामिल है।

भारत में उभरते निजी अंतरिक्ष परिवेश के समक्ष चुनौतियां

- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा:** वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग **अत्यधिक प्रतिस्पर्धी** है। इसलिए भारतीय कंपनियों को प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने और **इस बाजार में अपनी जगह बनाने** एवं **खुद को तकनीकी रूप से अलग तथा बेहतर साबित करने** की आवश्यकता है।
- **पूंजी की उपलब्धता:** पूंजी का अधिकांश प्रवाह अपस्ट्रीम अंतरिक्ष गतिविधियों में शामिल उद्योगों में होता है, जबकि डाउनस्ट्रीम कंपनियां के लिए पूंजी का प्रवाह कम ही बना हुआ है।
- **आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान**: मौजूदा वैश्विक अस्थिरता और भू-राजनीतिक संघर्ष आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करते हैं, जिसके चलते निजी क्षेत्रक के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों की उपलब्धता प्रभावित होती है।
- **अन्य चिंताएं:**
  - भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी बाजार में **डेटा के व्यापक एकत्रीकरण और विश्लेषण क्षमताओं** का अभाव है।
  - अंतरिक्ष क्षेत्रक में **अंतरिक्ष संबंधी संसाधनों की उच्च लागत और जोखिम के चलते निवेश पर अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण बना रहता है।**

आगे की राह

- **सरकार की सक्रिय भूमिका:** अंतरिक्ष क्षेत्रक में निजी भागीदारी से भू अवलोकन-आधारित सेवाएं एक सक्षमकारी एवं उपभोक्ताओं के अनुरूप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सरकारों की भागीदारी बढ़ते **स्पेसटेक परिवेश को और आगे बढ़ने में मदद** कर सकती है।
- **सुव्यवस्थित विनियामक फ्रेमवर्क:** इसके तहत विनियामक प्रक्रियाओं को सरल और दक्ष बनाना, अनुमोदन में पारदर्शिता और पूर्वानुमान सुनिश्चित करना जैसे कदम उठाने होंगे।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं को अधिक किफायती बनाने तथा उपग्रह संचार सेवाओं का विस्तार करने के लिए सार्वजनिक-निजी क्षेत्रकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना होगा।
- **वैश्विक सहयोग:** विभिन्न पहलों के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के साथ अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग को बढ़ाना और मजबूत करना होगा, जैसे- सैटेलाइट सेवा, भारत-अमेरिका के बीच NISAR उपग्रह पर सहयोग आदि।

7.6. क्षुद्रग्रह (Asteroid)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नासा के ओसिरिस-रेक्स (OSIRIS-REx) मिशन का कैप्सूल बेन्नू क्षुद्रग्रह से सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस आया है।

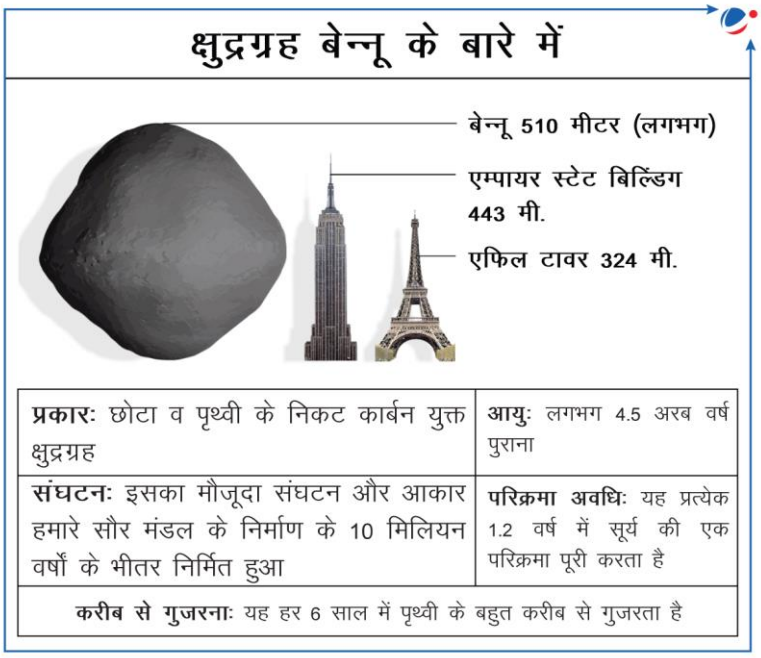

ओसिरिस-रेक्स मिशन के बारे में

- **ओसिरिस-रेक्स** का पूरा नाम **ओरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, एंड सिक्योरिटी-रेगोलिथ एक्सप्लोरर** (OSIRIS-REx)[119] है।
- **मिशन का लक्ष्य:** क्षुद्रग्रह बेन्नु से सैंपल एकत्र करना और उसे पृथ्वी पर भेजना।
- **मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम:**
  - **2016:** यह मिशन लॉन्च किया गया।
  - **2020:** अंतरिक्ष यान ने क्षुद्रग्रह बेन्नु की सतह से **चट्टानें और धूल के सैंपल एकत्र किए।**
  - **2021:** क्षुद्रग्रह के बारे में जानकारी जुटाने के बाद एकत्रित नमूने के साथ पृथ्वी पर वापसी की यात्रा शुरू हुई।
  - **2023: यह पृथ्वी पर किसी क्षुद्रग्रह का नमूना लेकर पहुंचने वाला पहला अमेरिकी मिशन बन गया।**
- **नई यात्रा:** सैंपल्स को पृथ्वी पर भेजने के बाद, ओसिरिस-रेक्स ने **क्षुद्रग्रह एपोफिस के लिए एक नया मिशन शुरू कर दिया है।**
  - इसलिए अब इसका नाम बदलकर **ओसिरिस-अपेक्स एक्सप्लोरर**[120] कर दिया गया है।

क्षुद्रग्रह के बारे में

- क्षुद्रग्रह, चट्टानी संरचना वाले पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें आमतौर पर लघु ग्रह भी कहा जाता है। इनका आकार **सामान्य ग्रहों की तुलना में काफी छोटा** होता है।
- **क्षुद्रग्रहों को उनकी अवस्थिति के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है:**
  - **मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट (Main Asteroid Belt):** यह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद है। इस बेल्ट में लगभग **1.1-1.9 मिलियन क्षुद्रग्रहों के होने का अनुमान** है।
    - मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में सभी क्षुद्रग्रहों का **कुल द्रव्यमान चंद्रमा से भी कम** है।
  - **ट्रोजन (Trojans):** ये क्षुद्रग्रह **किसी बड़े ग्रह की कक्षा में मौजूद होते** हैं, लेकिन ग्रह से टकराते नहीं हैं।

[119] Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security - Regolith Explorer

[120] OSIRIS-Apophis Explorer

- नासा ने बृहस्पति, नेपच्यून और मंगल की कक्षा में ट्रोजन की मौजूदगी का पता लगाया है। 2011 में, नासा ने पृथ्वी की कक्षा में भी एक ट्रोजन होने की भी जानकारी दी थी।

- **पृथ्वी के निकट क्षुद्रग्रह (Near-Earth Asteroids):** इनकी **कक्षाएं पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा के काफी निकट से गुजरती** हैं। यदि किसी क्षुद्रग्रह की कक्षा, पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा से होकर गुजरती है तो ऐसे क्षुद्रग्रह को **अर्थ-क्रॉसर** कहा जाता है।

क्षुद्रग्रहों का अन्वेषण खगोल विज्ञान में कैसे योगदान देता है?

- **सौर मंडल के निर्माण संबंध में जानकारी:** बेन्नू जैसे क्षुद्रग्रह **हमारे सौर मंडल के निर्माण के आरंभिक अवशेष माने** जाते हैं। क्षुद्रग्रहों के सैंपल्स के विश्लेषण से **हमें उस समय की परिस्थितियों और पदार्थों को समझने में मदद मिल सकती है।**
- **जीवन की उत्पत्ति:** इन सैंपल्स से उन **रासायनिक और कार्बनिक यौगिकों** के बारे में जानकारी मिल सकती है जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में भूमिका निभाई होगी।
  - उदाहरण के लिए- बेन्नू क्षुद्रग्रह के सैंपल्स के शुरुआती अध्ययन में **उच्च कार्बन पदार्थ और जल** के प्रमाण मिले हैं। ये पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण घटकों में इन दोनों की भूमिका की और इशारा करते हैं।
- **ग्रह की रक्षा:** भविष्य में **पृथ्वी की रक्षा से जुड़े साझा प्रयासों** के लिए बेन्नू जैसे क्षुद्रग्रहों के **संघटन और संरचना** को समझना महत्वपूर्ण है।
  - यह जानकारी पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा के निकट मौजूद पिंडों से उत्पन्न होने वाले **संभावित खतरे को शमन करने** के लिए रणनीति बनाने में मदद कर सकती है।

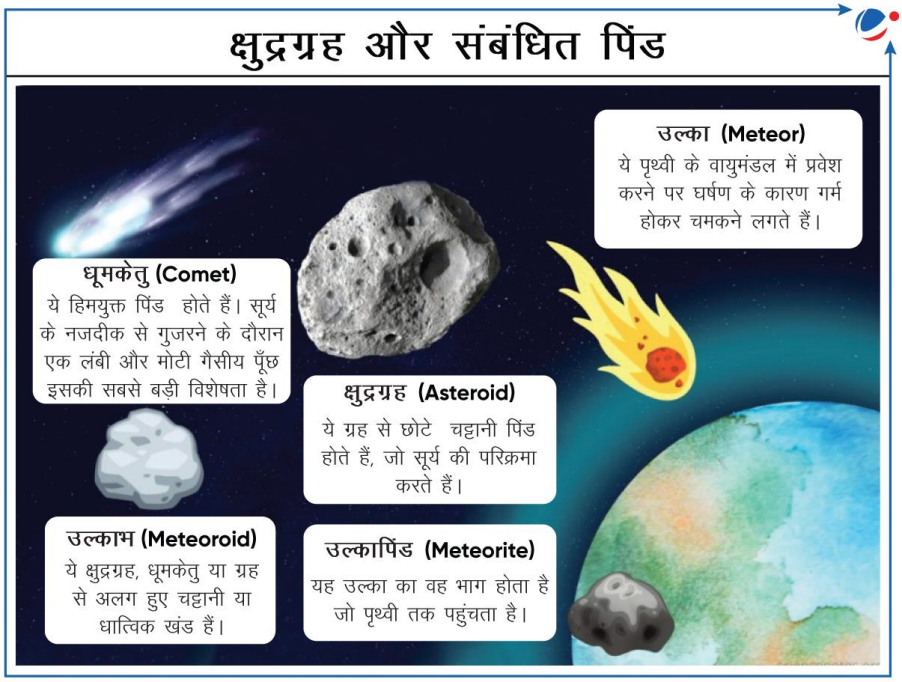

- **अंतरिक्ष अन्वेषण प्रौद्योगिकी:** इस मिशन ने अंतरिक्ष यान **डिजाइन, नेविगेशन और सैंपल संग्रह** के मामले में **उन्नत तकनीक** का प्रदर्शन किया है। इस उन्नत तकनीक का इस्तेमाल भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों किया जा सकता है।
  - **जाक्सा/ JAXA (जापान की स्पेस एजेंसी)** 2024 में मंगल ग्रह के चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए **मार्शियन मून्स एक्सप्लोरेशन (MMX) मिशन** लॉन्च करेगा। इस मिशन के तहत **मंगल ग्रह के उपग्रह/ चंद्रमा फोबोस की सतह से सैंपल एकत्र** किए जाएंगे।
  - नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एक बहु-मिशन अभियान संचालित करने पर काम कर रहे हैं। इस मिशन के तहत नासा के **मार्स 2020 पर्सीवरेंस रोवर** द्वारा एकत्र किए जा रहे सैम्पल्स को पृथ्वी पर लाना है।
- **संसाधन उपयोग:** बेन्नू से लाए गए सैंपल्स के संघटन का विश्लेषण करके, हम संभावित **संसाधनों के बारे में जान सकते हैं और उनके उपयोग की क्षमता** का आकलन भी कर सकते हैं।
  - उदाहरण के लिए- मूल्यवान खनिज आदि के लिए क्षुद्रग्रहों का खनन इत्यादि।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** यह अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग के महत्त्व और वैज्ञानिक समुदाय की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर मिलकर काम करने की क्षमता का एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करता है।
  - इस प्रकार के सहयोग में अंतरिक्ष से सैम्पल एकत्र करने और विशेष रूप से क्षुद्रग्रहों का अन्वेषण करने के लिए **वैश्विक मिशन** लॉन्च किए जा सकते हैं।

अंतरिक्ष से सैंपल एकत्र करने वाले मिशन	क्षुद्रग्रहों के अन्वेषण के लिए संचालित मिशन
• **नासा का अपोलो 11 (1969):** पहली बार चंद्रमा से नमूने एकत्र किए गए और उसे पृथ्वी पर लाया गया। • **नासा का जेनेसिस अंतरिक्ष यान (2004):** इसके तहत सौर पवनों के सैंपल एकत्र किए गए। • **नासा का स्टारडस्ट मिशन (2006):** इस मिशन के तहत पहली बार धूमकेतु से सैंपल एकत्र करने और पृथ्वी पर लाया गया था। • **जाक्सा का हायाबुसा2 मिशन (2020):** क्षुद्रग्रह रयुगु से सैंपल एकत्र किए।	• **नासा का गैलीलियो मिशन (1991):** यह क्षुद्रग्रह गैस्पारा के करीब उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। • **जापानी अंतरिक्ष यान हायाबुसा (2005):** यह यान नियर-अर्थ **क्षुद्रग्रह इटोकावा** पर उतरा और सैंपल एकत्र करने का प्रयास किया। • **नासा का डॉन अंतरिक्ष यान (2007):** इसे **क्षुद्रग्रह वेस्टा** का अन्वेषण करने के लिए लॉन्च किया गया था।

निष्कर्ष

बेन्नू क्षुद्रग्रह से सैंपल पृथ्वी पर लाने वाले इस मिशन की सफलता अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में काफी मायने रखती है। इससे ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार होगा और अंतरिक्ष अन्वेषण संबंधी में हमारे भावी प्रयासों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

7.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.7.1. विश्व स्वास्थ्य संगठन की "रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सूची" में पारंपरिक चिकित्सा (Traditional Medicine on World Health Organisation's List)

- आयुष मंत्रालय ने **आयुर्वेद और संबंधित चिकित्सा प्रणालियों को "रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के 11वें संशोधन[121]"** में शामिल करने की मांग की है। इसे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर एक पूरक अध्याय के **मॉड्यूल-2** के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया गया है।
    - मॉड्यूल-2 का विकास **नेशनल आयुष मोरबिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक्स (NAMASTE) पोर्टल और आयुष स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली (AHIMS)[122]** के कार्यान्वयन से प्राप्त ज्ञान पर आधारित है।
- रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (ICD) मानव रोगों और मृत्यु से संबंधित डेटा की व्यवस्थित **रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, विश्लेषण, व्याख्या तथा तुलना के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है।**
    - इससे पहले, **ICD-11 में मॉड्यूल-1 शामिल** किया गया था। इस मॉड्यूल में प्राचीन **चीन में विकसित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की सूची** दी गई हैं, जिनका अब जापान, कोरिया जैसे देशों में आमतौर पर उपयोग किया जाता है।
    - **ICD-11 जनवरी 2022** से लागू हुआ।
- **ICD-11 का महत्त्व:**
    - इसमें उन **निदान श्रेणियों की एक सूची** दी गई है, जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध और तुलना योग्य **पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को संग्रह** किया जाता है और रिपोर्ट की जाती है।
    - यह **पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा के मानदंडों और विकास मानक** के साथ जोड़ता है।
    - यह **पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बीमा कवरेज और संवितरण (Reimbursement) प्रणालियों के साथ एकीकृत** करता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज उद्देश्यों के अनुरूप है।

पारंपरिक चिकित्सा के बारे में

यह उन **ज्ञान, कौशल और पद्धतियों का योग है, जिन्हें देशज तथा अलग-अलग संस्कृतियों** के लोग सेहतमंद बने रहने तथा शारीरिक एवं मानसिक बीमारी के निदान व उपचार के लिए पीढ़ियों से उपयोग करते रहे हैं।

- **नेशनल आयुष मोरबिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक्स (NAMASTE) पोर्टल:**
    - यह पोर्टल **आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों** के लिए मानकीकृत शब्दावलियां तथा विभिन्न बीमारियों को कोड प्रदान करता है।
- **आयुष स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली (AHIMS):**
    - यह आयुष स्वास्थ्य केंद्रों में **स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणालियों और रोगियों की देखभाल से संबंधित सभी कार्यों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित** करने के लिए एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी मंच है।

7.7.2. आयुष्मान भवः अभियान (Ayushman Bhav Campaign)

- यह केंद्रीय **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल** है।
- **उद्देश्य:** देश के प्रत्येक गांव और कस्बे तक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का विस्तार करना।
- **इस अभियान के 3 घटक हैं:**
    - **आयुष्मान आपके द्वार 3.0:** इसके अंतर्गत **प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)** के तहत नामांकित उन पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिन्हें अभी तक ये कार्ड नहीं मिले हैं।
    - **आयुष्मान मेले:** हेल्थ आई.डी. कार्ड बनाने और आयुष्मान भारत कार्ड जारी करने के लिए आयुष्मान मेले आयोजित किए जाएंगे।
    - **आयुष्मान सभाएं:** इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं और बीमारियों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना होगा।
- गैर-सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, पंचायती राज संस्थान, युवा समूह, प्राथमिक सहकारी समितियां, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड का उपयोग करने वाली कंपनियां इस अभियान का हिस्सा होंगी।

[121] International Classification of Diseases-11: ICD-11

[122] Ayush Health Information Management System

7.7.3. भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC) फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप (PDG) का सदस्य बना {Indian Pharmacopoeia Commission (IPC) Becomes a Member of Pharmacopoeial Discussion Group (PDG)}

- IPC को 2009 में गठित किया गया था। यह **केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त** संस्थान है।
- यह **भारतीय फार्माकोपिया (भेषज संहिता)** को प्रकाशित करता है। साथ ही, भारत में आयातित, उत्पादित, भंडारित या बिक्री के लिए प्रदर्शित या वितरित की गई **दवाओं के मानकों को नियमित रूप से अपडेट** करता है।
  - **फार्माकोपिया**, सरकार या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा प्रकाशित **पुस्तक/ शब्दकोश** (Monograph) है। इसमें **चिकित्सीय दवाओं की क्षमता एवं शुद्धता के मानक प्रकाशित** किए जाते हैं।
  - दवाओं के लिए IP मानक, **औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की दूसरी अनुसूची तथा उसके तहत औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945** के अनुसार हैं।
- **PDG के बारे में:**
  - इसका गठन **1989 में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान** ने किया था। वर्ष 2001 में **विश्व स्वास्थ्य संगठन एक पर्यवेक्षक** के रूप में इसमें शामिल हुआ था।
  - यह सदस्य देशों/ क्षेत्रों में **फार्माकोपिया संबंधी मानकों में सामंजस्य** स्थापित करने के लिए कार्य करता है।
    - दवा निर्माताओं को फार्माकोपिया संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध तरीकों से **विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं को संपन्न** करना होता है। इसके लिए वे अलग-अलग स्वीकार्यता संबंधी मानदंडों का उपयोग करते हैं। सामंजस्यीकरण से निर्माताओं को इस बोझिल कार्य में कुछ राहत प्राप्त हो जाती है। ध्यातव्य है कि फार्माकोपिया संबंधी जरूरतें क्षेत्रों के अनुसार अलग-अलग होती हैं।
- **PDG में शामिल होने से IPC को लाभ:**
  - IPC द्वारा निर्धारित **मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता** प्राप्त होगी।
  - वैश्विक बाजारों में **भारतीय फार्मास्युटिकल उत्पादों** की स्वीकार्यता बढ़ेगी।
  - **दुनिया भर में बेहतर लोक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार संभव होगा,** क्योंकि इससे घटिया या नकली दवाओं के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी।

7.7.4. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (Monoclonal Antibody)

- केंद्र सरकार ने **ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की खुराक खरीदने** का निर्णय लिया है।
- मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक प्रायोगिक दवा है। **वर्ष 2018 में केरल में निपाह वायरस के प्रकोप के दौरान भी संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए इसका आयात** किया गया था।
  - निपाह वायरस (NiV) एक **जूनोटिक वायरस** है। यह दूषित भोजन के सेवन से या संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क से भी लोगों में फैल सकता है।
- मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (mAbs) **कृत्रिम एंटीबॉडीज़ हैं।** ये **हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की कार्यप्रणाली की नकल** करती हैं।
  - इनका उत्पादन एक **विशेष प्रक्रिया के माध्यम** से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मानव रक्त से **विशेष प्रकार के एंटीबॉडी को प्राप्त** किया जाता है और फिर **उनका क्लोन बनाया** जाता है।
    - ये **केवल एक एंटीबॉडी का क्लोन** होते हैं और केवल एक एंटीजन से ही आबद्ध होते हैं।
  - ये एक ही मूल कोशिका से प्राप्त **सजातीय हाइब्रिड कोशिकाओं (B कोशिकाओं)** द्वारा निर्मित होती हैं।
    - दूसरी ओर, **पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ (PAbs)** मिश्रित एंटीबॉडीज होते हैं जो अलग-अलग B कोशिका वंशक्रम द्वारा स्रावित होते हैं।
  - इनका उपयोग **कैंसर, इबोला, HIV आदि के उपचार** में किया जाता है।
- mAbs **वायरल एनवलप के एक हिस्से से प्रभावी ढंग से बंध** जाती हैं। यह एनवलप **मानव शरीर में** प्रवेश पाने के लिए मानव कोशिकाओं से जुड़ जाता है।
  - इस तरह यह **वायरस को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय** कर देती हैं।
- **mAbs से संबंधित चिंताएं:** इसके उपयोग से शरीर में विविध साइड-इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं- **साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम रिएक्शन, एलर्जी/ एटोपिक विकार, प्रतिरक्षा प्रणाली में विकार** उत्पन्न होना आदि।

शब्दावली को जानें

➢ **एंटीबॉडीज़** हमारे शरीर में बनने वाले सुरक्षात्मक **प्रोटीन** हैं। ये हमारे शरीर में किसी **बाहरी तत्व यानी एंटीजन** की उपस्थिति में **प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पन्न** होते हैं।

7.7.5. R21/Matrix-M (मलेरिया वैक्सीन) {R21/Matrix-M (Malaria Vaccine)}

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने **बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए R21/Matrix-M नामक मलेरिया की दूसरी वैक्सीन** की सिफारिश की है।
  - इससे पहले 2021 में WHO ने **RTS,S/AS01 वैक्सीन** को मलेरिया की रोकथाम के लिए मंजूरी दी थी।
- **R21/Matrix-M** वैक्सीन को **घाना, नाइजीरिया और बुर्किना फासो में टीकाकरण के लिए लाइसेंस** दिया गया है।

- इसे **ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया** ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।
- **मुख्य विशेषताएं:** वहनीय, अधिक प्रभावी, क्लीनिकल परीक्षण में सुरक्षित, इत्यादि।

- मलेरिया रोग **प्लाज्मोडियम परजीवियों** के कारण होता है। **मनुष्यों में इसका प्रसार संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से** होता है।

7.7.6. खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग (Packaging of Food Products)

- **खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018** के तहत खाद्य पदार्थों के भंडारण एवं पैकेजिंग के लिए **समाचार-पत्रों** या इसी तरह की सामग्री का उपयोग **सख्त रूप से निषिद्ध** है।
- वितरण के दौरान समाचार-पत्रों को अक्सर अलग-अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान वे **बैक्टीरिया, वायरस या अन्य रोगजनकों के संपर्क में आकर दूषित** हो जाते हैं।
- समाचार-पत्रों की छपाई में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही से **कैंसर, लीवर फेलियर, फेफड़ों को नुकसान** जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। **इसके निम्नलिखित कारण हैं:**
  - इसमें **सीसा, नेफ़थाइलमाइन्स एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन** जैसे घटक होते हैं। साथ ही, ये AhR (एरिल हाइड्रोकार्बन रिसेप्टर) के एगोनिस्ट के रूप में भी कार्य करते हैं।
    - **एगोनिस्ट** एक रसायन है, जो जैविक अभिक्रिया के परिणामस्वरूप रिसेप्टर के साथ बंध जाता है और उसे सक्रिय करता है।
    - **AhR** एक तरह का प्रोटीन है, जो विषाक्तता फ़ैलाने में मदद करता है।

7.7.7. प्रोटीन बाइंडर्स (Protein Binders)

- भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्पष्ट किया है कि **डेयरी उत्पादों में प्रोटीन बाइंडर्स या किसी भी अन्य एडिटिव्स को मिलाने की अनुमति** नहीं है।
  - प्रोटीन बाइंडर **जैविक अनुसंधान अभिकर्मक** (reagents) हैं। ये नए खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण के लिए एक विशेष लक्षित प्रोटीन से आबद्ध हो जाते हैं।
  - प्रोटीन बाइंडिंग उत्पाद की गुणवत्ता को **बढ़ा या घटा** सकती है।
- प्रोटीन बाइंडिंग **प्रोटीन-बॉण्ड को पचाने की क्षमता को प्रभावित** करती है। इस प्रकार यह **दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन की जैविक और पौष्टिक वैल्यू को प्रभावित** कर सकती है।
- **मिल्क प्रोटीन:**
  - यह **आवश्यक अमीनो एसिड** का एक अच्छा स्रोत है।
  - **मिल्क प्रोटीन आसानी से पच जाते हैं** और कई पादप आधारित प्रोटीन्स के विपरीत **इनमें कोई भी पोषण-रोधी कारक नहीं** होते हैं।

7.7.8. अंतर्विषयक साइबर-भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Inter-Disciplinary Cyber Physical System: NM-ICPS)

- **साइबर भौतिक प्रणाली (CPS) में प्रौद्योगिकी नवाचार पर राष्ट्रीय कार्यशाला** ने NM-ICPS के तहत स्थापित **प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों के महत्त्व** को रेखांकित किया है।
- CPS **कंप्यूटिंग उपकरणों का एक संग्रह** है। ये उपकरण एक-दूसरे के साथ संचार स्थापित करते हैं और एक फीडबैक लूप में सेंसर्स व एक्चुएटर्स के माध्यम से भौतिक विश्व के साथ अंतर्क्रिया करते हैं।
  - इसमें **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स** जैसी तकनीकें शामिल हैं।
  - **उपयोग के क्षेत्र:** स्वास्थ्य देखभाल सेवा, परिशुद्ध कृषि (Precision Agriculture), ऊर्जा अवसंरचना आदि।
- NM-ICPS को **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 2018** में प्रारंभ किया था।
  - **विज़न:** भारत को CPS प्रौद्योगिकियों में अग्रणी बनाना।
  - **उद्देश्य:** CPS और इससे संबंधित प्रौद्योगिकियों में **ट्रांसलेशनल अनुसंधान** को बढ़ावा देना।
    - **ट्रांसलेशनल अनुसंधान** में बुनियादी अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान का उन अध्ययनों में उपयोग किया जाता है, जो नए उत्पादों के विकास में सहायता कर सकते हैं।

7.7.9. ग्रेविटी बैटरी (Gravity Battery)

- ग्रेविटी बैटरी एक प्रकार का **बिजली भंडारण उपकरण** है। इसमें **लिफ्टिंग (चार्ज करना) और लोअरिंग (डिस्चार्ज करना) प्रक्रियाएं** शामिल होती हैं।
- जब प्रचुर मात्रा में हरित ऊर्जा उपलब्ध होती है, तो **बैटरियां भारी वजन (या ब्लॉक्स) को हवा में उठाने या इसे डीप शाफ्ट के शीर्ष तक उठाने (लिफ्टिंग)** के लिए ऊर्जा का उपयोग करती हैं।
- जब बिजली की मांग बढ़ती है, तो ब्लॉक्स को एक-एक करके नीचे (लोअरिंग) किया जाता है। इससे **गतिज ऊर्जा** (kinetic energy) मुक्त होती है। इस **गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल मोटर को चलाने और बिजली उत्पन्न करने** के लिए किया जाता है।

7.7.10. निएंडरथल (Neanderthals)

- शोधकर्ताओं ने पाया है कि मनुष्यों में प्राचीन निएंडरथल के DNA के अवशेष मौजूद हैं।
- निएंडरथल मानव की एक प्रजाति थी। वे **होमो निएंडरथेलेंसिस नामक एक विशेष प्रजाति** से संबंधित थे।
  - वे लगभग 400,000 से 40,000 साल पहले **प्लेस्टोसिन युग के मध्य चरण से लेकर अंतिम चरण के दौरान यूरोप और दक्षिण-पश्चिम एवं मध्य एशिया** में रहते थे।
  - **शारीरिक बनावट:** आधुनिक मनुष्यों के अधिक गोलाकार कपाल की तुलना में लंबा व पीछे से नीचे की ओर झुका हुआ कपाल, आंखों के ऊपर विशेष प्रकार के ब्रो रिज़ (brow

ridge), शरीर अपेक्षाकृत छोटा और गठीला (ठंडे वातावरण के लिए उपयुक्त) आदि।

- वे **कुशल उपकरण निर्माता** थे और **मॉस्टरियन कल्चर नामक तकनीक** का उपयोग करते थे। इस संस्कृति में स्क्रेपर्स (खुरचनी), पॉइंट्स और हस्तकुठार जैसे **विविध पाषाण उपकरणों का निर्माण** किया जाता था।

7.7.11. ग्रीन अमोनिया (Green Ammonia)

- **मिस्र से ग्रीन अमोनिया का पहली बार वी. ओ. चिदंबरनार पोर्ट (तमिलनाडु) पर आयात** किया गया।
- **ग्रीन अमोनिया** का उत्पादन **100 प्रतिशत नवीकरणीय और कार्बन-मुक्त स्रोत का उपयोग** करके किया जाता है।
  - **ब्लू अमोनिया:** अमोनिया के उत्पादन के दौरान **उप-उत्पाद के रूप में उत्सर्जित CO_2 को कैप्चर और संग्रह** किया जाता है। इससे **जलवायु प्रभाव कम** हो जाता है। इस विधि से उत्पादित अमोनिया को **ब्लू अमोनिया** कहा जाता है।
  - **जीवाश्म ईंधन** का उपयोग करके उत्पादित अमोनिया को **ग्रे/ ब्राउन अमोनिया** कहा जाता है।
- **अमोनिया (NH_3) एक तीखी गंध वाली गैस** है। इसका व्यापक रूप से **उर्वरक बनाने में उपयोग** किया जाता है।
  - इसे **हैबर-बॉश प्रक्रिया** के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। इस प्रक्रिया में **हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की उच्च तापमान व उच्च दाब पर एक साथ अभिक्रिया** कराई जाती है।
  - विद्युत मंत्रालय ने **2022 में ग्रीन अमोनिया नीति को अधिसूचित** किया था।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

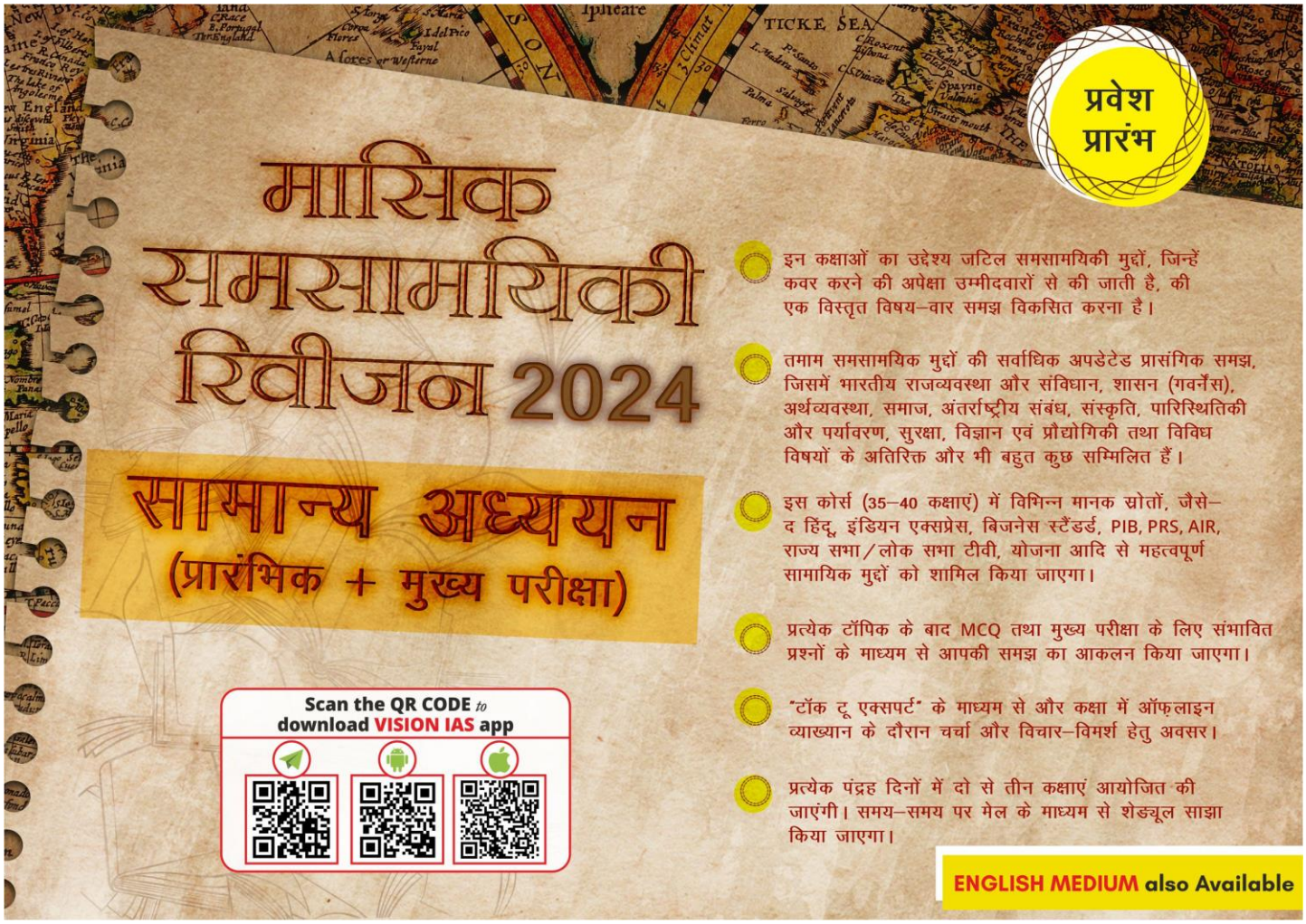

8. संस्कृति (Culture)

8.1. ग्रामीण पर्यटन (Rural Tourism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO)[123] ने 2023 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों** की सूची की घोषणा की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **UNWTO ने 'सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव' पहल की शुरुआत 2021 में की थी।** यह पहल UNWTO के **ग्रामीण विकास के लिए पर्यटन कार्यक्रम** का हिस्सा है।
- **इस पहल में तीन स्तंभ शामिल हैं:**
  - **UNWTO की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पहल:** इस पहल के तहत **उत्कृष्ट ग्रामीण पर्यटन स्थलों की पहचान** की जाती है। **इसमें गांव के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं:**
    - मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिसंपत्तियां;
    - समुदाय-आधारित मूल्यों को संरक्षित करने के प्रति प्रतिबद्धता; तथा
    - आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों में नवाचार एवं संधारणीयता के प्रति सुस्पष्ट प्रतिबद्धता।
  - **UNWTO के उन्नयन कार्यक्रम की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पहल:** यह कार्यक्रम UNWTO के मान्यता संबंधी मानदंडों को पूरा करने की दिशा में गांवों की सहायता करता है। इसके अलावा, मूल्यांकन के दौरान जिन गांवों में कमियां पाई जाती है, उन गांवों को सहायता प्रदान करता है।
  - **सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव नेटवर्क:** यह नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, जहां **सदस्यों के बीच अनुभवों और अच्छी पद्धतियों, सीखने तथा अवसरों का आदान-प्रदान** होता है। यह नेटवर्क उन विशेषज्ञों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक के भागीदारों के योगदानों के लिए खुला है, जो ग्रामीण विकास के प्रेरक के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं।

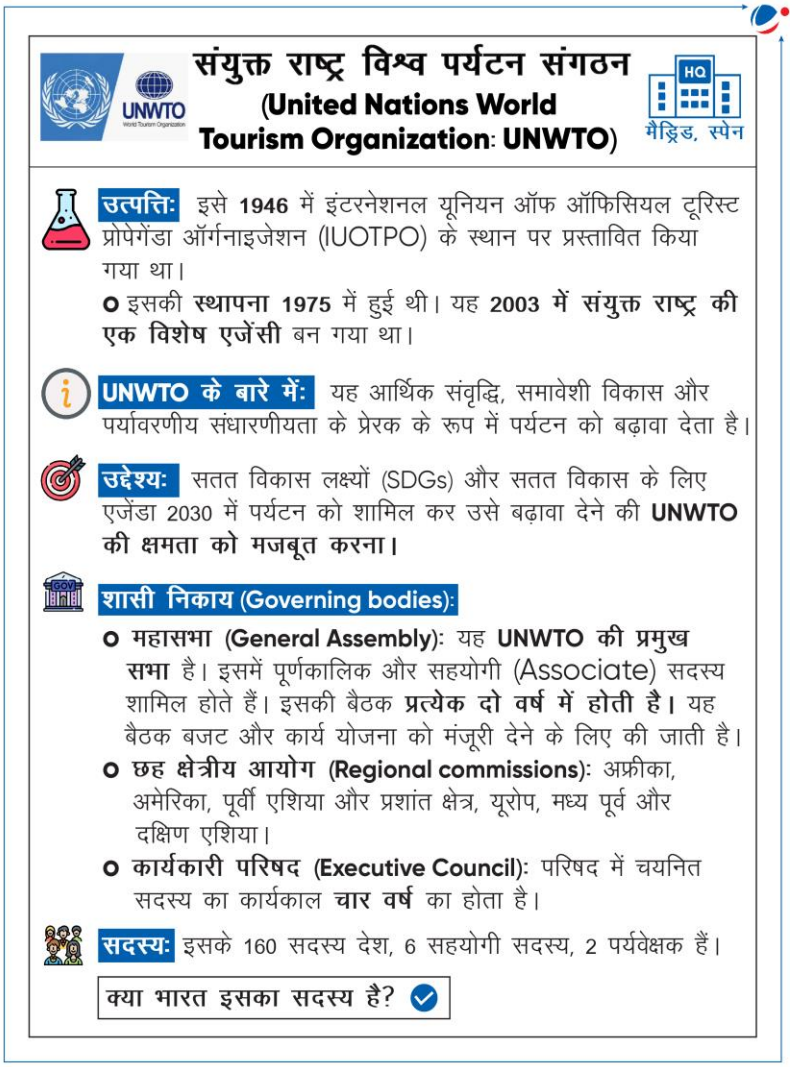

धोर्डो गांव (सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023)	मडला गांव (उन्नयन कार्यक्रम में चयनित)
• UNWTO ने **धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों** में से एक के रूप में वैश्विक मान्यता प्रदान की है। यह गांव **गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है।** • इस गांव में **वार्षिक रूप से प्रसिद्ध रण उत्सव (व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल) का आयोजन** किया जाता है।	• **मडला गांव मध्य प्रदेश के पन्ना जिले** में स्थित है। • **कर्णावती (केन)** नदी इस गांव से होकर बहती है। • गांव की कुछ अमूर्त विरासतों में **लोक संगीत और नृत्य, स्थानीय त्यौहार व बुन्देलखंडी व्यंजन** शामिल हैं।

[123] United Nations World Tourism Organization

- रण उत्सव एक **सांस्कृतिक उत्सव** है। इसका आयोजन **गुजरात पर्यटन विभाग प्रतिवर्ष नवंबर माह** में करता है। उत्सव के दौरान इस क्षेत्र की **पारंपरिक कला, संगीत, शिल्प, नृत्य और व्यंजनों** का प्रदर्शन किया जाता है।
- धोर्डो गांव में **सिंध का मुतवा समुदाय** भी निवास करता है। इस समुदाय के लोग **मुतवा कशीदाकारी कला** में दक्ष हैं। इस कला में **वस्त्र पर छोटे-छोटे दर्पण के टुकड़ों, चांदी के आभूषणों और चमड़े के साथ कढ़ाई** की जाती है।

मुतवा कशीदाकारी कला

- घरों के डिजाइन में अभी भी ग्रामीण संस्कृति की झलक बनी हुई है।

ग्रामीण पर्यटन के बारे में

- पर्यटन का वह रूप, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में **ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और विरासत** को प्रदर्शित किया जाता है, उसे ग्रामीण पर्यटन कहा जा सकता है।
  - **पर्यटन मंत्रालय** ने ग्रामीण पर्यटन की पहचान ग्रामीण भारत के विकास और संवर्धन के लिए एक विशिष्ट अवसर के रूप में की है।
  - ग्रामीण पर्यटन के विविध रूपों में **कृषि पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, प्रकृति पर्यटन, साहसिक पर्यटन और पारिस्थितिकी पर्यटन** शामिल हैं।
- **ग्रामीण पर्यटन गतिविधियां** उन गैर-शहरी (ग्रामीण) क्षेत्रों में सम्पन्न होती हैं, जहां **निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं:**
  - निम्न जनसंख्या घनत्व;
  - भू-दृश्य और भूमि पर कृषि एवं वानिकी का अधिक विस्तार; तथा
  - पारंपरिक सामाजिक संरचना और जीवनशैली।

ग्रामीण पर्यटन से जुड़ी चुनौतियां

- **निम्नस्तरीय अवसंरचना:** इसके अंतर्गत **आस-पास के शहरों से अधिक दूरी; कनेक्टिविटी का अभाव और खराब परिवहन सुविधाएं** शामिल हैं। इसके अलावा आवास, मनोरंजन सुविधाओं, विद्युत, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी संबंधी अवसंरचना सहित दूरसंचार की अपर्याप्तता इत्यादि अन्य समस्याएं हैं।
- **जागरूकता और कौशल की कमी:** ग्रामीण आबादी में अक्सर ज्ञान, कौशल और वित्तीय समर्थन की कमी पाई जाती है। इसके कारण ग्रामीण लोग पर्यटकों तक अपनी सांस्कृतिक, कलात्मक और शिल्प संबंधी सेवाओं की पहुंच नहीं बना पाते हैं।

- **प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी:** ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी है। **यह समस्या प्रत्यक्ष रूप से पर्यटन और आतिथ्य (Hospitality) उद्योग को प्रभावित** कर रही है। इसके अलावा, ग्रामीण पर्यटन की मौसमी प्रवृत्ति के कारण शहरी क्षेत्रों से प्रशिक्षित कार्यबल इसमें अधिक रुचि नहीं रखता है।
- **डिजिटल साक्षरता का अभाव:** ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी **बाजार में प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों को अपनाने और पर्यटकों को आकर्षित करने में बाधा डालती है।** उदाहरण के लिए- ग्रामीण लोग डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण सोशल मीडिया पर विज्ञापन नहीं दे पाते हैं, ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाते हैं आदि।

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें

- **भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप:** इसका उद्देश्य आकर्षक ग्रामीण अनुभव तैयार करके एक **जीवंत और जिम्मेदार पर्यटन खंड** बनाना है। साथ ही इस खंड के निर्माण के लिए **भारत की ग्रामीण विरासत का लाभ** उठाना है।
- **रूरल होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रणनीति:** इसका उद्देश्य **रूरल होमस्टे (पर्यटकों को गांव में ही ठहराना) को एक अनुभवात्मक पर्यटन उत्पाद के रूप में विकसित** करना है। इससे **ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।**
  - पर्यटन मंत्रालय ने **भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (IITTM)[124] को केंद्रीय नोडल एजेंसी (CNA-ग्रामीण पर्यटन और रूरल होमस्टे)** के रूप में नामित किया है। यह संस्थान उन गांवों की पहचान करता है, जो पर्यटकों के साथ विशिष्ट अनुभव साझा करते हैं। उदाहरण के लिए-
    - **तमिलनाडु का कोलुक्कुमलाई:** विश्व का सबसे ऊंचा चाय का बागान;
    - **केरल का देवालो-काम:** योग केंद्र;
    - **तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव:** पारंपरिक बुनाई तकनीक;
    - **महाराष्ट्र में माचली:** नारियल व केले के बागानों से घिरा कृषि गृह आवास/ होमस्टे।
- **राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार (NTA)[125]: पर्यटन मंत्रालय** हर साल NTA प्रदान करता है। यह पुरस्कार यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के अलग-अलग हिस्सों के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी दिया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों का सम्मान करना और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन प्रदान करना है।
  - NTA, 2023 में **कोंगथोंग गांव को 'सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव (कांस्य)' पुरस्कार** से सम्मानित किया गया है।

कोंगथोंग (पूर्वी खासी पहाड़ियां, मेघालय)

- यह अपनी अनूठी परंपरा **'जिंगरवाई लवबी'** के कारण 'व्हिसलिंग विलेज' के रूप में लोकप्रिय है। जिंगरवाई लवबी का अर्थ है **वंश की प्रथम महिला का गीत।**
- यह एक ऐसी परंपरा है, जिसके तहत **एक माता अपने शिशु को जन्म के समय उसे नाम की बजाए एक धुन या लोरी से पुकारती है।**
- कोंगथोंग लोगों का **संबंध सेंग खासी जनजाति** से है। यह समुदाय **खासी भाषा** बोलता है।

- **देखो अपना देश योजना:** इसका उद्देश्य **भारत में घरेलू पर्यटन को बढ़ाना** है। ऐसा **भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता का पता लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित** करके किया जा रहा है।
- **यूनिटी मॉल:** इसकी घोषणा **केंद्रीय बजट 2023-2024** में की गई थी। इन मॉल्स की स्थापना राज्य की राजधानियों या प्रमुख पर्यटन और आर्थिक केंद्रों में की जा सकती है। इनका इस्तेमाल **राज्य के विशिष्ट "एक जिला, एक उत्पाद" (ODOP)[126], "भौगोलिक संकेतक (GI)" और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने व बेचने** के लिए किया जाएगा।

[124] Indian Institute of Tourism and Travel Management

[125] National Tourism Awards

[126] One district, one product

आगे की राह

- **डिजिटल साक्षरता:** गैर-सरकारी संगठन और भारत के पर्यटन स्टार्ट-अप्स ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए **डिजिटल साक्षरता व सरलीकृत डिजिटल समाधान** प्रदान कर सकते हैं। इससे **सेवा वितरण में सुधार** होगा तथा स्थानीय उत्पादों का प्रचार-प्रसार करना संभव हो पाएगा।
- **अवसंरचना:** समुदाय-आधारित पर्यटन संबंधी अवसंरचना का विकास करके और **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** सुनिश्चित करके ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन अवसंरचना की कमी की समस्या का समाधान किया जा सकता है।
- **सरकारी सहायता:** ग्रामीण पर्यटन को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार मान्यता प्राप्त और उच्च-क्षमता युक्त पर्यटन आकर्षणों हेतु **वित्तीय एवं अवसंरचनात्मक दोनों प्रकार की सहायता** प्रदान कर सकती है। उदाहरण के लिए- **गाइड्स के कौशल विकास हेतु सब्सिडी प्रदान करना, एडवेंचर गेम्स से संबंधित अवसंरचना का निर्माण** करना आदि।
- **सहयोग और मान्यता:** सतत ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता है। ऐसा ग्रामीण विकास पर केंद्रित अलग-अलग मंत्रालयों की विविध योजनाओं का अभिसरण करके किया जा सकता है।
- **मार्केटिंग:** राज्य पर्यटन संरचना में ग्रामीण पर्यटन का भी एकीकरण करना चाहिए। **कृषि-पर्यटन, वाटर स्पोर्ट्स** जैसे पर्यटनों हेतु स्थलों का निर्माण करना चाहिए व उनकी मार्केटिंग करनी चाहिए। इन उपायों से पर्यटकों को ग्रामीण पर्यटन के लिए आकर्षित करने में मदद मिलेगी

8.2. प्राचीन भारत में सैन्य प्रणाली (Military Systems in Ancient India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रक्षा मंत्री ने **"भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव" (IMHF)**[127] के उद्घाटन के अवसर पर **प्रोजेक्ट 'उद्भव'** की शुरुआत की है।

प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में

- इस परियोजना की शुरुआत **भारतीय थल सेना और एक थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (USI)** के सहयोग से की गई है।
- **इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  - **शासन कला और रणनीतिक विचारों से समृद्ध भारतीय विरासत** की पुनः खोज करना। यहां 'उद्भव' का आशय 'उत्पत्ति' से है।
  - सुरक्षा संबंधी मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए **समकालीन सैन्य पद्धतियों के साथ प्राचीन ज्ञान को समन्वित** करना। यह कार्य **अंतर्विषयक (Interdisciplinary) अनुसंधान, कार्यशालाओं और लीडरशिप सेमिनार्स** के जरिए किया जाएगा।
  - प्राचीन सैन्य विद्या का इस्तेमाल करके **आधुनिक सैन्य चुनौतियों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण विकसित** करना।

प्राचीन भारत में सैन्य प्रणाली

प्राचीन भारत का सैन्य ज्ञान **बौद्धिक ग्रंथों, शास्त्रों, पांडुलिपियों, विचारकों, प्रमुख सैन्य अभियानों तथा शासकों द्वारा लिखित पुस्तकों के अध्ययन** पर आधारित है।

[127] Indian Military Heritage Festival

- **कौटिल्य का यथार्थवाद:** कौटिल्य ने लगभग **300 ईसा पूर्व में मौर्य शासनकाल** के दौरान अर्थशास्त्र की रचना की थी। कौटिल्य ने इस पुस्तक में सुझाव दिया है कि रणनीतियां बनाते समय पहले जमीनी वास्तविकताओं को समझना चाहिए और उनके अनुसार ही रणनीति बनाए जाने पर बल दिया।
  - **मंडल सिद्धांत:** यह **शत्रुओं, मित्रों और मित्र देशों के ज्ञान** से संबंधित है।
    - इस सिद्धांत में बताया गया है कि **निकटतम पड़ोसी राज्य के शत्रु (वास्तविक या संभावित) होने की संभावना सबसे अधिक** होती है। इसके विपरीत, **निकटतम पड़ोसी राज्य के बगल वाले राज्य के मित्रवत होने की संभावना अधिक** होती है।
  - **कूटनीति और गठबंधन:** कौटिल्य ने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कूटनीतिक रणनीतियों और गठबंधन बनाने पर विशेष बल दिया है।
  - **गुप्त सूचनाएं एकत्र करना:** कौटिल्य ने शत्रुओं की क्षमताओं, इरादों और कमजोरियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए गुप्तचरों (गूढ़पुरुष) का इस्तेमाल करने का समर्थन किया है।
  - **रसद और आपूर्ति श्रृंखला:** अर्थशास्त्र में सैन्य अभियानों की सफलता के लिए संसाधनों के उचित प्रावधान और प्रबंधन के महत्त्व पर चर्चा की गई है।
- **कामंदक का नीतिसार:** यह **गुप्त काल** से संबंधित एक **संस्कृत** ग्रंथ है। यह ग्रंथ अर्थशास्त्र की परंपरा का पालन करता है।
  - इसमें पड़ोसी राज्यों के साथ **मित्रतापूर्ण संबंधों का निर्माण करना और उन्हें बनाए रखना** राज्य की समग्र सुरक्षा एवं स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।
  - भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान **उपेक्षा** (कूटनीतिक उपेक्षा, कूटनीतिक उदासीनता) **की रणनीति, माया (छल) की रणनीति** का फिर से इस्तेमाल करके इसे पुनर्जीवित किया गया।
  - नीतिसार में इस बात का उल्लेख किया गया है कि **महिलाओं की सेना भी युद्ध में भाग ले सकती है।**
- **तिरुवल्लुवर की तिरुक्कुरल (31 ईसा पूर्व):** इस ग्रंथ का संबंध युद्ध के दौरान किए जाने वाले आदर्श नैतिक आचरण से है।
  - यह ग्रंथ न्यायसंगत युद्ध की आधुनिक सैन्य आचार संहिता और जेनेवा अभिसमय के सिद्धांतों के अनुरूप है।
- **अग्नि पुराण:** यह **युद्ध के मैदान में प्रतिग्रह** (आरक्षित) **दर्शन** का उल्लेख करने वाला पहला पुराण था। प्रतिग्रह आधुनिक सैन्य संरचना का एक अभिन्न हिस्सा है।
- **रामायण, महाभारत व बौद्ध जातक कथाएं:** इनके अनुसार, युद्ध में हार और जीत मुख्य रूप से **व्यूह विज्ञान** के ज्ञान एवं सैनिकों की रणनीतिक तैनाती पर निर्भर करती थी।

आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है?

- **कौटिल्य का यथार्थवाद:** भारत वर्तमान भू-राजनीतिक चुनौतियों और अवसरों का कौटिल्य के यथार्थवाद से आकलन करके लाभ प्राप्त कर सकता है। **उदाहरण के लिए-** चीन व अमेरिका के रणनीतिक उद्देश्यों को समझना।
- **कौटिल्य की विदेश नीति के स्थायी तत्व:** कौटिल्य द्वारा विदेश नीति के संदर्भ में सुझाए गए कई तत्व जैसे- सत्ता के लिए संघर्ष, **राष्ट्रीय हित,** गठबंधन, शत्रुता और कूटनीति आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं।
- **सतर्क रहना: मंडल सिद्धांत** के अनुसार, यदि कोई आपका प्राकृतिक विरोधी है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उससे निरंतर संघर्ष करते रहें, इसकी बजाय **अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सतर्कता** बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। **उदाहरण के लिए-** भारत आमतौर पर पाकिस्तान और चीन से लगी अपनी सीमाओं पर सतर्क रहता है।
- **नैतिक सिद्धांत:** तिरुवल्लुवर के नैतिक सिद्धांत आधुनिक संघर्षों में कार्रवाइयों की नैतिकता के मूल्यांकन के लिए शाश्वत रूपरेखा प्रदान करते हैं।
  - **आधुनिक नेतृत्वकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे नैतिक आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करें** और अपने अनुयायियों को नैतिक मानकों का पालन करने के लिए प्रेरित करें।

8.3. सर सैयद अहमद खान (Sir Syed Ahmed Khan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **सर सैयद अहमद खान की 125वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित** की गई थी।

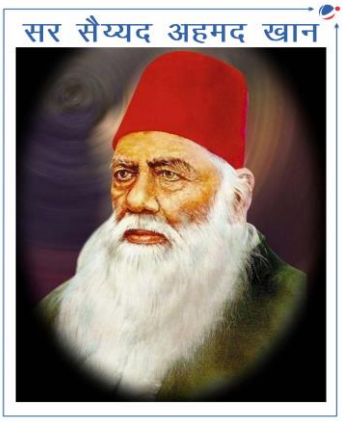

सर सैयद अहमद खान के बारे में

- उन्होंने एक **सिविल सेवक, पत्रकार, शिक्षाविद्, समाज सुधारक और इतिहासकार** के रूप में काम किया था।
- **धार्मिक दृष्टिकोण**
  - सर सैयद अहमद खान ने **इस्लाम की व्याख्या में इज्तिहाद (स्वतंत्र चिंतन व तर्कवाद) की वैधता पर बल** दिया था।

- सर सैयद ने **कुरान की शिक्षाओं** और आधुनिक विज्ञान द्वारा खोजे गए प्रकृति के नियमों **के बीच समानता** स्थापित करने पर बल दिया था।

- **रचनाएं:**
  - उन्होंने **"भारतीय विद्रोह के कारण"** नामक शीर्षक से एक लेख भी लिखा था। इसमें उन्होंने देशी परिप्रेक्ष्य से विद्रोह के कारणों को समझाने का प्रयास किया था।
  - उन्होंने **'अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट'** नामक पत्रिका प्रकाशित की थी। यह पत्रिका **साइंटिफिक सोसाइटी** का एक अभिन्न अंग थी। इस पत्रिका ने पारंपरिक मुस्लिम समाज के लोगों की मानसिकता को आधुनिक समय के अनुसार बदलने में सफलता प्राप्त की थी।
  - सर सैयद अहमद खान ने **तहज़ीब उल अखलाक (समाज सुधारक)** नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर लोगों की चेतना को जागृत करना था।
  - वे ईसाई धर्म के भी जानकार थे। उन्होंने **'कमेंट्री ऑन द होली बाइबल'** नामक पुस्तक की रचना की थी।
  - **ऐतिहासिक दस्तावेज़ीकरण: "आसार-उस-सनादीद"** जैसी उनकी रचनाओं ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में योगदान दिया था। साथ ही, एक मूल्यवान ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में भी काम किया था।

एक समाज सुधारक के रूप में उनकी भूमिका

- **शिक्षा क्षेत्रक में बदलाव**
  - सर सैयद अहमद खान ने **1863 में साइंटिफिक सोसाइटी** की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य मुसलमानों में **वैज्ञानिक दृष्टिकोण** पैदा करना था।
  - उन्होंने **मुसलमानों के लिए अंग्रेजी भाषा में दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता** पर पहले ही विचार कर लिया था।
  - सर सैयद ने यह अनुभव कर लिया था कि **मुसलमानों की उन्नति आधुनिक शिक्षा अपनाने पर और अंग्रेजी भाषा में निपुणता प्राप्त करने पर निर्भर है।**
  - उन्होंने **1875 में अलीगढ़ में मुहम्मद एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज** की स्थापना की थी तथा **अलीगढ़ आंदोलन** की शुरुआत की थी।
  - वे **अज्ञानता, धार्मिक असहिष्णुता और तर्कहीनता** के खिलाफ थे।
- **राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी**
  - अपने बाद के वर्षों में, सर सैयद ने **भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं** होने के लिए प्रोत्साहित किया था।
  - उन्हें **द्वि-राष्ट्र सिद्धांत** के संस्थापकों में से एक माना जाता है। इसके पक्ष में उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम एक राष्ट्र के रूप में सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते।
- **महिलाओं के अधिकारों के संबंध में उनके विचार रूढ़िवादी थे:**
  - सर सैयद अहमद खान ने महिलाओं के लिए **"असंगठित ट्यूटर आधारित घरेलू शिक्षा"** का समर्थन किया था। उनका मानना था कि महिलाओं को उनकी पारिवारिक भूमिकाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि, महिलाओं के प्रति इस तरह की धारणा रखने के कारण उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था।
  - उनका मत था कि **महिलाओं के लिए औपचारिक शिक्षा उनके विवाह की संभावनाओं को बाधित** कर सकती है।
  - सर सैयद ने सह-शिक्षा (Co-education) और लड़कियों की शिक्षण संस्थाओं का विरोध किया था। हालांकि, उन्होंने **लैंगिक विभेद और पर्दा-केंद्रित घरेलू शिक्षा** का समर्थन किया था।
  - यद्यपि, उन्होंने **बहुविवाह, शिशु-हत्या (Infanticide) और बाल विवाह की निंदा** की थी।
  - वर्ष 1869-70 में उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की थी। इस यात्रा के बाद **महिलाओं की शिक्षा के प्रति उनके परंपरागत विचारों में कुछ हद तक बदलाव आया था।** इसके अलावा, सर सैयद ने सामाजिक प्रगति के लिए महिलाओं के महत्त्व को पहचाना और यूरोप में महिलाओं की स्वतंत्रता को भी स्वीकार किया।

निष्कर्ष

सर सैयद अहमद खान का योगदान और उनके विचार वर्तमान भारत के समक्ष मौजूद कई चुनौतियों से निपटने के लिए प्रासंगिक हैं। इनमें शिक्षा, सामाजिक सुधार, लैंगिक समानता, अंतर-धार्मिक सद्भाव, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण आदि शामिल हैं।

8.4. रानी दुर्गावती (Rani Durgavati)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वीरांगना रानी दुर्गावती की **500वीं जयंती** मनाई गई।

रानी दुर्गावती के बारे में

- रानी दुर्गावती का जन्म **बांदा (उत्तर प्रदेश) में महोबा के चंदेल राजवंश** में हुआ था। उनका विवाह 1542 ई. में **गढ़ा-कटंगा के गोंड राजवंश के शासक दलपत शाह** से हुआ था।
  - **गोंड** सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक हैं। यह जनजाति मध्य भारत में निवास करती है।
- **नेतृत्व संभालना:** रानी ने 1550 ई. में दलपत शाह की मृत्यु के बाद अपने **पुत्र वीर नारायण की संरक्षक के रूप में गोंड राजवंश की सत्ता** संभाली।
- **अकबर के साथ संघर्ष:** वह मुगल बादशाह **अकबर** की समकालीन थी। रानी के शासनकाल के दौरान, अकबर ने **आसफ खान** के नेतृत्व में गोंड साम्राज्य पर आक्रमण किया था।
  - रानी ने मुगलों की विस्तारवादी नीति का विरोध किया था।

रानी दुर्गावती का योगदान

- **अवसंरचना का निर्माण:** उन्होंने **रानीताल, चेरीताल और अधारताल जैसे जलाशयों** का निर्माण कराया था।
  - उन्होंने अपनी राजधानी **सिंगौरगढ़ से चौरागढ़** स्थानांतरित की थी। नई राजधानी **सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला** में स्थित थी।
- **धर्म गुरुओं का संरक्षण:** रानी दुर्गावती ने **आचार्य बिट्ठलनाथ को गढ़ में पुष्टिमार्ग पंथ** की एक पीठ स्थापित करने की अनुमति दी थी। उन्होंने **वल्लभ समुदाय के धर्मगुरु विट्ठलनाथ** का स्वागत किया था और उनसे दीक्षा प्राप्त की थी।
- रानी दुर्गावती ने **धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता** प्रकट की थी।
- **मालवा के बाज बहादुर पर विजय: तारीख-ए-फरिश्ता** के अनुसार, **दुर्गावती ने मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित** किया था।
- **ऐतिहासिक लेखन:** दुर्गावती की कहानी **अबुल फजल (अकबर के इतिहासकार) और ब्रिटिश कर्नल स्लीमन** की रचनाओं से प्राप्त होती है।

बुन्देलखण्ड के चंदेल वंश के बारे में

- चंदेल मध्य भारत में शासन करने वाला एक **राजपूत वंश (जेजाकभुक्ति वंश)** था। इस राजवंश की स्थापना **835 ई. में नन्नुक** ने की थी।
  - **प्रमुख शासक**: यशोवर्मन, धंग, विद्याधर, परमर्दिदेव, त्रैलोक्यवर्मन आदि।
- **प्रमुख शहर:** चंदेल शासकों की राजधानी **खजुराहो** थी। हालांकि, बाद में इसे बदलकर **महोबा** कर दिया गया था।
- **भाषा**: संस्कृत और प्राकृत।
- **सामाजिक व्यवस्था:** वर्ण व्यवस्था सामाजिक संगठन का आधार थी। पत्नियों के रूप में महिलाओं को परिवार और समाज में उच्च स्थान प्राप्त था।
- **खजुराहो शैली के मंदिरों की विशेषताएं (दसवीं शताब्दी के मध्य):**
  - **विषय-वस्तु:** वात्स्यायन के कामसूत्र से प्रेरित कामुक मूर्तियां।
  - **धर्म:** हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं।
  - **सामग्री:** बलुआ पत्थर।
  - **घटक:** मंदिरों के तीन भाग हैं- गर्भगृह, मंडप और अर्धमंडप।
  - **दिशा:** इनका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर है।
  - **विधि:** मंदिरों का निर्माण अपेक्षाकृत ऊंचे चबूतरे पर किया गया है। मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित हैं।
  - **लक्ष्मण मंदिर (विष्णु):** इस मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने कराया था।
  - **विश्वनाथ मंदिर (शिव) व पार्श्वनाथ मंदिर (जैन):** इनका निर्माण धंग ने कराया था।
  - **कंदरिया महादेव मंदिर (शिव):** इसका निर्माण विद्याधर ने कराया था।
  - **महोबा में सूर्य मंदिर:** इसका निर्माण राहिल देव वर्मन ने कराया था।
- उन्होंने **बुन्देलखण्ड की समृद्ध विरासत** के निर्माण में योगदान दिया था। साथ ही, **महोबा में सूर्य मंदिर और कालिंजर किले के अंदर कई मंदिरों का निर्माण** करवाया था, जो सभी लोगों के लिए खुले थे।
- **पतन: महमूद गजनवी व कुतुबुद्दीन ऐबक** के आक्रमण के परिणामस्वरूप इस वंश का पतन हो गया था।

8.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.5.1. साहित्य का नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Literature for 2023)

- वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार **नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे** को दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार उनके **अभिनव नाटकों और गद्य रचनाओं** के लिए दिया जाएगा। फॉसे के नाटकों और साहित्य ने उन लोगों को आवाज दी है, जो अपनी बात कहने में सक्षम नहीं थे।
- अकादमी ने फॉसे को यह सम्मान **नॉर्वे की नाइनोर्स्क** भाषा में लिखी कृतियों के लिए दिया है। इन कृतियों में कई नाटक, उपन्यास, कविता संग्रह, निबंध, बच्चों की किताबें और अनुवाद आदि शामिल हैं।
  - नाइनोर्स्क नॉर्वे की **दो आधिकारिक भाषाओं** में से एक है।
- **साहित्य में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार** की राशि **11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर (1 मिलियन डॉलर)** है। इसे व्यापक रूप से दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है।
- 1901 से लेकर 2023 तक कुल **116 बार** साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब तक **120 लोगों** को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
- हाल के वर्षों में, यह पुरस्कार **फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नाक्स (2022) और तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रजाक गुरनाह (2021)** ने जीता था।

8.5.2. टोटो भाषा (Toto Language)

- टोटो लगभग 1,600 की आबादी वाला एक आदिम और अलग-थलग रहने वाला आदिवासी समुदाय है। उनकी भाषा को **टोटो भाषा** कहा जाता है।
- टोटो पारा जगह **भूटान और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा रेखा के ठीक दक्षिण में हिमालय के गिरिपाद** में अवस्थित है। यह **टोरसा नदी** के पश्चिमी तट पर स्थित है।
- **टोटो भाषा चीनी-तिब्बती परिवार से** संबंधित है।
- टोटो भाषा की **अपनी कोई लिपि नहीं है।**
- **धनीराम** ने टोटो भाषा लिपि और टोटो वर्णमाला बनाई है, जिसके लिए उन्हें **'पद्मश्री'** से सम्मानित किया गया है।

8.5.3. अरुणाचल 'याक चुरपी' (Arunachal Yak Churpi)

- अरुणाचल 'याक चुरपी' **भौगोलिक संकेतक (GI) टैग पाने वाला पहला 'याक दूध उत्पाद'** बन गया है।
- याक चुरपी **प्राकृतिक रूप से किण्वित पनीर** है। इसे **अरुणाचली याक के दूध से तैयार** किया जाता है। यह जानवर अरुणाचल प्रदेश में **अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाला** जाता है।
  - इस उत्पाद में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। इसे सब्जी की जगह या मांस करी में मिलाकर खाया जाता है। इसे मुख्य भोजन के रूप में चावल के साथ भी खाया जाता है।
- GI टैग मिलने से **याक के संरक्षण में मदद** मिलेगी तथा **याक चरवाहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी।**
  - अरुणाचली याक को **ब्रोकपास** नामक जनजातीय याक चरवाहे पालते हैं।

8.5.4. माँ दंतेश्वरी मंदिर (छत्तीसगढ़) {Maa Danteshwari Temple (Chhattisgarh)}

- यह मंदिर देवी **दंतेश्वरी के रूप में छह भुजाओं वाली महिषासुरमर्दिनी** को समर्पित है। इस मूर्ति को **काले पत्थर** से बनाया गया है।
  - यह **भारत की शक्ति-पीठों (कुल 51) में से एक** है।
- यह मंदिर **शंखिनी और डंकिनी नदियों के संगम** पर स्थित है।
- **निर्माण:** इस मंदिर का निर्माण **11वीं-12वीं शताब्दी के दौरान छिंदक नागवंशी शासकों** ने करवाया था।
  - बाद में 14वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार **अन्नमदेव** ने करवाया था। वह **काकतीय वंश** के शासक **प्रतापरुद्र** का भाई था।

8.5.5. मेवाड़ी लघु चित्रकला शैली (Mewar School of Painting)

- महाराणा जयसिंह के दरबारी चित्रकार **अल्लाह बख्श** ने 4,000 मेवाड़ी लघु चित्रों में महाभारत का चित्रण किया था।
- **मेवाड़ी लघु चित्रकला (17वीं-18वीं शताब्दी) के बारे में:**
  - यह **राजस्थानी चित्रकला की एक शैली** है। इसका विकास मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) में हुआ था।

  - लघु चित्रकला की मेवाड़ शैली की उत्पत्ति सामान्यतः 1605 ई. में **निसारदीन नामक कलाकार द्वारा चुनार में चित्रित रागमाला चित्रों से मानी जाती है।**
  - 18वीं शताब्दी में, मेवाड़ चित्रकला में विषयगत बदलाव आया। इस शताब्दी में चित्रकला का स्वरूप **लौकिक एवं दरबारी होने लगा और विषयों की प्रधानता** बढ़ गई। अब न

केवल छवि चित्रण में चित्रकला का अतिशय उदय हुआ, बल्कि बड़े आकार एवं आकर्षक दरबारी दृश्यों, शिकार के अभियान, उत्सव, अंत:पुर के दृश्य, खेल जैसे विषय विशेष लोकप्रिय हुए।
    - **नाथद्वारा शैली** मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है।
- **विशेषताएं:**
    - इसमें चित्रों को **साधारण चमकीला रंग** में चित्रित किया जाता है। साथ ही, इस शैली के चित्रों में **भावनाओं को प्रमुखता** से दर्शाया जाता है।
    - "लघु चित्रकला" के तहत चर्मपत्र, पहले से तैयार कार्ड, तांबे या हाथी दांत पर **लघु आकार के चित्र** बहुत बारीकी से बनाए जाते हैं।
- **मेवाड़ शैली के प्रमुख कलाकार:** साहिबदीन (रागमाला), मनोहर (रामायण का बालकांड) और जगन्नाथ (बिहारी सतसई)।
- **राजस्थानी चित्रकला के बारे में:**
    - यह चमकदार रंगों के उपयोग, मानव आकृति की एक अमूर्त और पारंपरिक अवधारणा और परिदृश्य के अलंकारिक निरूपण में मुगल चित्रकला से भिन्न थी।
    - **राजस्थानी चित्रकला के विकास में दो मुख्य कारकों का योगदान रहा:**
        - समृद्ध राजपूत शासकों द्वारा संरक्षण; तथा
        - वैष्णववाद का पुनः प्रवर्तन और भक्ति पंथ का विकास।

8.5.6. 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड (53rd Dadasaheb Phalke Lifetime Achievement Award)

- अभिनेत्री **वहीदा रहमान को 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार** (वर्ष 2021 के लिए) से सम्मानित किया जाएगा।
- **दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में:**
    - यह सिनेमा के क्षेत्र में **भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है।** यह पुरस्कार प्रतिवर्ष आयोजित **राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह** में प्रदान किया जाता है। इस समारोह का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत **फिल्म समारोह निदेशालय** करता है।
    - यह पुरस्कार पहली बार **1969** में शुरू किया गया था। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री **देविका रानी** को दिया गया था।
    - यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में **दादा साहब फाल्के के योगदान की स्मृति** में दिया जाता है। उन्होंने **1913 में** भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म, **राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन** किया था।
    - इस पुरस्कार में एक **स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपये की राशि** दी जाती है।

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. विधि निर्माताओं की नैतिकता (Ethics of Lawmakers)

परिचय

विभिन्न अवसरों पर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में **विधि निर्माताओं के आचरण** को लेकर चिंताएं प्रकट की गई हैं। ऐसे उदाहरणों में संसद की आचार समिति (Ethics Committee) द्वारा **'प्रश्न पूछने के बदले पैसा'** (Cash for Query) लेने से जुड़े मामलों की जांच और सदन में मर्यादाहीन आचरण के लिए कुछ सांसदों का निलंबन किया जाना शामिल है। ऐसे मुद्दों के देखे जाने के मुख्य कारण **सार्वजनिक जीवन में मूल्यों का ह्रास** है।

नैतिक मूल्य और इसमें शामिल हितधारक

एक विधि निर्माता के रूप में, व्यक्ति से कुछ मूल्यों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। ये मूल्य संपूर्ण विधिक परिवेश के सुचारू संचालन में सहायता करते हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।

विधि निर्माताओं के अलावा, सार्वजनिक जीवन के नैतिक मूल्यों को बनाए रखने और उन्हें बढ़ावा देने में विभिन्न हितधारक भी शामिल होते हैं, जैसे कि प्रतिनिधित्व प्रदान करने और विधायी प्रक्रिया जुड़े अन्य लोग भी इसमें हितधारक माने जाते हैं।

हितधारक	भूमिका	ज़िम्मेदारी
नागरिक/ मतदाता	सांसदों का चुनाव करना और उन्हें जवाबदेह बनाना।	जागरूक मतदाता बनना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना और **अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से नैतिक व्यवहार पर बल देना।**
राजनीतिक दल	उम्मीदवारों का चयन एवं समर्थन करना।	यह सुनिश्चित करना कि उम्मीदवार **नैतिक मानदंडों का पालन** करें और **सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ावा** दें।
मीडिया	जनता को सूचित करना और विधि निर्माताओं एवं उनके कार्यों के बारे में जनता की राय को आकार देना।	सटीक और वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग करना, खोजी पत्रकारिता के जरिए **विधि निर्माताओं को जवाबदेह** बनाना और सनसनीखेज या पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग से बचना।
न्यायतंत्र	कानून की व्याख्या करना और उसका पालन सुनिश्चित करना, कानून निर्माताओं के कार्यों पर निगरानी रखना।	**कानूनी प्रक्रियाओं का पालन** सुनिश्चित करना और भ्रष्टाचार या नैतिक उल्लंघन के मामलों पर समय पर न्याय देना।
निर्वाचन आयोग	स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना।	**चुनाव अभियानों की निगरानी** करना, निर्वाचन नियमों को लागू करना और यह सुनिश्चित करना कि उम्मीदवार नैतिक मानदंडों का पालन करें।

विधि निर्माताओं में नैतिक मूल्यों के ह्रास के कारक

- **भ्रष्टाचार:** रिश्वतखोरी, गबन और भ्रष्टाचार के अन्य रूप लोगों के विश्वास का क्षरण करते हैं और अनैतिक व्यवहार की धारणा के विकास में योगदान करते हैं।
  - उदाहरण के लिए- कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला आदि।
- **राजनीति का अपराधीकरण:** 1995 में वोहरा समिति ने **आपराधिक गिरोहों, पुलिस, नौकरशाही और राजनेताओं के बीच सांठगांठ** की बात कही थी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं की बढ़ती भागीदारी नैतिक मूल्यों के पतन में योगदान करती है, विधि के शासन को कमजोर करती है और जनता के विश्वास का क्षरण करती है।

- **आपराधिक न्याय प्रणाली की सीमाएं:** मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली विभिन्न आपराधिक गतिविधियों से निपटने में चुनौतियों का सामना कर रही है। इस तरह की गतिविधियों में संगठित अपराध, आर्थिक अपराध, आपराधिक सांठगांठ वाले जटिल अपराध आदि शामिल हैं।
- **हितों का टकराव:** ऐसे अवसर हो सकते हैं जब सदन या मंत्रालय या विभाग द्वारा विचार किए जा रहे किसी मामले में किसी सदस्य का प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या विशिष्ट आर्थिक हित हो सकता है।
    - उदाहरण के लिए- व्यावसायिक हित रखने वाला एक विधि निर्माता जो पर्यावरण नियमों में प्रस्तावित संशोधनों से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहता है, ऐसे संशोधनों के लिए मतदान करने में हितों का स्पष्ट टकराव प्रदर्शित करेगा।
- **भाई-भतीजावाद और वंशवाद की राजनीति:** वंशवाद की राजनीति के प्रचलन के चलते स्थापित राजनेताओं के परिवार के सदस्य योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया के बिना राजनीति में प्रवेश करते हैं। ऐसे में पक्षपात की धारणा पैदा होती है और नैतिक मानदंडों से समझौता होता है।
- **कमजोर प्रवर्तन:** सार्वजनिक जीवन के उच्च मानदंडों को बनाए रखने और उन्हें लागू करने की प्रक्रियाओं में कमियां व्याप्त हैं। इससे दण्ड से मुक्ति की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
    - उदाहरण के लिए- **संसद भवन के बाहर सांसदों के नैतिक कदाचार पर कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट तंत्र नहीं** है।
- **हित समूहों का प्रभाव:** शक्तिशाली हित समूह, चाहे व्यावसायिक हों या सामाजिक, व्यक्तिगत या सामूहिक हितों के पक्ष में विधि निर्माताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करते हैं। यह नैतिक मानदंडों से समझौते को बढ़ावा देता है।

लोकसभा की आचार समिति (Ethics Committee of Lok Sabha)

- आचार समिति में 15 सदस्य होते हैं। सदस्यों को एक वर्ष के कार्यकाल के लिए लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है।
- लोक सभा में पहली आचार समिति का गठन 2000 में और राज्य सभा में पहली आचार समिति का गठन 1997 में किया गया था।

विधि निर्माताओं में आवश्यक नैतिक मूल्यों के समावेश के उपाय

- **विधिक उपायों को मजबूत करना:** व्हिसिलब्लोअर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रावधानों को बेहतर करना और कठोर दंड के साथ भ्रष्टाचार-विरोधी कड़े कानूनों को लागू करना चाहिए।
    - आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं को हतोत्साहित करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।
- **आचार संहिता:** आचार संहिता, व्यवहार के कुछ मानक मानदंडों को विकसित करने में मदद कर सकती है। इसमें विधायिका में शामिल होने वाले प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति/ सांसद/ विधायक से अपेक्षा की जाती है कि वह आचार संहिता का पालन करे।
    - आचार संहिता का सार विधि निर्माताओं के बीच **आत्म-अनुशासन को प्रोत्साहित करना** है।

> किसी व्यक्ति को बौद्धिक रूप से शिक्षित करना, किंतु नैतिक शिक्षा से वंचित रखना वस्तुतः समाज के लिए हानिकारक होता है।
>
>
>
> — थियोडोर रूजवेल्ट

- **राजनीतिक दल के स्तर पर सुधार:** राजनीतिक दलों को अपने सदस्यों के आचरण को विनियमित करने की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों की ईमानदारी और प्रतिबद्धता के बिना, सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना मुश्किल होगा।
    - राजनीतिक दलों की **फंडिंग और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता** होनी चाहिए।
- **चुनाव सुधार:** चुनावों में धन बल की भूमिका को कम करने के उपाय अपनाने चाहिए। इसमें चुनाव खर्चों की सीमा तथा राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट या राज्य द्वारा वित्त-पोषण संबंधी प्रावधानों में संशोधन, राजनीतिक दलों को मिलने वाले विदेशी चंदे का विनियमन करना आदि शामिल है।
- **सदन में दंड:** कई बार किसी सांसद/ विधायक के विरुद्ध **अनैतिक या अन्य कदाचार या संहिता के उल्लंघन** का आरोप साबित हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसे कई तरह से दंडित किया जा सकता है, जैसे- सदन में निंदा प्रस्ताव; फटकारना; सदन से किसी विशिष्ट अवधि के लिए निलंबन करना या उसकी सदस्यता को समाप्त करना आदि।
    - यह सदन में **आचार समिति को सशक्त बनाकर** किया जा सकता है।

> किसी राष्ट्र को उसकी ताकत उसके नेताओं की सत्यनिष्ठा और नैतिक चरित्र से प्राप्त होती है।
>
> 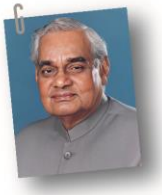
>
> — अटल बिहारी वाजपेयी

- **शिक्षा कार्यक्रम:** नागरिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जाएं, जो कम उम्र से ही **नैतिक मूल्यों, शासन और लोक सेवा के महत्त्व** पर जोर देते हैं।
    - साथ ही, भावी नेतृत्वकर्ताओं में नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए **लीडरशिप/ नेतृत्व कार्यक्रम** शुरू किया जा सकता है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, विधि निर्माताओं द्वारा नैतिक मूल्यों का पालन करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें **सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी** और **सतर्कता की आवश्यकता** होती है। इससे **सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन** करने वाले **राजनीतिक माहौल** को बढ़ावा मिलेगा। **सभी हितधारकों का सहयोग और जुड़ाव** एक मजबूत नैतिक ढांचा स्थापित करने में योगदान देता है जो **एक लोकतांत्रिक समाज के काम-काज को मजबूत** करता है।

अपनी नैतिक अभिक्षमता (Ethical aptitude) का परीक्षण कीजिए

अपने आप को एक नवनिर्वाचित विधायक के रूप में कल्पना कीजिए। आपके चुनाव अभियान का अधिकांश वित्त-पोषण एक बड़े कॉर्पोरेट, 'XYZ इंडस्ट्रीज' ने किया था, जो आपके राज्य के खनन क्षेत्रक में एक प्रमुख भागीदार है। चुनाव के बाद, राज्य विधान-मंडल में एक विधेयक पेश किया गया है जिसमें खनन कार्यों के लिए पर्यावरणीय नियमों में ढील देने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रस्ताव से XYZ इंडस्ट्रीज को बहुत लाभ होगा लेकिन पर्यावरण और स्थानीय समुदायों को संभावित रूप से नुकसान होगा।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- आपके सामने क्या नैतिक दुविधाएं हैं और इससे जुड़े हितधारक कौन हैं?
- आपके सामने संभावित विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए।
- आपकी आदर्श कार्रवाई क्या होगी?

9.2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवाधिकार (AI and Human Rights)

परिचय

मानवाधिकारों को लेकर किए एक ऑनलाइन वार्षिक अध्ययन **"फ्रीडम ऑन द नेट"** में कहा गया है कि ऑनलाइन क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति बिगड़ रही है। यह निष्कर्ष इस बात पर प्रकाश डालता है कि **AI प्रौद्योगिकियों** में न केवल **मानव अधिकारों को बढ़ावा देने** बल्कि **उनका उल्लंघन करने की भी क्षमता** है। इन दोनों के बीच मौजूद नाजुक संतुलन की समझ समय की मांग है।

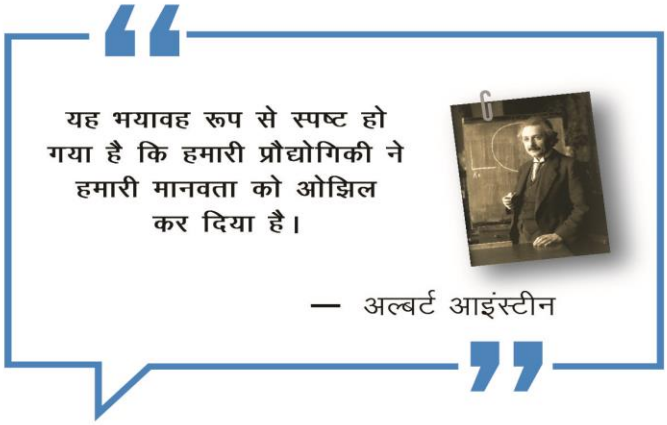

हितधारक	हित
सरकार	• इनके हित राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और लोक प्रशासन से जुड़े हैं। सरकारें **AI क्षेत्र में नवाचार** और **आर्थिक विकास को भी बढ़ावा** देना चाहती है।
AI के उपयोगकर्ता (नागरिक)	• नागरिकों का हित यह सुनिश्चित करने से संबंधित है कि AI प्रौद्योगिकियों का उपयोग उन तरीकों से किया जाए जो मौलिक अधिकारों, जैसे कि **निजता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भेदभाव से सुरक्षा का सम्मान** करते हैं।
सिविल सोसाइटी और कार्यकर्ता	• इनका मुख्य कार्य मानवाधिकार के मुद्दों के बारे में **जागरूकता बढ़ाना** और किसी भी **उल्लंघन के लिए सरकारों और कॉर्पोरेट्स** की जिम्मेदारी तय करना है।
AI डेवलपर्स और इंजीनियर्स	• इनके हित अपने **क्षेत्रक के विकास, जटिल समस्याओं को हल करने का** लक्ष्य और **एल्गोरिथम के पूर्वाग्रह एवं निष्पक्षता जैसे चिंताजनक मुद्दों से संबंधित** हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन	• अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का हित **वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास** में निहित है।

क्या AI मानवाधिकारों को नुकसान पहुंचाता है?

हालांकि AI स्वयं एक उपकरण है और मूल रूप से इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। लेकिन हाल ही में इसके **इस्तेमाल और कार्यान्वयन ने निम्नलिखित रूप से चिंताएं बढ़ा दी हैं:**

- **निजता का अधिकार:** बिग-डेटा निगरानी प्रणालियां बड़ी मात्रा में **व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं और उसका विश्लेषण** करती हैं। इससे लोगों की **सबसे संवेदनशील जानकारी के प्रकट होने का खतरा** पैदा हो जाता है।
- **स्वतंत्र अभिव्यक्ति:** राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक भाषणों को सेंसर करने के लिए स्वचालित प्रणालियां स्थापित की गई हैं।
    - **AI निगरानी** लोगों को सेल्फ-सेंसरशिप की सहायता से प्रतिशोध से बचने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।
- **जानकारी तक पहुंच:** प्लेटफ़ॉर्म एल्गोरिदम ने **विश्वसनीय जानकारी** की बजाय भड़काऊ कंटेंट को बढ़ावा दिया है।
    - सरकार समर्थक टिप्पणीकर्ता बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार करने के लिए **जेनरेटिव AI** का उपयोग कर सकते हैं।

> प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बनाने में सफलता हमारी सभ्यता के इतिहास की सबसे बड़ी घटना हो सकती है या सबसे बुरी घटना हो सकती है। हम इसके बारे में नहीं जानते हैं।
>
>
>
> — स्टीफन हॉकिंग

- **न्यायसंगत प्रक्रिया: AI-सक्षम निगरानी उपकरण** जैसे कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग **"संभावित कारण (Probable cause)"** जैसे मानकों को त्याग देते हैं। ऐसे में ये निगरानी उपकरण सभी व्यक्तियों को संभावित रूप से गलत काम करने वाला मानते हैं।
- **भेदभाव:** एल्गोरिथम प्रणालियां उनके प्रशिक्षण डेटा में अंतर्निहित पूर्वाग्रह को कायम रख सकती हैं और **लंबे समय से चले आ रहे भेदभाव को बढ़ा** सकती हैं।
- **संघ बनाना और सभा करना:** चेहरे की पहचान करने की क्षमता से युक्त AI सिस्टम संभावित प्रदर्शनकारियों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। इससे राज्य बलों को उन्हें गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने में सहायता मिलती है।
- **डिजिटल चुनाव हस्तक्षेप:** AI का उपयोग दुष्प्रचार के अभियानों को बढ़ावा देने, **संदेह पैदा करने, विरोधियों को बदनाम करने और लोक-समर्थन प्राप्त करने** आदि के लिए डीप फेक बनाने के लिए किया जा रहा है।

क्या AI मानवाधिकारों को मजबूत करता है?

एक ओर जहां AI से जुड़ी चुनौतियां और जोखिम मौजूद हैं, वहीं दूसरी ओर इनमें मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और बनाए रखने के महत्वपूर्ण अवसर भी हैं।

- **समानता का अधिकार:** AI एल्गोरिदम को **निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में पूर्वाग्रहों को कम करने** के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है।
    - **नियुक्ति/ भर्ती करने, उधार देने और आपराधिक न्याय** जैसे क्षेत्रों में पूर्वाग्रह को खत्म या कम करके, AI यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि **व्यक्तियों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार** किया जाए।
- **निजता की सुरक्षा:** AI प्रौद्योगिकियों का उपयोग **उन्नत निजता सुरक्षा तंत्र** विकसित करने के लिए किया जा सकता है। इसमें सुरक्षित **डेटा एन्क्रिप्शन, पहचान सुरक्षा और सुरक्षित संचार** शामिल हैं, जो **व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा** के लिए आवश्यक हैं।

> मनुष्य एक धीमा, सुस्त और मेधावी विचारक है; जबकि कंप्यूटर तेज, सटीक और अचेत।
>
>
>
> — जॉन फ़िफ़र

- **जवाबदेही सुनिश्चित करना: AI-संचालित निगरानी तकनीक का उपयोग** सरकारों और संस्थानों को जवाबदेह बनाए के लिए किया जा सकता है।
    - उदाहरण के लिए- चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग **पुलिस की क्रूरता का दस्तावेजीकरण करने** और उसे उजागर करने तथा **पुलिस की पारदर्शिता व जवाबदेही** सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है।
- **शासन को सक्षम बनाकर सामूहिक अधिकारों की रक्षा करना:** उदाहरण के लिए-
    - **पूर्वानुमानयुक्त पुलिसिंग:** AI कानून प्रवर्तन एजेंसियों को **संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से आवंटित करने**, अपराध की अग्रसक्रिय रोकथाम और **वस्तुनिष्ठ निर्णय निर्माण** में मदद कर सकता है।

- हालांकि, अनैतिक रूप से उपयोग किए जाने पर **पूर्वानुमानयुक्त पुलिसिंग के दुरुपयोग** से जुड़ी चिंताएं भी हैं।

  - **शासन और पूर्व चेतावनी प्रणाली:** AI का उपयोग **प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकटों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली** विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

आगे की राह

- **AI के युग में सूचना की सटीकता की रक्षा:** AI को कवर करने वाले विनियमों में **वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता के मानवाधिकार सिद्धांतों** को शामिल किया जाना चाहिए।
- **सामाजिक प्रभाव का आकलन:** AI प्रौद्योगिकी के विकास प्रक्रिया के दौरान AI के **नैतिक और सामाजिक प्रभावों पर सक्रिय रूप से विचार** किया जाना चाहिए।
  - **सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA)**[128] के लिए एक रूपरेखा विकसित की जा सकती है (जैसा कि विकास परियोजनाओं के लिए किया जाता है)।
- **जनता और हितधारकों की भागीदारी:** AI प्रौद्योगिकियां मानवाधिकारों को शामिल करें व उनका सम्मान करें, यह सुनिश्चित करने के लिए **जनता, हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ पारदर्शी और समावेशी संवाद** करना चाहिए।
- **वैश्विक सहयोग:** AI नैतिकता और मानवाधिकारों के लिए साझे मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थापित करने के लिए **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व समझौतों को प्रोत्साहित** करना चाहिए।
- **नैतिक दिशा-निर्देश और विनियम: एसिलोमर सिद्धांतों (Asilomar Principles)** की तर्ज पर **AI के विकास और उपयोग** के लिए **नैतिक दिशा-निर्देशों का विकास एवं पालन** किया जाना चाहिए।

हितधारकों के **हितों को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण** हो सकता है, लेकिन एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि **AI प्रौद्योगिकियों का विकास एवं उनका इस्तेमाल मानव अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए** किया जाए।

अपनी नैतिक अभिक्षमता (Ethical aptitude) का परीक्षण कीजिए

सेल्फ-ड्राइविंग कारों में सड़क दुर्घटनाओं, यातायात संबंधी भीड़भाड़ और ईंधन की खपत को कम करके परिवहन क्षेत्रक में क्रांति लाने की क्षमता है। ये वाहन मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वसंचालन करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सेंसर्स का उपयोग करते हैं। इससे वे अपनी प्रोग्रामिंग और अपने परिवेश के डेटा के आधार पर रियल टाइम में निर्णय लेते हैं। ऐसे परिदृश्य की कल्पना कीजिए जहां एक ऑटोनॉमस/ स्वचालित वाहन एक व्यस्त शहरी सड़क पर चल रहा हो। अचानक, एक बच्चा सड़क पर भागता है और वाहन के सेंसर्स इसका पता लगा लेते हैं। ऐसी स्थिति में कार में मौजूद AI को तुरंत निर्णय लेना होता है:

[128] Social Impact Assessment

विकल्प 1: बच्चे को बचाने के लिए कार मुड़ सकती है लेकिन उसके फुटपाथ पर पैदल चलने वालों के एक समूह से टकराने का जोखिम है। इससे संभावित रूप से **कई लोगों को नुकसान हो सकता है या उनकी मौत** हो सकती है।

विकल्प 2: कार अपने रास्ते पर चलती रह सकती है और बच्चे को टक्कर मार सकती है, जिससे फुटपाथ पर पैदल चलने वालों के लिए जोखिम कम हो जाएगा।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- इसमें शामिल नैतिक मुद्दे एवं दुविधाएं क्या हैं?
- ऐसे परिस्थिति में संभावित विकल्प क्या होगा और अपने विकल्प के पक्ष में कारण बताइए?

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

10.1. प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना {PM SVANidhi}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में स्ट्रीट वेंडर्स पर पी.एम. स्वनिधि योजना के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इसके तहत **1 वर्ष** की अवधि के लिए बिना कुछ गारंटी रखे (कोलैटरल फ्री) **10,000 रुपये** तक की कार्यशील पूंजी के रूप में ऋण दिया जाता है। **इस ऋण का समय पर पुनर्भुगतान** करने पर ऋण की दूसरी किश्त के रूप में **20,000** रुपये तथा तीसरी किश्त के रूप में **50,000** रुपये के ऋण भी प्रदान किए जाते हैं। • **ऋण को समय पर/ शीघ्र भुगतान** किए जाने पर आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। • **डिजिटल लेन-देन करने पर** प्रति वर्ष 1,200 रुपये तक के कैशबैक **पुरस्कार** दिए जाते हैं।	• यह शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए **सूक्ष्म-ऋण (Micro-Credit) योजना** है। इसे **2020 में शुरू** किया गया था। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को उनके **व्यवसायों को फिर से शुरू करने** के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। • **योजना का प्रकार:** यह 'केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना' है। • **मंत्रालय:** आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) • **योजना का कार्यान्वयन:** इस योजना में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) MoHUA का कार्यान्वयन भागीदार है। • **योजना की विशेषताएं** ○ **पात्रता: शहरी क्षेत्रों में** 24 मार्च, 2020 तक या उससे पहले **वेंडिंग के कार्य में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स** इस योजना के लिए पात्र हैं। ○ **पात्र वेंडर्स की पहचान के लिए मानदंड:** ▪ स्ट्रीट वेंडर्स के पास **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)[129] द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाण-पत्र/ पहचान-पत्र** होना चाहिए, ▪ ऐसे वेंडर्स, **जिनका नाम सर्वेक्षण सूची में दर्ज है**, लेकिन उन्हें वेंडिंग प्रमाण-पत्र/ पहचान-पत्र जारी नहीं किया गया है, ▪ ऐसे वेंडर्स, जिनका नाम **ULBs द्वारा किए गए सर्वेक्षण की सूची** में नहीं है या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग कार्य शुरू किया है। ऐसे वेंडर्स को ULBs/ टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) द्वारा इसके प्रमाण के रूप में **अनुशंसा पत्र (LoR)[130] जारी किया गया हो**, ▪ **ऐसे वेंडर्स जो आस-पास के विकास क्षेत्र/ पेरी-अर्बन/ ग्रामीण क्षेत्रों में वेंडिंग कार्य करते हैं** और ULBs की भौगोलिक सीमा में आते हैं तथा उन्हें ULB/ TVC द्वारा इस आशय हेतु अनुशंसा पत्र जारी किया गया है। ○ **पात्र राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश:** यह योजना केवल उन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने **स्ट्रीट वेंडर्स** (जीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) **अधिनियम, 2014** के तहत नियमों को अधिसूचित किया है। ○ **कार्यान्वयन अवधि:** इस योजना को **दिसंबर 2024** तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

शब्दावली को जानें

परसिस्टेंसी रेशियो (या स्थायित्व अनुपात): स्वनिधि ऋण पुनर्भुगतान के संदर्भ में, यह पहला ऋण चुकाने और फिर दूसरी बार ऋण लेने वाले लोगों का अनुपात है।

[129] Urban Local Bodies

[130] Letter of Recommendation

	○ **क्रेडिट गारंटी:** इस योजना में स्वीकृत ऋणों के लिए **ग्रेडेड गारंटी कवर का प्रावधान** किया गया है। इसे **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)**[131] द्वारा प्रशासित किया जाता है। • **स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम:** यह **पी.एम. स्वनिधि योजना का एक अतिरिक्त कार्यक्रम** है। ○ इस योजना का उद्देश्य **स्ट्रीट वेंडर्स** के समग्र विकास और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए **सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ** प्रदान करना है। ○ **भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)**[132] इस कार्यक्रम का **कार्यान्वयन भागीदार** है।

[131] Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises

[132] Quality Council of India

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः भारत

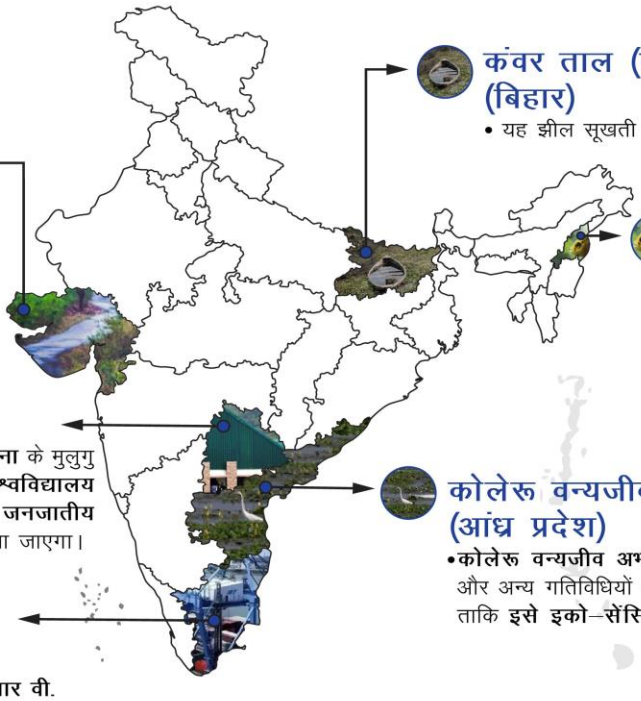

कंवर ताल (कबरताल आर्द्रभूमि) (बिहार)
- यह झील सूखती जा रही है।

धोर्डो गांव (गुजरात)
- संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन **(UNWTO)** ने इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया है।

मिलक नदी (नागालैंड)
- हाल ही में, रंग बदलने वाली मछली की नई प्रजाति **बादिस लिमाकुमी** की खोज की गई।

मुलुगु जिला (तेलंगाना)
- प्रधान मंत्री ने घोषणा की है कि **तेलंगाना** के मुलुगु जिले में **केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय** स्थापित किया जाएगा। इसका नाम **जनजातीय देवी सम्मक्का–सरक्का** के नाम पर रखा जाएगा।

कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य (आंध्र प्रदेश)
- **कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य** के आसपास भूमि–उपयोग और अन्य गतिविधियों की एक सूची तैयार की जा रही है ताकि **इसे इको–सेंसिटिव जोन** घोषित किया जा सके।

वी. ओ. चिदंबरनार पोर्ट (तमिलनाडु)
- **मिश्र से ग्रीन अमोनिया का पहली बार वी. ओ. चिदंबरनार पोर्ट (तमिलनाडु) पर आयात** किया गया।

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः विश्व

इटली
भारत और इटली ने **रक्षा सहयोग को मजबूत** करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

स्पेन
कैटलन अलगाववादियों को आम–माफी दिए जाने की संभावना के खिलाफ **बार्सिलोना** में बड़े पैमाने पर विरोध–प्रदर्शन आयोजित किए गए।

जर्मनी
बॉन में 'रसायन प्रबंधन पर पांचवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' (ICCM5) का आयोजन हुआ है। इस सम्मेलन में एक वैश्विक फ्रेमवर्क **"रसायनों पर वैश्विक फ्रेमवर्क– रसायनों और अपशिष्ट से होने वाली हानि से मुक्त एक ग्रह के लिए"** को अपनाया गया है।

सर्बिया
यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों ने **कोसोवो और सर्बिया** से आग्रह किया है कि वे उनके बीच **बढ़ते तनाव को कम करने के लिए फिर से वार्ता आरंभ** करें।

सीरिया
सीरिया में संघर्ष बढ़ने से तुर्की ने आतंकवादियों पर हमले तेज कर दिए हैं।

चीन
हांग्जो में आयोजित हुए **19वें एशियाई खेलों** का समापन हुआ।

लाओ पीडीआर
लाओ पीडीआर 2023 में **बांग्लादेश के बाद लिम्फैटिक फाइलेरियासिस (LF) का उन्मूलन करने वाला दूसरा देश** बन गया है।

मार्शल द्वीप
संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्शल द्वीप समूह को **आर्थिक सहायता देने के लिए** एक नए 20–वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया में हुए एक जनमत संग्रह में **देशज लोगों को संविधान में मान्यता देने संबंधी प्रस्ताव को खारिज** कर दिया गया है।

कैरेबियन क्षेत्र
कैरेबियन क्षेत्र में अत्यधिक संकटग्रस्त स्टैग–हॉर्न कोरल (प्रवाल) का एक जीनोम–वाइड सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के क्रम में इस कोरल में **वाइट बैंड रोग** से लड़ने की क्षमता वाले 10 जीनोमिक क्षेत्रों की पहचान की गई है।

इक्वाडोर
35 वर्षीय **डेनियल नोबोआ** इक्वाडोर के **सबसे युवा राष्ट्रपति** चुने गए हैं।

दक्षिण अफ्रीका
जोहान्सबर्ग के टॉलस्टॉय फार्म में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया।

जाम्बिया
भारतीय रक्षा सचिव ने जाम्बिया के रक्षा मंत्रालय के स्थायी सचिव के साथ बैठक की है।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

व्यक्तित्व	विवरण	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 जगद्गुरु बसवेश्वर (12वीं शताब्दी)	• भगवान बसवेश्वर 12वीं सदी के कवि थे। उनका **जन्म वर्तमान कर्नाटक** में हुआ था। • वे दक्षिण भारत में **सामाजिक–धार्मिक सुधार, वचन साहित्य और लिंगायत आंदोलन** के लिए जाने जाते हैं। • उन्होंने **अनुभव मंडप** (विश्व की पहली संसद) की स्थापना की थी, जिसने **सामाजिक लोकतंत्र** की नींव रखी। • 13वीं शताब्दी में **पलकुरिकी सोमनाथ ने बसव पुराण** की रचना की थी। इसमें **बसवन्ना** के जीवन और विचारों का संपूर्ण विवरण है। • उन्होंने **लैंगिक और जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास तथा कर्मकांडों को खारिज** कर दिया था। • वे **अहिंसा** के एक प्रबल समर्थक थे। उन्होंने मानव और पशु बलि की निंदा की थी। • गौतम बुद्ध की तरह उन्होंने भी लोगों को तर्कसंगत सामाजिक व्यवस्था में खुशी से रहना सिखाया, जो बाद में **शरण आंदोलन** के रूप में जाना गया। • उनका दर्शन **अरिवु (सच्चा ज्ञान), लोकाचार (सही आचरण) और अनुभव (ईश्वरीय अनुभूति)** के सिद्धांतों पर आधारित था।	**समतावाद और श्रम की गरिमा** • उन्होंने सामाजिक स्थिति और संपदा के पदानुक्रम के आधार पर अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाने के लिए कई कविताओं की रचना की। • अपनी शिक्षाओं में, उन्होंने शारीरिक श्रम की गरिमा और इसे मान्यता दिए जाने के अधिकार का समर्थन किया।
 वीरांगना रानी दुर्गावती	• रानी दुर्गावती का जन्म **बांदा (उत्तर प्रदेश) में महोबा के चंदेल राजवंश** में हुआ था। उनका विवाह 1542 ई. में **गढ़ा–कटंगा के गोंड राजवंश के शासक दलपत शाह** से हुआ था। • रानी ने 1550 ई. में दलपत शाह की मृत्यु के बाद अपने **पुत्र वीर नारायण की संरक्षक के रूप में गोंड राजवंश की सत्ता** संभाली। • **रानी दुर्गावती का योगदानः** ▸ उन्होंने **रानीताल, चेरीताल और अधारताल जैसे जलाशयों** का निर्माण कराया था। ▫ उन्होंने अपनी राजधानी **सिंगौरगढ़ से चौरागढ़** स्थानांतरित की थी। नई राजधानी **सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला** में स्थित थी। ▸ रानी दुर्गावती ने **आचार्य बिट्ठलनाथ को गढ़ में पुष्टिमार्ग पंथ** की एक पीठ स्थापित करने की अनुमति दी थी। ▸ **तारीख–ए–फरिश्ता** के अनुसार, **दुर्गावती ने मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित** किया था। • उनके शासनकाल के दौरान **अकबर** ने गोंड साम्राज्य पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण का नेतृत्व **आसफ खान** ने किया था। • दुर्गावती की कहानी **अबुल फजल (अकबर के इतिहासकार) और ब्रिटिश कर्नल स्लीमन** की रचनाओं से प्राप्त होती है।	**दूरदर्शी नेतृत्व और साहसः** • उन्होंने शासन–प्रशासन में दूरदर्शिता का प्रदर्शन किया। अपने राज्य के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया। • उन्होंने दुर्जेय विरोधियों के खिलाफ वीरता से राज्य और सेना का नेतृत्व किया।
 बंदा सिंह बहादुर (1670–1716)	• बाबा बंदा सिंह बहादुर **एक सिख योद्धा और खालसा सेना के कमांडर** थे। • मूल रूप से उनका नाम **लछमन देव** था। उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। • **गुरु गोबिंद सिंह** ने उन्हें **बंदा सिंह बहादुर की उपाधि** प्रदान की थी। • उन्होंने मुगल सेना को पराजित कर पंजाब में **खालसा शासन की स्थापना** की थी।	**वीरता और प्रतिबद्धताः** • वह पहले सिख सैन्य नेता थे जिन्होंने मुगल शासकों के खिलाफ आक्रामक युद्ध छेड़ा और सिख साम्राज्य का विस्तार किया। • उन्होंने आम लोगों के लिए धर्म और न्याय की लड़ाई लड़ी।

	• उन्होंने **जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया** और **नानक शाही सिक्के चलाए।** • मुगल शासक **फर्रुखसियर** के समय उन्हें कैद कर लिया गया। अनेकों यातनाओं के कारण **महरौली** में उनकी मृत्यु हुई।	
 श्यामजी कृष्ण वर्मा (1857–1930)	• उनका जन्म गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा भारत में पूरी की और बाद में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाने लगे थे। • 1905 में उन्होंने **'द इंडिया हाउस'** की स्थापना की और **'द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट'** पत्रिका प्रकाशित करना शुरू किया। ▸ **द इंडिया हाउस** ब्रिटेन में कट्टरपंथी राष्ट्रवादी भारतीय छात्रों के बीच विचार–विमर्श का केंद्र बन गया था। • वह **मुकदमा चलाए जाने से बचने के लिए 1907 में पेरिस चले गए।** • **इंडियन होमरूल सोसायटी** के माध्यम से उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की आलोचना की। • वह **बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष** बने। • उन्होंने वीर सावरकर को प्रेरित किया जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे।	**देशभक्ति और निस्वार्थता:** • राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विचारों से प्रेरित होकर, उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र की प्राप्ति के लिए काम करने हेतु अपना पूरा जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया।
 डॉ. शंभुनाथ डे (1915–1985)	• डॉ शंभु को **चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार के लिए एक से अधिक बार नामित** किया गया था। • **हैजा विष (Cholera Toxin: CTX) की खोज** में उन्होंने **मुख्य भूमिका** निभाई थी। ▸ CTX, **वी. कॉलेरा** (हैजा पैदा करने वाला बैक्टीरिया) द्वारा **छोटी आंत में छोड़े गए छह प्रोटीनों का एक जटिल सम्मिश्रण** है। ▸ CTX आंत की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। यहां यह सोपानबद्ध **अन्तःकोशिकीय अभिक्रियाओं को सक्रिय** करता है। • उन्होंने यह भी परिकल्पना की थी कि **कॉलेरा बैसिलस का मुख्य लक्ष्य छोटी आंत की परत बनाने वाली कोशिकाएं** थीं। ▸ इसके पहले, **रॉबर्ट कोच ने यह गलत निष्कर्ष निकाला था कि वी. कॉलेरा मुख्य रूप से रोगी के परिसंचरण तंत्र पर हमला** करता है।	**नई सोच और समर्पण:** • चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, चिकित्सा विज्ञान के प्रति उनका निरंतर समर्पण स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
 नानाजी देशमुख (1916–2010)	• वह एक **समाज सुधारक, शिक्षाविद् और राजनीतिज्ञ** थे। • उन्होंने **1950 में गोरखपुर में देश का पहला सरस्वती शिशु मंदिर (विद्यालय)** स्थापित किया था। • वह **चित्रकूट (मध्य प्रदेश) स्थित दीनदयाल शोध संस्थान (DRI)** के संस्थापक थे। ▸ उन्होंने DRI के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान के आधार पर **वैकल्पिक ग्रामीण विकास मॉडल** स्थापित किए थे। • नानाजी ने **चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय** की स्थापना की थी। यह **भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय** था। • उन्होंने **विनोबा भावे** द्वारा शुरू किए गए **भूदान आंदोलन** में भाग लिया था तथा **जे.पी. आंदोलन** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नानाजी **जनसंघ** के संस्थापक सदस्यों में से एक थे।	**उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता:** • वे भारत के एक विख्यात समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में काम किया, जिसने गांवों में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने के एक नया मार्ग दिखलाया।

 डॉ. गोपालसमुद्रम नारायण रामचन्द्रन (1922–2001)	• **डॉ. रामचंद्रन** ने गोपीनाथ कार्था के साथ मिलकर **कोलेजन की संरचना को समझने के लिए 'मद्रास ट्रिपल हेलिक्स मॉडल'** पेश किया था। ▸ कोलेजन **जानवरों के संयोजी ऊतक में मौजूद** होता है। यह मनुष्यों सहित सभी प्राणियों को क्षमता और आकार प्रदान करता है। • **डॉ. रामचंद्रन के अन्य योगदानः** ▸ उन्होंने **बीटा संश्लेषण सहित एक्स–रे क्रिस्टलोग्राफी** में कई नई विधियां विकसित की थीं। ▸ उन्होंने **मद्रास विश्वविद्यालय में आणविक जीव विज्ञान** में एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। • **अर्जित पुरस्कारः शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित।**	**वैज्ञानिक जिज्ञासा एवं विनम्रताः** • उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा ने संरचनात्मक आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रेरित किया। • अपने अभूतपूर्व कार्यों और असंख्य प्रशंसाओं के बावजूद, वह विनम्र बने रहे और जैव सूचना विज्ञान की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध रहे।

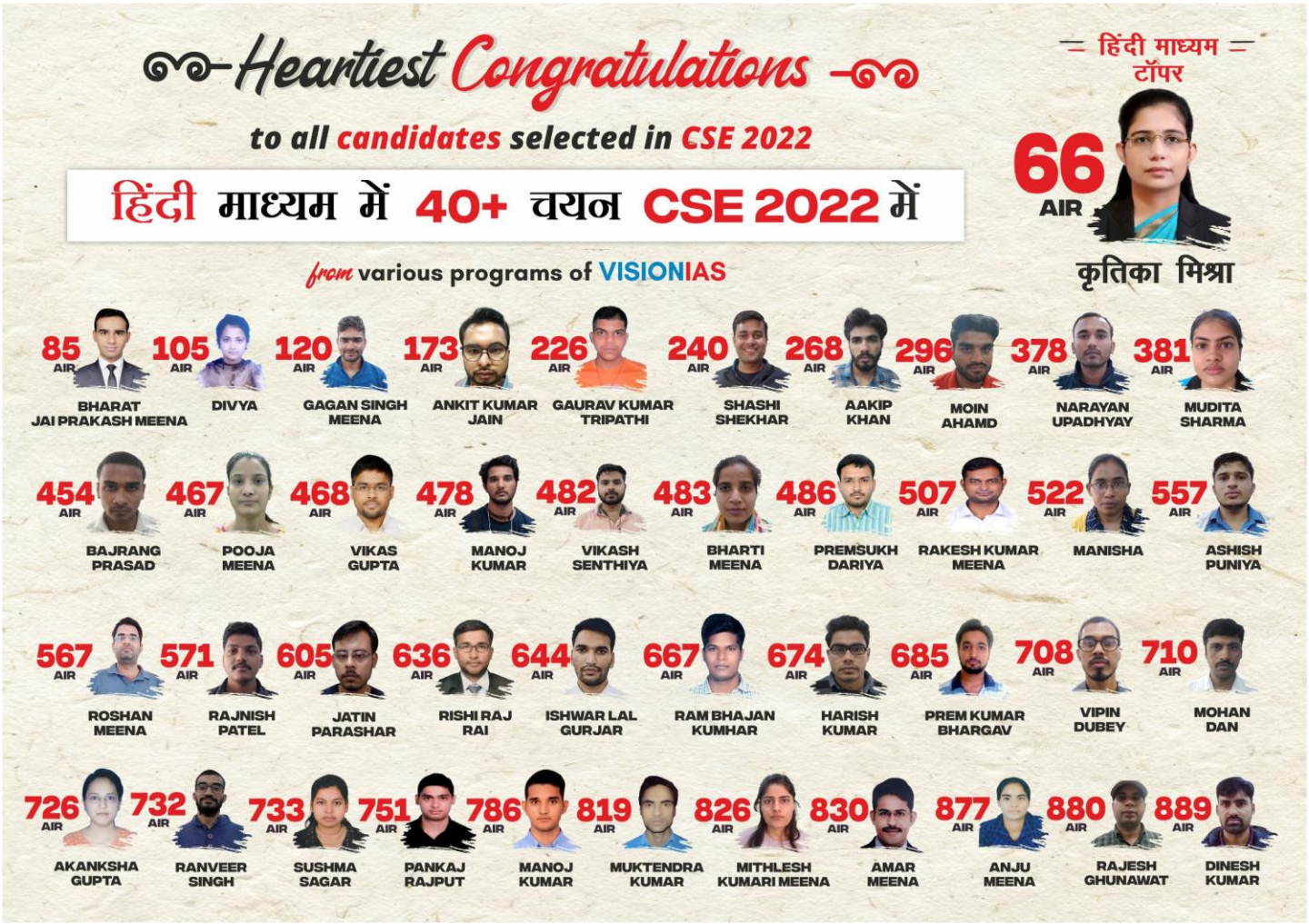

वीकली फोकस

प्रत्येक सप्ताह एक मुद्दे का समग्र कवरेज

मुद्दे	विवरण	अन्य जानकारी
रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण: भारतीय मुद्रा का बढ़ता वैश्विक प्रभाव	किसी मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की ओर बढ़ना किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेतक है। यह उसकी आर्थिक शक्ति और वैश्विक वित्तीय प्रभाव को आकार देता है। इस डॉक्यूमेंट में मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की मूलभूत अवधारणाओं, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक शर्तों और भारत द्वारा इस प्रयास पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनने के कारणों को शामिल किया गया है।	
भारत में भ्रष्टाचार से निपटने का प्रयास अभी भी जारी	भ्रष्टाचार, दुनिया के कई हिस्सों की तरह भारत में भी एक प्रचलित चुनौती है। यह देश की प्रगति, शासन और सामाजिक ताने–बाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इसलिए इसकी जटिलताओं और निहितार्थों को समझना महत्वपूर्ण है। यह डॉक्यूमेंट भारत में भ्रष्टाचार और उसके मूल कारणों का गहन विश्लेषण प्रदान करता है। यह भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने के भारत के प्रयासों में बाधा बनने वाले अवरोधों का भी पता लगाता है।	
भारतः विश्व की फार्मेसी	हाल के वर्षों में भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग ने व्यापक संवृद्धि दर्ज की है। इसने वैश्विक बाजार पर भी उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। यह डॉक्यूमेंट भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग की सफल यात्रा से परिचय करवाता है और वैश्विक कल्याण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका व योगदान पर प्रकाश डालता है। इस क्षेत्रक से जुड़ी चुनौतियों पर ध्यान देते हुए, इस डॉक्यूमेंट में इसकी भविष्य की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई है।	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अपनी तैयारी से जुड़े रहिए सोशल मीडिया पर फॉलो करें

/c/VisionIASdelhi

/VisionIAS_UPSC

/vision_ias

/Vision_IAS

/visionias.upsc

www.visionias.in

Heartiest

Congratulations

to all Successful Candidates

39 in Top 50 Selections in CSE 2022

1 AIR
ISHITA KISHORE

2 AIR
GARIMA LOHIA

3 AIR
UMA HARATHI N

हिंदी माध्यम में 40+ चयन CSE 2022 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

66 AIR
KRITIKA MISHRA

85 AIR
BHARAT JAI PRAKASH MEENA

105 AIR
DIVYA

120 AIR
GAGAN SINGH MEENA

173 AIR
ANKIT KUMAR JAIN

UPSC TOPPERS: अधिक जानकारी के लिए QR स्कैन करें

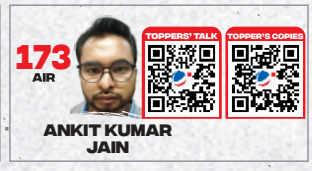

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station
DELHI

Mukharjee Nagar
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar, New Delhi – 110009

For Detailed Enquiry,
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

अहमदाबाद भोपाल चंडीगढ़ गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची सीकर